(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंड 2] षष्टम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का चौबीसवां दिवस [संख्या 18

बृहस्पतिवार,

दिनांक **29** सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 490

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न !

श्री मूलचन्द सामरिया ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री श्रवणलाल ।

जयपुर स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, जयपुर को ऋण

49. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, जयपुर को बैंक द्वारा दिये गये कर्ज की गारन्टी राजस्थान सरकार द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो किस आधार पर राज्य सरकार द्वारा यह गारन्टी दी गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह गारन्टी मिल द्वारा बैंक से भुगतान लेने और रुपया खर्च करने के बाद दी गई थी ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य था ?

(3) क्या यह भी सही है कि कर्ज के बाद से मिल में लगातार घाटा हो रहा है ? क्या यह भी सही है कि इस कर्ज के बाद मिल के खर्च में वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने बैंक कर्ज की गारन्टी क्यों दी ?

(4) क्या सरकार उक्त मामले से संबंधित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उद्योग मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द जैन): (1) स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा मैसर्स दी जयपुर स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जयपुर को विभिन्न उधार सुविधायें (क्रेडिट फैसिलिटीज) जारी रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा 2 मार्च, 1977 को डेढ़ करोड़ रुपये की प्रत्याभूति दी गई है।

(2) राजस्थान ग्रान्ट आफ गारन्टी रेगुलेशन, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत

Page No 2

(श्री त्रिलोक चन्द जैन)
गारन्टी दी गई है और इस हेतु जमानत स्वरूप मिल की वर्तमान अचल सम्पत्ति एवं भविष्य में होने वाली अचल सम्पत्ति पर राज्य सरकार का सैकिण्ड चार्ज है। साथ ही इस मिल के चेयरमेन, श्री जी. आर. पोद्दार की व्यक्तिगत जमानत भी ली गई है। राज्य सरकार द्वारा यदि प्रत्याभूति न दी गई होती तो बैंक द्वारा उधार सुविधायें नहीं मिल सकती थीं। उस दशा में मिल बन्द हो जाती जिसके फलस्वरूप कम्पनी में कार्यरत करीब 1800 व्यक्तियों के परिवारों को भीषण आर्थिक संकट एवं असन्तोष का सामना करना पड़ता।

(3) सरकार द्वारा प्रत्याभूति देने के बाद कम्पनी के घाटे में काफी हद तक कमी हुई है। कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर जो घाटा जनवरी से मार्च, 1970 की अवधि में 36.18 लाख रुपया था वह घटकर अप्रेल से जून तक 14.73 लाख रुपये और जुलाई से अगस्त तक केवल 1.45 लाख रुपये रह गया है। सितम्बर माह में एक लाख रुपये का लाभ होने की सम्भावना है। मिल की कार्य क्षमता जो फरवरी, 1977 में करीब 40 प्रतिशत थी वह अगस्त में बढ़ कर 96 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इसी प्रकार जनवरी से मार्च की अवधि में जो उत्पादन 107.82 लाख का था वह अप्रेल से जून की अवधि में बढ़ कर 188.33 लाख हो गया तथा जुलाई से सितम्बर की अवधि में उत्पादन लगभग 200 लाख का होगा। उत्पादन शक्ति व कार्य क्षमता की बढ़ोत्तरी को देखते हुए खर्चों में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। जहां फरवरी व मार्च, 1977 की अवधि में केवल 700 से 800 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा रहा था उसकी तुलना में आज यह कम्पनी 1800 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रही है।

(4) कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री श्रवण लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह डेढ़ करोड़ रुपये किस समय दिये गये ? कोई तारीख होगी।

श्री त्रिलोक चन्द जैन : हमारी तो गारन्टी है। डेढ़ करोड़ रुपये का लोन हमने नहीं दिया है।

श्री श्रवण लाल : यह लोन कौनसी तारीख को मिला है ?

श्री त्रिलोक चन्द जैन : 2 मार्च, 1977 को।

श्री श्रवण लाल : यह तो आपने गारन्टी दी है 2-3-77 को मेरा मतलब है कि इस मिल को लोन कौनसी तारीख को दिया गया है ?

श्री त्रिलोक चन्द जैन : मेरे पास तो इसकी सूचना है कि गारन्टी कब दी है। लोन कौनसी तारीख को दिया, यह जानकारी नहीं। यह सूचना है कि 2-3-77 को राज्य सरकार द्वारा गारन्टी दी गयी डेढ़ करोड़ रुपये की। आपने यह नहीं पूछा कि लोन कब दिया गया, इसलिये जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री श्रवण लाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा गारंटी दी गई है वह ऐसे व्यक्ति की मिल को दी गयी है

(श्री श्रवण लाल)

जो कि फर्जी काम करता है। इस कम्पनी का मालिक है वह अनाप-शनाप धन बम्बई में खर्च करता है। करीब दस लाख रुपये की मशीनरी तो इसकी बम्बई में बेकार पड़ी है। इस मिल के मालिक के द्वारा दस दस लाख रुपये तो बिना बात के खर्च कर दिये जाते हैं। इस कम्पनी ने लोन लेकर खर्च कर दिया और उसके बाद में बैंक को राज्य सरकार ने गारन्टी दी है। फर्जी काम करने वाली मिल के लिये राज्य सरकार ने गारन्टी डेढ़ करोड़ की क्यों दी? मैं पूछना चाहता हूं कि इस कम्पनी को लोन कब मिला? कौनसी तारीख को मिला? मेरे प्रश्न के खण्ड (2) का जवाब स्पष्ट नहीं आया। मैंने यह पूछा है, क्या यह सही है कि यह गारन्टी मिल द्वारा बैंक से भुगतान लेने और रुपया खर्च करने के बाद दी गई थी? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य था?

श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू): उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड (2) की स्पष्ट जानकारी आनी चाहिये।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत): उपाध्यक्ष महोदय, लोन लेने के बाद ही रुपया खर्च किया गया होगा। जब रुपया खर्च हुआ तभी तो गारन्टी देनी पड़ी। इसका मतलब है कि लोन पहले लिया होगा। इसमें फर्क क्या पड़ा, गारन्टी पहले दी या बाद में।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। आप बिराजिये।

श्री श्रवण लाल : लोन कौनसी तारीख को लिया? तारीख तो बता दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तारीख बता देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

जयपुर विकास अधिकरण की योजना

492. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल): क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार के पास जयपुर में जयपुर विकास अधिकरण की योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो इस अधिकरण की स्थापना कब की जावेगी?

नगर आयोजना मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी): जी हां।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है। यह तो सरासर पक्षपात हो रहा है। कोई कन्ट्रोल आप नहीं कर रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह स्पष्ट निवेदन है कि जयपुर का मास्टर प्लान बन चुका है लेकिन वह अभी तक इसलिये एक्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक्जीक्यूट करने वाली अथोरिटी नहीं है। मेरा निवेदन है कि जयपुर के लिये एक डवलपमेन्ट अथोरिटी जल्दी से जल्दी बना दी जावे। जिस प्रकार दिल्ली में डी. डी. ए., देहली डवलपमेन्ट अथोरिटी बनी हुई है वैसी बना दी जावे ताकि जयपुर शहर का विकास मास्टर प्लान के अनुसार हो सके।

Page No 4

(५)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय ने कहा है ना, जी हां, विचाराधीन है ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा निवेदन है कि मास्टर प्लान तो बन गया, पर उसको इम्प्लीमेन्ट कोई नहीं कर रहा है । जयपुर के डवलपमेन्ट के लिये चार-चार एजेन्सीज है, नगर परिषद् है, हाउसिंग बोर्ड है, यू. आई. टी. है । यह सभी डवलपमेन्ट का काम एक दूसरे पर टालती रहती है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मन में वेदना है । आप मेरी वेदना को देखें । मैं भाषण नहीं दे रहा हूं । आज सड़क के लिये कहें तो नगर परिषद् कहती है हमारा काम नहीं यू. आई. टी. का है । नाले के लिये कहे तो एक एजेन्सी कहती है हमारा काम नहीं है । तो मेरा निवेदन है कि अगर एक जयपुर विकास अधिकरण बन जाये तो यह सभी दिक्कतें दूर हो सकती हैं और जयपुर का पूर्णतया विकास सही ढंग से हो सकता है । यह कब तक बना दिया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्रीजी, आप इनकी वेदना को ठीक करें ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जल्दी इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

ऊन की फैक्ट्री के लिये आवेदन-पत्र

493. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या भेड़ व ऊन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य में करीब 65 उद्योगपतियों ने ऊन की फैक्ट्री लगाने के लिये केन्द्र सरकार को आवेदन-पत्र भेजे है ? यदि हां, तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार से लाइसेन्स दिलाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

राज्य मन्त्री, भेड़ व ऊन (श्री कैलाश मेघवाल) जी हां । 65 में से 5 प्रार्थियों को परमिट स्वीकृत किया जा चुका है । वस्त्रायुक्त, बम्बई एवं भारत सरकार से शेष आवेदकों को आवेदित वूलन तकुए आवंटित कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा बराबर प्रयास किया जा रहा है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि बाकी बचे हुए लोग हैं उनको ऊन की फैक्ट्री लगाने के लाइसेन्स कब तक मिल जायेंगे ?

एक माननीय सदस्य : पांच साल लगेंगे ।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इनको जल्दी से स्वीकृति प्राप्त हो इसके लिये राज्य सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है । पर सभी को कब तक अलाट किये जा सकते हैं, यह तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है । इन्हें कब तक लाइसेन्स प्राप्त हो सकते हैं इसकी मैं अभी निश्चित समयावधि तो नहीं बता सकता पर यह जरूर कह सकता हूं कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी दिलाने के लिये कार्यवाही कर रही है ।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार के

Page No 5

(श्रीमती मदन कौर)
ऊन व भेड़ मन्त्रीजी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूं कि राजस्थान में पश्चिमी इलाके में खास तौर से ज्यादा ऊन पैदा होती है तो क्या राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के पश्चिमी इलाके के ऊन उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करेगी ?

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, कहां-कहां उद्योग लगेंगे, इसकी राज्य सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है।

श्रीमती मदन कौर : मैं यह जानना चाहती हूं कि जब राजस्थान के पश्चिमी जिलों में ऊन काफी मात्रा में पैदा होती है और ऊन उद्योग में पानी और पावर की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती है तो राज्य सरकार को राजस्थान के पश्चिमी जिलों में ऊन उद्योग को विकसित करने में क्या दिक्कत है ?

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में एक एक व्यक्ति को 30–30 भेड़ें दी गयी हैं। वह ऊन निकालते हैं और इस आधार पर राज्य सरकार ऊन उद्योग को वहां पर प्रोत्साहित करने की कोशिश...

श्रीमती मदन कौर : मेरा मतलब यह है कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों में ऊन का उत्पादन अधिक होता है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा लाइसेन्स देने की व्यवस्था करें। वहां पर रॉ मेटेरियल है और ऊन उद्योग के लिये पानी और पावर की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं पूछना चाहती थी कि क्या आप वहां ऊन उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सदस्या की भावना का खयाल रखेंगे। अवश्य ऐसे स्थानों पर लगायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

जयपुर में पैट्रोल पम्प के लिये दी गयी भूमि

494. **श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनीपार्क, जयपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या वन विभाग की कोई जमीन निर्वाण मार्ग, जयपुर पर पैट्रोल पम्प के लिये लीज पर या अन्य प्रकार से किसी को दी गयी है ? यदि हां, तो किसको दी गयी है और किन शर्तों पर ?

वन मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : जी हां। निर्वाण मार्ग, जयपुर पर पैट्रोल पम्प के लिये इन्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 100′ × 150′ वन भूमि सन् 1966 में राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 7(35) राजस्व (क) / 66, दिनांक 21-6-66 द्वारा 99 साल की लीज पर 10 रुपये प्रति माह की दर पर दी गयी तथा सन् 1968 में श्री वीरेन्द्रकुमार जैन को राज्य सरकार के आदेश सं. एफ. 7(35) राजस्व (क)/66, दिनांक 3-5-68 से 10 वर्ष की लीज पर 15 रुपये प्रति माह की दर पर पैट्रोल पम्प के विस्तार हेतु दी गयी।

दोनों की लीज डीड की प्रति संलग्न है।

(लीज डीड की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह स्पष्ट जानना चाहता हूं, क्या सरकार के यह ध्यान में है कि जो इन्डियन ग्राइल कार्पोरेशन को लीज पर भूमि दी गयी है, उसका ग्राधार क्या है ? दूसरा, क्या वीरेन्द्रकुमार जैन को किसी ग्राई. ए. एस. ग्राफिसर से रिलेटेड होने के कारण लीज पर भूमि दी गयी है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : ग्रभी लीज का समय समाप्त नही हुग्रा है । वीरेन्द्रकुमार इन्डियन ग्राइल के डीलर हैं । पैट्रोल पम्प का विस्तार हुग्रा है मोटर खड़ी करने ग्रौर कार्य करने हेतु उसके लिए भूमि उनको दी गयी है । राज्य सरकार ने 15) रु. प्रति माह की दर पर यह भूमि दस साल के लिए लीज पर दी है ।

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : मैं यह स्पष्ट जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि वीरेन्द्रकुमार जैन किसी ग्राई. ए एस. ग्रॉफिसर के रिश्तेदार हूं ? यह पैट्रोल पम्प के लिये भूमि लीज परदी गई है यह मेलाफाइडी तरीके सेदी गई है ग्रौर जनहित के विरुद्ध है ? क्या ग्रापको कानून विभाग ने इसकी सलाह नहीं दी ? जहां तक मेरी जानकारी है, दूसरा कोई उदाहरण नहीं है । वन विभाग से जमीन काट कर इनको जमीन दी गयी है ग्रौर सस्ती दर पर दी गयी है ।

श्री **त्रिलोकचन्द जैन** : यह मेरे पास जानकारी नहीं है कि श्री वीरेन्द्रकुमार जैन किसी ग्राई. ए. एस. ग्रॉफिसर के रिश्तेदार हैं । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, यदि यह नियमों के प्रतिकूल है तो इसकी जांच करवा ली जावेगी ।

श्री **रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)** : पैट्रोल पम्प के लिये जमीन कार्मशियल तरीके से देते हैं । लीज पर नहीं दी जा सकती है ।

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : मैं वन मंत्री महोदय से मिला हूं । इस पोइन्ट को ठीक से देखा जाना चाहिये कि मेलाफाइडी इन्टेन्शन से यह दी गयी है । राज्य कोष को हानि पहुंचाकर यह भूमि दी गयी है । वन विभाग की भूमि इस प्रकार से किसी दूसरे को नहीं दी गयी है । जैसा कि मैंने सुना है श्री शिवराम जैन के रिश्तेदार हैं श्री वीरेन्द्रकुमार जैन ग्रौर बेनामी ट्रान्जेक्शन्स हुए हैं । क्या 10 साल के लिये 15 रुपये माहवार की दर पर भूमि लीज पर दी जा सकती है ?

श्री **हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : इस प्रकार लीज पर देने का कोई नियमों में प्रावधान नहीं है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट । श्री **प्रेमसिंह** सिंघवी ।

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पहली बार सवाल नहीं ग्राया है । पहले सत्र हुग्रा था तब मैंने खास तौर से श्री शिवराम जैन के विरुद्ध ग्रारोप लगाये थे ।

श्री **उपाध्यक्ष** : मंत्री महोदय ने ग्राश्वासन दे दिया है ।

श्री **त्रिलोकचन्द जैन** : जांच करवा ली जावेगी ।

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : सदन में ग्रारोप लगाते हैं फिर भी सरकार की ग्रोर से उत्तर नहीं ग्राता है । वन मंत्रीजी ने जवाब दिया है......

श्री उपाध्यक्ष : वन मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया है ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आप निश्चित अवधि कायम कर दें, कितने दिनों में जांच करवा लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी ही जांच करेंगे ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह कांग्रेस की सरकार नहीं है । यह जनता पार्टी की सरकार है टाइम बाउन्ड प्रोग्राम होना चाहिये जनता पार्टी की सरकार का 15 दिन में करवा लेंगे, महीने, दो महीने, साल, दो साल में, कब तक करवा लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बंदिश नहीं लगायी जा सकती है । जल्दी से जल्दी करवा लेंगे ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : बंदिश लगाने का सवाल नहीं है । बंदिश लगायी जा सकती है बशर्ते कि काम करने का इरादा हो ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रशासनिक मामलों में ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : कोई टाइम निश्चित बतायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : माननीय सदस्य चाहेंगे जितने दिन में जांच करवा लेंगे । वे ही बता दें ।

श्री बजरंग लाल शर्मा : महीने भर में करवा लीजिये ।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : ठीक है ।

प्रश्न संख्या 495

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह सिंघवी ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री जीतमल जैन (अलवर) ।

श्रम निरीक्षकों के पद

496. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) श्रम विभाग में श्रम निरीक्षकों के कितने पद किस किस जिले में कितने स्वीकृत हैं ?

(2) राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम कितने स्थानों पर कहां कहां लागू है ? क्या एक जिले में जिला मुख्यालय के अतिरिक्त यह लागू है ?

(3) श्रम निरीक्षकों के द्वारा दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के अलावा अन्य क्या-क्या कार्य, किन-किन अधिनियमों का करना होता है ?

(4) क्या कहीं निरीक्षक, जो जिला मुख्यालय पर नियुक्त हैं, अन्य स्थानों पर (जहां शॉप एक्ट लागू है) प्रावधानों को सुचारु रूप से लागू करने हेतु समर्थ हैं ?

(5) वर्ष 1961 से पूर्व क्या दुकान व वाणिज्य संस्थान अधिनियम का कार्य दुकान निरीक्षकों द्वारा पृथक् से देखा जाता था ? यह पद क्यों समाप्त किये गये तथा कितने व्यक्ति श्रम विभाग से स्थानान्तरण पर उद्योग विभाग में भेजे गये ?

(श्री जीतमल जैन)

(6) क्या यह सही है कि वर्ष 1961 से लेकर सितम्बर, 1973 तक शॉप एक्ट उद्योग विभाग के पास रहा था ?

(7) श्रम विभाग को शॉप एक्ट का कार्य पुन: स्थानान्तरण पर जो स्टाफ उद्योग विभाग को दिया उसको वापस क्यों नहीं बुलाया गया ?

(8) वर्ष 1961 में उद्योग विभाग को भेजे गये निरीक्षक, बाट व माप की वरिष्ठता सूची में क्या स्थान है तथा 12 वर्ष में इन निरीक्षकों की पदोन्नतियां हुई हैं या नहीं ?

(9) यदि शॉप इन्सपेक्टर का कार्य बाट व माप निरीक्षक को नहीं दिया जाता तो शॉप इन्सपैक्टरों (वर्ष 59 से वर्ष 73 पन्द्रह वर्ष) की श्रम विभाग में रहने पर कितनी पदोन्नति होती ?

श्रम मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) श्रम विभाग में 64 पद श्रम इन्सपैक्टर्स के स्वीकृत हैं। जिन-जिन जिलों में ये पद हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 113 स्थानों पर लागू है। स्थानों की सूची सदन की मेज पर रख दी है। जी हां, जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी लागू है।

(3) श्रम निरीक्षकों को इस अधिनियम के अतिरिक्त अन्य निम्न अधिनियमों के तहत भी कार्य करना पड़ता है :

1) न्यूनतम वेतन

2) वेतन भुगतान

3) बोनस भुगतान

4) मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961।

5) ठेका श्रमिक अधिनियम, 1970

6) बीड़ी एवं सिगार श्रमिक अधिनियम।

7) वर्किंग जर्नेलिस्ट अधिनियम

8) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत समझौता अधिकारी।

(4) जहां तक संभव है श्रम इन्सपेक्टर जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर प्रावधानों का पालन करवाते हैं परन्तु इसमें कठिनाई अवश्य आती है।

(5) जी हां। चूंकि राज्य सरकार के आदेशानुसार व्यय में कमी व अन्य कारण वश शॉप्स एक्ट का कार्य उद्योग विभाग को सौंप दिया गया था। श्रम विभाग के 14 शॉप्स इन्सपैक्टरों का समावेश उद्योग विभाग में किया गया।

(6) जी हां।

(7) यह अनुमान था कि श्रम विभाग अपने वर्तमान श्रम इन्सपेक्टरों से ही शॉप्स एक्ट का कार्य चला लेगा।

(8) उद्योग विभाग द्वारा प्राप्त सीनियोरिटी सूची सदन की मेज पर रख दी है। उद्योग विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ इन्सपैक्टर्स का प्रमोशन किया गया है।

Page No 9

(9)

(श्री केदारनाथ)

(9) यदि शॉप्स एक्ट श्रम विभाग में रहता तो इन शॉप्स इन्सपेक्टर्स का नियमानुसार चयन होने के पश्चात् स्थायी रूप से नियुक्ति की जाती और तदुपरान्त श्रम इन्सपेक्टर्स के पद की योग्यता रखने वाले इन्सपेक्टर्स का प्रमोशन किया जाता। चूंकि 1959 से 1973 तक शॉप्स इन्सपेक्टर्स श्रम विभाग में नहीं थे अतः प्रमोशन संख्या देना संभव नहीं है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री कल्याणसिंह।

अजमेर में सहायक निरीक्षक, उद्यान का रिक्त पद

497. **श्री कल्याणसिंह सांखला** (अजमेर पूर्व) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि एक सहायक निरीक्षक, उद्यान का पद अजमेर के लिये स्वीकृत है, यदि हां, तो कब से ?

(2) उक्त पद पर कार्य करने वाले सहायक निरीक्षक को कहां लगा रखा है ?

(3) अजमेर नगर में उद्यानों की देखभाल करने के लिये राज्य सरकार द्वारा कितने अन्य पद स्वीकृत हैं ? वे कर्मचारी कहां-कहां काम कर रहे हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी नहीं। सहायक निरीक्षक, उद्यान, जयपुर ही इस कार्य को देखते हैं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) अजमेर में राजस्व मण्डल तथा जिला एवं सत्र न्यायालय के उद्यान ही इस विभाग की उद्यान शाखा की देख-रेख में हैं, जिनमें 5 माली जयपुर के सहायक उद्यान निरीक्षक के अधीन काम करते हैं।

श्री कल्याणसिंह सांखला : आपने कहा 'प्रश्न ही नहीं उठाता' तो क्या अजमेर नहीं रहते थे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 3-4-62 को सहायक निरीक्षक, उद्यान की एक पोस्टका क्रियेशन अजमेर में किया गया था। किन्तु जैसा मैंने कहा, केवल राजस्व मंडल और जिला सत्र न्यायालय के उद्यान थे, कम उद्यान थे इसलिये यह उचित समझा गया कि इतने छोटे काम के लिये सहायक निरीक्षक, उद्यान नहीं रखा जाय। जयपुर में सहायक उद्यान निरीक्षक 11-2-63 को इस प्रकार के आदेश जारी किये गये और तब ही से जयपुर में उद्यान सहायक निरीक्षक हैं उनकी देखरेख में वहां के उद्यानों की देख-रेख होती है।

सहकारी विभाग में पदोन्नतियों का आधार

498. **श्री अजीतसिंह** (टोंक) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सहकारी विभाग में वर्ष 74-75 में निरीक्षक के पद से सहायक रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार से उप-रजिस्ट्रार एवं उप-रजिस्ट्रार के पद पर जो पदोन्नतियां की गई हैं उनका आधार क्या है ?

(श्री अजीतसिंह)

(2) सहकारी विभाग द्वारा निरीक्षक (कार्यकारी) (आडिट) की वरिष्ठता सूची दिनांक 1-10-76 को जारी की गई है उसमें से अब तक किन-किन निरीक्षकों को सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) किन निरीक्षकों को वरिष्ठता होते हुए भी पदोन्नत नहीं किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि ऐसे निरीक्षकों को पदोन्नत कर दिया गया है जिनके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है?

(5) क्या यह सही है कि विभागीय पदोन्नति कमेटी ने केवल मैरिट के आधार पर ही पदोन्नतियां की हैं जिससे वरिष्ठ निरीक्षकों के हितों को आघात पहुंचा है?

(6) सहकारी विभाग के अधिकारियों की पदोन्नतियों के संबंध में राज्य सरकार की भावी नीति क्या रहेगी? जिन वरिष्ठ निरीक्षकों को सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है उनके बारे में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

सहकारिता मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन): (1) सहकारी विभाग में वर्ष 1974-75 में दिनांक 31-10-75 से पहले जो पदोन्नतियां की गई हैं वह वरिष्ठता और योग्यता (सीनियोरिटी कम मैरिट) के आधार पर है।

(2) दिनांक 1-10-76 को निरीक्षक (आडिट) की कोई वरिष्ठता सूची प्रकाशित नहीं हुई है, निरीक्षक (कार्यकारी) की अवश्य हुई है। इस सूची 'क' में से जिन निरीक्षकों (कार्यकारी) को सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत किया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जिन निरीक्षकों को पदोन्नत नहीं किया गया है उन की सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं।

(5) यह सही है कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा दिनांक 31-10-75 के पश्चात् निरीक्षक से सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नतियां केवल मैरिट के आधार पर की गई हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये नियमों की पालना में हैं। क्योंकि ये पदोन्नतियां केवल मैरिट के आधार पर की गई हैं अतः वरिष्ठ निरीक्षक पदोन्नति से वंचित रह गये।

(6) पदोन्नति के संबंध में राज्य सरकार की जो नीति सेवाओं के लिए होगी वही नीति सहकारी विभाग के अधिकारियों के लिए होगी। नीति राज्य सरकार के विचाराधीन है। निर्णय होने पर ही कोई कदम उठाया जायगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री अजीतसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सूची प्राप्त नहीं हुई।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद): अभी तक भी मैरिट फार्मूला के आधार पर पदोन्नतियां होती हैं?

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): क्या उन नियुक्तियों में घोटाले हुए हैं और उनकी राज्य सरकार जांच करवायेगी?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : अगर माननीय सदस्य बतायेंगे तो अवश्य जांच की जायेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपकी नजर में कुछ नहीं आया है क्या ? अगर आपकी नजर में कुछ आया तो क्या कदम उठायेंगे।

श्री बजरंगलाल शर्मा : 1-10-76 तक सिर्फ कार्यकारी निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गयी और ऑडिट वालों की नहीं, जब कि उच्च न्यायालय में मुकदमा चला है और सूचियां उसमें आई हैं। उस मुकदमे में फैसला हुआ है। 1-10-76 से पहले तो मुकदमे का फैसला हो चुका इसलिए जो सूचना सदन में रखी है वह सही प्रतीत नहीं होती।

दूसरे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैरिट फ़ार्मूला के बारे में माननीय मंत्री जी कहते हैं कि सरकारी नीति के अनुरूप है तो जहां तक मेरा ख्याल है इस मैरिट फार्मूला के ऊपर हमारी वर्तमान सरकार ने कोई नीति निर्धारित की हो और मैरिट पर जो प्रमोशन किये गये उनको कायम रखा जायेगा, ऐसा नहीं है। एक सर्क्यूलर ऐसा जरूर इश्यू हुआ है कि मैरिट के आधार पर पहला प्रमोशन है तो उस पर कन्फर्मेशन नहीं किया जायेगा। तो यह मानकर चला जाये कि मैरिट फार्मूला में जो प्रमोशन हुए वह आज की नीति के अनुरूप हैं ?

श्री तिलोकचन्द जैन : जो मैंने निवेदन किया है वह उस समय की सरकार की नीति के अनुकूल निवेदन किया है। वर्तमान सरकार की नीति के अनुकूल नहीं है। जो मैरिट फार्मूला है उस आधार पर अब कोई पदोन्नति नहीं होगी।

श्री बजरंगलाल शर्मा : प्रमोशन हो चुके हैं मैरिट के आधार पर और वह सब इमर्जेन्सी के दौरान किये गये हैं। मेरी जानकारी में आया है कि मौजूदा चीफ सेक्रेटरी यह इन्सिस्ट कर रहे हैं कि मैरिट के तरीकों को ही माना जाये। मैं श्रीमान् के माध्यम से सहकारिता मंत्री महोदय को और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मैरिट फार्मूला को लेकर सारे कर्मचारी वर्ग में रोष है और वह आन्दोलित हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से बतायें कि जो हो चुकी हैं पदोन्नतियां उनके बारे में क्या कर रहे हैं ? उनको हटा रहे हैं या मैरिट फार्मूला के आधार को मान कर चल रहे हैं ? स्पष्ट बात कहें कि आपकी नीति क्या है ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिह शेखावत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैरिट फार्मूला का मामला बहुत ही विवादास्पद बना हुआ है। इसके कारण जिन लोगों को सुपरसीड किया गया उनमें बहुत असन्तोष है। इस प्रश्न पर हम कई दिनों से विचार कर रहे हैं। कई राज्य सरकारों से जानकारी चाही है। साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों को भी पत्र लिख रहे हैं कि हमारे यहां इस प्रकार का पहले मैरिट फार्मूला रहा है उसमें किस प्रकार के दोष हैं। इस सारे प्रश्न पर विस्तृत जानकारी करके हम निर्णय लेने वाले हैं। उसके बाद ही बता सकेंगे कि इस प्रकार के जो प्रमोशन हुए हैं उनको निरस्त करने के संबंध में हम कितने सक्षम हैं और क्या कर सकते हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मुख्य सचिव महोदय इन्सिस्ट कर रहे हैं कि मैरिट

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

फार्मूला रखा जाय। स्वयं अभी मुख्य मंत्री जी ने माना है कि यह बहुत अहम प्रश्न है। राज्य सरकार के सर्वोच्च अधिकारी का यह दृष्टिकोण है कि मैरिट फार्मूला कायम रखा जाये। तो क्या मंत्री महोदय यह सदन को बता सकेंगे कि यह कब राजस्थान से प्रस्थान कर जायेंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : इनका मतलब यही है कि सरकारी कर्मचारियों को अपनी इन्डिपेन्डेन्ट राय देने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : बिलकुल यही है और यही पूछ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य सचिव का क्या निर्णय है या वह क्या मानते हैं सरकार इससे प्रभावित होकर कोई निर्णय लेगी, ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री अजीतसिंह : अब आपकी नीति क्या है प्रमोशन देने की ? प्रमोशन नीति में बहुत कमियां रही हैं। कई जगह पोस्टें खाली हैं। सारे का सारा काम बन्द पड़ा है। दूसरे, आपने जवाब दिया कि समस्या बड़ी विकट है। मैरिट फार्मूला के ऊपर जिनको प्रमोशन दिया है उनसे भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं हो सकता। सब मैरिट के आधार पर प्रमोशन हुए हैं। इसलिये आप इन्क्वायरी कराना चाहेंगे तो वह इन्क्वायरी पूरी नहीं होगी और भ्रष्टाचार का उन्मूलन होने वाला नहीं है। नये प्रमोशन कब तक कर देंगे ताकि डिपार्टमेंट में कमियां पूरी हों ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : मैरिट फार्मूला के ऊपर निर्णय होने के बाद जब नीति निर्धारित हो जायेगी तब ही आगे बढ़ा जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री विजयेन्द्रपालसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो आप बीच में ही छोड़ गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रद्युम्नसिहजी तो हमेशा बीच में ही छूट जाते हैं।

श्री श्रवणलाल : यह 99 का फेर है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह !

धौलपुर उप-जिले में कमजोर वर्ग के लोगों को दी गई भूमि का कब्जा

499. **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) धौलपुर उप-जिले में अनुसूचित जाति के लोगों व कमजोर वर्ग के लोगों को पिछले 5 सालों में जो कृषि भूमि का आवंटन किया गया था उनको क्या वास्तव में कब्जा दे दिया गया ? यदि नहीं, तो कितने लोगों को कब्जा नहीं दिया गया ?

(2) राज्य सरकार इन लोगों को कब्जा दिलाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) ग्राम महदपुरा व ग्राम कठूमरा, तहसील राजाखेड़ा व ग्राम सायपुरा, तहसील धौलपुर के अनुसूचित जाति व कमजोर वर्ग के लोगों को क्या कब्जा दे दिया गया और क्या वे वास्तव में उस जमीन पर काबिज हैं ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) इस उप-खण्ड में पिछले

(श्री कैलाश मेघवाल)

पांच वर्षों में अनुसूचित जाति के जिन लोगों को भूमि का आवंटन हुआ था उनमें से 665 व्यक्तियों को कब्जा नहीं दिया गया है। उनमें से 284 ऐसे हैं जिन्होंने आवंटित भूमि को काबिल काश्त न मान कर कब्जा नहीं लिया। शेष 381 लोगों ने परियोजना क्षेत्र की आवंटित भूमि की निर्धारित कीमत नहीं चुकाई।

(2) आवंटियों को कब्जा देने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं व जो कब्जा लेना चाहेंगे उन्हें दे दिया जायेगा।

(3) ग्राम महदपुरा व ग्राम कठूमरा के अनुसूचित जाति व कमजोर वर्ग के आवंटियों को कब्जा दिया जा चुका है एवं वे काबिज हैं। सायपुरा ग्राम में 29 ऐसे व्यक्तियों को आवंटन हुआ था एवं कब्जा दे दिया गया था परन्तु अब उनमें से 9 अपनी भूमि पर काबिज हैं शेष 20 व्यक्तियों की भूमि पर सवर्णों का कब्जा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमान्, इसमें दो प्रश्न पैदा होते हैं। मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि 665 लोगों को जमीन के ऊपर कब्जा नहीं मिला है। उनको उन्होंने वाइफरकेट किया है दो हिस्सों में। कुछ ने लिया नहीं है और कुछ कमाण्ड एरिया के अन्दर हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बड़ा अहम मसला है। कमाण्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया लेकिन वहां पानी पहुंचता नहीं है। कमाण्ड एरिया होने की वजह से 900 रुपया प्रति बीघा जमा कराना पड़ेगा इसलिए जब पानी नहीं पहुंचता है और पैसा मांगते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है।

अब सवाल आता है प्रश्न के खण्ड (3) का। इसमें उत्तर दिया कि ग्राम महदपुरा व कठूमरा में हरिजनों को जमीन आवंटित की गयी। मैंने पूछा था कि क्या वास्तव में वह लोग काबिज हैं? मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि आपको जो सूचना मिली है वह बिल्कुल असत्य सूचना मिली है। यह अननेसेसरी प्रिविलेज का मोशन बनेगा। आप जिलाधीश से जांच करा लें। ग्राम सायपुरा के 29 लोगों को कब्जा नहीं मिला है। उनको कब्जा दिलाने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं? मेरा इतना निवेदन है। मेरी मंशा यह थी कि लोगों को वास्तव में कब्जा नहीं मिला है। पटवारी ने गलत इन्द्राज कर दिया कि कब्जा दे दिया है जब कि सवर्णों और लाठीधारियों का कब्जा है। वह कब्जा नहीं होने दे रहे हैं। मैं सूचना दे रहा हूं। कृपया इस पर तुरन्त कार्यवाही करें। जिन पटवारियों ने गलत सूचना दी है आपको कि वास्तव में उनका कब्जा है आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? यह मुझे बता दें।

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : इन्हीं गांवों से सम्बन्धित है क्या?

श्री भंवरलाल ऐरन : इस प्रश्न से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर आने दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि कमाण्ड एरिया में कब्जा नहीं दे रहे हैं उसकी उचित जांच करा ली जायेगी। खण्ड (3)....

Page No 14

(M)

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह जांच कमेटी मुकर्रर कर देंगे लेकिन आज तक......

श्री कैलाश मेघवाल : एक्सपीडाइट करवा देंगे ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कमाण्ड एरिया की राजस्थान भर की प्राब्लम है । आपको नीति सम्बन्धी निर्णय राजस्थान भर के लिये लेना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में विचार रखें ।

श्री कैलाश मेघवाल : खण्ड (3) के उत्तर में दो गांवों की सूचना श्रीमान् के सामने रखी है । अगर यह सूचना गलत है जैसा आप बता रहे हैं तो निश्चित रूप से जैसी आपने सूचना दी है उसके आधार पर पटवारियों के विरुद्ध जांच करवाऊंगा । सायपुरा दूसरा गांव है, जिसमें 9 काबिज हैं और 20 पर सवर्णों का कब्जा है । उन के खिलाफ टिनेन्सी एक्ट की धारा 175 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है ।

श्री रघुनन्दन व्यास : प्रश्न यह है कि जो कमाण्ड एरिया है और जहां पानी नहीं पहुंचता है अगर राजस्व अभियान में मौके पर जांच हो जाये तो उस क्षेत्र को कमाण्ड एरिया से निकाल दिया जायेगा ?

श्री भंवरलाल ऐरन : खण्ड (2) के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि कब्जा दिलाने की कार्यवाही की जा रही है । क्या वे जमीनें रिक्त हैं ? जिन पर कब्जा दिलायेंगे, वे तो भरी हुई हैं ।

श्री श्रवणलाल : इसी के साथ मेरा प्रश्न है । जैसा आपने बताया कि 665 व्यक्तियों को कब्जा नहीं दिया गया है तो पहला प्रश्न है कि कौनसे सन् में अलाट हुई ? और अलाटमेंट होने के बाद अब तक कब्जा नहीं दिलाने के क्या-क्या कारण हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने बता दिया कि टिनेन्सी एक्ट की धारा 175 में कार्यवाही चल रही है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : वे नहीं ले रहे हैं, कमाण्ड एरिया होने के कारण ।

श्री कैलाश मेघवाल: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा प्रश्न में पूछा था पिछले पांच सालों के आंकड़े लिये गये हैं । पांच सालों में 5,368 व्यक्तियों को 6,118 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी । उनमें से जिनको कब्जा नहीं दिया गया है, मैंने स्पष्ट कर दिया है किन कारणों से नहीं हुआ ।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : क्या यह बात सही है कि काश्तकारों के खेतों के बीच में हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप अपनी पार्टी की नीति के खिलाफ मत बोलिये । यह हरिजनों का सवाल है ।

श्री रतनलाल वर्मा : हरिजनों को दूसरों से लेकर दी ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या मुख्य मंत्री महोदय ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि जिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को जमीन आवंटित की गई है उनको कलेक्टर और एस. पी. खुद जाकर जमीन का कब्जा दिलायेंगे ? जो अनुसूचित जाति

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
के लोगों को जमीन अलॉट की गई है उन पर पुलिस कार्यवाही करके कब्जा दिलाया जायेगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : इस पर सरकार की ओर से टिनेन्सी एक्ट की धारा 175 में कार्यवाही हो रही है ।

श्री रतनलाल वर्मा : यह गलत हो रहा है । जो अलाट हो गई है उसका कब्जा दिलाया जाये, उससे पहले अलाट सही भी हुई है या नहीं इसकी पूरी जांच करें । उसके बाद कब्जा दिलाने की बात करें.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह सरकार के भीतर विरोध की नीति खुलकर सामने आ गई है ।

श्री ओंकारलाल चौहान : प्रश्न यह है कि जिन लोगों को भूमि का आवंटन हुआ और उनको कब्जा नहीं दिया गया तो क्या पुलिस के माध्यम से कब्जा दिलाने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय मुख्य मंत्री के खुद के अनुरूप आप पुलिस के जरिये प्रोटेक्शन की कार्यवाही करेंगे ?

श्री रतनलाल वर्मा : अगर गलत तरीके से अलाटमेंट हुआ है ......

श्री मूलचंद डागा (पाली) : It will take a long time.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये ।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : क्या यह सही है कि राज्य सरकार.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा जी, आप उत्तर न दें । आप विराजिये ।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय मंत्री महोदय, जिन लोगों को भूमि का आवंटन हो चुका है और अभी तक कब्जे नहीं मिले हैं क्या उनको राज्य सरकार पुलिस के माध्यम से कब्जे दिलाने की कार्यवाही करेगी ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह के प्रश्न सामने आये हैं उनमें कई तरह की समस्यायें हैं, कहीं पर गलत अलाटमेंट हुआ है, कहीं नाजायज कब्जा पहले से चला आ रहा है । मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये कानून में प्रावधान है । दफा 91 का नोटिस देकर उस जमीन को खाली कराया जाये.....

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने सूचना दी है । इस प्रश्न पर लीपापोती न करें । आपको किसी अलाटमेंट कमेटी का सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है जो अब होगा....

श्री रतनलाल वर्मा : जमीन खाली हुए बिना.......

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत बात कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

(16)

श्री मूलचंद डागा : अगर जमीन गलत अलाट हुई है उसके खिलाफ उन्होंने कार्यवाही की है। जिनकी जमीन गलत ले ली गई है क्या उन्होंने दावे कर रखे हैं ? आप उनको डिफेण्ड कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

(व्यवधान)

मैं यह मानता हूं कि मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, समुचित दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं, जी नहीं।

(व्यवधान)

जो जमीन अलाट कर दी गई हैं, उनका कब्जा दिलवा दिया जाय। आज आप यह कह रहे हैं कि कार्यवाही की जा रही है ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराज जाइये। आसन पैरों पर है। आप कृपया बिराज जाइये।

मैं यह चाहूंगा, कोई भी माननीय सदस्य किसी प्रश्न का स्वयं उत्तर न दें। माननीय मंत्री महोदय ही उत्तर देंगे। मैं इसको उचित नहीं समझूंगा।

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि ये प्रिजूडिस हैं।

एक माननीय सदस्य : जिला सवाई माधोपुर में.........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत सप्लीमेन्ट्री पूछ लिये गये हैं। अब आप विराजिये।

(व्यवधान)

एक एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं चाहता हूं हाउस में..

(व्यवधान)

श्री बजरंग लाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। जब मैं खड़ा होता हूं तो आसन पैरों पर हो जाता है और मैं बैठ जाता हूं किन्तु इस बीच में माननीय सदस्य बोलते रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

(व्यवधान)

मैंने आपको कह दिया। आप बिराज जाइये।

श्री बजरंग लाल शर्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जाइये, शर्माजी।

श्री बजरंग लाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर है.....

श्री मूलचन्द डागा : No point of order can be raised.

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

Page No 17

(17)

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहूंगा, आप बिराज जाइये।

श्री ताराचन्द : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति का सवाल नहीं है . . .

श्री मूलचन्द डागा : यह बहुत बड़ा सवाल है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हरिजनों की बराबर उपेक्षा हो रही है।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कई बार गलत अलाटमेंट हुये हैं। जमीन खाली नहीं होती है और किसी आदमी ने एनक्रोचमेंट किया हुआ होता है, यह भी जानकारी मिली है। लेकिन उस एनक्रोचमेंट की रिकार्ड में जानकारी नहीं होती है। कई बार लगान वसूल किया हुआ भी होता है। जो इस तरह के अलाटमेंट कर रखे हैं उन पर अलाटी को कब्जा देने में वे विरोध करते हैं। जितने केसेज हो सकते थे, उतने क्लियर किये हैं। कुछ केसेज कोर्ट में चल रहे हैं। उनका निपटारा होने पर कार्यवाही की जायगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं .....

श्री शंकर लाल (जैतारण) : क्या यह सही है जितने महानुभाव बताये हैं उनके सबके खिलाफ कोर्ट में केसेज चल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : हजारों अपीलें चल रही हैं ...... इन अलाटमेंट के खिलाफ। कब्जा ......

(व्यवधान)

श्री शंकर लाल : ऐसी कोई शिकायत पेन्डिंग है क्या ?

श्री शिवचरण सिंह : मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो मामलें लिटिगेशन में हैं उनको प्रोटेक्शन देंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूं तब तक कोई प्रश्न नहीं पूछें। काफी प्रश्न इस पर हो चुके हैं और उत्तर दिये जा चुके हैं।

नेक्स्ट। श्री विजयेन्द्रपाल सिंह।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जब मुख्य मंत्री ने घोषणा की है तो क्या आप उनको प्रोटेक्शन देंगे ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं बोलने के लिये खड़ा होता हूं और आपका आदेश हो जाता है . .

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको ज्यादा समझदार मानता हूं।

श्री बजरंग लाल शर्मा : एक बार अलाटमेंट कर दिया गया है, उसके बाद का प्रश्न है। मुख्य मंत्रीजी का जवाब आया है, मैं वाजिब बात पूछ रहा हूं, क्या अलाटमेंट कराने के बाद ...

एक माननीय सदस्य : मंत्री गलत उत्तर दे सकते हैं क्या ?

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इन केसेज के अन्दर 91 की कार्यवाही होगी और 91 की कार्यवाही होगी तभी प्रोसिडिंग्स होंगी। बिना 91 की

Page No 18

(18)

(श्री परसराम मदेरणा)]
कार्यवाही किये प्रोसिडिंग्स चालू की यह कैसे हुआ, समझ में नहीं आया।

श्री शंकर लाल : उत्तर पर्याप्त नहीं है, उत्तर अपर्याप्त है। कितनी शिकायतें हैं, यह बताने की स्थिति में नहीं हैं। केवल मुख्य मंत्री जी ने बात कह दी कि जो नियमों में होगा, उसके अनुसार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया है। माननीय सदस्य विराजें जाइये।

भेड़ों के कृत्रिम गर्भाधान का सघन कार्यक्रम

500. **श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द)** : क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में भेड़ों का कृत्रिम गर्भाधान कब से प्रारम्भ हुआ? इस कार्य से आज तक संकर भेड़ों की क्या उपलब्धि हुई है?

(2) तहसील आसीन्द में भेड़ों के कृत्रिम गर्भाधान का सघन कार्यक्रम कब से चालू है? कितने कलेक्शन लिये गये जिसमें कितने इनसेमिनेशन हुए और उनसे कितने बच्चे उत्पन्न हुये; उनमें से आज कितने जिन्दा हैं? सन् 1977 में इतने कम इन-सेमिनेशन होने का जिम्मेदार कौन है?

(3) क्या यह सही है कि कृत्रिम गर्भाधान के परिणाम बहुत ही कम हैं?

(4) क्या यह सही है कि विदेशी मेंढों से यदि नेचरल सर्विस ली जाये तो इन-सेमिनेशन के मुकाबले संकर मेमनों की उपलब्धि अधिक होगी? यदि हां, तो इससे राज्य सरकार का कितना व्यय बच सकेगा?

(5) आसीन्द सघन कार्यक्रम में आज तक प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों के वेतन, यात्रा भत्ता एवं अन्य पर कितना व्यय हुआ? तथा उस व्यय को देखते हुये उत्पन्न संकर मेमनों पर प्रति मेमना कितना खर्चा आया?

राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन (श्री कैलाश मेघवाल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना एकत्रित की जा रही है। सूचना आने तक इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान व्यापि सूचना है। स्थगित किया गया।

नैक्स्ट। श्री काशी नाथ।

थाना सेवर में नियुक्त थानेदार

501. **श्री काशी नाथ गुप्त (कुम्हेर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अप्रेल, 1977 में थाना सेवर (भरतपुर) के थानेदार, श्री लोकेश कुमार को इसी थाने के अन्तर्गत चिकसाना चौकी के गांव फुलवारा के श्री देवी सिंह से आठ सौ रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में निलम्बित किया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि अब उन्हीं श्री लोकेश कुमार को पुनः इसी थाने पर प्रभारी अधिकारी लगा दिया गया है? यदि हां, तो उस अधिकारी के प्रति क्षेत्र की सुपरिचित जनता की आस्था, स्वयं थानेदार की प्रतिष्ठा व कार्यकुशलता एवं प्रशासन की स्वच्छता की दृष्टि से इसका क्या औचित्य है?

गृह मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) श्री नहीं। श्री लोकेश कुमार को निलम्बित

Page No 19

(19)

(श्री केदारनाथ)
करने का कारण यह था कि वह भी मौके पर मौजूद था एवं बगैर रोजनामचा ग्राम में रपट डाले वहां पहुंचा था । सरसरी जांच से उसका भी इस प्रकरण में सम्मिलित होने का सन्देह था । तफतीश से इस धारणा की पुष्टि नहीं हुई ।

(2) जी हां । तफतीश से यह पाया गया कि श्री लोकेश कुमार दोषी नहीं है । अतः उसे निलम्बन से बहाल किया गया । चूंकि वह दोषी नहीं पाया गया अतः उसे उसी थाने में लगाने में कोई अनौचित्य नहीं है।

श्री **काशीनाथ गुप्त** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 3 अप्रेल, 77 को देवी सिंह ने उस व्यक्ति के विरुद्ध 457, 480 के मुकद्मे चलाये थे । देवी सिंह ने दो हजार रुपये की रिश्वत की जानकारी दी है....

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कोई जानकारी मत दीजिये । आप तो प्रश्न पूछिये ।

(व्यवधान)

श्री **काशी नाथ गुप्त** : देवी सिंह ने 200) रु0 दे दिये और बाकी के लिये वायदा कर दिया ।

श्री **उपाध्यक्ष** : आप संक्षेप में प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री **काशी नाथ गुप्त** : मैं यह कहता हूं कि यह घटना गलत है क्या 200) रु० की रिश्वत की जानकारी दी ? मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या यह गलत है ?

श्री **उपाध्यक्ष** : आप विराजिये । यह सूचना देने की आवश्यकता नहीं है प्रश्न काल में ।

(व्यवधान)

श्री **काशीनाथ गुप्त** : दोषी पकड़ा गया और बाद में भाग गया और आज यह कह देते हैं......

(व्यवधान)

200) रु० की रिश्वत हैड कान्सटेबिल ने ली है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैं बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहता हूं आप यह जानकारी इस तरह मत दीजिये ।

(व्यवधान)

आप विराज जाइये । मंत्री महोदय को बाद में सूचना दे दें ।

श्री **शिवचरण सिंह** : इस थानेदार को बहाल करने के बाद इसका कहां पोस्टिंग किया गया है ?

श्री **उपाध्यक्ष** : इस तरह से सम्भव नहीं हो सकेगा । आप विराज जाइये, माननीय सदस्य ।

श्री **नवनीत कुमार** (नाथद्वारा) : मेरा एक अल्पकालीन प्रश्न था ।

श्री **उपाध्यक्ष** : वह 12 बजे बाद आयेगा। नियमों में आप देख लीजिये ।

श्री **उपाध्यक्ष** : अब जो स्थगित प्रश्न है 21 सितम्बर के वह मैं लूंगा ।

श्री **गुल मोहम्मद** ।

Page No 20

(20)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21 सितम्बर, 1977)

राज्य में सहकारी समितियां

306 श्री **गुल मोहम्मद** (जौहरी बाजार) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितनी सहकारी समितियां हैं ?

(2) इनमें से कितनी सहकारी समितियों के खिलाफ घोटाले, अनियमितताएं, गबन, पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार आदि के आरोप हैं ?

(3) इनमें से कितनों के मामले विचाराधीन हैं और कितनों के फैसले हो चुके हैं ?

(4) राजस्थान की कुल सहकारी समितियों में से उन समितियों के नाम सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें जो सहकारी आन्दोलन के उद्देश्य को पूर्ण रूप से पूरा करती हुई जनता की सेवा कर रही हैं और जिनके खिलाफ आज तक कोई आरोप नहीं है ?

सहकारिता मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द जैन) : (1) राजस्थान में कुल 17,919 सहकारी समितियां हैं ।

(2) इनमें से 4,088 सहकारी समितियों के खिलाफ घोटाले, अनियमितताएं, गबन व पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(3) क्रमांक (2) में वर्णित सहकारी समितियों में से 2,495 के मामले निर्णीत किए जाकर 1,593 के मामले विचाराधीन हैं ।

(4) सूची उन सहकारी समितियों की सदन की मेज पर रख दी गई है जिनके खिलाफ खण्ड (2) में वर्णित आरोप नहीं हैं तथा जो अवसायन में नहीं हैं या निष्क्रिय नहीं हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

श्री **गुल मोहम्मद** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सहकारिता का उद्देश्य क्या है ? क्या ये कोआपरेटिव इसी उद्देश्य से बनाई गई थीं ? करोड़ों का घोटाला और हानि पहुंचाने की गरज से ही इनको कायम किया गया है ?

श्री **शिवचरण सिंह** : क्या यह सही है कि जिला भरतपुर की अनेकों सहकारी समितियों और भूमि विकास बैंक के बारे में घोटालों की शिकायतें हैं ?

श्री **उपाध्यक्ष** : यह सारा सूची में दिया हुआ है ।

श्री **शिवचरण सिंह** : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि भरतपुर जिले में कितनी रकम के घोटाले हैं ?

श्री **उपाध्यक्ष** : यह बताना सम्भव नहीं होगा

श्री **त्रिलोकचन्द जैन** : सारे घोटालों की जानकारी दी गई है, किसी अलग स्थान के बारे में पूछना है तो अलग से पूछें ।

श्री **शिवचरण सिंह** : क्या यह सही है कि कल भरतपुर की सहकारी समितियों के घोटालों के बारे में माननीय मानसिंहजी ने एक मेमोरेंडम दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : मुझे दिया है।

श्री शंकर लाल : जिनके खिलाफ आरोप हैं उनकी सूची तो आपने दे दी। जिनके खिलाफ आरोप नहीं है ? ऐसी कितनी सहकारी समितियां हैं ? यह बता सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड (4) में सूची दी हुई है।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : ऐसी सहकारी समितियों की संख्या 3,136 है।

श्री गुल मोहम्मद : ऐसी कितनी सहकारी समितियों हैं जिनकी राशि डूबत खाते लिख दी गई है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : क्या की गई है ?

श्री मूलचन्द डागा : राइट ग्रॉफ की गई है, पूछ रहे हैं।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : केवल 4,088 सहकारी समितियों में से 2,495 सहकारी समितियों के मामले सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत निर्णीत किये जा चुके हैं जिनमें करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपयों की राशि है और शेष समितियों में 2 करोड़ 28 लाख की राशि के मामले हैं। 4,088 में से 2,495 का निर्णय हो चुका है और बाकी पर निर्णय होना है।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में पहले भी एक प्रश्न उठाया गया था कि श्रमिक सहकारी समिति, भीम, को सी. सी. बैंक, उदयपुर द्वारा ऋण दिया गया है क्या ? लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने उस समय यह कहा था कि यह गलत है, कोई ऋण नहीं दिया गया है। हकीकत यह है कि जिस समय यह ऋण दिया गया था उस समय सी. सी. बैंक के तत्कालीन गृह मंत्री, श्री गुलाबसिंह शक्तावत साहब अध्यक्ष थे। जिस समय इसको राइट ऑफ किया गया उस समय भी अपेक्स बैंक के सेक्रेटरी तत्कालीन गृह मंत्री, गुलाबसिंहजी शक्तावत साहब थे। इस तरह से सन् 62 के अन्दर जो ऋण दिया गया, सन् 62 से लेकर आज तक एक पैसा भी ब्याज का वसूल नहीं हुआ। उस समिति पर 3,17,103/- रुपया 64 पैसा ब्याज का और तीन लाख असल, इस तरह से कुल 6,17,103/64 पैसा बनता है जिसमें से एक पैसा भी वसूल नहीं हो सका है।

श्री उपाध्यक्ष : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है

श्री गुल मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह रकम राइट ऑफ क्यों की गई ? इसका जवाब तो दें।

श्री मूलचन्द डागा : राइट ग्राफ कर दी, बस।

श्री शिवचरण सिंह : क्या अन्य सहकारी समितियों में भी जो पैसा बकाया है उसकी वसूली की कार्यवाही की जावेगी ?

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो रकम राइट ग्राफ की गई है वह वास्तव में ही राइट आफ की गई है ? जो राइट ग्राफ की गई है वह क्या सही है ?

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, घोटाले वाली जो सहकारी समितियां हैं....

श्री उपाध्यक्ष : पहले प्रश्न का उत्तर आने दीजिए ।

श्री रतनलाल वर्मा : क्या यह सही है कि जो रकम राइट आफ की गई है वह सारी कांग्रेसियों की है ?

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : माननीय मंत्री महोदय यह घोषणा तो करें कि जो घोटाले वाली सहकारी समितियां हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? घोषणा तो करें कि कार्यवाही करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : जो घोटाले किये गये हैं उनके बारे में बतायें ।

श्री शिवचरण सिंह : यही घोषणा कर दें कि जांच नहीं करवाना चाहते । चाहे कांग्रेसी हों या जनता पार्टी के हों, घोटालों की जांच होनी चाहिए । मंत्रीजी कहें कि जांच करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये ।

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : पूछिये ।

श्री माधोसिंह कछवाह : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि घोटाले वाली सहकारी समितियों की जो संख्या बताई है उसमें कोआपरेटिव बैंक भी शामिल हैं क्या ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : केवल सहकारी समितियां हैं ।

श्री अयूब खां (तिजारा) : माननीय मंत्री महोदय, जब कई सहकारी समितियां उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही हैं तो उनके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : जो राशि राइट आफ की गई है, क्या वह सही तौर पर की गई है ?

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : क्या यह सही है कि जो सहकारी समितियों में घोटाले हो रहे हैं वे अपेक्स बैंक के जरिये से हो रहे हैं ? क्या इन घोटालों के बारे में, बैंक के घोटालों के बारे में माननीय मंत्री महोदय जांच करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : यह कानूनी पोइन्ट हो सकता है ।

श्री गुल मोहम्मद : जितने भी घोटाले हुए हैं उनकी जांच तो करें ।

श्री रतनलाल वर्मा : मंत्री महोदय, यह तो जांच करें कि जो रकम माफ की गई है वह सही की गई है या इसमें यों ही चीमाखोरी हुई है ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिह शेखावत) : उपाध्यक्ष महोदय, राइट आफ का इस प्रश्न से सम्बन्ध ही नहीं है ।

श्री शंकर लाल : यह चीमाखोरी शब्द की व्यवस्था की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट । प्रश्न सं.

319 श्री कौशल किशोर जैन

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21 सितम्बर, 1977)

वनस्पति मिल, भीलवाड़ा का गन्दा पानी

319. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान वनस्पति मिल, भीलवाड़ा का गन्दा पानी (इण्डस्ट्रियल रिफ्यूज) तालाब में जाता है तथा इस तालाब का पानी स्नान के लिए काम में आता है ?

(2) इस गन्दगी को तालाब में न जाने देने के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह भी सही है कि भीलवाड़ा नगर में इसी कारण चर्म रोग बढ़ रहे हैं ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री महबूब अली) : (1) राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स लिमिटेड, भीलवाड़ा का गन्दा पानी फैक्ट्री के बाहर नाले में जाता है जिससे बहता हुआ पानी तालाब में जा सकता है ।

(2) जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल ने इस उद्योग को अस्थाई सशर्त सम्मति जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 28 के अन्तर्गत दिनांक 31-7-77 तक के लिए प्रदान की थी । जिस समय में इसको उपचार संयन्त्र लगा लेना था परन्तु इस उद्योग ने अपने पत्र दिनांक 31-8-77 से सूचित किया है कि अब यह निस्त्राण उनकी जमीन पर फैक्ट्री की चार दिवारी में किया जा रहा है और तेल चर्बी हटाने के लिए संयन्त्र लगायेंगे जिसके लिए 4 महीने का और समय मांगा है । प्रावैधिक समिति ने अपनी पिछली बैठक में इस सशर्त सम्मति के संयंत्र को 4 माह की बजाय केवल तीन माह के लिये यानी 31 अक्टूबर, 77 तक बढ़ाया है ।

(3) जी नहीं ।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि गत दस साल से भीलवाड़ा वनस्पति प्रोडक्ट्स का रिफ्यूज वाटर भीलवाड़ा तालाब में जा रहा है तो दस साल तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ? जो कार्य दस साल के अन्दर पूरा नहीं हो सका क्या वह चार महीने में पूर्ण हो जाएगा ?

श्री महबूब अली : चार महीने में कार्यवाही पूर्ण होने का प्रश्न नहीं है । जल प्रदूषण मण्डल ने अभी कार्यवाही करना शुरू किया है । धारा 28 के प्रावधानों के अन्दर व्यवस्थापकों को यह नोटिस दिया गया है कि जो फैक्ट्री आलरेडी काम कर रही है और जिसका पानी बाहर जाने से प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने के लिए कार्यवाही करें । इसके लिए नोटिस दिया गया है । इसकी अवधि चार महीने बढ़ाने के लिए वनस्पति प्रोडक्टस के व्यवस्थापकों

Page No 24

(24)

(श्री महबूब अली)
ने कहा है जिस पर बोर्ड ने तीन महीने की अवधि बढ़ाने की बात कही है। उसके बाद ही सारी कार्यवाही होगी। अगर उन्होंने इस बीच में कोई व्यवस्था नहीं की तो अदरवाइज जो भी कार्यवाही की जानी होगी वह की जावेगी।

श्री कौशल किशोर जैन : दस साल तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई जब कि उसका रिफ्यूज वाटर भीलवाड़ा के तालाब में जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह कानून बाद में लागू किया गया है।

श्री शंकर लाल : मंत्री महोदय यह बतावें कि यह एक्ट राजस्थान के अन्दर कब लागू हुआ ? यह जल प्रदूषण निवारण एक्ट राजस्थान में कब लागू हुआ ?

श्री मूलचन्द डागा : पता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह अपन ही देख लेंगे बाद में।

श्री शंकर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को यह तो पता होगा कि एक्ट कब से लागू हुआ ?

श्री महबूब अली : गजट में जो नोटिफिकेशन निकलता है उसको देख लीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं कि आप अपना नोटिफिकेशन देख लें।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत): नोटिफिकेशन देखने का प्रश्न नहीं है। यह 1974 में लागू हुआ है।

श्री शंकर लाल : राजस्थान में जल प्रदूषण निवारण एक्ट लागू होने के बाद अभी तक समुचित कार्यवाही नहीं की गई है। यह भीलवाड़ा का ही प्रश्न नहीं है। पाली में है, कोटा में है, जहां-जहां पर फैक्ट्रीज हैं वहां पर ये फैक्ट्री वाले प्रदूषण से सारे जन जीवन को ग्रस्त व्यस्त कर रहे हैं। इसके बारे में 26 ही जिलों में जल्दी प्रयत्न किया जावे। यह मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कह रहा हूं। यह बहुत गंभीर प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री कौशल किशोर जैन : एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। क्या राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स, भीलवाड़ा को दस साल पहले उस समय के राजस्थान के मुख्य मंत्री, श्री मोहन लाल सुखाड़िया ने कोई विशेष रियायत दी थी ? क्या उस समय यह ध्यान नहीं रखा गया कि इसका रिफ्यूज वाटर भीलवाड़ा के तालाब को गंदा कर देगा ?

श्री शंकर लाल : क्या यह सही है कि जो मौजूदा बोर्ड है वह पोल्यूशन एक्ट के तहत कार्य नहीं कर रहा है ?

श्री मूलचन्द डागा : यह निष्क्रिय बोर्ड है।

श्री उपाध्यक्ष : तारांकित प्रश्न एक और लिया जा सकेगा।

श्रीमती कृष्णवन्त कुमारी।

पंचायत समिति, शाहपुरा को अनुदान के रूप में दी गई राशि

502. **श्रीमती गुणवन्त कुमारी** (बैराठ): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समिति, शाहपुरा (जयपुर) द्वारा विद्यालय भवन, खाद्य बीज खरीद व जोहड़ा खुदाई तथा अन्य कार्यों के लिए दिए गए अनुदान राशि का सदुपयोग किया जाकर उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, शाहपुरा (जयपुर) के ग्राम राड़ावास में राड़ावास सहकारी समिति लिमिटेड नाम की संस्था है ? यदि हां, तो क्या उक्त संस्था को पंचायत समिति द्वारा सहायता दी गई है ? यदि हां, तो कितनी राशि ? क्या उसकी वसूली कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) पंचायत समिति द्वारा खाद बीज के लिए तो अनुदान की कोई भी राशि नहीं दी गई थी । 66 शाला भवन, 34 जोहड़ा खुदाई व 321 अन्य कार्यों के लिए अनुदान की राशि दी गई थी जिसमें से 55 शाला भवन, 4 जोहड़ा खुदाई व 106 अन्य कार्यों की अनुदान की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिए जा चुके हैं । 207 कार्य अपूर्ण होने से और 49 कार्य पूर्ण होने पर भी कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा उनकी जांच नहीं किये जाने से उनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं दिये जा सके हैं ।

(2) जी हां । केवल अनुदान की 300/- रुपये की राशि दिनांक 31-3-62 को दी गई थी ।

जी नहीं, अनुदान की राशि का उपयोग किया जा चुका है ।

अल्प काल सूचना प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष : अब शार्ट नोटिस क्वेश्चन लिया जाएगा ।

श्री नवनीत पालीवाल ।

विमान की खरीद

श्री नवनीत पालीवाल (नाथद्वारा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1 फरवरी, 1975 को राज्य के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने राज्य सरकार के लिए यू. एस. ए. निर्मित ब्रीच क्राफ्ट बैरोन बी–58 एयरक्राफ्ट विमान इन्डेमर कम्पनी से खरीदने का प्रस्ताव किया था ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में एक मीटिंग हुई जिसमें तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री हरिदेव जोशी, मुख्य सचिव, ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर, वित्त सचिव आदि ने भाग लिया ?

(3) क्या यह सही है कि अगस्त, 1975 में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने डाइरेक्टर जनरल, सिविल एवीएशन से स्वीकृति प्राप्त कर ली और खरीदने के लिए 25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करवाली गई, आदेश दे दिये गये और एयर क्राफ्ट इंजीनियर तथा पाइलट की नियुक्ति सन्

Page No 26

(26)

(श्री नवनीत पालीवाल)
1976 में कर दी गई ?

(4) विमान खरीदने के सन्दर्भ में उक्त विशेष कम्पनी के अतिरिक्त क्या अन्य किसी बीच क्राफ्ट मॉडल पर विचार किया गया ? यदि हां, तो किन-किन पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) दिनांक 24 फरवरी, 1977 को जयपुर पहुंचने तक उक्त विमान पर कुल कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई ?

(6) क्या उक्त सारे सौदे में मैसर्स मारुति टैक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लि., गुड़गांव सम्बद्ध है ? यदि हां, तो किस सीमा तक ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री महबूब अली) : (1) जी नहीं । 1 फरवरी, 1975 को परिवहन आयुक्त ने राज्य सरकार के उपयोग के लिए यू. एस. ए. निर्मित बीच क्राफ्ट बेरोन बी–55 एयर क्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव किया था ।

(2) जी हां ।

(3) महानिदेशक, नागरिक विमानन की स्वीकृति अक्टूबर, 1975 में प्राप्त हुई । 25 लाख रुपये की स्वीकृति दिनांक 12-5-1976 को दी गई तथा हवाई जहाज निर्माता कम्पनी को 21-8-1976 को क्रय आदेश दिया गया । पायलट की नियुक्ति दिसम्बर, 1976 में की गई । एयर क्राफ्ट इंजीनियर के नाम से कोई नियुक्ति नहीं की गई ।

(4) फरवरी में बीच एयर क्राफ्ट बी–55 खरीदने का प्रस्ताव परिवहन आयुक्त को प्राप्त हुआ जिसका मूल्य 6–7 लाख रुपये बताया गया था पर अप्रेल, 1975 में इसी कम्पनी के एक अन्य मॉडल बी–58 खरीदने का प्रस्ताव रखा गया जिसका मूल्य 17 लाख रुपया उस समय आंका गया था । इस प्रस्ताव पर विचार कर बी–58 एयर क्राफ्ट खरीदने की स्वीकृति मई, 1976 में दी गई ।

(5) वायुयान के 24-2-77 को जयपुर पहुंचने तक 27.05 लाख रुपये व्यय किये गये हैं ।

(6) जी नहीं ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, यह शार्ट नोटिस क्वेश्चन बैलेट से आता है या आप सुओ-मोटो करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : सभी नियमानुसार लिए जाएंगे ।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न करना चाहता हूं । प्रारंभ में विमान का मूल्य 6–7 लाख रुपये का था और उसके पश्चात् मूल्य 25 लाख रुपये का हो गया । जैसा आपने बताया, जयपुर पहुंचने तक इस पर 27.05 लाख रुपये व्यय किये गये । तो क्या इस संदर्भ में कोई नियमों की अवहेलना की गई है ?

श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) खरीदा हमने और घूमने का आराम हो गया आपको ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह किसानों की समस्या नहीं है, यह एयर क्राफ्ट का मामला है ।

Page No 27

(27)

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। बजट की जनरल डिबेट में मैंने प्रश्न उठाया था और जहां तक मेरी जानकारी है, मुख्य मंत्री महोदय ने इस बारे में मालूमात की हैं। इसके बारे में आज यहां पर एक प्रश्न पूछा गया है। इसका जो उत्तर प्राप्त हुआ है, उससे विदित हुआ कि ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर की ओर से इसका प्रस्ताव आया था। राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं था। परन्तु उत्तर में यह जानकारी नहीं दी गई कि रुपया किसने स्वीकृत किया ? इसकी मीटिंग में तत्कालीन मुख्य मंत्री भी मौजूद थे। तो इसके खरीदने के लिए जो पैसे की स्वीकृति दी गई है, वह किस की स्वीकृति है ? ऐसा प्रतीत होता है कि या तो यह भूल से रह गया है या फिर इसको छिपाने की कोशिश की गई है। यह जो एयर क्राफ्ट खरीदा गया था, वह टूट गया था, नष्ट हो गया था और उसके बाद दूसरा आर्डर प्लेस किया। एयर क्राफ्ट खरीदते वक्त उस कम्पनी के साथ कोई एग्रीमेन्ट नहीं किया गया। पूरी तरह से कम्पनी की मर्जी पर छोड़ दिया गया। यह सारा घोटाला है। राज्य सरकार से ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर ने कोई प्रापर स्वीकृति नहीं ली, प्रापर आर्डर नहीं दिया, कोई एग्रीमेन्ट नहीं है। यह कम्पलीटली कम्पनी की मर्जी के मुताबिक खरीदा गया है। मैं गवर्नमेन्ट से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय, इन सारी बातों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें जिससे ये सारी बातें स्पष्ट हों। जनरल डिबेट का उत्तर देते समय इस प्रश्न पर कोई विशेष रोशनी नहीं डाली गई थी। क्या कम्पनी की तरफ से किसी को कमीशन दिया गया है ?

श्री माधोसिंह कछावाह (सरदारपुरा) : क्या किसी अधिकारी ने इसकी जांच की है कि यह विमान है इसको खरीदना वाजिब है, इसकी कीमत उचित है ? क्या इसकी कोई जांच की गई है खरीदने के लिए ?

श्रीमती मदन कौर : पायलट की नियुक्ति दिसम्बर, 76 में की गई है ? क्या पायलट की नियुक्ति एक्सक्लूजिवली एयर क्राफ्ट को चलाने के लिए की गई है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या यह सही है कि जो पहला प्लेन आया था, वह प्लेन आर्डिनरी प्लेन था जिसकी कीमत सात लाख रुपये के करीब थी ? उसके बाद दूसरा प्लेन खरीदा गया ताकि कोई हार्ट पेशेन्ट चीफ मिनिस्टर बन जाए तो उनके लिए भी यह प्लेन काम में आ सके। यह 17 लाख का प्लेन है और यह प्रेस्क्राइब्ड प्लेन है जिसकी वजह से इसकी कीमत ज्यादा है। क्या यह सही है कि जो प्लेन आ रहा था वह लन्दन के एयरपोर्ट पर खराब हो जाने की वजह से वापस चला गया ? क्या उसकी वजह से यह दूसरा प्लेन लिया गया और उस वजह से यह कास्ट बढ़ी है ?

श्री नवनीत पालीवाल : इसकी कीमत के बारे में कोई बात हुई थी या खास तौर से किसी कम्पनी का दबाव था ? नम्बर दो, इसके सम्बन्ध में कोई टेण्डर लिया गया ? क्या इसकी राज्य सरकार किसी प्रकार की जांच करायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें।

श्री श्रवण लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा कार्य रुका हुआ था जिससे कि इसे खरीदने की जरूरत पड़ी ?

श्री मूलचन्द डागा : श्रो हो ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या राज्य सरकार इस प्लेन को दुबारा बेचने का इरादा रखती है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : राजस्थान के क्षेत्रफल को देखते हुए राजस्थान सरकार को प्लेन रखने की आवश्यकता है या नहीं ?

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या यह सही है कि यह प्लेन हार्ट पेशेण्ट के लिए नहीं किसी हैण्डीकैप्ड के लिए खरीदा गया था ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 फरवरी, 1975 को परिवहन आयुक्त ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा कि हमारे आस-पास के प्रदेशों में बी–55 एयर क्राफ्ट हैं जो कि वी. आई. पी. यात्रा के लिए उपलब्ध हैं । अतः हमें भी बी–55 एयर क्राफ्ट खरीदना चाहिए । यह सबसे पहले प्रस्ताव ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर ने रखा । इस प्रस्ताव पर बातचीत आरम्भ हुई । तारीख 17 अप्रेल, 1975 को एक अन्य मॉडल का प्रस्ताव रखा, बी–58 एयर क्राफ्ट खरीदना चाहिए । फिर यह तय हुआ कि नॉन प्रेसराइज्ड बी–58 खरीदना चाहिए । पहले बी–55 की कीमत 6–7 लाख रुपया थी । लेकिन अन्य मॉडल, बी–58 की 13 लाख से 17 लाख रुपया कीमत हो गई । फरवरी में उन्होंने बी–58 एयर क्राफ्ट के लिए 13 लाख से 17 लाख के मूल्य की मांग करने की सिफारिश की । उसकी राज्य सरकार की पत्रावली में कोई जानकारी नहीं है । इण्डेमर कम्पनी बम्बई, जो कि इसकी सोल एजेण्ट है, की मार्फत खरीदा गया है । यह सही है कि बी–55 क्राफ्ट जब लन्दन गया तो वहां एयरपोर्ट पर रनवे से आगे चले जाने के कारण क्रैश हो गया । उसके स्थान पर यह दूसरे हवाई जहाज का आर्डर दिया । कम्पनी ने यह कहा कि इसी प्रकार के विमान के देने में 6 महीने की देर होगी दूसरे मॉडल का चाहेंगे तो तुरन्त उपलब्ध कराया जा सकता है । इस प्रकार यह उपलब्ध कराया गया । फाइल से यह पता चला कि राज्य सरकार के वित्त मन्त्री जी ने राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसके लिए स्वीकृति नहीं दी लेकिन बाद में उसकी स्वीकृति दे दी कि इसका पेमेन्ट 76–77 में करना पड़ेगा । डायरेक्टर सिविल एवीएशन की स्वीकृति ली गई । फिर यह जहाज खरीदा गया है ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : कमीशन का पैसा 25% और रिबेट सरकार को मिला या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को मिला ? वह पैसा किसके पास है ? यह मुख्य मन्त्रीजी को बताना चाहिए था । हमारा स्पेसिफिक आरोप था । उन्होंने यह नहीं बताया है कि वह पैसा किसको मिला ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राज्य सरकार की पत्रावली के अनुसार किसी प्रकार का कमीशन नहीं मिला । ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अमेरिका गये थे । इस सम्बन्ध में उन्होंने जानकारी की । वह अपनी निजी यात्रा पर गये थे । सरकार की यात्रा से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह विमान खरीदा गया और वह यात्रा पर गये। उनकी निजी यात्रा से इसका कोई तालमेल नहीं बैठता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात सही है।

श्री सुखलाल संणचा : पुरानी सरकार के कितने लोगों ने इस विमान से यात्रा की और नयी सरकार के कितने लोगों ने यात्रा की ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिन दिनों में खरीद की बात चल रही थी, उन्हीं दिनों वह अमेरिका गये थे।

एक माननीय सदस्य : उनका नाम क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनका नाम मायाराम जी है।

श्री नवनीत पालीवाल : मेरा निवेदन है कि 6–7 लाख से 27 लाख तक कीमत पहुंच गयी, क्या यह अनियमितता नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 6–7 लाख का अनुमान लगाया गया था बी–55 का। लेकिन बी–58 का 13 लाख से 17 लाख का अनुमान लगाया गया। उसमें कुछ और आवश्यक सामान भी शामिल किया गया है। विमान किस कीमत में पड़ेगा इस बारे में पत्रावली में कोई उल्लेख नहीं है, न कीमत के बारे में उल्लेख है।

श्री नवनीत पालीवाल : इस पर कार्यवाही क्या हुई है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या यह सही है कि यह भारत सरकार की स्वीकृति से खरीदा गया है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने बताया है और जो रुपया दिया गया है, उसमें फर्क है। मुख्य मन्त्री महोदय ने यह भी नहीं बताया कि वह कोई जांच करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। क्या कोई एग्रीमेण्ट किया गया था ? मुख्य मन्त्री महोदय, यह भी मानते हैं कि कीमत बढ़ी है।

एक माननीय सदस्य : उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : इस बारे में एक पूरा बयान दे दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : एक अधिकारी अमेरिका गया..

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा निवेदन है कि इस विषय में गड़बड़ी हुई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जानने के बाद क्या कार्यवाही की ? इण्टरनेशनल स्तर पर गड़बड़ी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराज जायें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : इसके अन्दर डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, गुलाब चन्द, एन. सी. जैन, पी. सी. जैन और एम. सी. जैन ने भूमिका अदा की

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
है । मुख्य मन्त्री महोदय, इसकी जांच करवायें । असल में एक स्टेटमेन्ट आना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री उगमराज मेहता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या इसमें मारुति कम्पनी का भी कुछ हाथ था ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, इसके बारे में एक ही सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या राज्य सरकार यह मानती है कि इस प्लेन की खरीद-फरोख्त में कोई अनियमितता बरती गई है ? यदि बरती गई है, तो क्या सरकार इसकी जांच करवायेगी ?

श्री नवनीत पालीवाल : 6 लाख से 27 लाख तक इसका मूल्य पहुंच गया । उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं जैसा कि मुख्य मन्त्री महोदय बता चुके हैं कि इसमें मूल्य के प्रश्न को लेकर कोई नेगोशियेशन्स हो चुके हैं, तो नेगोशियेशन का क्या परिणाम रहा है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इस बात को भी स्वीकार कर चुका हूं कि कम्पनी से कोई एग्रीमेन्ट हुआ है इसका भी उसमें उल्लेख नहीं है । इसकी कीमत क्यों बढ़ी, यह भी मैंने आपको बताया—6-7 लाख से 13 और 17 लाख तक हो गई और फिर 27 लाख तक पहुंच गई ।

(व्यवधान)

एक प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया कि क्या मारुति लिमिटेड का कोई सम्बन्ध रहा है । एक जगह नोटिंग में उल्लेख आया है एक लैटर का, लेकिन वह लैटर मेरे को नहीं मिला । उसमें क्या लिखा गया और क्या अपेक्षाएं की गई, वह उसमें नहीं हैं । आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि कीमत के बारे में नेगोशियेशन होने चाहिए, इन्टरनेशनल रेट्स की जानकारी भी होनी चाहिए, और कम्पनी से एग्रीमेन्ट किया जाना चाहिए और आगे के लिए सिक्योरिटी की भी व्यवस्था होनी चाहिए । यह कीमत किस प्रकार से आंकी गई, इसके बारे में, मैं कुछ नहीं कह सकता । अगर सदन की इच्छा हो तो मैं जुडिशियल इन्क्वायरी करवा सकता हूं । सी. बी. आई. से भी जांच करवा सकता हूं । ज्यादा अच्छा होगा, सी. बी. आई. को लिखा जाय ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मुख्य मन्त्री महोदय ने यह बताया तो अब तक आपने कार्यवाही क्यों नहीं की । इसमें आपको क्या दिक्कत थी ? जब गलती साफ है, आपके ध्यान में आ गई फिर भी उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे किसी के भी खिलाफ कोई कार्यवाही करने में कोई संकोच नहीं है । जिस अधिकारी ने कागज भेजे हैं उसका मुख्य मन्त्री ने अनुमोदन किया है । सी. बी. आई. की इन्क्वायरी से जो भी नतीजा आयेगा, चाहे राजनैतिक नेता हो अथवा बड़े से बड़ा अधिकारी हो, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : जिस समय यह प्लेन खरीदा गया था, क्या उस वर्ष के बजट में इसका प्रावधान था ? अगर प्रावधान नहीं था तो किस फण्ड में से उसका पेमेन्ट किया गया ?

श्री मूलचन्द डागा : हां चुका दिया गो तो ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : इस प्लेन का...

श्री ह्योपतसिंह मकासर : सी. बी. आई. से इन्क्वायरी हो जायगी ।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : क्या उस प्लेन का इन्श्योरेन्स कराया गया था ? यदि हां, तो किस कम्पनी से ?

श्री शिवचरणसिंह : क्या उसका पेमेन्ट फोरिन करेन्सी में हुआ था ? उसका पेमेन्ट फोरिन करेन्सी में हुआ है तो फिर उसमें घोटाले की गुंजाइश कहां रहती है ? इसका मतलब यह है कि आप गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के खिलाफ भी इन्क्वायरी करायेंगे । इसमें घोटाले का प्रश्न तो तब पैदा होता जब कि पेमेन्ट फोरिन करेन्सी में नहीं किया गया होता । यह तो, माननीय सदस्य, एक कॉमन सेन्स की बात है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये ।

श्री शिवचरणसिंह : इस तरह से फालतू की इन्क्वायरी नहीं बैठानी चाहिए । इसमें हमारा रुपया खर्च होगा ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन्क्वायरी तो होगी ।

श्री शिवचरणसिंह : हम तो तैयार हैं, चैलेन्ज करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये ।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सफाई देने का मौका दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मन्त्रीजी क्या डिसीजन लेते हैं, यह उनका प्रश्न है । इस पर अब वाद-विवाद नहीं करना चाहिए ।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे से सम्बन्धित जो सवाल उठाया है मैं उसकी सफाई देना चाहता हूं ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पेली बात तो या मूं बतावो चाहूं जो फारिन एक्सचेंज हवाई जहाज मां खर्च हुग्रो है वा करीब 25 लाख के ऊपर हुग्रो है । या हवाई जहाज बहुत ही सोफस्टीकेटेड है ग्रौर ईरे ऊपर, ईरे मायने राडार भी लगया लिको है ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुझाव नहीं दें ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मूं या बात अर्ज करवो चाहूं हूं कि जिरी भी गलती है आपने यह हवाई जहाज मिलगी है, वी गलती जी कां भी भईच पर मोटी बात या है अब कि ई हवाई जहाज को कांई करवो चावे । अगर आप बेचणो चावो तो न तो आपाने फारिन एक्सचेंज मिली ग्रौर ई रे ऊपर आपाने नुकसान भी होई । ई वास्ते मूं आपने अर्ज करूं हूं कि ई हवाई जहाज ने टूरिस्ट डिपार्टमेन्ट ने दे देणी चावे ग्रौर ज्यां आपाणे फारिन एक्सचेंज भी मिली सके । सदन अगर चावे तो मूं ईकी एक रिपोर्ट भी तैयार कर सकूं हूं ।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझ पर कल भी आक्षेप लगाये गये और आज भी, मुझे सफाई देने का अधिकार है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये । आगे की कार्यवाही लेते हैं ।

श्रीमती मदन कौर : मेरे दो प्रश्न हैं, क्या इसका उपयोग एयरवेज के लिये किया जा रहा है ? और दूसरा इसके मेन्टेनेन्स पर कम से कम खर्चा हो इसके लिए राज्य सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेन्टेनेन्स पर कम से कम खर्चा हो यह तो सबकी नीति है, इसमें क्या बात है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं अब चर्चा आवश्यक नहीं समझता । इस पर चर्चा समाप्त की जाती है ।

शार्ट नोटिस क्वेश्चन पर चर्चा समाप्त हुई ।

श्रीमती मदन कौर : मुख्य मंत्री ने बताया कि इसकी मेन्टेनेन्स पर कम से कम खर्चे की व्यवस्था की जाएगी । मैं जानना चाहती हूं कि क्या एयर क्राफ्ट के हैंगर के लिए प्रति दिन 35) रु० खर्चा करना पड़ता है ? क्या इसको बम्बई भेजने के लिए 750 लीटर पैट्रोल का खर्चा करना पड़ता है ? क्या इतना खर्चा...

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेन्टेनेन्स पर कितना खर्चा हुआ है, कितना आवश्यक है, मेरे पास कोई रेडी जानकारी नहीं है ।

श्रीमती मदन कौर : फ्लाइंग क्लब से......

(व्यवधान)

श्री सुखलाल संगचा : यह जो प्लेन ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए । चर्चा समाप्त की जाती है ।

(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इसको एक घंटे की चर्चा के लिए ......

श्री उपाध्यक्ष : नियमों को देख लीजिए ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

दौसा को जिला मुख्यालय बनाने का निर्णय

490. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) व **श्री कुन्जीलाल** (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने दौसा (जयपुर) को सिद्धान्ततः जिला मुख्यालय बनाने का निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं, सिद्धान्ततः दौसा को जिला बनाने का राज्य सरकार के लिए मौजूदा आर्थिक कठिनाइयों व प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए निर्णय लिया जाना संभव नहीं है ।

राज्य में भूमि का अलॉटमेन्ट

495. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आपातकालीन

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
स्थिति के समय में राज्य में भूमि का अलॉटमेन्ट हुआ था ?

(2) क्या यह सही है कि आजकल जितनी भी शिकायतें तहसीलों तथा एस. डी. ओ. के दफ्तरों में आ रही हैं वो ज्यादातर जमीनों व रास्तों के झगड़ों की आ रही हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ज्यादातर अलॉटमेन्ट डिस्प्यूटेड जमीनों का हुआ था, कब्जा किसी दूसरे का था तथा अलॉटमेन्ट किसी दूसरे को हो गया है ?

(4) क्या राज्य सरकार आपातकालीन समय में जो अलॉटमेन्ट हुआ था उस सबको केन्सिल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य क्या राज्य सरकार शीघ्रातिशीघ्र ही करेगी और तुरन्त ही अलॉटमेंट का प्रोसीजर अपनायेगी ताकि काश्तकारों को अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ें ?

(5) क्या यह सही है कि इस समय छबड़ा सब-डिविजन में यह समस्या बहुत ही गंभीर बनी हुई है इसकी वजह से इस क्षेत्र की तीनों तहसीलों के काश्तकार परेशान हैं ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) शिकायतें विभिन्न प्रकार की प्राप्त होती हैं । उनमें अनेक का सम्बन्ध रास्तों से भी होता है । जमीनों का सम्बन्ध तो सभी का होता है ।

(3) यह सही नहीं है ।

(4) जी नहीं । सारे आवंटनों को निरस्त करने का कोई इरादा नहीं है ।

(5) यह सही नहीं है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का परीक्षाफल

37. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने कई विद्यार्थियों के परीक्षाफल रोक लिये हैं ? यदि हां, तो उनके घोषित होने की कब तक आशा है ?

(2) क्या यह सही है कि इतनी लम्बी अवधि तक परीक्षाफल रोके जाने के कारण विद्यार्थी अपनी अगली कक्षाओं में प्रवेश लेने से वंचित रह गये हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

(3) परीक्षाफल के साथ सभी विद्यार्थियों के परीक्षाफल निकालने में क्या कठिनाई है ? और उसे दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि विद्यार्थियों के परीक्षाफल रोकने तथा उन्हें डिबार करने से शिक्षा में सुधार हुआ है ? अगर हां, तो क्या ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार इसमें परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । अधिकांश छात्रों के परिणाम घोषित हो चुके हैं । शेष छात्रों के

Page No 34

(३४)

(श्री शिक्षा मंत्री)
परिणाम शीघ्र ही घोषित कर दिये जावेंगे।

(2) विश्वविद्यालय के नियमानुसार परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से दस दिन में अगली कक्षा में प्रवेश लिया जा सकता है।

(3) इस सम्बन्ध में जो कठिनाइयां आ रही है उनका विवरण तथा दूर करने का सुझाव निम्न प्रकार है:—

1) छात्रों द्वारा नामांकन (एनरोलमेन्ट) सम्बन्धी आवश्यकताओं की नियत तिथि तक पूर्ति न करना,

2) परीक्षा आवेदन-पत्र में कुछ कमी छोड़ देना अथवा पूरी फीस न जमा कराना,

3) उच्च परीक्षा में पास हो जाना परन्तु नीचे की परीक्षा में असफल रहना,

4) परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग,

5) दोहरा मूल्यांकन (डबल इवेल्यूएशन) प्रणाली में उत्तर-पुस्तिका की तीसरी जांच की आवश्यकता जिसे परीक्षाफल घोषित करने के समय तक पूरा नहीं किया जा सका हो,

6) किसी प्रश्न-पत्र के अंक टेबूलेटर को न प्राप्त होना तथा छात्र परीक्षा में बैठा है अथवा नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त न होना/ऐसा अधिकतर उन परीक्षाओं में होता है जहां किसी कक्षा के कुछ विषयों/प्रश्न-पत्रों में असफल होने पर भी आगामी कक्षा में प्रवेश का प्रावधान है तथा उच्च कक्षा की परीक्षा के साथ नीचे की कक्षा के उन विषयों/प्रश्न-पत्रों में परीक्षा देने की सुविधा है जिनमें छात्र असफल रहा हो,

7) महाविद्यालयों द्वारा भेजे गये सत्रीय अंकों में गलतियां तथा सत्रीय अंक न भेजना और न ही छात्र को अनुपस्थित बतलाना,

8) लघु निबन्ध (Dissertation) देरी से प्राप्त होना,

9) छात्रों द्वारा उत्तर-पुस्तिका में गलत रोल नम्बर अंकित कर देना, परीक्षकों द्वारा अंक सूची में रोल नम्बर अथवा शब्दों व अंकों में अंक अंकित करने में अशुद्धि हो जाना इत्यादि। इनमें से मुख्यत: दोहरा मूल्यांकन प्रणाली तथा सत्रीय अंकों की प्रथा समाप्त किये जाने के प्रश्न अकेडेमिक कौंसिल के विचाराधीन है। अन्य कमियों अथवा त्रुटियों के लिये भविष्य में सभी सम्बन्धित छात्रों/परीक्षकों आदि को अधिक सावधान रहने को कहा जावेगा।

(4) एवं (5) परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर परीक्षाफल रोकने तथा दोषी पाये जाने पर छात्रों को दण्डित करने से अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम होती है। वर्तमान स्थिति में इसमें परिवर्तन वांछनीय नहीं होगा।

गांधी नगर के सरकारी क्वार्टरों के किराये की वसूली

38. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गांधी नगर, जयपुर स्थित सरकारी क्वार्टरों में रह रहे कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनमें किराया बाकी निकलता है ?

(2) ऐसे क्वार्टरों के नम्बर तथा कर्मचारी का नाम तथा मार्च, 77 तक बकाया की रकम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) इन क्वार्टरों का किराया वसूल करने की प्रक्रिया क्या है ?

(4) क्या हर माह वसूल किये गये किराये की पोस्टिंग कर्मचारी के खाते में कर ली जाती है ?

(5) यदि हां, तो बकाया क्यों निकाली हुई है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) क्वार्टरों का किराया कर्मचारियों के वेतन बिलों से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सीधे ही काट लिया जाता है ।

(4) जी हां । सार्वजनिक निर्माण विभाग के खातों में केवल उन्हीं कर्मचारियों की किराया कटौती की पोस्टिंग की जाती है जिनके कटौती के शिड्यूल सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्याक्षों से प्राप्त हो जाते हैं ।

(5) सार्वजनिक. निर्माण विभाग के खातों में केवल उन्हीं कर्मचारियों की बकाया निकलती है जिनका किराया कटौती के शिड्यूल सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्त नहीं होने के कारण समायोजन नहीं हो पाता ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में संशोधन

39. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशन पोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस 1977-78 के नियम 32 के अनुसार ट्यूशन फीस के लिये छात्रों को दो वर्गों में बांटा गया है 1) जिनके अभिभावक राज्य कर्मचारी हैं और उनकी वार्षिक आय 8,000/- रु. से कम है तथा आय कर न देते हों, 2) जिनके अभिभावक की आय 10,000/- रु. से कम या अधिक हो किन्तु आय कर देते हों ?

(2) क्या यह सही है कि उन छात्रों से भी ट्यूशन फीस ली जा रही है जिनके अभिभावक राज्य कर्मचारी हैं और उनकी आय 10,000/- रु. वार्षिक से कम है और आय कर नहीं देते हैं ?

(3) यदि हां, तो क्यों, जब कि आय कर के लिये छूट की अधिकतम सीमा 10,000/- वार्षिक की जा चुकी है ?

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(4) क्या राज्य सरकार पहले वर्ग में 8,000/- रु० के स्थान पर 10,000/- रु० प्रतिस्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है ।

(2) जी हां ।

(3) राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस 1977-78 के नियम 32 के अनुसार निर्धारित ट्यूशन फीस ली जाती हैं ।

(4) आय कर के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार संशोधन करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

तूंत की बगीची की भूमि पर अनधिकृत कब्जे

40. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तूंत की बगीची, नीमड़ी की पुलिस चौकी के पास, पुरानी बस्ती, जयपुर की जमीन पर कितने व्यक्तियों ने अनधिकृत कब्जा किया एवं राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की ?

(2) मालिक, तूंत की बगीची ने इन अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिए कब कब राज्य सरकार एवं नगर परिषद्, जयपुर को प्रार्थना-पत्र दिये और उन पर राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि आज भी वहां श्री चौगान ने अनधिकृत कब्जा बनाये रखा है ? यदि हां, तो उसे हटाने के लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) तूंत की बगीची के बाहर एक व्यक्ति, जिनका नाम श्री चौगान है, द्वारा अनधिकृत कब्जा कर लिया गया था। जिसे दिनांक 16-2-77 को हटा दिया गया था। श्री चौगान द्वारा पुनः अनधिकृत कब्जा कर लिये जाने पर उसे हटाने का नोटिस दिनांक 27-4-77 को दिया गया था। चूंकि श्री चौगान ने दिनांक 18-2-77 को न्यायालय से अनधिकृत भूखण्ड पर अन्य कार्यवाही नहीं करने की आज्ञा प्राप्त कर ली है इस कारण न्यायालय के निर्णय होने पर ही कार्यवाही की जा सकेगी ।

(2) मालिक तूंत की बगीची ने अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिये दिनांक 21-7-73, 29-7-73, 7-3-74, 26-8-76 व 1-9-76 को प्रार्थना-पत्र दिये थे। इन पर की गई कार्यवाही का प्रश्न भाग (1) के उत्तर में दे दिया गया है ।

(3) प्रश्न (1) के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

कपासन तहसील की सड़कें

41. श्रीमती श्यामा कुमारी (कपासन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कपासन तहसील में इस वर्ष कौन-कौन सी सड़कों पर डामर का काम कराने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्रीमती श्यामा कुमारी)

(2) उक्त तहसील की ही कौन-कौन सी सड़कों को कंकरीली बनाया जायेगा और मरम्मत करा कर इस योग्य बनाया जायेगा कि उन पर बसें सुविधापूर्वक चल सकें।

(3) क्या यह सही है कि कपासन तहसील के गांव भोपाल सागर से आकोला तक डामर की सड़क बनी हुई है ? लेकिन आकोला से ताना और ढूंढिया तक लगभग 6-7 माइल सड़क कच्ची है जिससे यातायात में असुविधा हो रही है ? क्या राज्य सरकार इसको पूरा कराने का विचार रखती है ? ढूंढिया से कीर-की-चौकी तक पहले से ही पक्की सड़क बनी हुई है ?

उत्तर

(1) कपासन तहसील में कपासन-राशमी सड़क और कीर-की-चौकी से भोपाल सागर-गिलून्ड सड़क के कुछ भाग पर उपलब्ध धनराशि के अनुसार इस वर्ष डामर का कार्य करवाया जा चुका है। शेष कार्य धनराशि उपलब्ध होने पर प्रारम्भ करवाया जा सकेगा।

(2) इस वर्ष कपासन तहसील में और कोई सड़क मेटल्ड, ग्रेवल एवं डामर करने का प्रस्ताव नहीं है।

(3) जी हां। भोपाल सागर-आकोला सड़क 11 किलोमीटर में से 10 कि. मी. लम्बाई में डामर की बनी हुई है। आकोला से ढूंढिया की लम्बाई 11.5 किलोमीटर है जिसमें मेटल्ड सड़क बनी हुई है। ढूंढिया से आगे 1.5 कि. मी. मेटल्ड सड़क तथा शेष कीर-की-चौकी तक 3 किलोमीटर डामर की सड़क है। आकोला से ढूंढिया डामर करने की कोई स्वीकृति नहीं है।

वनों की कटाई

42. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1971 से 1977 तक किस किस क्षेत्र के वनों की कटाई हेतु किन-किन को ठेके दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) किस-किस वन क्षेत्र से विभाग को कितनी-कितनी आय हुई ?

(3) क्या वन से काटी गई लकड़ी राज्य से बाहर भी भेजी गई ? यदि हां, तो क्यों और किस-किस की आज्ञा से ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्त सूची में अंकित है।

(3) जी हां, क्योंकि दिनांक 12-10-71 से 30-11-72 एवं 10-9-75 के बाद की अवधि को छोड़ कर राज्य से बाहर लकड़ी ले जाने पर कोई शासकीय प्रतिबन्ध नहीं था।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

सिरोही-जालौर सहकारी उपभोक्ता भंडार लि०, सिरोही

43. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिरोही-जालौर सहकारी उपभोक्ता भंडार लि., मुख्यावास सिरोही का

(श्री रघुनन्दन व्यास)
गठन कब हुआ और उसकी कुल कितनी हिस्सा राशि है ?

(2) क्या उसके गठन के बाद हानि हुई, यदि हां, तो कितनी हुई ?

(3) क्या उस हानि के लिए ऑडिट पार्टी ने किसी को दाषी पाया ?

(4) क्या उसको एक बार अवसायन में लाया गया और माल की बिक्री अवसायन कर्ताओं ने कोड़ियों के मोल की ?

(5) क्या इस समय भंडार को पुनर्जीवित किया गया है और उसमें कार्य करवाया जा रहा है ?

(6) क्या इसके चुनाव कराये जाकर इसकी उपनियमों में वर्णित स्थानों पर शाखायें यथा जालोर, भीनमाल, शिवगंज, आबू रोड में स्थापित की जावेंगी ?

उत्तर

(1) सिरोही-जालौर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. का गठन दिनांक 28-12-66 को पंजीयन संख्या 342/डब्लू. पर हुआ है। भण्डार की कुल हिस्सा राशि 1,56,449.00 है।

(2) जी हां। भण्डार को दिनांक 30-6-76 तक 1,60,840.97 पैसे की हानि हुई है।

(3) जी नहीं। ऑडिट रिपोर्ट में समस्त हानि के लिये किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया है।

(4) जी हां। उसको अवसायन में लाया गया लेकिन यह सही नहीं है कि माल की बिक्री अवसायन कर्ताओं द्वारा कोड़ियों के मोल की गई, क्योंकि माल बाजार भाव से विक्रय किया गया। जो माल विक्रय नहीं हुआ उसको लागत मूल्य पर विक्रय हेतु कार्यवाही की गई तथा इसके पश्चात् शेष रहे माल को सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय किया गया।

(5) जी हां। फिलहाल भण्डार नियंत्रित शक्कर एवं कपड़े का तहसील क्षेत्र सिरोही के लिये होलसेल का कार्य कर रहा है जिससे भण्डार को अनुमानतः 12,210.87 का लाभ दिनांक 30-6-77 तक हुआ है।

(6) वर्तमान में भंडार में प्रशासक नियुक्त हैं व भंडार की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा रहा है। उपयुक्त समय पर भंडार में निर्वाचन कराये जावेंगे। वर्णित स्थानों पर शाखाएं खोलना भंडार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर होगा। वर्तमान में कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शाखाएं नहीं खोली जा सकतीं।

राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि., जयपुर

44. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि., जयपुर के चेयरमैन, श्री गुलाबसिंह शक्तावत ने वर्ष 1976-77 में निम्नांकित मदों से कितना-कितना रुपया स्वीकृत किया गया:—

1) पत्र-पत्रिकाएं

2) कारों पर व्यय

3) ट्रेनिंग एक्सपेंसेज

Page No 39

(39)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

4) विभिन्न खर्चे

5) जीपों की खरीद

6) एटहोम

7) एण्टरटेनमेण्ट व्यय

8) बैंक बिल्डिंग रिपेयर

(2) किस-किस पत्र को कितना कितना रुपया दिया गया ? क्या बैंक में उन पत्रों की काम्पलीमेण्ट्री प्रतियां उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो इन पत्रिकाओं को पेमेण्ट किस आधार पर किया गया ?

(3) कितने समाचार-पत्र मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक एवं दैनिक बैंक के कर्मचारियों के लिए मंगवाये गये ? क्या बैंक में कोई वाचानालय है ? यदि नहीं, तो ये सब पत्र-पत्रिकाएं किस-किस अधिकारी के घर पर मंगवाई जाती रही हैं ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) नवीन कारों पर 30,000/- से 35,000/- का व्यय किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या बैंक की कारों से लाल प्लेट हटा दी गई है ताकि ज्ञात नहीं हो सके कि यह वाहन सरकारी है ?

(5) ट्रेनिंग एक्सपेन्सेज के नाम पर किस-किस होटल को किस मद से कितने कितने रुपये का भुगतान किया गया तथा कितने व्यक्तियों को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई तथा उक्त बैंक को क्या लाभ हुआ ?

(6) प्रत्येक मद के लिए जब पृथक हैड है तब विभिन्न खर्चे का हैड रखने का क्या औचित्य है ? तथा 1976-77 में इस मद में आवंटित राशि 15,000/- रुपये से बढ़ा कर रुपये 25,048.08 पैसे किस प्रयोजन हेतु व्यय किये गये ?

(7) क्या एटहोम पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में आडिटर के नोट लगाने पर उसे नाजायज तौर पर डराया धमकाया गया ? यदि हां, तो क्या उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर अनुचित दबाव डालते हैं और गैर कानूनी कार्य कराते हैं ?

(8) क्या यह सही है कि वर्ष 1976-77 में बैंक द्वारा जीपों के क्रय हेतु रुपये 5,63,195.43 पैसे का भुगतान किया गया और क्रय की गई जीपें सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक को दी गई जो चुनाव प्रचार में उपयोग में आई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(9) एण्टरटेनमेंट व बैंक बिल्डिंग रिपेयर के नाम से किये गये भुगतान का क्या औचित्य है जब कि किसी भी कर्मचारी को कभी किसी बैंक की ओर से एण्टरटेन करने का कोई अधिकार नहीं है तथा बैंक बिल्डिंग में बिना कोई मरम्मत के इतना भुगतान करने का क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि., जयपुर के तत्कालीन चेयरमेन, श्री गुलाबसिंह शक्तावत ने वर्ष 1976-77 में किसी मद से पृथक से कोई खर्चा नहीं किया है । संचालक मंडल द्वारा स्वीकृत बजट के अन्तर्गत बैंक द्वारा निम्न मदों पर वर्ष 1976-77 में किये गये व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है :--

Page No 40

(40)

	नाम मद	संचालक मंडल द्वारा स्वीकृत बजट	व्यय राशि
1.	पत्र-पत्रिकाएं	1,500.00	1,196.55
2.	कारों पर व्यय	30,000.00	21,993.57
3.	ट्रेनिंग एक्सपेन्सेज	20,000.00	11,988.50
4.	विविध व्यय :		
	प्रधान कार्यालय	25,000.00	24,925.54
	ब्रांचेज, रीजनल कार्यालय	15,200.00	13,482.15
5.	जीप खरीद (केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अनुदान)	5,75,000.00	5,63,195.43
6.	एटहोम	15,000.00	12,888.57
7.	एन्टरटेनमेन्ट		
8.	बैंक बिल्डिंग रिपेयर	2,00,000.00	28,170.24

(रिपेयर्स टू बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, वाटर कूलर्स, लिफ्ट, डुप्लीकेटिंग मशीन रिपेयर्स, इलेक्ट्रिक एवं सेनेटरी फिटिंग रिपेयर्स एण्ड मेन्टीनेन्स एण्ड स्पेयर पार्ट्स)

(2) पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन प्रकाशन के सम्बन्ध में जो रुपया दिया गया है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । इन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित विज्ञापनों की प्रतियां बैंक में वाउचरों के साथ सुरक्षित रखी हुई हैं ।

(3) मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक एवं दैनिक पत्र, जो बैंक में मंगवाये जाते हैं, उनका विवरण निम्न प्रकार हैं :—

1. हिन्दुस्तान टाइम्स
2. हिन्दुस्तान
3. राजस्थान पत्रिका
4. इन्डियन एक्सप्रेस
5. फाइनेन्शीयल एक्सप्रेस
6. दैनिक नवज्योति
7. दैनिक राष्ट्रदूत
8. धर्मयुग
9. इलस्ट्रेटेड वीकली
10. कामर्स
11. दी को-आपरेटिव
12. को-आपरेटिव लॉ जनरल

बैंक में स्थानाभाव के कारण पृथक से वाचनालय नहीं रखा गया है । बैंकिंग हाल में काउंटर के बाहर कर्मचारियों एवं ग्राहकों को पढ़ने के लिए पत्र-पत्रिकाओं को रखा जाता है । किसी भी अधिकारी के द्वारा पत्र-पत्रिकाएं उनके घर पर नहीं मंगवाई जाती हैं ।

(सहकारिता मंत्री)

(4) बैंक कार्य हेतु बैंक के पास दो कारें हैं जो क्रमशः 8-1-75 व 24-5-76 को क्रय की गई हैं। वर्ष 76-77 में इस मद में 20,000/- रुपये का बजट प्रावधान था जिसके पेटे 21,933.57 रुपये का व्यय हुआ। उक्त व्यय में पेट्रोल, आयल, स्पेयर पार्ट्स एवं कार के रख-रखाव, मरम्मत आदि पर हुआ व्यय भी शामिल है। बैंक की इन कारों पर लाल प्लेट लगाई ही नहीं गई हैं अतः हटाने का कोई प्रश्न नहीं है।

(5) ट्रेनिंग एक्सपेन्सेज के नाम पर लक्ष्मी विलास होटल को प्रशिक्षणार्थियों एवं अतिथियों व वक्ताओं के सम्मान में दिये गये विभिन्न कोर्स में दो भोजों पर 940 रुपये 80 पैसे का भुगतान किया गया है। बैंक द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा संचालित कालेज आफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, पूना के सहयोग से जयपुर में हरिश चन्द्र माथुर इन्स्टीट्यूट में 30 अधिकारियों को बैंकिंग सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया। इस ट्रेनिंग कोर्स में 6,981.35 रुपयों का व्यय हुआ जिसका भुगतान हरिश चन्द्र माथुर इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्स्टीट्यूट मैस को दिया गया।

बैंक द्वारा चयनित मेनेजमेन्ट ट्रेनिंग एवं प्रोवेशनरी आफिसर्स को ट्रेनिंग हेतु पूना भेजना पड़ता है। अधिकतर जिला सहकारी बैंकों में सहकारी विभाग के अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति पर प्रधान व्यवस्थापक का कार्य कर रहे थे, जिन्हें बैंकिंग संबंधी ट्रेनिंग दिया जाना आवश्यक था, ताकि बढ़ते हुए ऋण कार्यक्रम में गुणात्मक रूप से भी सुधार हो। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की जानकारी भी करवाई जानी आवश्यक थी। अमानत वृद्धि के संबंध में भी विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाना आवश्यक था।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा संचालित कालेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, पूना से इस संबंध में परामर्श किया गया, उन्होंने अपनी अपनी फैकल्टी को जयपुर भेजना स्वीकार कर लिया था।

हरिश चन्द्र माथुर इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कैम्पस में कॉलेज आफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, पूना के सहयोग से अपेक्स बैंक एवं सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक्स के सीनियर अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कोर्स में 30 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

उक्त कोर्स के लाभ देखकर यह महसूस किया गया कि मध्यम श्रेणी के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाय। जिसके लिये इस बैंक ने पृथक से प्रशिक्षण कक्ष स्थापित किया गया। बैंक द्वारा जनवरी, 77 से जून, 77 तक तीन कोर्स आयोजित किये गये जिसमें जिला सहकारी बैंकों के ब्रांच मेनेजर एवं ऋण–निरीक्षकों/सुपरवाइजर्स ने भाग लिया। 149 ब्रांच मैनेजर्स एवं 21 ऋण निरीक्षक/सुपरवाइजर्स ने उक्त पाठ्यक्रमों में भाग लिया, ट्रेनिंग का महत्व सर्वमान्य है। इस ट्रेनिंग कार्यक्रमों से इस बैंक को एवं जिला सहकारी बैंकों को निश्चित ही लाभ हुआ है। सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को ट्रेनिंग कराना हर प्रकार से आवश्यक एवं लाभप्रद है।

(6) विभिन्न खर्चे (विविध व्यय मद) का मद इस बैंक में आरम्भ से ही

Page No 42

(42)

(सहकारिता मंत्री)

हैं एवं इस प्रकार का मद इस बैंक की जानकारी के अनुसार इस प्रकार की सभी संस्थाओं में रखा जाता है। लोकल कन्वेएन्स चार्जेज, क्लियरिंग हाउस चार्जेज, बैंकर्स क्लब फीस, डेलीगेट्स फीस, आकस्मिक खर्चे, अनफोरमीन खर्चे, मिसलेनियस खर्चे, अन्य ऐसे सामान खरीद खर्चे जो फर्नीचर फिक्चर्स मद में नहीं आते हैं, इस मद में जाते हैं। संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत बजट में विविध व्यय मद में कुल 40, 200.00 रुपये का प्रावधान था। इसके पेटे कुल व्यय 38,407.69 रुपये किया गया है।

इसमें प्रधान कार्यालय के विविध व्यय मद में 25,000/- रुपये का प्रावधान था जिसमें व्यय रुपये 24,925.54 हुआ है। प्रधान कार्यालय का प्रारम्भ में इस मद में प्रावधान 15,000/- रुपये था जिसे संचालक मण्डल द्वारा 17 जून, '77 को बढ़ाकर 25,000/- रुपये स्वीकृत किया गया है। विविध व्यय मद का खर्चा निम्न प्रयोजनों हेतु किया गया था।

लोकल कन्वेएन्स चार्जेज, डायरेक्टर्स का उपहार, क्लियरिंग हाउस चार्जेज फीस। डेलीगेट्स फीस, बैंकर्स फीस क्लब, क्राकरी, बिजली का सामान, आफिस बैग्स पर्चेज गेस्ट्स के लिये, बैड शीट्स, मच्छरदानी, पर्दे, ईमरसन रोड, फ्लिट पम्प, अन्य साज-सज्जा का सामान, सेनीटेशन का सामान, दीपावली पूजा, निमंत्रण-पत्र ग्रीटिंग-कार्ड्स, लिफाफे, मटके, सुराई, वर्दियां धुलाई, टिकट केन्सीलेशन चार्जेज, रबर स्टाम्प्स, सूतली, डोरा, चपड़ी, कार का टूल का बोक्स, कार के ड्राइवर्स के टार्चेज एवं सैल्स, कोर्ट स्टाम्प्स, टाइप चार्जेज एवं चौकीदार के लिए अन्य मुतफर्रिक एवं आकस्मिक खर्चे।

(7) जी नहीं।

(8) वर्ष 76-77 में 21 केन्द्रीय सहकारी बैंकों को उनके द्वारा क्रय की गई डीजल जीपों के लिए, जीपों के क्रय मूल्य के कुल मूल्य के 50 प्रतिशत के हिसाब से कुल 5,63,195.43 रुपये का अनुदान का भुगतान बैंक द्वारा किया गया। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा इन जीपों का प्रयोग चुनाव प्रचार में किया गया हो, ऐसी कोई शिकायत नहीं आने से कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं है।

(9) एन्टरटेनमेन्ट पर व्यय, ग्राहकों, संभावित ग्राहकों, गणमान्य अतिथियों, इस बैंक के सदस्य बैंकों के पदाधिकारियों, दूसरे राज्यों से आये हुये सहकारी क्षेत्र के पदाधिकारियों, विभिन्न ट्रेनिंग सेन्टर्स से आने वाले प्रशिक्षणार्थियों, राजकीय विभागों, निकायों, संस्थाओं के पदाधिकारियों, बाहर से आने वाले संबंधित विशिष्ठ आगन्तुकों आदि के सम्मान पर चाय, कॉफी, ठंडे पेय पर खर्च करना होता है व आवश्यकतानुसार भोजों का आयोजन भी करना होता है। मीटिंग में भी चाय-पान का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के खर्चे ऐसी व्यापारिक संस्थाओं से सम्पर्क बढ़ाने के लिये करना आवश्यक हो जाता है। खर्चे करने का अधिकार बैंक के संचालक मंडल, चेयरमेन, प्रबन्ध संचालक, जनरल मैनेजर एवं प्रशासानिक अधिकारी को बजट के अन्तर्गत व्यय करने का अधिकार है एवं अधिकार के अन्तर्गत ही किये गये हैं। बैंक बिल्डिंग मरम्मत मद में, बैंक की

(सहकारिता मंत्री)

लिफ्ट मरम्मत, फर्नीचर फिक्सचर्स, मरम्मत, सेनेटरी फिटिंग्स, रख-रखाव, वाटर कूलर एवं विद्युत् सामान, मरम्मत डुप्लीकेटिंग मशीन, टाइप राइटर्स आदि मरम्मत भी सम्मिलित हैं। ऐसे कार्यों के लिये पहले एस्टीमेट तैयार कराया जाकर अधिकृत अधिकारी से स्वीकृति ली जाती है बाद में टैन्डर कोटेशन मांगे जाकर रेट स्वीकृत हो जाने के पश्चात् अधिकृत अधिकारी की अनुमति से कार्य कराया जाकर, कार्य सम्पन्न हो जाने के पश्चात् बिल में अंकित कार्य को सही पाये जाने पर बिल का भुगतान किया जाता है। अतः बिना मरम्मत के भुगतान का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

राज्य में सड़कों का निर्माण कार्य

45. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान प्रान्त के निर्माण के समय कुल कितनी डामर, ग्रेवल एवं अन्य किस्म की सड़कें विभिन्न जिलों में थीं? प्रत्येक जिले के अलग-अलग आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राजस्थान के निर्माण से आज तक विभिन्न जिलों में कुल कितनी डामर, ग्रेवल एवं अन्य किस्म की सड़कों का निर्माण हो चुका है? जिले की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राजस्थान के निर्माण से आज तक विभिन्न जिलों में कुल कितनी डामर, ग्रेवल एवं अन्य किस्म की सड़कों का निर्माण अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सम्पूर्ण हुआ है? आंकड़े जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) प्रान्त का कितना प्रतिशत क्षेत्र ग्रेवल और डामर सड़कों से जुड़ा हुआ है?

उत्तर

(1) जिलेवार आंकड़ों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिलेवार आंकड़ों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) वर्ष 1974-75 व 1975-76 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जो सड़कें बनी हैं उनकी सूची संलग्न है। इससे पूर्व के अकाल राहत कार्यों में बनी सड़कों की जिलेवार सूची विभिन्न जिलों से एकत्रित की जा रही है।

(4) प्रान्त में 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन 10.46 किलोमीटर ग्रेवल व डामर की सड़के हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

अस्पताल के इमर्जेन्सी वार्ड में मरीजों को सुविधा

46. **श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर** (कपासन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आकस्मिक बीमारी के समय जब मरीज हॉस्पिटल से इमर्जेन्सी वाहन मंगाता है तो इसमें काफी

(श्रीमती श्यामा कुमारी)
समय लग जाता है जिससे कई बार मरीज मर जाता है ?

(2) अगर कोई मरीज डाक्टर की भी मांग करे तो क्या इमर्जेन्सी वाहन के साथ फीस जमा करने पर डाक्टर भी प्रोवाइड करने की फैसेलिटीज मरीज को उपलब्ध कराने की राज्य सरकार सोचेगी ?

उत्तर

(1) चिकित्सालयों में मरीज के इमर्जेन्सी वाहन मंगाने पर तुरन्त उपलब्ध कराई जाती है तथा रोगी वाहन के अभाव में कोई रोगी मरा हो ऐसी जानकारी नहीं है।

(2) वाहन के साथ कोई भी डाक्टर नहीं भेजा जाता है। जिन डाक्टरों को प्राइवेट प्रेक्टिस देय है वह फीस देने पर मरीज देखने जाया ही करते हैं तथा जहां पर प्राइवेट प्रैक्टिस देय नहीं है वहां घर में पे-क्लिनिक नियमों के अनुसार आवश्यक फीस जमा करके किसी भी डाक्टर को घर बुलाया जा सकता है।

राजामल के तालाब में पानी भर जाने से आसपास के क्षेत्र में असुविधा

47. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बरसात के दिनों में राजामल के तालाब में पानी भर जाने के कारण कंवरपुरा, पुरानी बस्ती, ब्रह्मपुरी के निवासियों का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो इन आवासियों के आवागमन की सुविधा के लिए क्या राज्य सरकार कोई पुलिया बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

जी हां।

आवागमन की सुविधा के लिए नगर परिषद्, जयपुर द्वारा कंवर नगर के पूर्व एवं पश्चिम में 2 नालों का तथा पुन्डरिकजी की हवेली तक सड़क मय पुलिया के निर्माण कराने का विचार है।

सेवा निवृत्त जिला शिक्षा निरीक्षक की पेन्शन एवं ग्रेच्यूटी का मामला

48. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के नियमानुसार एक सेवा निवृत्त व्यक्ति की ग्रेच्यूटी व पेन्शन का सेवा निवृत्ति के तुरन्त पश्चात् भुगतान कर देना चाहिये ?

(2) क्या यह सही है कि श्री बालूसिंह सोलंकी, जिला शिक्षा निरीक्षक, बाड़मेर 31-1-75 को 55 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त हुए थे और अभी तक उन्हें पेन्शन ग्रेच्यूटी का भुगतान नहीं हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि श्री सोलंकी की सी. आर्स. एक्सिलेन्ट रही हैं और पूर्ण सेवा काल में कहीं कोई दाग नहीं है ?

(4) क्या यह सही है कि समय-समय पर उनके यशस्वी कार्य पर विभाग द्वारा उनको प्रशंसा-पत्र मिलते रहे हैं ?

Page No 45

(45)

(श्री नवरंग सिंह)

(5) क्या यह सही है कि उन पर एक विभागीय जांच का मामला है, जो नगण्य है ? और अभी तक उसकी जांच नहीं हो रही है तथा मामला भी राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार टाइम बार हो चुका है ?

(6) क्या राज्य सरकार ऐसी कठिन परिस्थितियों में श्री सोलंकी को ग्रेच्युटी व पेन्शन का तुरन्त भुगतान कराने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । उन मामलों को छोड़कर जहां विभागीय जांच चल रही है या चलाना विचाराधीन है ।

(2) हां, यह सही है ।

(3) इनके गोपनीय प्रतिवेदन एक्सिलेंट रहे हों यह सही नहीं है ।

(4) सरकार के पास ऐसे अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं ।

(5) श्री सोलंकी के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही चल रही है। उन पर 1) नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में अनियमितता 2) विभागीय खरीद में गड़बड़ी 3) सरकारी वाहन का दुरुपयोग 4) टैक्स्ट-बुक में कमीशन सम्बन्धी गड़बड़ी के मामले, 5) कुछ अनधिकृत दोरों का भुगतान था। उनके विरुद्ध जनता से शिक्षक संघों और नवयुवक संगठनों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं एवं कई पेम्फलेट छपे थे, उन सबको दृष्टि में रखते हुए सरकार ने जांच चलाने का निर्णय लिया है। इनमें से कुछ मामले सन् 1974 के भी हैं, जिनमें अनधिकृत रूप से कुछ शिक्षकों को यात्रा भत्ता दिलाये जाने के आरोप सम्मिलित हैं अत: यह मामला सेवा नियमों के अनुसार टाइम बार्ड नहीं होता है ।

(6) इनके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है इसलिए रा. से. नि. 170 (8) के अन्तर्गत प्रोवीजनल पेन्शन का भुगतान महालेखाकार, राज. जयपुर द्वारा किया जा रहा है । पूर्ण पेन्शन एवं ग्रेच्युटी तब ही स्वीकृत की जा सकेगी जब कि विभागीय जांच समाप्त हो जायेगी एवं सेवा में सन्तोषजनक एवं पेन्शन योग्य होने का प्रमाण-पत्र रा. से. नि. 248 के अनुसार जारी हो जायेगा ।

राज्य में खोले गये स्कूल

49. श्री **वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य के विभिन्न जिलों में कितने प्राइमरी, मिडिल, सैकेन्डरी एवं हायर सैकेन्डरी स्कूल हैं एवं उनमें कितने विद्यार्थी हैं एवं शिक्षक हैं ? प्रत्येक जिले के अलग से आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची संलग्न है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

शिक्षकों को यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित वेतनमान

50. श्री **भंवरलाल शर्मा** (हवा महल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य सरकार के राजकीय तथा अराजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित वेतनमान देने

Page No 46

(46)

(श्री भंवरलाल शर्मा)
के बारे में क्या नीति है ? तथा इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

राजकीय तथा अराजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित वेतनमान देने की नीति राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों का कार्य

51. श्री **गंगाराम चौधरी**(गुढ़ामालानी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बाड़मेर में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कौन से ग्राम पक्की सड़क से जोड़े जाने योग्य हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि इसी उद्देश्य से ग्राम शिवकर, सरली, सांजटा, नौखड़ा एवं आड़ेल को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु सन् 1974-75 से अकाल राहत कार्य के रूप में खड़ाला-कुड़ला सड़क का निर्माण आरम्भ किया था ? यदि हां, तो अब कितनी लम्बाई का निर्माण शेष है और उसे कब तक पूरा किया जायेगा ?

(3) चालू वित्तीय वर्ष में कितना कार्य किया जा सकेगा ?

उत्तर

(1) सूची (अ) सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । वर्ष 1974-75 एवं 75-76 में अग्रिम योजना एवं अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत नोखड़ा, आड़ेल, कुड़ला और बाड़मेर, महाबार, शिवकर, सरली, सांभरा, बोखड़ा सड़कों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था । नोखड़ा-खुढ़ला सड़क पर 23 कि. मी. लम्बाई में डामर का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा बाड़मेर-नोखड़ा सड़क पर, जिसकी लम्बाई 30 कि. मीटर है, 7 किलोमीटर लम्बाई में डामर किया जा चुका है और शेष कार्य धनाभाव के कारण अभी पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

(3) धनाभाव के कारण चालू वित्तीय वर्ष में कोई कार्य नहीं किया जायेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

डॉक्टरों को सरकारी मकान

52. **श्रीमती श्यामा कुमारी** (कपासन): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर अस्पताल में कितने डाक्टरों को सरकारी मकान मिले हुए हैं ? मकान देने का क्या क्राइटेरिया है ?

(2) अस्पताल में सरकारी मकान होने के कारण मरीजों को क्या लाभ मिल पा रहा है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में उदयपुर अस्पताल में डाक्टरों के लिये 16 सरकारी क्वार्टर्स उपलब्ध हैं जिनमें से 14 डॉक्टरों को क्वार्टर्स को अलाट किये गये हैं । और दो डाक्टरों का हाल ही में स्थानान्तरण होने के कारण रिक्त हैं । इन क्वार्टर्स का अलाट

Page No 47

(47)

(चिकित्सा मंत्री)

मेन्ट निम्न बिन्दुओं को मद्दे नजर रखते हुए किया जाता है :—

1. चिकित्सालय के प्रशासन एवं व्यवस्थाओं का समुचित संचालन ।

2. हास्पिटल इमर्जेन्सी में चिकित्सा एवं नर्सिंग परिचर्या की समुचित व्यवस्था ।

3. मेडिकल कालेज के होस्टल के प्रशासन का संचालन एवं विद्यार्थियों की देखरेख ।

4. चिकित्सालयों में उनसे सम्बन्धित विशेष प्रकार के आपात कालीन चिकित्सा के योग्य बीमारों को एवं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को तत्काल समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराना ।

(2) हॉस्पिटल में सरकारी मकान होने के कारण दुर्घटनाओं एवं भयंकर रोगों से ग्रसित बीमारों को तत्काल निदान एवं उपचार में सुविधा रहती है ।

जनता मार्केट की सड़कों एवं नालियों की मरम्मत

53. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जनता मार्केट में सड़कें एवं नालियां टूटी हुई हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

(2) उनकी मरम्मत कब तक कर दी जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि जनता मार्केट में बरसात एवं गन्दे पानी के निकास की सुचारु व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़कों पर पानी भरा रहता है जिससे जनता को आवागमन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार सड़कें, नालियां और गटर लाइन आदि डालने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यह व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) मरम्मत काफी हद तक की जा चुकी है तथा इसी माह के अन्त तक मरम्मत का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा ।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सीवर लाइन डाले जाने के कारण नालियां अवरुद्ध होने के फलस्वरूप पानी रुक गया था । एक स्थान पर सड़क का भी अप-ग्रेडिंग किया जाना है । अगले माह के अन्त तक इसकी पूर्ण व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है ।

राज्य क्रीड़ा परिषद् के प्रशिक्षक

54. श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् में कुल कितने प्रशिक्षक किस-किस खेल के लिए नियुक्त हैं ? इनमें से कितने राजस्थान के हैं व कितने बाहर के ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) राजस्थान के बाहर से नियुक्त प्रशिक्षकों की नियुक्ति के समय राजस्थानियों के कितने आवेदन-पत्र किस किस शैक्षणिक

Page No 48

(48)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

योग्यता के प्राप्त हुए और उनके चयन में क्या कठिनाइयां थीं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) परिषद् में कुल कितनी महिला प्रशिक्षक हैं तथा उनकी क्या-क्या शैक्षणिक योग्यता है ? महिला प्रशिक्षकों की एन. आई. एस. में क्या श्रेणी आयी थी ? महिला प्रशिक्षकों के चयन के आधार क्या है ?

(4) किन-किन महिला प्रशिक्षकों ने कब-कब और कहां-कहां पर कितनी-कितनी छात्राओं को प्रशिक्षित किया एवं इन छात्राओं का विभिन्न प्रतियोगिताओं में कौनसा स्थान रहा ?

(5) परिषद् द्वारा गत दस वर्षों में प्रत्येक प्रशिक्षक को प्रति वर्ष कितना धन कोचिंग हेतु दिया गया ? पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् में कुल 42 पूर्णकालीन प्रशिक्षक कार्य कर रहे हैं। इनमें परिषद् के 27 प्रशिक्षक हैं तथा राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान से प्रतिनियुक्त 15 प्रशिक्षक हैं। इसके अतिरिक्त 12 अल्पकालिक प्रशिक्षक भी परिषद् में कार्य कर रहे हैं। विवरण नीचे प्रस्तुत है:—

क्र. सं.	खेल का नाम	परिषद् प्रशिक्षकों की संख्या	एन. आई. एस. द्वारा प्रतिनियुक्त प्रशिक्षकों की संख्या	अल्पकालिक प्रशिक्षकों की संख्या	कुल योग
1.	एथेलेटिक्स ..	3	3	..	6
2.	बास्केटबाल ..	3	1	..	4
3.	बेडमिन्टन ..	1	..	1	2
4.	क्रिकेट ..	1	1	..	2
5.	साईक्लिंग ..	1	..	1	2
6.	फुटबाल ..	4	1	1	6
7.	जिमनास्टिक ..	1	2	..	3
8.	हाकी ..	4	1	2	7
9.	कबड्डी ..	1	..	2	3
10.	टेबिल टेनिस ..	1	1	..	2
11.	तैराकी ..	1	..	..	1
12.	वालीबाल ..	3	2	1	6
13.	टेनिस ..	..	1	..	1
14.	कुश्ती ..	2	1	1	4
15.	योग ..	1	..	1	2
16.	खो खो ..	..	..	1	1
17.	भारोत्तोलन ..	..	1	1	2
	कुल योग..	27	15	12	54

(शिक्षा मंत्री)

परिषद् के 27 प्रशिक्षकों में से 24 राजस्थान के व 3 बाहर के हैं। इनमें से एक परिषद् में ही कार्य करते हैं, उन्हें परिषद् ने ही वालीवाल के प्रशिक्षण के लिये नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान, पटियाला भेजा था। ये पंजाब के हैं।

दूसरे प्रशिक्षक, झांसी (मध्य प्रदेश) के हैं, जो मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र हैं, जो कि संसार के सर्वोत्तम हाकी के खिलाड़ी रह चुके हैं और उन्होंने इन्हें प्रशिक्षत किया है।

तीसरे–कुश्ती प्रशिक्षक, हरियाणा के निवासी हैं।

समस्त प्रशिक्षक क्रीड़ा संस्थान, पटियाला से प्रशिक्षित हैं और क्वालीफाइड हैं। केवल साईकिलंग का प्रशिक्षक राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, पटियाला से प्रशिक्षित नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, पटियाला या भारत में कहीं भी इसका प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। इनके ट्रेनीज राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय स्तर पर बहुत अच्छे रहते हैं तथा स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक बराबर हर वर्ष प्राप्त किये हैं।

(2) बाहर के तीनों प्रशिक्षकों की नियुक्तियां सन् 1964 (हाकी), 1967 (वालीबाल), 1971 (कुश्ती) में नियमानुसार की गई थी। पूर्ण जानकारी एकत्रित करके प्रस्तुत करने में काफी समय लगेगा, क्योंकि सारे सम्बन्धित रिकार्ड्स, सन् 1964 से पहले के भी आवेदन-पत्र देखने पड़ेंगे। इसके लिये परिषद् को लिखा जा रहा है।

(3) परिषद् में 6 महिला प्रशिक्षिका कार्य कर रही हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है। ये सब राजस्थान की हैं अलावा नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, पटियाला द्वारा प्रतिनियुक्त प्रशिक्षिका के:-

क्र. सं.	खेल का नाम	योग्यता
1.	एथलेटिक्स	एन. आई. एस. प्रशिक्षित (द्वितीय श्रेणी) बी. ए.।
2.	स्वीमिंग	एन. आई. एस. प्रशिक्षित (तृतीय श्रेणी), Leipzing पूर्वी जर्मनी से प्रशिक्षित जो कि विश्व में बहुत प्रसिद्ध प्रशिक्षण केन्द्र हैं, एम. ए.।
3.	वालीबाल	एन. आई. एस. प्रशिक्षित (तृतीय श्रेणी), प्रथम वर्ष टी.डी. सी.।
	परिषद् की अल्पकालिक प्रशिक्षिका:-	
1.	योग	बी. एड., योगा ट्रेन्ड
2.	हाकी	प्रेक्टिकल में एन. आई. एस. प्रशिक्षित। 15-5-77 से 30-9-77 तक केवल।

इनकी नियुक्ति माह मई-जून में आयोजित केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर, माउन्ट आबू के लिये जरूरत पड़ने पर की गई थी तथा बाद में महिला विद्यालयों की प्रधानाध्यापिकाओं की मांग पर तथा परिषद् से राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, पटियाला की हाकी प्रशिक्षिका का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण इन्हें

Page No 50

(50)

(शिक्षा मंत्री)

अस्थायी रूप से केवल 30-9-77 तक ही रखा गया है।

एन. आई. एस. की प्रशिक्षिका:—

जिम्नास्टिक	इनकी नियुक्ति एन. आई. एस. करती है अतः योग्यता का विवरण एन. आई. एस. के पास ही है।

महिला प्रशिक्षिकाओं के चयन के आधार

1. कोई भी प्रशिक्षिका राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, पटियाला का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होनी चाहिये या किसी अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की।

2. पर्सनलिटी अच्छी होवे।

3. शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होवे।

4. शैक्षणिक योग्यता कम से कम हायर सैकण्डरी होनी चाहिये जो कि राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की हो।

5. विचार व्यक्त करने की क्षमता, खेल मैदान पर और कक्षा में प्रेक्टिकल एवं थ्योरी दोनों क्षेत्रों में होनी चाहिये।

6. खेल-कूद में रुचि व जानकारी।

(4) वर्तमान में जो महिला प्रशिक्षिकाएं कार्य कर रही हैं उनके अलावा एन. आई. एस. द्वारा समय-समय पर और भी प्रशिक्षिकाएं भेजी जाती रही हैं व स्थानान्तरित की जाती रही हैं।

महिला प्रशिक्षिकाओं ने जिन बालक-बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया है उनकी संख्या हजारों में जावेगी जिसका विवरण तैयार करने में समय लगेगा। वास्तविक संख्या सूची भेजने हेतु परिषद् को लिखा जा रहा है।

(5) प्रशिक्षकों को उनका वेतन व टी. ए., डी. ए. दिया जाता है। उनको अलग से और कोई धन देने का प्रश्न उठता ही नहीं क्योंकि परिषद् कोचिंग का सारा व्यय वहन करती है। विशेष कोचिंग के कार्य के हेतु उन्हें कभी-कभी अग्रिम राशि दी जाती है। जिसका हिसाब वे परिषद् को प्रस्तुत कर देते हैं। वेतन व टी. ए., डी. ए. राशि का ब्यौरा देने हेतु परिषद् को लिखा जा रहा है क्योंकि यह हिसाब 10 वर्ष का होगा।

रैन बिल कब्ज जमीन के खाते

55. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रैन बिल कब्ज जमीन के कितने खाते जिला टोंक में हैं ?

(2) कितने खातों की दुरुस्ती करवा ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) अवधि पर कितने खातों पर कब्जा दिला दिया जायेगा और कब तक ?

उत्तर

(1) टोंक जिले में ऐसे खातों की संख्या 1,489 है।

(2) अभी इन खातों की दुरुस्ती नहीं करवाई जा सकी है।

(3) इनमें से अधिकतर खातों के बाबत विशेष राजस्व अभियान के अन्तर्गत कब्जा दिलाने का प्रयास किया जावेगा।

सिरोही जिले में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के कर्मचारी

56. **श्री रघुनन्दन व्यास** (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सिरोही जिले में विभागों में अनुसूचित जाति के एवं जन-जाति के कितने कर्मचारी सेवारत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उनमें से अधिकांश का स्थायीकरण, 1964 से नहीं हुआ है जिससे उनमें से कुछ की वरिष्ठ लिपिक के पदों पर पदोन्नति नहीं हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि एक अनुसूचित जाति के वरिष्ठ लिपिक की पदावनति की गई थी और उसे उच्च न्यायालय ने 4-10-68 को अवैध घोषित किया था ? क्या उसे 1965 से भुगतान हो गया है ? यदि-नहीं, तो जो दोषी अधिकारी हैं उन के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या आगे पदोन्नत करते वक्त अनुसूचित जाति के लिपिकों का यथेष्ट ध्यान रखा गया है ?

(5) क्या यह भी सही है कि अधिकतर विभागीय कार्यवाही अनुसूचित जाति वाले कर्मचारियों के ही खिलाफ हुई है ? और उनकी पदोन्नति नहीं की गई है ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले के राजस्व विभाग में अनुसूचित जाति के 35 एवं जन-जाति के 17 कर्मचारी सेवारत हैं।

(2) यह सही नहीं है। समस्त अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के कर्मचारियों का स्थायीकरण विभिन्न पदों पर 1974 तक हो चुका है। जो भी अनुसूचित जाति व जन-जाति का कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक की योग्यता वाला था उसे यथावत् पदोन्नत किया गया है।

(3) हां, यह सही है कि एक अनुसूचित जाति के वरिष्ठ लिपिक की पदावनति की गई थी जिसे उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 4-10-68 द्वारा अवैध घोषित किया था उस व्यक्ति को इस कार्यालय आदेश संख्या संस्या/स्था/1345, दिनांक 21-8-71 से, दिनांक 1-4-66 से 27-8-69 तक कनिष्ठ लिपिक के पद का वेतन भुगतान करने के आदेश होने से भुगतान किया जा चुका है।

इस मामले में सम्बन्धित लिपिक द्वारा वरिष्ठ लिपिक का वेतन मांग करने पर मामले की पुनः जांच जिला कोषाधिकारी, सिरोही से करवाई गई है जो अभी तक अवकाश पर हैं। कार्यभार सम्हालने पर निर्णय लिया जावेगा।

(4) पदोन्नति रोस्टर प्रणाली के अनुसार दी जाती है।

(5) यह सही नहीं है। जो भी कर्मचारी दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही होती है। पदोन्नति नियमानुसार दी जाती है।

जयपुर जिले में अलॉट की गई भूमि के कब्जे

57. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर जिले में 1975 से पहले हुए अलॉटमेन्ट में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनको

Page No 52

(52)

(श्री रामकरण सिंह)
आज तक भूमि का कब्जा नहीं दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अलॉट की हुई जमीन पर कितने मामलों में मुकद्मे चल रहे हैं ?

(3) केसेज का फैसला होने पर भी लोगों को कब्जा नहीं दिया गया। इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में 1975 से पहले हुए अलॉटमेन्ट में 125 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अभी तक भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है। सूची संलग्न है।

(2) अलॉट की हुई जमीन में से 259 मामलों में विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे विचाराधीन हैं।

(3) ग्राम वासना के 36 व्यक्तियों को सन् 1975 के पूर्व आवंटन हुआ था। आवंटन के विरुद्ध अपील को खारिज करने का निर्णय राजस्व अपील अधिकारी ने दिनांक 19-5-73 को दिया परन्तु आवंटियों को कब्जा नहीं दिया जा सका है क्योंकि ग्रामवासी कब्जा देने का विरोध कर रहे हैं। अब विशेष राजस्व अभियान के तहत इस मामले को निपटाने हेतु जिलाधीश कार्यवाही करेंगे।

73 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने भूमि मौके पर काबिल काश्त नहीं होने से कब्जा नहीं लिया है। 5 अन्य व्यक्तियों के मामलों में अपील से स्टे होने के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका। 11 व्यक्तियों के और मामले ऐसे हैं जिनमें अभी कब्जा नहीं दिया गया परन्तु अब विशेष राजस्व अभियान के तहत दे दिया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

गिरवा तहसील के कृषकों को राहत

58. **श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर** (करासन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गिरवा तहसील में कौन-कौन से गांवों में 90 साल से पुराने कब्जे की कितनी कितनी जमीन है जिस पर किसानों ने कुए खोद लिये हैं और फिर भी उनके खाते नहीं बदले जा रहे हैं और वे उस जमीन पर खेती कर रहे हैं ? किसानों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार दस साल से पुरानी जमीन जिनके कब्जे में है उनका खाता उनके नाम कराने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

(3) क्या यह सही है कि कई गांवों में पुराने बिकाव के जागीरी रिजम्पशन के पहले के खेत भी हैं और उन पर कब्जा भी है और उन पर कुए भी खोद दिये हैं फिर भी उनको तंग कर रखा है और उन पर झूठे मुकदमे चला रखे हैं ? क्या राज्य सरकार उनको राहत प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) ऐसा कोई मामला राजस्व रिकार्ड के आधार पर नहीं पाया गया है।

(2) राज्य सरकार ने दिनांक 14-4-77 को यह आदेश जारी किये हैं कि जिन लोगों का 1-7-75 तक का कब्जा

(राजस्व मंत्री)
बिला नाम सिवाय चक अथवा गैर मुमकिन मगरा या पड़त भूमि पर अतिक्रमण है उनके अनधिकृत कब्जों को नियमित करने की कार्यवाही की जावे ।

(3) ऐसे कोई मामले जिलाधीश ने रिकार्ड पर नहीं बताए ।

केशवराय पाटन क्षेत्र में कुओं का निर्माण

59. श्री गोपाल (पाटन): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, केशवराय पाटन क्षेत्र में जितने गांव पड़ते हैं उनमें पंचायत समिति द्वारा दी गई राशि से कुओं का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो निम्न प्रकार विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें:

(i) कुल कितने कुए किस-किस गांव में पूर्ण हो चुके हैं और अपूर्ण स्थिति में कितने हैं ?

(ii) अपूर्ण कुओं पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

(iii) अपूर्ण कुओं को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? तथा अब तक पूर्ण नहीं होने का कारण क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला बूंदी पंचायत समिति क्षेत्र, केशवराय पाटन में पंचायत समिति के सेवारत कर्मचारियों के मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो निम्न विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(i) कुल कितने कर्मचारियों के कितने समय से कितनी राशि के कितनी संख्या में मेडिकल बिल पैन्डिंग हैं ?

(ii) अब तक भुगतान नहीं होने का कारण तथा भुगतान कब तक होगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला बूंदी, ग्राम आलोत के भूतपूर्व सरपंच, श्री बाबूलाल जैन ने अपने को भूमिहीन बताकर ग्राम मुघासा ढ़ावला में साढ़े आठ बीघा भूमि रेगुलराइज करायी थी ? यदि हां, तो वह जमीन उसके पास है या किसी को बेच दी और अगर बेच दी तो सरकार ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या यह भी सही है कि श्री बाबूलाल जैन, भूतपूर्व सरपंच ने 1961 से 1964 के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए श्री सरदा लाल जैन, श्री पूरनमल जैन व श्री रामकिशन काबरा, ग्राम आलोत के पास इनकी खाते की निजी भूमि होते हुए भूमिहीन मानकर कुछ भूमि रेगुलराइज करवाई थी ? यदि हां, तो इन व्यक्तियों के पास निजी खाते की भूमि कितनी थी और राज्य सरकार ने इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी नहीं । पंचायत समिति, केशवराय पाटन में कुल 165 ग्रामों में से केवल 90 ग्रामों में पीने के पानी के कुओं के लिए अनुदान की राशि दी गई है जिसमें से 42 ग्रामों में 44 कुए अपूर्ण हैं । इन अपूर्ण कुओं पर 58,475/–

(पंचायत मंत्री)

रु. की राशि व्यय की गई है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) जी हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) जी नहीं। दिनांक 29-4-67 को तत्कालीन उप-जिलाधीश ने श्री श्रृद्धा लाल पुत्र किशनलाल के नाम 10 बीघा 14 बिस्वा, श्री पूरन मल पुत्र किशन लाल के नाम 7 बीघा 10 बिस्वा, बाबूलाल पुत्र केशरीलाल के नाम 8 बीघा 19 बिस्वा, श्री रामकिशन पुत्र राम नारायण के नाम 7 बीघा 10 बिस्वा नियमन किया है। जमाबन्दी सम्वत् 2017 से 2022 के अनुसार श्री पूरनमल के नाम 8 बीघा 4 बिस्वा, बाबूलाल के नाम 75 बीघा 8 बिस्वा व श्रृद्धालाल के नाम खाते में 17 बीघा 3 बिस्वा व श्री रामकिशन के नाम 48 बीघा 3 बिस्वा भूमि थी। नियम विपरीत किये गये उपरोक्त नियमन के लिए सरपंच को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। नियम विपरीत नियमन को निरस्त कराने के लिए राजस्व विभाग को लिखा जा रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री नवनीत पालीवाल द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री नवनीत पालीवाल : यहां सवाल उठ रहा था एक विमान को क्रय करने में भ्रष्टाचार का। एक माननीय सदस्य, श्री शिव चरण सिंह ने कहा कि भैंस को गाली देते हैं कि भैंस को पूंछ काली। उन्होंने भ्रष्टाचार किया या नहीं, लेकिन मुझ पर जो आरोप लगाया उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कोई जमीन नहीं हड़पी, एक इंच जमीन भी नहीं हड़पी। मुख्य मंत्री चाहें तो जांच कर लें। मैं प्रत्येक दंड के लिए प्रस्तुत हूं।

श्री शिव चरण सिंह : जांच की बात थी। माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमारे खिलाफ जांच होनी चाहिए। आज ही 'नवज्योति' में समाचार छपा है, जिसमें लिखा है कि माननीय सदस्य ने स्काउट्स गाइड्स के नाम से जमीन...

(व्यवधान)

सुनिए मेरे आरोप को....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कुछ भी कहेंगे, रिकार्ड में नहीं लिखा जाएगा।

श्री शिव चरण सिंह : (××××)

श्री उपाध्यक्ष : आपका कोई भी शब्द सदन की कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा।

श्री शिव चरण सिंह : (× × ×)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री मदन सिंह सदस्य, विधान सभा की ओर से सैनिक स्कूल, चित्तोड़गढ़

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 55

(55)

(श्री उपाध्यक्ष)

में छात्रों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं के विषय में ।

(2) सर्व श्री समरथ लाल, शिव चरण सिंह व नूरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजगढ़ (अलवर) में गत 23 सितम्बर से करीब 1,400 छात्रों द्वारा कामर्स विषय न खोले जाने पर की जा रही हड़ताल के विषय में ।

(3) श्री प्रद्युम्न सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी शहर में सरकारी हायर सैकण्डरी स्कूल के प्रिंसिपल के तबादले को लेकर छात्रों द्वारा की जा रही हड़ताल के विषय में ।

(4) सर्व श्री रघुनाथ विश्नोई, रतनाराम चौधरी व सूरजपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम सांकल, तहसील सांचोर, जिला जालौर में सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर नाजायज कब्जों की कोशिश के विषय में ।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

(5) सर्व श्री जगतार सिंह, दूला राम, रिड़मल सिंह व वृद्धिचन्द्र जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से करणपुर में नगरपालिका के अध्यक्ष की अनियमितताओं के विरुद्ध एक व्यक्ति द्वारा किये जा रहे आमरण अनशन के विषय में ।

यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है । मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(व्यवधान)

बहुत से स्थगन प्रस्तावों के बारे में मेरे पास जानकारी आ भी चुकी है । उन माननीय सदस्यों को सूचना भी दे दी गई है । मेरे लिए यह संभव नहीं होगा कि मैं एक-एक स्थगन प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होने दूं ।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मदन सिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर घटनायें हो रही हैं । सैनिक स्कूलों में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : उन कारणों की जानकारी प्राप्त करूंगा ।

(व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : मैंने 24 तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया था । जैसा आप कहा करते हैं, आपसे चेम्बर में भी मिला था । उसके बाद भी पता नहीं लग रहा है कि मेरा प्रस्ताव कहां है ? किसी तरह की सूचना मुझे यहां भी नहीं मिली, वहां भी नहीं मिली ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सूचना आ चुकी है उसके बारे में सचिव महोदय से मिल लें । जब आप चेम्बर में पधारे थे तो जो आवश्यक जानकारी थी, मैंने आपको दे दी थी ।

Page No 56

(56)

श्री रामकरण सिंह : आपने कहा था, जानकारी की जा रही है। मैंने सचिवालय में तलाश की। सचिवालय से कुछ मालूम नहीं हो पाया है। कम से कम यह तो मालूम हो कि आपने स्वीकार किया है, राज्य सरकार को भेजा है या अस्वीकार किया है। आसन से जो आदेश मिलेंगे उनका मैं पालन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा प्रस्ताव है ?

श्री रामकरण सिंह : जयपुर और संझाय दोनों तरफ फेंसिंग लगाई जा रही है। जो शर्तें दी हैं उनमें से एक भी शर्त ठेकेदार नहीं मान रहा है। गबन हो रहा है और सरकार द्वारा रोका नहीं जा रहा है।

इस स्थगन प्रस्ताव को रोकने में आपके सचिवालय की किसी तरह की मेलाफाइड इन्टेंशन है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके साथ मुझे पूरी सहानुभूति है।

श्री शिव चरण सिंह : आप कृपा करके सैनिक स्कूल के बच्चों के बारे में..

श्री उपाध्यक्ष : मैंने लिखा है अविलंब जानकारी के लिए।

श्री शिव चरण सिंह : मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं, वे भी आपके ही बच्चे हैं...

श्री श्योपत सिंह मकासर : हम यहां लगातार ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देते हैं और स्थगन प्रस्ताव देते हैं, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से....

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : मेरे भी 3–4 स्थगन प्रस्ताव हैं। हम सयंम में रहते हैं। जब एक सदस्य बोलने लगता है तो 3–4 खड़े हो जाते हैं, कभी बैठते नहीं।

(व्यवधान)

श्री नूरा (मसूदा) : मेरे स्थगन प्रस्ताव की भी जानकारी नहीं आई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बिराजिये। कृपया मुझको भी बोलने की अनुमति दीजिये।

आप सभी सदस्य अपनी-अपनी समस्यायें रखना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि सभी का जवाब आ जाये। सभी चाहते हैं कि हमारे जो भी काल अटेन्शन मोशन हैं या स्थगन प्रस्ताव हैं वह सभी सदन में आ जायं। अगर सभी स्थगन प्रस्ताव या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सदन में जानकारी दूं तो उसमें बहुत समय लगेगा और मैं समझता हूं हमारे सदन का समय भी कम होगा। मैंने आपके ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्तावों को जानकारी प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार को भेजा है। कई प्रस्तावों की जानकारी प्राप्त हुई भी है जिनकी सूचना मैंने माननीय सदस्यों को दे भी दी है। कई स्थगन प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त की जा रही है, कइयों में क्या हो रहा है यह भी बताने के लिये सचिवालय में सुविधा की गयी है। अगर आप चाहें तो सभी के बारे में क्या कार्यवाही अब तक हुई है, आपके स्थगन प्रस्ताव व ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की क्या स्टेज है उसका चार्ट तैयार करवा कर लावी में लगवा दूं ताकि माननीय सदस्यों को जानकारी रहे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि पार्लियामेन्ट ग्रौर राज्य सभा में ऐसी व्यवस्था है कि हर रोज एक काल ग्रटेंशन मोशन या एक एडजोर्नमेन्ट मोशन डिस्कस होता है। उसी तरह की नीति ग्रगर यहां पर ग्रपना ली जाय तो मैं समझता हूं काफी दिक्कत कम हो सकती है। ग्रभी मुख्य मन्त्रीजी यहां बिराजे हुए हैं ग्राप चाहें तो इनसे ग्रपने चेम्बर में या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय करालें। नहीं तो इतने दिन हाउस चला है इसमें सिर्फ तीन चार स्टेटमेन्ट सरकार की तरफ से ग्राये हैं। बाकी खास खास मुद्दों पर कोई स्टेटमेन्ट नहीं ग्राये हैं। हम यहां पर जो ध्यान ग्राकर्षण प्रस्ताव या एडजोर्नमेन्ट मोशन देते हैं तो वह सिर्फ इसलिये देते हैं कि राज्य सरकार को सही स्थिति का पता लगे। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि ग्राप इन्हें ताड़ना नहीं देते हैं। यह जवाब देते नहीं हैं ग्रौर बैठे रहते हैं। हमें तो कभी कभी ग्रांख दिखा देते हैं। पर इन्हें कुछ नहीं कहते हैं। कल सदन समाप्त होने वाला है, हम सभी लोग ग्रपने ग्रपने क्षेत्र में चले जायेंगे ग्रौर जो प्राबलम्स हैं वह वहीं की वहीं रह जायेंगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि कल सदन समाप्त होने के पहले ग्राप दो स्टेटमेन्ट जरूर दिलवा दें राज्य सरकार की तरफ से।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से राज्य सभा में ग्रौर लोक सभा में एक एक एडजोर्नमेन्ट मोशन या ध्यान ग्राकर्षण प्रस्ताव ग्राता है उसी तरह की प्रक्रिया यहां पर लागू की जाय तो काफी समस्या का समाधान हो सकता है। मैं समझता हूं कि ग्रगर ग्राप इस तरह की प्रक्रिया यहां पर चालू करा दें तो सभी माननीय सदस्य राजी हो जायेंगे। नहीं तो सिर्फ ज्युडिशियल इन्क्वायरी बैठाने से ग्रौर कोई कमीशन बैठाने से जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला है। ग्राप तो राज्य सभा ग्रौर लोक सभा की तरह प्रक्रिया लागू करा दें। इसके लिये ग्राप मुख्य मन्त्रीजी से ग्रपने चेम्बर या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय कर लें। इससे, श्रीमन्, काफी समस्या का हल हो जायेगा।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर पहले स्थगन प्रस्तावों के बारे में ऐसी व्यवस्था रही है कि माननीय सदस्य ग्रपने ग्रपने स्थगन प्रस्तावों पर दो-दो मिनट बोल कर राज्य सरकार का ध्यान ग्राकर्षित कर सकते हैं। इस बारे में बार-बार व्यवस्था देने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है। ग्रापने दो तीन बार इस बारे में व्यवस्था दे दी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया था पर उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप बिराजिये मैं ग्रापकी भावनाग्रों को समझ गया हूं।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, काफी स्थिति गम्भीर हो रही है। पूरे राजस्थान में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्राप विराजिये।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी, जो कि यातायात मन्त्री भी हैं, से ग्राप स्टेटमेन्ट दिलवायें। पूरे राजस्थान में रोडवेज की हड़ताल हो रही है, चक्के जाम किये जा रहे हैं।

Page No 58

(58)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आपने इस बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है, मन्त्रीजी यहां बैठे हैं यह उनकी भी समस्या है। मैं इस पर गौर करूंगा और नियमों के अनुसार जो भी कार्यवाही हो सकेगी मैं करूंगा। आप बिराजिये।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में रोडवेज की हड़ताल हो रही है। चक्के जाम हो रहे हैं।

श्री शिवचरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ में दो बच्चों ने सैनिक स्कूल में आत्म हत्या कर ली है वहां के प्रिंसिपल से दुखी होकर। इस पर तो राज्य सरकार का स्टेटमेन्ट होना चाहिये।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोडवेज की हड़ताल से राज्य सरकार को भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि एक तो रोडवेज के चक्के जाम हो गये हैं, दूसरे छात्रों को यह प्राइवेट आपरेटर्स लड़ा रहे हैं ताकि प्राइवेट आपरेटर्स के रूट्स को नेशनलाइज नहीं किया जाय। राज्य सरकार की जो नीति है कि नेशनलाइजेशन आफ रूट्स किया जाय उसकी उपेक्षा हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। यातायात मन्त्रीजी यहां पर बैठे हैं। वह भी इस बारे में चिंतित हैं। वे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस बारे में जो भी आवश्यक कार्यवाही करनी होगी वह करेंगे।

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह जानकारी का सवाल नहीं है यह बहुत ही महत्वपूर्ण अहम मसला है।

(व्यवधान)

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह अहम मासला है। इसके बारे में शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। महिला सदस्या बोलना चाहती है। आप बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय; चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल में दो लड़कों ने प्रिन्सिपल से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। इसके लिये मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगी कि कल इसके बारे में सदन में स्टेटमेन्ट मन्त्री महोदय दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ कहने से और समझाने से यह समझने वाले नहीं हैं। आप इन्हें ताड़ना दीजिये।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ में दो लड़कों ने जो सैनिक स्कूल में आत्म हत्या की है वह बहुत ही अहम मसला है। वह बच्चे झुंझुनू जिले के हैं। इससे उस जिले के लोगों में भारी असन्तोष है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, दो आत्म हत्याएं हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बार-बार कह रहे हैं। आप बिराजिये।

श्री शिवचरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सैनिक स्कूल में जो दो आत्म हत्यायें हुई हैं उसके लिये आप पाबन्द कीजिये मन्त्री महोदय को कि स्टेटमेन्ट दें। हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं आप के कहते ही बैठ जायेंगे। पर आप राज्य सरकार को पाबन्द करें कि वह स्टेटमेन्ट दे।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मन्त्री महोदय महसूस करेंगे तब होगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह मन्त्रीजी तो महसूस करते ही नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, रोडवेज़ के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। हम आये दिन इसके बारे में अखबारों में पढ़ रहे हैं। यह पिछले 5-6 दिन तक लगातार चल रही है और दिनों दिन बढ़ रही है। पिछले एक हफ्ते से यह समाचार आ रहा है कि रोडवेज के कर्मचारी चक्का जाम कर रहे हैं। यह एक बहुत ही पब्लिक इम्पोर्टेन्स का मामला है और सार्वजनिक इम्पार्टेन्स का मामला भी है। इस पर राज्य सरकार को विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

इसके अलावा चित्तौड़गढ में सैनिक स्कूल के दो बच्चों ने आत्म हत्यायें की हैं इस बारे में सदन के माननीय सदस्यों को भारी चिन्ता है। सैनिक स्कूल में जो लड़के भर्ती होते हैं वह आगे जाकर देश के रक्षक होते हैं। वह लड़के बहुत ही मजबूत दिल के होते हैं। जब मजबूत दिल के लड़के आत्म हत्या करते हैं तो मन में यह ख्याल आता है कि ऐसी क्या बात हुई कि जिसके कारण उन लड़कों को आत्म हत्या करनी पड़ी। इस संबंध में माननीय सदस्यों में काफी व्यग्रता है और अपनी प्रतिक्रिया भी उन्होंने यहां व्यक्त की है।

यह पब्लिक इम्पार्टेन्स के मामले हैं। इन दोनों मुद्दों पर या तो आपके चेम्बर में मुख्य मन्त्री जी से बात कर लें या आप कोई व्यवस्था करें जिससे इन पर सदन में स्टेटमेन्ट हो जाये।

श्री केदारनाथ (यातायात मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भर में हड़ताल नहीं चल रही है सिर्फ हनुमानगढ़ में हड़ताल चल रही है। वहां पर विद्यार्थियों और रोडवेज कर्मचारियों के बीच झगड़ा हो गया था ....

श्री कौशलकिशोर जैन : भीलवाड़ा में भी हड़ताल चल रही है।

श्री केदारनाथ : तो, मान्यवर, हनुमानगढ़ में जो हड़ताल चल रही थी उसकी सहानुभूति में चूरू और दूसरी एकाध जगह हड़ताल हुई है। आज मेरे पास दोनों पक्ष के नेता पहुंच गये हैं। मेरे ख्याल से कोई न कोई सोल्यूशन निकल जायेगा और हड़ताल समाप्त हो जायेगी।

एक माननीय सदस्य : चित्तौड़गढ के बारे में।

श्री खेतसिंह राठोड़ : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर दो आत्म हत्यायें हो चुकी हैं। पांच सात आत्म हत्यायें और हो सकती हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भी कर लो।

श्री खेतसिंह : हम तो नहीं करेंगे। हम तो आपके सामने रखेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ के अन्दर जो आत्म हत्यायें सैनिक स्कूल में हुई हैं उनके बारे में कल हाउस में स्टेटमेन्ट दे दिया जायेगा ।

दूसरी बात यहां पर माननीय सदस्य यह बार बार कहते हैं कि लोक सभा और राज्य सभा में जिस तरह की प्रक्रिया है उसी तरह एक स्टेटमेन्ट रोजाना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या एडजोर्नमेन्ट मोशन पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाये । जिस प्रकार की प्रक्रिया लोक सभा और राज्य सभा में है, उस प्रकार की प्रक्रिया यहां पर अपनाई जाय । मैं इसका स्वागत करता हूं कि राज्य सभा और लोक सभा की प्रक्रिया को यहां पर भी अपना लिया जाय, इससे निश्चित रूप से समय बचेगा और जिन मुद्दों पर वाद-विवाद उठाना चाहेंगे, उनके साथ न्याय होगा और समस्या का हल भी होगा । इस तरह से बोलना चाहेंगे तो किसी प्रकार से किसी समस्या का हल नहीं होगा ।

बार-बार माननीय खेतसिंह जी कहते हैं कि सत्तारूढ़ दल को ताड़ना दी जाय । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब वे मंत्री थे और चीफ व्हिप थे तो बार-बार चेयर से उनको ताड़ना पड़ती थी इसलिये यह कहने की उनकी आदत सी पड़ गयी है कि सत्तारूढ़ दल को ताड़ना दी जाय । ताड़ना की आवश्यकता नहीं है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह सवाल उठता है कि इस सेशन में काल अटेन्शन मोशन का जवाब नहीं आया तो फिर आने वाला नहीं है ।

श्री केदारनाथ : मैंने जवाब दिया है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमारा यह मकसद होता है काल अटेन्शन मोशन और स्थगन प्रस्ताव देने का कि राज्य में घटित किसी भी लोक महत्व की घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करें और सरकार से आप जवाब तलब करें । लेकिन जब उनका जवाब नहीं आता है तो हमारे लिये और राज्य सरकार, दोनों के लिये एक समस्या बन जाती है । अलवर में किसान सभा के व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठे हैं । लिखित में दे देते हैं फिर भी कोई एक्शन नहीं होता है । विधान सभा में उठाये तो कोई जवाब नहीं आता है । कितने ही काल अटेन्शन मोशन दिये, चाहे अलवर में हो रही भूख हड़ताल के बारे में हो, चाहे विद्युत् के मिनिमम चार्जेज के बारे मे हो लेकिन जवाब न आने पर हमारे पास और कोई साधन नहीं । इधर लोग परेशान हो रहे हैं और उधर कोई जिम्मेदारी नहीं समझी जा रही है । कल सदन स्थगित हो रहा है । इससे पहले कि यह सदन स्थगित हो जितने भी सवाल आये हैं, उनका जवाब दें । जिन जिन माननीय मंत्री महोदय से सम्बन्धित सवालात हैं उनका वे जवाब दे दें कि अमुक का समाधान किया गया है अथवा नहीं, इसकी सदन को जानकारी दे दे तो सब के फायदे की बात होगी । विद्युत् मंत्रीजी का जवाब आये, अलवर में भूख हड़ताल इस मामले को लेकर हो रही है ।

श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : मैं यह निवेदन कर रहा था

व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम कृष्णदान गुप्ता (कोलायत) का जनता पार्टी से त्याग-पत्र

श्री शंकरलाल : एक व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय ।

(श्री **शंकरलाल**)

नियम 4 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परम्परा रही है कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य उधर बैठते हैं और विरोधी दल के और निर्दलीय माननीय सदस्य इधर बैठते हैं। जनता पार्टी के माननीय सदस्य, जो कोलायत से आते हैं, श्री रामकृष्णदास जी गुप्ता ने जनता पार्टी की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है । क्या उन्होंने आपको इसके सम्बन्ध में सूचित किया है ? चैंबर की ओर से ही सब माननीय सदस्यों को सूचना आती है और दूसरी तरफ उनको बैठने का आदेश दिया जाता है। उनके लिये आपने क्या व्यवस्था की है ? साथ ही उन्होंने आपको क्या जानकारी दी है ? इसके सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा ।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, उचित तो यह होता .....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य .....

श्री **शंकरलाल** : कोई उठा सकता है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि सम्बन्धित आवेदन-पत्र उन्होंने सचिव महोदय के पास प्रस्तुत किया था और जब पत्र मेरे पास प्रस्तुत हुआ तो मैंने यह उचित समझा कि मैं पहले इस बात के लिये आश्वस्त हो जाऊं कि उन्होंने हस्ताक्षर किये हैं या नहीं। माननीय सदस्य चेम्बर में मिल लें, यह निश्चित किया गया । कल वे मिल लिये हैं । उनसे पूछताछ कर ली है । इस पर मैं शीघ्र ही निर्णय दे दूंगा ।

श्री **मूलचन्द डागा** : उन्होंने जनता पार्टी छोड़ तो दी है न ?

श्री **उपाध्यक्ष** : इस समय मेरे पास वह पत्र नहीं है । क्या उसमें वरवेटिम लिखा हुआ है वह मेरे पास नहीं है ।

श्री **मूलचन्द डागा** : क्या कारण बताया है जनता पार्टी छोड़ने का ?

श्री **उपाध्यक्ष** : उस पत्र की इबारत मुझे याद नहीं है ।

श्री **शंकरलाल** : आपको स्वयं को कह दिया है कि जनता पार्टी छोड़ दी है। आप चाहें तो व्यवस्था दे सकते हैं ।

श्री **उपाध्यक्ष** : समय नहीं मिला । खेद प्रकट करता हूं ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री **रामरघुनाथ** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उदयपुर युनिवर्सिटी में कल ही मारपीट हुई है। मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । आपने कहा कि जवाब आया नहीं है। कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो फर्माया उसके लिये मैं आभारी हूं और स्वागत करता हूं । उससे मैं संतुष्ट हूं । उसके दूसरे भाग के लिये आपने इजाजत नहीं दी थी । वहां के डीन हैं उन्होंने कुछ स्टूडेन्ट्स को सस्पेण्ड कर दिया है, एक्सपेल कर दिया है। अक्टूबर में इम्तिहान हो रहे हैं । आपने इस पर व्यवस्था नहीं दी । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फर्माया उसके साथ यह फर्मादें कि उनके सस्पेन्शन के आदेश तुरन्त निरस्त किये जावेंगे ।

श्री केदारनाथ (गृह मंत्री) : मेरी कल ही बात हुई है। एक्जामिनेशन स्थगित कर दिये गये है। जिनका सस्पेन्शन किया है और जिनको एक्सपेल करने के लिये आदेश दिये हैं उनके बारे में दो दिन में जवाब आ जावेगा। कमेटी बिठायी है।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। उसका जवाब नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष : सब ही के लिये मैंने कह दिया था।

श्री समरथलाल : मैंने प्रस्ताव दिया था, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा मर्डर के केस को विथड्रा किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपका जो स्थगन प्रस्ताव आया है वह अस्पष्ट है। उसकी लैंग्वेज से कोई आशय नहीं निकलता है इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया है।

श्री अयूब खाँ (तिजारा) : मैंने ट्रेनिंग स्कूल के लिये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। वह खस्ता हालत में है। कहीं आमेर जैसी घटना न हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस प्रकार की घटना न घट जाय।

श्री समरथलाल : मेरा प्रस्ताव था कि मर्डर केस को विथड्रा किया जा रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका प्रस्ताव मिल गया। लेकिन वह बिलकुल अस्पष्ट है। उसका आशय नहीं मालूम किया जा सकता है। अतः यदि आप दुबारा स्पष्ट भाषा में अपने आशय को दर्शाते हुए दें तो उस पर विचार किया जा सकता है। जब मैं स्वयं ही कोई अर्थ नहीं निकाल सकता आपकी अस्पष्ट भाषा से तो अपनी राय क्या दूंगा।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र, प्रतिवेदन एवं लेखें

अब सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

माननीय श्री सम्पतराम, विद्युत् मंत्री, इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 61 (3), धारा 75 (1) एवं धारा 69 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल के निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखें आदि सदन की मेज पर रखेंगे :

(1) आय-व्ययक (बजट) अनुमान, वर्ष 1977-78

(2) वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 एवं

(3) लेखा विवरण वर्ष 1975-76

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 61 (3), धारा 75 (1) एवं धारा 69 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल के निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे आदि सदन की मेज पर रखता हूं :

1. आय-व्ययक (बजट) अनुमान, वर्ष 1977-78

2. वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 एवं

3. लेखा विवरण वर्ष 1975-76

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, कल यह सदन स्थगित होने वाला है और आज मुख्य मंत्री जी ने प्रतिवेदन रखा है। अब डिस्कशन का मौका कब मिलेगा ?

श्री **उपाध्यक्ष** : सदन की मेज पर आने दीजिए। देखियें उसको।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : आ गया।

श्री **उपाध्यक्ष** : उसका अध्ययन कीजिए।

अब समाज कल्याण मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की 22वीं रिपोर्ट 1973-74 को सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री **कैलाश मेघवाल** (राज्य मंत्री समाज कल्याण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के आयुक्त की 22वीं रिपोर्ट वर्ष 1973-74 को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री **मूलचन्द डागा** : डिस्कशन कब होगा? यह बताइये।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय वित्त मंत्री राजस्थान वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिये जाने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

श्री **प्रावित्येन्द्र** (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री मूलचन्द जी डागा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि राजस्थान वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

श्री **मूलचन्द डागा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। अब मैं अपना भाषण शुरू करता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : आरम्भ कीजिए।

श्री **मूलचन्द डागा** : उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी अपने घोषणा-पत्र में बराबर यह कहती आई थी और कहती है कि हम शासन का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। जितना काम का विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है उतना ही ज्यादा सख्त शासन हो सकता है और हम लोगों का सहयोग ले सकते हैं। मैंने जब यह बिल पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि 2।। करोड़ की आय को प्राप्त करने के लिए आपने जो कर लगाये हैं उनके लिए आपने यह कहा है कि पिछली सरकार ने इस कर को बन्द करने का निर्णय ले लिया था और अब वापस सरकार उस कर को चालू करना चाहती है। जो नगरपालिकायें राजस्थान में हैं और जो 146 हैं और कुछ और नगरपालिकायें बढ़ाई गई हैं उन सारी की सारी नगरपालिकाओं को अगर यह पावर्स मिलती, यह अधिकार मिलते तो मैं समझता हूं कि नगरपालिकायें इस काम को ज्यादा योग्यता के साथ और सक्षमता के साथ पूरा कर सकती थीं। सारे राजस्थान की नगरपालिकाओं के क्षेत्र में यह टैक्स लगाया जाता

Page No 64

(64)

(श्री मूलचन्द डागा)

और टैक्स लगाने के बाद नगरपालिकायें अपने क्षेत्र का विकास कर पातीं। आपने बताया है अपने भाषण में कि 2 करोड़ 25 लाख रुपया इससे आमदनी होगी। करीब करीब छोटी मोटी 200 म्युनिसिपैलिटीज हैं, उन नगरपालिकाओं को यह अधिकार दे दिया जाय क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारी जो नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति है, कई नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति इतनी चिन्तनीय है और कई नगरपालिकाओं की हालत इतनी खराब है कि वह अपने कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं दे सकतीं। राजस्थान की नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण आज नगरपालिकाओं का जो प्रशासन करने वाली शक्तियां हैं वह जन सेवा के लिए या जनता के लिए आवश्यक सुविधायें उपलब्ध नहीं करा पातीं। अगर हम नगरपालिकाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं तो मैं यह चाहता हूं कि आप जो यह कर लगाने जा रहे हैं इस कर को लगाने का अधिकार नगरपालिकाओं को दे दिया जाय, जयपुर की नगरपालिका या और भी नगरपालिकाओं को दे दिया जाय।

मैं चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी मेरी बात सुनें और वह दूसरों से बातें नहीं करें। उनके विषय पर बहस हो रही है लेकिन मंत्री महोदय दूसरे माननीय सदस्य से बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वह इसका उत्तर नहीं दे पायेंगे। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह मेहरबानी करके मेरी बातें सुनें और दूसरे माननीय सदस्यों से बात नहीं करें। यह व्यवधान पैदा हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय ..

श्री **उपाध्यक्ष** : एक कान आपकी तरफ है और दूसरा कान इनकी तरफ है....

श्री मूलचन्द डागा : हां अब मेरी तरफ ध्यान आकर्षित हुआ है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने 2 करोड़ 25 लाख की आमदनी के लिए जो निर्णय लिया है और जो यह बिल पेश किया है इसके बजाय यह सारे अधिकार नगरपालिकाओं को दे दें तो नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुधर जायगी और आपका खर्चा नहीं होगा।

अब दूसरे मेम्बर आ गये। एक मेम्बर गये और दूसरे आ गये। मंत्री जी को मेरी बात तो सुनने दीजिए।

आज जो डाइरेक्टर्स लगाते हैं उनका खर्चा इतना है कि 2 लाख 34 हजार रुपया हम पे कर देते हैं और 1 लाख 30 हजार अन्य खर्चा है। 96 हजार उनकी तनख्वाह है। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनका खर्चा 3 लाख 97 हजार है और उनकी पे वगैरह का जो खर्चा है वह 12 लाख 73 हजार है और दूसरा खर्चा 2 लाख 50 हजार है। इस प्रकार आपका कुल प्रशासनिक खर्चा 18 लाख 50 हजार रुपये है और आपने दूसरा खर्चा भी बताया है तो कुल आपका खर्च 23।। लाख रुपये प्रशासन का होता है। इसके अलावा जो अपील की सुनवाई होगी, उसके लिये आपको कोर्ट कायम करनी है। श्रीमान्, करों में से आपका प्रशासन पर 23।। लाख रुपया खर्च होगा तो तीस लाख रुपया खर्च होने के बाद क्या बचेगा? मैं एक बात जानना चाहता हूं इस बिल के लाने का उद्देश्य क्या है? सब से पहले राजस्थान में आप चाहते हैं कि समाजवादी समाज की स्थापना करें और बड़े लोगों को नीचे लायें और गरीबों को ऊपर उठायें। आप के शब्द है दीन, दरिद्र, अकिंचन इनको

(श्री मूलचन्द डागा)

ऊंचा लाना चाहते हैं। आपकी भावना को मैं समझ नहीं पाया।

जो आपका सीलिंग एक्ट, राजस्थान अर्बन प्रापर्टीज (रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर) एक्ट, 1973 में निकला था उसके अन्तर्गत आप चाहते थे कि लोग अपनी जमीनें ट्रांसफर न करें, उसका क्या हुआ? उस एक्ट के अन्तर्गत क्या कार्यवाही आपने की? कितनी जमीनें ट्रान्सफर होने से आपने रोकी हैं? कितने लोगों को नोटिस दे रखे हैं? जो जनता पार्टी क्रान्ति की बातें करती है, मैं चार्ज लगाता हूं कि जनता पार्टी सामंतवादी है और पूंजीपतियों की पार्टी है। मुझे यह बताया जाये जो 1973 में एक्ट लागू था, राजस्थान अर्बन प्रापर्टीज (रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर) एक्ट राजस्थान के अन्दर 26-3-73 को लागू कर दिया गया था। आज एक्ट मौजूद है उसको आपने कभी रिपील नहीं किया। उसके अन्तर्गत क्या कार्यवाही की? वित्त मंत्रीजी जब जवाब दें, अपने अधिकारियों का लिखा हुआ जवाब न पढ़ दें। आज मैं प्रश्न आपके सामने रखते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता इस बात को सुने। देश में समाजवाद की बात करने वाले, देश में क्रांति लाने वाले, देश से गरीबी मिटा देने वाले और अन्त्योदय योजना व समग्र क्रांति की बात करने वाले कौनसी समग्र क्रांति ला रहे हैं? मैं कहता हूं, जो कानून बना हुआ है प्रगतिशील उसके अन्तर्गत बड़े-बड़े धनवानों और पूंजीपतियों की भूमि को लिया जा सकता है। मेहरबानी करके बतायें कि राजस्थान अर्बन प्रापर्टीज (रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर) एक्ट के अन्तर्गत आपने कितने लोगों को बाध्य किया कि वे जमीन ट्रांसफर नहीं कर सकते? क्या रिकार्ड है, इस बात को बतायें।

उसके बाद बहुत बड़ा कानून आया, उपाध्यक्ष महोदय, नगर भूमि अधिकतम सीमा (विनिमयन) अधिनियम। इस कानून का हैडिंग है "Urban Land Ceiling (Regulation) Act. यह कानून आपका 9 मार्च, 1976 को लागू हुआ। इस कानून के आधार पर जो बड़े-बड़े लोग हैं उन लोगों की जमीनें आपको ले लेनी थी। मेहरबानी करके यह बताइये कि 9 मार्च, 1976 के बाद एक-डेढ़ साल का समय हो गया, आपकी सरकार आई, तीन महीने पहले, उसके बाद आपने कौनसे ऐसे कदम उठाये जिसके आधार पर उनकी जमीनें कब्जे में ले लीं? जमीनों के लेने के लिये सीलिंग ला लागू करना चाहिये था। आप सामन्तवादियों को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार ने प्रगतिशील कानून बना रखा है उस कानून को लागू करने से हजारों-लाखों लोग, जिनके पास मकान नहीं, रहने के लिये मकान बना सकते हैं। आप मेहरबानी करके बतायेंगे कि जो कानून बना हुआ है उस कानून को क्या आप लागू नहीं कर सकते? जनता पार्टी क्रांति लाना चाहती है और गरीबी को मिटाना चाहती है। लेकिन मेरे ख्याल में जनता में आज असन्तोष बढ़ रहा है। गरीबी और अमीरी का आज अन्तर बढ़ रहा है। आपके पास दो-दो कानून हैं उनके अन्तर्गत मेहरबानी करके आप जमीन को कब्जे में लें। आज स्थिति यह हो रही है कि एक तरफ मंहगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ धरने और अशांति का वातावरण हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपके विभाग ने अर्बन सीलिंग कानून के अन्तर्गत कितनी जमीन

(श्री मूलचन्द डागा)

राजस्थान में किस पूंजीपति से ले ली? आप इसका उत्तर दें। और आप क्या कानून ले कर आ रहे हैं?

आपने जो बजट भाषण पढ़ा था उसमें लिखा था कि भूतपूर्व सरकार ने इस कर को पूर्णतः समाप्त करने का निर्णय लिया था। आप कांग्रेस की तरफ इशारा करते हैं वह कानूनी निर्णय नहीं था। आप बतायें कि इस पर कितना खर्चा होता है और उस खर्चे में कितनी आमदनी करते हैं? मैंने कई बार सदन में कहा था और आज भी कहना चाहता हूं, अगर हमें नगरपालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना है अगर उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करनी है तो यह टैक्स उनको दीजिये। मनोरंजन कर है, वह भी आपने ले रखा है। एक तरफ सारी पावर्स ले लेना चाहते हैं दूसरी तरफ कहते हैं कि विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। इस टैक्स को लेने का क्या प्रोसीजर है? वह लम्बा चौड़ा प्रोसीजर है। यह एक और भ्रष्टाचार का महकमा खुल गया। मुख्य मंत्रीजी ने जब शपथ ली तब भाषण दिया कि भ्रष्टाचार चला गया। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार फैल गया है। भ्रष्टाचार कहीं से जाता है तो कहीं रुकता है।। भ्रष्टाचार कहां रुका है यह वह जान सकते हैं। भूमि एवं भूमि कर को कायम रखते हुए आपने क्या सुझाव दिया? क्या यह प्रगतिशील है? जनता पार्टी जो घोषणा करती है गरीबी मिटाने की, वह पढ़े इस कानून को। इसके आधार पर तीन लाख की भूमि एवं भवन पर टैक्स लगेगा नहीं। एक लाख एक्जेम्प्ट कर दिया जायेगा और एक लाख निकाल कर आपने टैक्स लगाया है। अतः, श्रीमान, मेरा सुझाव है कि एक लाख रुपये तक मूल्य की भूमि एवं भवनों को कर से मुक्त कर दिया जाये। एक तरफ तो भाषण देते हैं कि राजस्थान में 56 पर्सेंट समथिंग गरीबी रेखा के नीचे है, दूसरी तरफ कहते हैं कि 81 पर्सेंट गरीबी रेखा के नीचे है। राजस्थान को भूखा और नंगा छोड़ दिया, आपके मुख्य मंत्री भाषण में कहते हैं। वित्त मंत्रीजी आप क्या कर रहे हैं? आपने जो टैक्स लगाया है इससे धनवानों की रक्षा होगी, सामन्तों की रक्षा होगी, पूंजीपतियों की रक्षा होगी। केवल चालीस लाख रुपया सरकारी नौकरों पर लगाने के लिये महकमा खोल दिया है। मैं चाहूंगा, नगरपालिकाओं को यह अधिकार दिया जाय। नगरपालिकाओं को यह अधिकार दिया जाना जरूरी है। अगर यह अधिकार देंगे तो नगरपालिकायें सक्षम होंगी और नगरपालिकायें ज्यादा ताकत के साथ काम करेंगी। मगर आपने यह अधिकार नगरपालिकाओं को नहीं दिया।

आपके असेसमेंट का तरीका क्या है? श्रीमान, सारे बिल को आपने नहीं पढ़ा। जनता पार्टी की सरकार के पास समय की कमी है। आप केवल नकल करना जानते हैं। कांग्रेस सरकार का बिल था उसमें से दो क्लॉज निकाल दिये। उस पर कहते हैं, समय का अभाव है। आपने क्या भाषण दिया, वित्त मंत्रीजी? आपने भाषण में कहा कि हम 30 वर्षों में कोई प्रभावशाली मोड़ नहीं ला सके। जनता पार्टी के भाइयों और माननीय सदस्यगण, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अपनी बातों में निराशा को छोड़ दें और तय करें कि इस तरीके से गरीबों को ऊंचा उठाने का अभियान चलेगा। अब तो पूंजीपतियों की सरकार बन गई है। मैं कहता हूं कि लोगों के पास

Page No 67

(67)

(श्री मूलचन्द डागा)
रहने के लिये मकान नहीं हैं। हिन्दुस्तान में 7 करोड़ लोग बिना घर के हैं।

आप यह टैक्स लगा रहे हैं, इसका असेसमेंट कौन करेगा ? वकील जायेगा एडवोकेट जायेगा। और, श्रीमन, असेसमेंट होता है उसमें जो एक लाख की प्रापर्टी होती है वह पचास हजार की बताते हैं। इसलिये कांग्रेस सरकार ने जो कानून बनाया था उसमें 50 हजार की प्रापर्टी पर नहीं रखा था। आप समाजवादी समाज कादम भरते हैं, ऊंची ऊंची बातेंकरने का दम भरते हैं, आप सर्वोदयी हैं, इससे बदनामी आप की होगी। शेखावत साहब गायब, श्री भैरोंसिहजी शेखावत साहब चले गये और यह कह गये आपसे कि यह बिल पेश कर दें। ये पुण्य का काम तो करवाते नहीं हैं और पाप का काम आप से करवाते हैं। जो पूंजीपति हैं उनकी रक्षा करायेंगे आपसे। अभी, श्रीमान, रतन लालजी साहब भी खिलाफ में, बोलेंगे, क्योंकि ये क्रांतिकारी हैं और भिनाय से आये हुये है। श्रीमन, कल जनता पार्टी की मीटिंग में कुछ भी हुआ हो, हमें उसके सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं है। मेरे पक्ष में बैठने वाले लोग इस पर बोलेंगे और कौशल किशोर जैन तो बहुत ही क्रान्तिकारी हैं अभी ये खिलाफ में बोलेंगे। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं इस विधेयक को पारित मत कीजिये और जैसा मैंने कहा जनमत जानने के लिये इसको परिचालित कीजिये। यह मैंने प्रस्ताव रखा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने भी बिना पूछे लगा दिया था। पहले पूछा नहीं था।

श्री मूलचन्द डागा : हमने तो 50 हजार पर लगाया था और गलती करके सुधार ली थी। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो वह भूला नहीं कहा जाता है, श्रीमन। हमने गलती का सुधार कर लिया। हमने कहा, हम नहीं लेना चाहते हैं। मैंने कहा, कांग्रेस की अच्छाइयां लो लेकिन आपने तो 20 सूत्री नई बुराइयां ग्रहण कर लीं जो बुराइयां थीं वह आपने ग्रहण कर लीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 20 सूत्री कार्यक्रम का तावीज कहां चला गया ?

श्री मूलचन्द डागा : वह तावीज रहेगा और वापस आयेगा आपके गले में। इसलिये, माननीय उपाध्यक्षजी, असेसमेंट का जो प्रोविजन है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, आपको असेसमेंट पर बोलना है। आपको बहुत परिश्रम करना है।

श्री मूलचन्द डागा : अभी तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं इस विधेयक को अगर जनमत जानने के लिये परिचालित कर दिया जाय और सब लोगों की राय जान ली जाय तो सब लोगों की भावना मालूम हो जायगी। जो मैंने प्रश्न रखा है उसका उत्तर दिया जाय वर्ना जो कानून लाये हैं उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। मेरा निवेदन है कि यह टैक्स तो नगर-पालिका को दे देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
हूं कि राजस्थान वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के द्वारा यह जो कदम भूमि और भवन कर में गरीब लोगों को रिलीफ देने का उठाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं और वित्त मंत्री का आभारी हूं । डागाजी ने यह कहा कि जनता पार्टी ने गलत कदम उठाया है । उनसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम पूंजीपतियों को लाभ देने के लिये नहीं बल्कि गरीब लोगों को राहत देने के लिये कानून लाये हैं । यह कानून हमने नहीं बनाया है उन्हीं की कांग्रेस सरकार ने बनाया है ।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन, माननीय सदस्य ने सन् 1973 में इस कानून का विरोध किया था । अब इनका भाषण सुनिये । इनकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है । सन् 1973 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसने इस कानून को पारित करवाया तब आपने, श्रीमन, सीना फुला कर विरोध किया था और यह कहा था कि यह तो बिलकुल गलत कानून है । आज कह रहे हैं कि लोगों को राहत देने के लिये कानून लाये हैं । आपका भाषण है 5 नवम्बर, 1973 का, श्रीमन, आपका भाषण है . . .

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमान डागाजी, इनको अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता है ।

श्री मूल चन्द डागा : 5 नवम्बर, 1973 को श्रीमान ने इस कानून का यहां पर विरोध किया था ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वे उधर चले गये ।

श्री मूलचन्द डागा : इनका गौरव इसी में है कि अपनी बात पर कायम रहें ।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सदस्य जिस भाषा में आप बोल रहे हैं वह भी पहले नहीं थी । आपकी भी जगह चैन्ज हुई है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सुझाव मैंने उस समय राज्य सरकार को दिये थे वे ही सुझाव मैं आज भी देना चाहता हूं । हमने यह कानून नहीं बनाया इसलिये जो बातें उस समय कही थीं वही आज भी कहूंगा । आपने, कांग्रेस पार्टी ने लोगों को राहत नहीं दी और इस पार्टी ने ज्यादा राहत दी है । इसलिये उस समय जो विरोध किया था और सुझाव दिये थे वह आज भी दे रहा हूं । आज हमने एक लाख की प्रापर्टी छोड़ने का कानून में प्रावधान किया है । भ्रष्टाचार जो इन्होंने उससे पैदा किया, उसकी मिसाल पेश करना चाहता हूं । मैं समझता हूं उस समय माननीय सदस्य वे इसे भी भ्रष्टाचार की परिभाषा में शामिल कर देते, और मंत्रिमण्डल के सामने पेश कर देते । मैं बताना चाहता हूं पिछली बार जब एक्ट बना तब इसमें खामी रह गई थी । हाई कोर्ट में इसे चैलेन्ज किया गया था । खामी रह गई थी उसके सम्बन्ध में कांग्रेस वालों ने हमारी बात नहीं मानी । उस समय मैं भी सदस्य था । उसके बाद मुझे जेल में डाल दिया गया और इन्होंने अपनी मनमानी कर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कानून पास कर लिया। हाई कोर्ट में इसे चेलेन्ज किया गया। उसके बाद जाते-जाते कांग्रेस की गवर्नमेन्ट ने सोचा कि अब हमारी सरकार जाने वाली है तो यह भूमि व भवन कर वसूल नहीं हो, इस आधार पर घोषणा की। कांग्रेस की सरकार सच्ची भावना से घोषणा करती तो या तो उसे कानून में संशोधन करना चाहिये था या किसी प्रकार का कोई आर्डिनेन्स लाती लेकिन न आर्डिनेन्स निकाला और न ही कोई संशोधन किया। मैं समझता हूं कांग्रेस सरकार ने भयंकर रूप से धोखा दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं अभी तीन महीने पहले किस उद्देश्य से लोगों से टैक्स वसूल नहीं किया गया? यह हमारी सरकार को घाटे में चलाने के उद्देश्य से किया था . .

श्री मूलचन्द डागा : आपकी सरकार ने क्यों नहीं वसूल कर लिया ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : कैसे वसूल करते ? आपके हरिदेवजी जोशी ने वसूल करने से मना कर दिया था। माननीय चन्दन मलजी बैद से वसूल करने से मना कर दिया। आपके मथुरा दासजी माथुर यहां बैठे हैं इनसे ही पूछ लीजिये।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन, एक बात है, भार्गव साहब जो कह रहे हैं इसके सम्बन्ध में श्रीमती उजला अरोड़ा यह बताने की कृपा करें कि राजस्थान की सरकार ने कौनसा ऐसा कानून बना दिया था जिसके कारण वर्तमान सरकार, क्रांतिकारी सरकार, प्रगतिशील सरकार ने तीन महीने तक रुपये वसूल नहीं किये ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी गलती के कारण। आपके मन में पाप था इसलिये जाते जाते घोषणा कर गये।

प्रापर्टी टैक्स का वेल्यूएशन अलग, वेल्थ टैक्स का वेल्यूएशन अलग, हाउस टैक्स का वेल्यूएशन अलग, भूमि और भवन कर का वेल्यूएशन अलग होता है, जब ये सारे वेल्यूएशन अलग-अलग होते हैं तो मैं समझता हूं कितना भयंकर कानून बनाया था। श्रीमन्, 1-7-73 को जो मार्केट रेट्स से वेल्यूएशन होना था जैसे कि मकान बिकने जा रहे हैं। उसमें यह बात साफ तौर से है। राजस्थान अर्बन लैन्ड सैस एक्ट, 1964 में बना था उसमें जो संख्या 4 है

(1.30 म. प.)

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री, सभापति, पीठासीन)

उसकी परिभाषा को, सभापति महोदय, बदल दिया। ये चाहते थे कि असेसमेंट ऑफिसर को अधिकार दे दिया जाय। उसमें रखा "in the opinion of the assessing authority..." यानी सैक्शन 4 में जो बातें थी उनके तहत कांग्रेस का एक भी व्यक्ति, चाहे वह मंत्री हो, चाहे वह कार्यकर्ता हो, टैक्स देने से वंचित नहीं रह सकता था। उनको लाभ देने के लिए उस असेसिंग अथोरिटी को धारा 4 के अन्दर इस प्रकार से अधिकार दे दिया। मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय कि असेसिंग अथोरिटी ही सब कुछ हो गया। जब असेसिंग अथोरिटी असेस करने गया तो उसको अपने साथ कर लिया। उसका परिणाम यह है कि पिछली सरकार के जितने मंत्री हैं, चाहे वह चन्दन मलजी बैद हों, चाहे बृज सुन्दरजी शर्मा हों, चाहे

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
आपके श्री मथुरा दासजी माथुर हों और चाहे राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री हरिदेवजी जोशी हों, यानी चाहे कांग्रेस का मंत्री हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि टैक्स दे रहा हो। इन्होंने असेसिंग अथोरिटी को अपने साथ करके...

श्री मूलचन्द डागा : यह, श्रीमान, एलीगेशन है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उससे असेस करवा लिया। मैं समझता हूं कि यह जो प्रोविजन इस कानून में कराया है यह इन कांग्रेस के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कराया है। गरीब जनता से तो टैक्स लेंगे और जो कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के नेता हैं वे बच जायेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि यदि इनकी बात को सत्य भी मान लिया जाय, भूतपूर्व मंत्रियों की बात को सत्य मान लिया जाय तो इन्कम टैक्स एक्ट में ए से लेकर जेड तक प्रोविजन है। इनके खाते निकलवा लिये जावें और यदि इन्होंने ज्यादा वेल्यूएशन दिया है, या ज्यादा कीमत बताई है तो भी इन्कम टैक्स में प्रोविजन है उसके अनुसार 15 पर्सेंट उस कीमत में बढ़ा दें और पिछली सरकार के मुख्य मंत्री की जो सम्पत्ति है उसको इन्कम-टैक्स एक्ट के अन्तर्गत राज्य सरकार एक्वायर कर ले। क्या इनके मंत्री देने को तैयार हैं ? यह इन्कम टैक्स में इस प्रकार का खुले रूप में, माननीय सभापतिजी, प्रोविजन है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जिन-जिन कांग्रेस के मंत्रियों ने अपनी सम्पत्ति का...

व्यवस्था का प्रश्न
व्यक्तिगत आरोप

श्री मूलचन्द डागा : प्वॉइंट ऑफ आर्डर।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री मूलचन्द डागा : रूल 272 में है : "shall not make a personal charge against a member" भूतपूर्व सरकार के जो मुख्य मंत्री थे वह हरिदेवजी जोशी हैं मौजूदा सदन के मेम्बर हैं। आप उनके खिलाफ पर्सनल चार्ज लगा रहे हैं। रूलमें है "Shall not make a personal charge against a member", इसके अनुसार आप चार्ज लगा नहीं सकते। 272 नियम की आप अवहेलना कर रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तथ्यों को पेश कर रहे हैं। जो टैक्स की चोरी करते हैं उनके बारे में तथ्य बता रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नियम बता कर असली बात को कहने से रोकना चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : "shall not make a personal charge against a member".

श्री गुल मोहम्मद : यह चार्ज नहीं लगा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप भी आ जाओ गुणगान में।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूतपूर्व सरकार के मंत्रियों के नाम लेकर जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं वह नियम के विरुद्ध है, आप इनको रोकिये। मैं स्वयं

(श्री खेतसिंह राठौड़)
जोधपुर के अन्दर इस भूमि और भवन कर को भरता आ रहा हूं। हर साल टैक्स भरता हूं। इनका इस तरह से सभी मंत्रियों का नाम लेकर कहना कि नियमों का वायलेशन कर रहे हैं और टैक्स नहीं दे रहे हैं, गलत है। मैं बराबर हर साल टैक्स भरता आ रहा हूं। इसी तरह से माननीय सदस्य माथुर साहब भी टैक्स भर रहे हैं....

श्री मदनसिंह दांता : आप भरते होंगे, आपका नाम नहीं लिया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस तरह से जो चार्ज लगा रहे हैं बिना सोचे समझे यह कतई वाजिब नहीं है। अगर इन पर रूल्स की पाबन्दी नहीं लगेगी तो हमको भी खुली छूट दीजिए। फिर हम भी इसी तरह से हमला करते रहेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : आपको जितनी छूट मिली हुई थी उतनी शायद किसी को नहीं थी।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो नियम बने हुए हैं उनके अनुसार ही अपने विचार रखें। व्यक्तिगत चार्ज नहीं लगाये जाने चाहिएं। रूल्स में लिखा हुआ है उसकी पालना करनी चाहिए। रूल्स में लिखा हुआ है, व्यक्तिगत चार्ज नहीं लगायें।

श्री नारायण सिंह : सभापति महोदय, इसका स्वीकेंस भी देखना चाहिए। माननीय विधायक जो बात कह रहे थे....

श्री मूलचन्द डागा : रूलिंग होने के बाद कुछ नहीं कह सकते।

श्री नारायणसिंह : अपने पॉइन्ट को क्लियर कर रहे हैं....

श्री मूलचन्द डागा : रूलिंग होने के बाद चैलेंज नहीं कर सकते।

श्री नारायणसिंह : तो मेरा निवेदन है कि इसके स्वीकेंस को भी देखना चाहिए कि किस संदर्भ में बात कह रहे हैं। इसके बाद जो भी आपकी व्यवस्था होगी उसकी पालना करेंगे।

श्री सभापति : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लैंड एण्ड बिल्डिंग टैक्स के बारे में जो बात कह रहे हैं उसमें वाक्य का निर्माण दूसरे ढंग से भी किया जा सकता है। आलोचना करने के लिए प्रत्येक सदस्य, मैं समझता हूं, स्वतंत्र है लेकिन इन नियमों को ध्यान में रखें चाहे जिस किसी संदर्भ में बोलें। किसी प्रकार की कटु आलोचना करें लेकिन उसमें व्यक्तिगत चार्ज नहीं हो।

(व्यवधान)

इस पॉइन्ट पर आप अपना भाषण मत दीजिए।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापतिजी.....

श्री सभापति : आपका समय अब सिर्फ तीन मिनट और है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं प्रार्थना करना चाहता हूं क्योंकि मैंने प्रस्ताव रखा है इसलिये मेरा अधिकार है कि मैं अपनी पूरी बात रखूं। यहां पर कटौती प्रस्ताव वाली पाबन्दी, मैं समझता हूं, लागू नहीं होगी।

श्री सभापति : और भी कितने ही माननीय सदस्य बोलेंगे, समय का विभाजन है

(श्री सभापति)
उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : मैं नियमों को भली प्रकार से जानता हूं और तथ्यों के आधार पर ही बोल रहा हूं, माननीय सभापति महोदय।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि मैंने मंत्रियों के नाम लिये हैं और आज भी कह रहा हूं कि कोई भी मंत्री हो, उन मंत्रियों के नाम नहीं लेता, मंत्री कहता हूं, उन मंत्रियों की कोठियों का, मकानों का असेसमेंट कराया जाना चाहिए। इन्कम-टैक्स एक्ट मेरे पास है इस इन्कम-टैक्स एक्ट में प्रोविजन है कि 15 पर्सेन्ट बढ़ा कर राज्य सरकार ले सकती है 'कम्पलसरीली' Shall शब्द का प्रयोग किया गया है। आपने खड़े होकर कह दिया कि मैं टैक्स देता हूं, जोधपुर में टैक्स देते होंगे, बम्बई में देते होंगे लेकिन मैं इसको स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार का, माननीय सभापति महोदय, एस्टेट ड्यूटी एक्ट में प्रोविजन है···

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा कि अभी क्लॉजेज पर भी आपके संशोधन हैं। माननीय डागाजी और आपको उस पर अपने विशुद्ध विचार प्रगट करने का अवसर मिलेगा। अभी जो विषय है वह यह है कि जनमत जानने के लिए परिचालित किया जावे, उस तक ही अपने विचारों को सीमित रखें। इसके बाद में अमेंडमेंट आयेंगे उस समय बोल लेना।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : एस्टेट ड्यूटी में, माननीय सभापतिजी, यह प्रोविजन है कि असेसिंग अथोरिटी जो कहेगी वह बात माननी पड़ेगी। इस एक्ट में जो डिफैक्ट है, उसके बारे में पिछली बार भी मैंने कहा था कि ओनर की परिभाषा है धारा 2(10) में कि अभी जो किराया दे रहा है, जो किराया बाद में देगा उससे भी टैक्स वसूल करने का अधिकार होगा। भविष्य तक की बात हो गई। इन चारों में से किसी के अन्तर्गत भी नोटिस सर्व किया जा सकता है। असेसिंग अथोरिटी कह सकती है कि आपके मकान का इतना वेल्यूएशन है, आपको भवन और भूमि कर देना पड़ेगा। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूं। प्रेम प्रकाश सिनेमा के अन्दर एक सरदारजी का रेस्टोरेन्ट है। भवन और भूमि कर वालों ने उनसे कहा कि तुम प्रेम प्रकाश सिनेमा के मालिक हो, तुम पर इतने हजार रुपये भवन और भूमि कर के लगाये जाते हैं, तुम जमा कराओ। सरदारजी वहां पर गए। उन्होंने भवन और भूमि कर वाले अधिकारियों से कहा कि प्रेम प्रकाश सिनेमा मेरा नहीं है। यह भी सभी को मालूम है कि सिनेमा सरदारजी का नहीं, यह गोलेछा का है। अब उनसे कहा गया कि तुम यह सबूत पेश करो, यह प्रमाण पेश करो कि प्रेम प्रकाश सिनेमा के मालिक तुम नहीं हो। अपरेंटली सभी को मालूम है कि प्रेम प्रकाश सिनेमा के मालिक कौन हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भवन और भूमि कर में जो संशोधन किया था, जो प्रोविजन किया था वह पिछली कांग्रेस सरकार ने लोगों को परेशान करने के लिए किया था। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ही मकान के लिए, एक ही मकान का टैक्स लेने के लिए कई लोगों को नोटिस दे दिया जाएगा और नोटिस देने का परिणाम यह होगा कि खूब रिश्वत खाओ, कांग्रेस को वोट दो और मौज करो। माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से सेक्शन 27 और 28 में यह प्रोविजन किया गया कि वह न सिविल कोर्ट में जा सकता है और न क्रिमिनल कोर्ट में जा सकता है। किसी भी कोर्ट में

Page No 73

(73)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
जाने की पाबन्दी लगा रखी है। मैं समझता हूं कि आखिरकार...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आपसे निवेदन कर रहा था·····

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक मिनट में समाप्त करता हूं।

यहां पर अपील करने का प्रोविजन रखा गया है वह किस तरह से रखा गया है। मान लीजिए कि किसी का पांच लाख का मकान है। उसने एक अच्छे आथो-राइज्ड असेसर से असेस करा कर दे दिया। अब आपका भूमि व भवन कर अधिकारी कहता है कि नहीं, यह तो बीस लाख का मकान है। यानी पांच लाख के मकान को बीस लाख अस्सी हजार कर दिया। इसके खिलाफ अगर वह गरीब आदमी अपील करने आता है तो इसमें यह प्रोविजन कर रखा है कि पहले चालीस हजार रुपया टैक्स जमा कराओ फिर अपील कर सकोगे। यानी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में अपील करे नहीं और अपील करना चाहे तो पहले चालीस हजार रुपया जमा करावे।

श्री सभापति : आपका एक मिनट समाप्त हो गया। आप बिराजिये, कृपा-पूर्वक बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि यह कानून बिल्कुल डिफेक्टिव है। इसलिये जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए एक लाख रुपये तक की छूट दी है। मुझे फिर समय मिलेगा क्लॉज बाई क्लॉज पर विचार के समय इस समय निवेदन करूंगा कि किस प्रकार से इन कांग्रेस के मंत्रियों ने अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रोविजन किए थे। खुद टैक्स देते नहीं और गरीब जनता से टैक्स वसूल करने के लिए इस तरह के प्रोविजन कर दिए। जनता पार्टी की सरकार ने भारी ऐतिहासिक कदम उठाया है गरीबों को राहत देने के लिए····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब बिराज जाइये।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, मैंने भी जनमत जानने हेतु प्रस्ताव रखा था। वह आया नहीं है।

श्री सभापति : एक ही है।

श्री शंकरलाल : मैंने भी रखा है। मेरा प्रस्ताव है।

श्री सभापति : मेरे पास नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, मैं जानकारी करना चाहूंगा कि वह क्यों नहीं आया है ?

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान वित्त (संख्या 2) विधेयक,

(श्रीमती उज्वला अरोड़ा)

1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो दिन में प्रस्तुत करे।

सभापति महोदय, मैं कुछ मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगी। यह जो भवन एवं भूमि कर डेढ़ पर्सेन्ट लगाया जा रहा है, यह दो पर्सेन्ट कर दिया जाये। जो लोग दस लाख रुपया सम्पत्ति में, बिल्डिंग में लगा सकते हैं, वे उस पर दो पर्सेन्ट टैक्स भी दे सकते हैं।...

श्री सभापति : यह तो अमेन्डमेन्ट आ गया है।

श्रीमती उज्वला अरोड़ा : इसका समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहूंगी कि इनकम टैक्स है, सम्पत्ति कर है, हाउस टैक्स है और भवन एवं भूमि कर है। ये चार टैक्स हैं। और ये चारों विभाग अलग-अलग से असेसेर लगाते हैं। इनका असेसमेन्ट अलग-अलग होता है। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहूंगी कि एक ऐसा नियम बना दिया जाए कि इन चारों जगहों का असेसमेंट एक ही जगह पर हो ताकि असेसमेंट के बीच में जो गड़बड़ होती है, वह मिट जाए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि शहरों में जो भूमि मकान बनाने के लिये होती है, उसमें नगर विकास न्यास और नगर परिषद् यह तय कर देती है, इतना स्थान सामने की ओर छोड़ा जाएगा, इतना स्थान साइड में छोड़ा जायगा परन्तु इस छोड़ी हुई लैन्ड पर भी टैक्स लिया जाता है। असेसर टैक्स लगाता है। इससे अनियमितता और भ्रष्टाचार पनपता है। कांग्रेस सरकार ने जब यह बिल लागू किया था, तो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

दूसरा मैं यह निवेदन करने जा रही थी कि उस समय पचास हजार पर यह टैक्स लगाया गया था। एक आदमी का एक जगह पचास हजार का मकान है, दूसरी जगह पचास हजार का मकान है, तो उन दोनों को शामिल नहीं किया जाता था। वह छूट ले लेता था। इस तरह की शहर में कहीं भी सम्पत्ति हो तो वह शामिल मानी जाकर उसका असेसमेंट किया जाना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि जैसे एक मकान में

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दस आदमी रहते हैं। कई जगह ऐसा किया है जो असेसमेंट करने वाले हैं, उन्होंने एक से तो वसूल किया और 9 से रिश्वत लेकर वसूल नहीं किया। इस तरह से जो पक्षपात किया जाता है, वह नहीं किया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं सरकार को यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जयपुर में जयन्ति मार्केट में 947 रुपये गज जमीन बिकी, जब कि चौड़ा रास्ता में और भाव है, 'सी' स्कीम में और भाव है, सांभर में अलग भाव है तो कोटपूतली में अलग भाव है। इसलिए सारे राजस्थान में एक तरह के भाव निर्धारित न हों और वहां की जो मार्केट वेल्यू है, उसके अनुसार नियम बना कर उसको बढ़वा कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

कि राजस्थान वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक दिन में प्रस्तुत करे।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं, कांग्रेस ने वह किया, यह नहीं किया परन्तु आप जो बिल यहां पर पेश कर रहे हैं, वह ज्यों का त्यों है। उसमें आपकी सरकार ने कोई संशोधन नहीं किया। सिर्फ पचास हजार की जगह पर एक लाख की छूट आपने कर दी है। इससे लगता है कि आप स्वयं गलतफहमी में हैं। पहले जो एक्ट था, वह ज्यों का त्यों है। उसमें कोई दूसरी नई बात नहीं आई है।

माननीय सभापति जी, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स की रिकवरी है, अच्छा हो कि यह रिकवरी का काम नगर-परिषद् के तहत कर दिया जाता क्योंकि हाउस टैक्स नगरपालिका लगाती है। इससे कर्मचारियों पर अलग से खर्चा नहीं होगा। दूसरी अथोरिटी होने की वजह से खर्चा होता है। मेरे ख्याल में यह उचित होता कि इस विभाग को अन्य विभाग में मिला दिया जाता। नगर कौंसिल, नगारपालिकाएं जो आॅलरेडी हैं उनके तहत ही यह रिकवरी का काम रख देते, तो इतना खर्चा नहीं होता और रिकवरी भी ज्यादा होती। इसमें ज्यादा इन्कम होने की गुंजाइश नहीं है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, इसमें असेसर होता है। हाउस टैक्स का असेसर अलग होता है। तो अलग-अलग असेसमेंट न होकर, एक बार ही असेसमेन्ट किया जाना चाहिए। इसलिए इसका अवलोकन किया जाना चाहिए। अगल अलग असेसमेंट होने से लोगों को परेशानी होती है। पचास हजार का मकान है या नहीं, उसको अलग-अलग चार नोटिसेज चले जाते हैं। इससे मुकदमे-बाजी बढ़ती है, और टैक्स कम आता है। असेसमेन्ट सही हो, उसके बाद ही टैक्स लगाया जाए। मार्केट वेल्यू कितनी आज बढ़ गयी है, कितना इसके ओवर एण्ड अबव माना जाए, इसके बारे में एक्ट में कोई प्रोसीजर नहीं है। मेरा यह आग्रह है कि इस टैक्स की वसूली नगरपालिकाओं को दे दी जाए इससे उनकी भी इन्कम हो आएगी। उनके पास रिकवरी का काम रख दें तो उचित होगा।

सभापति महोदय, माननीय यातायात मंत्री महोदय ने यहां पर एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि ट्रोली के ऊपर जो टैक्स लगाया था, वह टैक्स जिस दिन विथड्रा किया गया, उसी दिन से माफ कर दिया है। जिस दिन घोषणा की गई उसके पहले जो टैक्स था, उसके बारे में इस फाइनेन्शियल बिल में संशोधन नहीं आया है। यह जानकर दुख: हुआ। नई घोषणा से बीच में जो टैक्स आपने लिया है, ट्रक व ट्रोली का मिल गया है, उसके बारे में कानून में संशोधन नहीं किया गया है, ऐसी हालत में काश्तकारों से रिकवरी होगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि यह गलती रह गई है, इस पर विचार नहीं किया गया है। यहां पर यातायात मंत्री नहीं हैं। माननीय मंत्रीजी भी बात कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इस बारे में विचार किया जाए। घोषणा यहां पर जरूर की गई है परन्तु संशोधन आया नहीं है। आशा है, आप इस बारे में संशोधन लायेंगे। संशोधन नहीं लायेंगे तो रिकवरी दुबारा होगी और जो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
घोषणा आपने की है, उसकी पालना नहीं होगी। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि यह बिल सलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। आज या कल तक सलेक्ट कमेटी बैठ कर इस पर विचार करे और जो इम्पार्टेन्ट संशोधन आने से रह गये हैं, वे भी इसमें शामिल कर लिए जायं। पहले 15 रुपये तक के रेडीमेड गारमेन्ट पर टैक्स की छूट थी। यह यहां पर घोषणा की गई थी कि छूट दी जाएगी, परन्तु उसके बारे में संशोधन नहीं आया है। जो संशोधन एक्स-पेक्ट कर रहे थे, वह नहीं आये हैं। इसलिये इस पर विचार कर लिया जाए और इस बिल को कल पास कर लिया जाए तो उचित होगा। राज्य सरकार ने यहा पर जो घोषणाएं की थीं, उन घोषणाओं की पूर्ति इस बिल से नहीं होती है। काश्तकारों के साथ अन्याय होगा, ऐसी हालत में इस पर राज्य सरकार दुबारा विचार करे।

श्री सभापति : श्री खेतसिंह।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सभापति महोदय, मैंने यह प्रस्ताव दिया है कि राजस्थान वित्त संख्या (2) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक दिन में प्रस्तुत करे। इसके पीछे मेरी भावना यह है कि जब हम ने इस बिल को पास कर के एक्ट बनाया था तो उस समय इसमें कई प्रकार के डिफेक्ट्स रह गये थे। उन डिफेक्ट्स के रह जाने की वजह से हमारे लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब जो एक्ट बने, वह ऐसा बने कि उसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट न रहे और आम जनता को परेशानी नहीं उठानी पड़े। मैं चाहता था कि इस बिल को खास तौर से प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और प्रवर समिति बैठ कर इन सारे डिफेक्ट्स को दूर कर के, एक मुकम्मिल बिल विधान सभा के सामने प्रस्तुत करें। मेरे निम्नलिखित सुझाव हैं, जिनका क्लेरिफिकेशन होना जरूरी है। इनका क्लेरिफिकेशन न हुआ तो एक्ट बनने के बाद में लोगों को परेशानी होगी।

सब से पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जितने मकान शहर में हैं, उनका वेल्यूएशन वैल्थ टैक्स वाले करते हैं, स्टेट ड्यूटी वाले करते हैं, हाउस टैक्स वाले करते हं और फिर बिल्डिंग टैक्स वाले अलग से करते हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इस वेल्यूएशन के लिए एक ही आथोरिटी हो। चाहे आप इसके लिए हाउस टैक्स को बेस माने, जो हाउस टैक्स देते हैं, उसको बेस मान करके आप उसका पर्सेन्टेज तय कर दें। हरेक व्यक्ति अलग-अलग वेल्यूएशन करता है, उसको डिस्क्रिशन का अधिकार दे देते हैं। सभापति महोदय, डिस्क्रिशन जिसके पास होता है, निश्चित तौर पर उसके द्वारा गड़बड़ी होती है, रिश्वत की संभावना रहती है, लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो इन्कम टैक्स पेयर हैं, वैल्थ टैक्स पेयर हैं उनके मकानों का वेल्यूएशन इनकम टैक्स में होता है उसको आप इसका आधार मान लें। उसकी बिल्डिंग तीन लाख की है तो उसी आधार पर टैक्स लगाने पर आप विचार कर लें। यदि यह आप समझते हैं कि जो इन्कम टैक्स पेयर हैं, हाउस टैक्स पेयर हैं, उसको बेस मान कर यह टैक्स उनसे ले सकते हैं। इस प्रकार से आप काम करें कि लोगों को कई-कई दिन भटकना न पड़े······

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हिन्दुस्तान में दो ही राज्य हैं, जहां यह टैक्स लगाया गया है। हमें तजुर्बा नहीं था, मालूम नहीं था इसलिए आज हमारी यह हालत हुई है। आप नहीं सोचेंगे तो कल आपकी भी यही हालत होने वाली है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें आपने लिखा है....

"On the first Rs. 1,00,000 of the market value of the land and building."

अलग-अलग शहरों में अलग-अलग मार्केट वेल्यू है इसलिए मैं कहता हूं कि इसको एलोवरेट होना चाहिए। मार्केट वेल्यू क्या है। जोधपुर में अलग है। जयपुर में अलग है। मार्केट वेल्यू में बड़ा फर्क आयगा। इसलिए इसका क्लेरिफिकेशन निकाल दें। इसमें आपने यह क्लीयर नहीं किया है।

दूसरा मेरा निवेदन है, मान लीजिए एक भवन में 4 भागीदार हैं। चारों ने पैसा लगाकर बनाया है। आप तो एक ही मालिक मानेंगे। मैं समझता हूं कि चारों से अलग-अलग कर लेना चाहिए। इस कर का भार एक पर ही नहीं डाला जाये।

शहरों में बड़ी-बड़ी हवेलियां बनी हुई हैं। आज उनकी वेल्यू क्या है? लैण्ड की वेल्यू तो कर सकते हैं। ऐसे पुराने भवनों का असेसमेण्ट बहुत ज्यादा किया है। जितना किराया आता है, उससे ज्यादा भवन का कर लगा दिया। इसके बारे में आपको सोचना होगा।

हमने म्युनिसिपल टैक्स लगाया था, सिवाणा और मंडावा वगैरह में लगाया था। आपने वह माफ करने का प्रयत्न किया है। कुल टैक्स जो हमने लगाया था वह कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं था। आपने लगाया है, वह ढाई करोड़ है। आप यह कहते हैं कि जनता पर ज्यादा कर न लगाने के हामी हैं लेकिन आपने यह जनता पर कर का भार डाला है। आपने जनता पर ढाई करोड़ का कर और लगाया है। इसके अलावा ट्राली पर टैक्स लगाया है। इसका डिबेट में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। तुम्बा और मतीरे के बीजों पर आपने टैक्स लगाया है। वह गरीबों के काम में आता है। इस प्रकार के टैक्सों का आपने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया। मैं चाहूंगा आप मेहरवानी करके इन टैक्सेज को हटायें। रेडीमेड गार्मेण्ट्स पर टैक्स लगाया। पहले डिबेट हुई थी तो बड़े जोर शोर से कहा था कि रेडीमेट गार्मेण्ट्स पर कर नहीं लगाना चाहिए पर इस टैक्स को हटाने के बारे में आपने कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं चाहूंगा, आज आप जवाब दें उसमें इसके बारे में स्पष्ट करें। इन टैक्सों से जितनी आमदनी होगी, आपकी सरकार ने तबादलों में उतना ही खर्चा कर दिया है। जितनी आमदनी होगी, वह टी.-ए. और डी.ए. के बिलों में ही खर्च हो जायगी। इसलिए यह टैक्स लगाना व्यर्थ है। इसके अन्दर जो कमियां रही हैं उनको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे इसको जब आप जवाब दें तो स्पष्ट करें।

श्री सभापति : श्री अब्दुल मजीज।

Page No 78

(78)

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री मथुरादास माथुर द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : माननीय सभापति महोदय, मुझे मालूम हुआ है मेरे बारे में आज कहा गया है और कल भी कहा गया था कि मैंने लैण्ड और बिल्डिंग टैक्स नहीं दिया है। मैं इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहूंगा।

मेरा मकान जयपुर में है, जहां मैं रहता हूं, इसका टैक्स अदा हो चुका है। हम चार भाई हैं, जो अलग-अलग हो गये हैं। मेरे तीन भाइयों की प्रापर्टी है, जो टैक्सेबल नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, अगर कोई टैक्स बाकी है तो मुझे उसकी सूचना नहीं है। मुझे पता नहीं है कि कोई टैक्स बाकी रह गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हमारा कहना है, असेसमेंट कम कराया गया है।

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कम कराया गया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आप ज्यादा करा दीजिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अब तो उनसे करवायें।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, सदन की परम्परा रही है, व्यक्तिगत बात हो तो उसकी पूर्व सूचना अध्यक्ष महोदय को देनी चाहिए। मेरी बिल्डिंग का असेसमेंट हो चुका है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने टैक्स जमा नहीं कराया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : यह क्या तरीका अपना रखा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने वकील साहब की हवेली का असेसमेंट कराया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे नाम से जयपुर में कोई मकान नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तो यह कह सकते हैं कि हमने टैक्स भरा है। आपने तो बेनाम मकान ले रखा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे नाम से जयपुर में कोई मकान नहीं है। अगर हो तो जो सजा दें, वह स्वीकार होगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिये। मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : यह चार्जेज ठीक नहीं हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, बिराजिये।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त (संख्या 2) विधेयक,

(श्री अब्दुल अजीज)

1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक दिन में प्रस्तुत करें।

माननीय सभापति महोदय, मैंने इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का सुझाव दिया है। जो बिल पेश हुआ है, उसमें कई खामियां हैं। इसलिए इस पर सलेक्ट कमेटी में विचार किया जाये और उसके बाद इसको यहां रखा जाये। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि नगरपालिकाओं ने हाउस टैक्स लगा रखा है। उसके बाद इसकी क्यों जरूरत पड़ी है? आप बड़े-बड़े भवनों पर टैक्स लगाने की बात करते हैं लेकिन उनके असेसमेंट का तरीका क्या होगा? नगरपालिका की अथोरिटी के द्वारा मकानों का असेसमेंट होता है। आप नगरपालिका की अथोरिटी को अगर चांस नहीं देते हैं, तो 30-40 साल के जो बने मकान हैं, या जमीन है, उसकी वेल्यू को किस प्रकार से आंकेंगे? आज जो मालिक है किसी जमीन का या भवन का, उसकी जमीन या भवन की वेल्यू आज की मार्केट वेल्यू से आंकते हैं तो पचास साल पहले जो वेल्यू थी, उसके हिसाब से वह सही नहीं होगी। इसलिए जो भी असेसमेंट होगा वह करप्शन को इन्वाइट करेगा। इसलिए इसके सम्बन्ध में इस बिल में जो संशोधन आप करने जा रहे हैं इसको मैं गलत समझता हूं और इसको ड्रॉप करना चाहिए। जो हाउस टैक्स पहले से चल रहा है, नगरपालिकाओं के पास पहले से उसका असेसमेण्ट है। कोई ओनर उसको बेचता है तो उसको लाभ हो सकता है क्योंकि बेचेगा तो आज की वेल्यू से बेचेगा। इसमें इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि असेसमेन्ट किस प्रकार से किया जायगा। यह एक बहुत पोटेन्शियल बात है और इसमें यह कमी रह गई है। यह क्लियर नहीं है कि असेसमेंट जो अथोरिटी करेगी वह किस प्रकार से असेसमेंट करेगी। इस सम्बन्ध में आपने कोई नीति निर्धारित नहीं की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय।

दूसरी बात काश्तकारों की ट्राली पर टैक्स लगाने के सम्बन्ध में है। काश्तकार के पास जो ट्राली होती है वह उसमें अपना सामान लाता और ले जाता है। उससे उसके काम में सहायता मिलती है, आगे बढ़ने का उसको मौका मिलता है लेकिन उससे कोई आय नहीं होती इसलिए उस पर टैक्स लगाना गलत है। ट्रोली किसान के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसको वह अपने काम में लेता है, उससे कोई आय उसको नहीं होती।

श्री टीकमचन्द कान्त : ट्रोली तो गरीब किसान का साधन है।

श्री अब्दुल अजीज : यही मैं कह रहा हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि यह टैक्स न्यायोचित नहीं है।

तीसरी बात, मार्बल पर जो टैक्स 7 पर्सेन्ट से 10 पर्सेन्ट किया गया है, वह भी न्यायोचित नहीं है क्योंकि अधिकतर खान पानी में डूबी हुई हैं। इस सम्बन्ध में मैंने मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी को भी अनुरोध किया था कि मार्बल पर टैक्स नहीं लगाया जाय क्योंकि इससे कोई विशेष आमदनी नहीं है। सौ-डेढ़ सौ फीट की गहराई से पत्थर निकालना पड़ता है, इसलिए मार्बल पर टैक्स नहीं बढ़ाया जाय।

श्री माधवसिंह (सोजत) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977 को एक

Page No 80

(80)

(श्री माधवसिंह)

प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक दिन में प्रस्तुत करे।

आदरणीय सभापति महोदय, जनता ने जनता पार्टी को वोट दिये, जनता को बड़ी-बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी आशाएं थी कि जनता पार्टी की सरकार आई है कोई नई बात करेगी। यह कहा गया कि हम आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं, पर हुआ क्या, जनता खुद समझ रही है, देख रही है और जान रही है कि जो कांग्रेस ने पिछले तीस सालों में किया यह उसको भी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मौका दिया गया है। कोई भी परिवर्तन या काम आप करने जा रहे हैं चाहे ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ हो, चाहे और किसी के खिलाफ, जनता को आपसे उम्मीदें थी कुछ कर दिखाने की, आप कर सकते थे, लेकिन आप कुछ नहीं कर सके। जनता यह समझती है आप कर नहीं पायेंगे। जो टैक्स आपने लगाया, उसके बारे में आपने कोई गहराई से नहीं सोचा कि कांग्रेस सरकार ने इसको किन सरकम्सटान्सेज में माफ किया और टैक्स को हटाना पड़ा। आपने टैक्स लगाये हैं 10 लाख के आस-पास वह टैक्स किस पर लगेंगे? होटलों पर और इण्डस्ट्रीज पर। अब आपके राजस्थान में कौन नई इण्डस्ट्री लगायेगा? जिस स्टेट में टैक्स नहीं लगेगा या कम लगेगा वहां जाकर वे लगायेंगे, राजस्थान में क्यों लगायेंगे? हम चाहते हैं कि नई इण्डस्ट्रीज हमारे यहां पर लगायी जायं, टूरिस्ट हमारे यहां अधिक से अधिक आवें और होटल इण्डस्ट्री को प्रोत्साहन मिले लेकिन आप होटल पर टैक्स लगा रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत है बिल्डिंग बनाने की, क्यों वे होटल खोलेंगे? चार-पांच से ऊपर जो भी टैक्स लगेगा वह होटल वालों पर ही लगेगा। उनका जो साधन है कमाने का उसको आप इस प्रकार बन्द कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस पर ज्यादा टैक्स मत लगाइये।

दूसरी बात है रेडीमेड गार्मेन्ट पर आपने टैक्स लगाया। यह कपड़ा ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। दूसरी स्टेट इसको प्रोत्साहन दे रही है। इससे यह होगा कि लोग, जो इस काम में लगे हुए हैं, क्यों ज्यादा टैक्स देंगे, वे दूसरी स्टेट में चले जायेंगे। कम से कम कम्पेरेटिव टैक्स तो आपको लगाना चाहिए ताकि जो इण्डस्ट्रीज और कारखाने यहां खोलना चाहते हैं उनके लिये ज्यादा से ज्यादा लोग यहां अट्रेक्ट हो सकें और लोगों को एम्प्लायमेंट मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बजट के अन्दर आपने 15 बीघा पर या ढाई हैक्टेअर पर जो लगान था उसमें माफी दे दी। शायद इसका फायदा पूर्वी राजस्थान में हो या नहीं हो, मैं नहीं कह सकता, परन्तु पश्चिमी राजस्थान में एक काश्तकार को 10/- रु० एक साल की रियायत दी है। इससे क्या वह मालामाल हो जायगा और क्या उसको इससे ज्यादा फायदा होगा? इसको आप इतनी चीप पब्लिसिटी दे रहे हो जैसे कि आपने बहुत बड़ी छूट दे दी। दस रुपये से एक काश्तकार को क्या फायदा हो जायगा और क्या छूट मिल जायगी?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, केवल इस प्रस्ताव पर ही बोलें कि इसको प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, भूमि और भवन कर पर ही बोलना चाहिए,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
रेडीमेड गार्मेन्ट के बारे में बोलना, मैं समझता हूं, उचित नहीं है।

श्री सभापति : वह एक ही विषय पर है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : भूमि और भवन कर पर ही बोलना चाहिए।

श्री माधवसिंह : मेरा तो यही कहना है कि जो टैक्स आप लगा रहे हैं उससे जो जो नये एन्टरप्रिन्योर राजस्थान में आने की कोशिश कर रहे हैं उनको कोई उत्साह नहीं मिलेगा। नई इण्डस्ट्रीज खोलने के लिये प्रोत्साहन उनको नहीं मिलेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सभापति : अब माननीय वित्त मंत्रीजी इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे। माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : जनमत जानने हेतु मेरा प्रस्ताव है....

श्री सभापति : आपका प्रस्ताव 1,40 बजे आया है, इसलिए उस पर विचार...

श्री शंकरलाल : मैं भाषण नहीं दूंगा। केवल दो तीन मिनट बोलूंगा।

श्री सभापति : वह पहले आया नहीं इसलिए उस पर नहीं बोल सकते।

श्री मा. दिरयेन्द्र (वित्त मंत्री): सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्यों को इस बात पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कई सुझाव दिए हैं और कुछ ऐसी बातों की ओर ध्यान दिलाया है जैसे कि लैण्ड बिल्डिंग्स टैक्सेज एक्ट में वेल्यूएशन के संबंध में जो प्रणाली अब तक अपनाई जाती है, उसमें कुछ सुधार किया जाना चाहिए। कुछ और बातों की....

श्री सुखलाल सेंगवा : सभापति महोदय, बाहर रोडवेज कर्मचारियों का जुलूस आया है। यातायात मंत्री उनसे मिलें।

श्री नूरा (मसूदा) : बाहर कम्युनिस्ट पार्टी की सारी शाखाओं के व्यक्ति महंगाई विरोधी अभियान में प्रदर्शन करने आये हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि मुख्य मंत्री या जो संबंधित मंत्री हैं उनसे बाहर जा कर मिलें उनकी मांगों के बारे में जानने के लिये। एक नई परम्परा डालने के लिए उनसे मिलें।

श्री सभापति : आसन की तरफ से मुख्य मंत्री को आदेश नहीं दिया जा सकता लेकिन आपकी भावनायें उन तक पहुंचाई जायेंगी।

श्री शंकरलाल : नई परम्परा न डालें लेकिन....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री शंकरलाल : मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिये हमेशा परम्परा रही है कि जब भी इस प्रकार सामूहिक प्रदर्शन आता है तो आसन से कहा जाता है और आसन से व्यवस्था की जाती है कि इस प्रकार की बात हुई है। हम आपके माध्यम से मुख्य मंत्री और गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हजारों की संख्या में रोडवेज के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आए हैं। वे जनता से संबंधित मांगें हैं। इस संबंध में स्थगन प्रस्ताव भी था। वे जाकर उनकी बातें सुनें।

Page No 82

(82)

श्री सभापति : मैं आपकी भावनायें मुख्य मंत्री तक पहुंचा दूंगा, कन्वे कर दूंगा।

श्री ग्रादित्येन्द्र : सभापति महोदय, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने कुछ इस प्रकार के सुझाव दिए हैं कि यह वित्त विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए या इस वित्त विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। कुछ माननीय सदस्यों ने यहां तक भी कहा है कि इस वित्त विधेयक को ड्राप कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि इस अवसर पर ये तीनों ही सुझाव जो दिए गए हैं, मेरे लिए मान्य नहीं हैं क्योंकि जो भी कर प्रस्ताव रखे गए हैं वह यह समझ कर रखे गए हैं कि उनसे निर्धन व्यक्तियों पर या गरीब लोगों पर करों का भार नहीं पड़े। केवल उन लोगों पर करों का भार पड़े जो समाज में संपन्न हैं या कर देने की स्थिति में हैं।

सबसे ज्यादा जो विरोध किया गया है वह लैंड एण्ड बिल्डिंग्स टैक्स के बारे में किया गया है। माननीय श्री डागा साहब ने कहा है कि अच्छा होता अगर यह काम नगरपालिकाओं को सौंप दिया जाता। लेकिन नगरपालिकाओं ने तो पहले ही हाउस टैक्स लगा रखा है। जिस समय हाउस टैक्स लगाया गया था उस समय भी जनता ने इसका विरोध किया था। अब दूसरा यह टैक्स उसको सौंप दिया जाए तो इससे और भी ज्यादा एक तरह से विरोध होने की संभावना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे राजस्थान में इस टैक्स का सवाल है, वह सरकार द्वारा ही लगाना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने रेडीमेड गार्मेन्ट्स के बारे में कहा है। ठीक है कि रेडीमेड गार्मेन्ट्स पर लगाये गये कर का गरीबों पर कोई बोझ नहीं पड़ना चाहिए। यह टैक्स सबसे पहले 1970 में लगाया गया था। 1976 तक यह टैक्स 10 पर्सेन्ट था। मार्च, 1976 में यह टैक्स 10 पर्सेन्ट की जगह 7 पर्सेन्ट कर दिया गया और कपड़े के एक निश्चित मूल्य, 15 रुपए के मूल्य की सीमा रखी गई, 15 रुपए के मूल्य के रेडीमेड गार्मेन्ट तक कोई टैक्स नहीं रखा गया। इस प्रकार से टैक्स अब तक चलता रहा। अब यह जो परिवर्तित कर प्रस्ताव रखा गया है उसमें यह टैक्स 7 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया गया है। लेकिन माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह बता देना चाहता हूं कि अब तक रेडीमेड गार्मेन्ट्स मान लीजिए 5000) रुपये के मूल्य के कोई निर्माता अगर तैयार करता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं था। इसी प्रकार दूसरे व्यापारी जितने भी हैं उनके लिए 30,000) रु. तक कर-मुक्ति के लिए सीमा थी, वह 50 हजार रुपए कर दी गई। मैं मानता हूं कि इस सबंध में कई रिप्रेजेंटेशन्स आए हैं, काई प्रतिनिधि मंडल भी मिले हैं। सभी ने यह मांग की है कि जो 15 रुपए तक की सीमा रखी गई थी कर-मुक्ति की उसको कायम रखा जाए। पर मेरी मान्यता है कि 15 रु. या 10 रु० की कोई सीमा रखी जाए, इससे एक और भ्रष्टाचार पनपता है। दूसरी यह भी एक बड़ी कठिनाई आती है चाहे व्यापारी हो, चाहे रेडीमेड गार्मेन्ट्स निर्माता हो, उसको हिसाब रखना भी पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इस कपड़े का मूल्य 15 रु० है या 20 रु० है या 10 रु० है। ऐसा भी देखा गया है चैक करने पर कि जो कर निर्धारण करता है सरकारी कर्मचारी और व्यापारी या निर्माता होता है उनमें आपस में कई प्रकार के झगड़े होते हैं और रिश्वत भी चलती है। इसलिए ठीक समझा गया कि.

श्री जयकृष्ण शर्मा : मास्टर साहब, समाजवादी दृष्टिकोण आप का बहुत जल्दी चेंज हुआ, इसका अफसोस है।

श्री आदित्येन्द्र : इसमें परिवर्तन करना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार न बढ़े। लेकिन तब भी मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं उनमें भी सार है इसलिए निर्णय किया गया है कि जो सीमा 5,000) रु० की अब तक है उस 5,000) रु. की सीमा को 10 हजार रुए कर दिया जाए। रेडीमेड गार्मेन्ट्स पर परिवर्तित दरों में पहले जो पांच प्रतिशत कर लगता था वह अब घटा कर तीन प्रतिशत कर दिया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को जो एतराज होते थे वह इससे समाप्त हो जायेंगे। वह एतराज कवर हो जायेंगे। दस हजार से कम धन्धा जिनका होता था उन्हें इससे कम परेशानी होगी और गरीब लोगों को राहत मिलेगी। दस हजार रुपये तक छूट पर्याप्त है। हिसाब किताब रखने की छूट की सीमा अब बढ़ा कर दस हजार रुपये कर दी है। 15 रुपये की कीमत के रेडीमेड गार्मेन्ट्स पर टैक्स की जो बात रखी है, वह कमी आगे जाकर पूरी हो जायेगी। इससे भ्रष्टाचार मिटेगा और गरीब लोगों को रियायत भी मिल जायेगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। बोलने दीजिये वित्त मंत्रीजी को।

श्री आदित्येन्द्र : अब, सभापति महोदय, मैं भूमि एवं भवन कर पर आता हूं। भूमि एवं भवन कर के बारे में जो पहले की सरकार थी उसने सिर्फ पचास हजार तक छूट दी थी। हमने पहले ही एक लाख रुपये की प्रोपर्टी को कर-मुक्त रखा है। पहले जिस व्यक्ति के पास अगर एक लाख का मकान था तो उसको पचास हजार तक की जायदाद पर छूट दी जाती थी और बाकी पचास हजार पर टैक्स आधा प्रतिशत के हिसाब से 250 रुपया लगता था। अब वह टैक्स एक लाख रुपये तक नहीं लगेगा। अगर किसी व्यक्ति की प्रोपर्टी दो लाख रुपये की है तो उसमें से एक लाख की प्रोपर्टी को छूट दी जा कर बाकी एक लाख रुपये की जायदाद पर टैक्स लगेगा। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति की प्रोपर्टी तीन लाख तक की है तो एक लाख की प्रोपर्टी पर छूट देकर बाकी दो लाख की प्रोपर्टी पर आधा पर्सेन्ट टैक्स लगेगा। पर तीन लाख की जायदाद से ऊपर किसी की जायदाद है तो टैक्स की रेट बढ़ा दी है। यह समाजवादी व्यवस्था के अनुकूल भी है। ज्यों ज्यों किसी भी व्यक्ति की आमदनी बढ़ती है, जायदाद बढ़ती है तो अधिक सम्पत्ति के ऊपर अधिक टैक्स लगाने की जो व्यवस्था है वह उचित है। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक बात मैं पूछना चाहता हूं, मास्टर साहब, अगर किसी के पास डेढ़ लाख रुपये की प्रोपर्टी है तो उसमें से आप एक लाख रुपये तक की जायदाद तो कर-मुक्त रखेंगे और फिर पचास हजार पर टैक्स लगायेंगे ? यही बात है ना ?

श्री आदित्येन्द्र : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेढ़ लाख रुपये की प्रोपर्टी किसी भी व्यक्ति की है तो उस व्यक्ति की एक लाख रुपये की जायदाद को छोड़कर बाकी बची पचास हजार की जायदाद पर ही

(श्री आदित्येन्द्र)
टैक्स कैलकुलेट किया जायेगा। इसी तरह अगर दो लाख रुपये की प्रोपर्टी है तो..

श्री मदनसिंह शांता : अगर किसी व्यक्ति के पास 20 लाख की जायदाद है तो 19 लाख पर ही टैक्स लगेगा और एक लाख की सम्पति पर छूट होगी ?

श्री विजयेन्द्रपालसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी व्यक्ति के पास दस मकान हैं और एक-एक मकान एक लाख से ऊपर नहीं है ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजिये। वित्त मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री आदित्येन्द्र : मान लीजिये किसी व्यक्ति की जायदाद दस लाख से ऊपर है, 11 लाख की जायदाद है तो उसमें से एक लाख की जायदाद की छूट देकर दस लाख की जायदाद पर टैक्स लगेगा। इसमें तीन लाख तक तो आधा पर्सेन्ट है फिर एक प्रतिशत का टैक्स लगेगा।

यहां पर कई माननीय सदस्यों ने वेल्यूएशन के बारे में प्रश्न उठाये कि लोगों की जायदाद का वेल्यूएशन नहीं हुआ है। वह एतराज काफी मायने में ठीक है। इस संबंध में पूरी तरह से अभी विचार नहीं हुआ है। यह मामला विचाराधीन है। राज्य सरकार इस संबंध में जल्दी से जल्दी विचार करेगी और जो कुछ भी निर्णय होगा वह बाद में कर लिया जायेगा। इस संबंध में कई व्यक्तियों ने चिन्ता व्यक्त की है, यह चिन्ता उचित भी है।

श्री विजयेन्द्रपालसिंह : सभापति महोदय, मेरा भी मंत्री महोदय से यह प्रश्न है कि अगर एक व्यक्ति के पास दस मकान हैं, इनमें से कुछ तो एक लाख से नीचे हैं, कुछ एक लाख से ऊपर हैं। तो जो एक लाख से नीचे वाले मकान हैं क्या उन पर टैक्स नहीं लगेगा चाहे सब मिल कर उसकी प्रोपर्टी दस की हो जाये ?

श्री सभापति : आप बैठिये। बीच में व्यवधान मत कीजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह हमें समझना पड़ेगा। क्या रूल्स हैं हमें पता नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपालसिंह : सभापति महोदय, किसी व्यक्ति के दस मकान हैं वे सब एक लाख से नीचे हैं, प्रोपर्टी दस लाख से कम होती है तो टैक्स लगेगा कि नहीं ? एक भी मकान उसका एक लाख से ऊपर नहीं है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अगर किसी की एक लाख से ऊपर की प्रोपर्टी है और उसने चार हिस्से कर दिये हैं अलग-अलग नाम से तो टैक्स लगेगा या नहीं ?

श्री आदित्येन्द्र : अभी जो माननीय सदस्य ने यहां पर सवाल उठाया कि एक व्यक्ति का एक मकान है, वह एक लाख से ऊपर का है लेकिन उसने हिस्से कर दिये तो क्या उस पर टैक्स लगेगा ? पहले तो ऐसा था कि पचास हजार तक की प्रोपर्टी पर छूट थी, अब यह एक लाख की प्रोपर्टी पर छूट है अगर इससे ऊपर की प्रोपर्टी है और उसने हिस्से करके अलग-अलग नाम कर दिये हैं और लाख रुपये के नीचे हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक व्यक्ति के दस मकान हैं चाहे एक लाख से नीचे है दस मकान तो भी जो वेल्यूएशन उनका होगा उसके उसके अनुसार टैक्स लगेगा।

Page No 85

(85)

श्री शंकरलाल : मगर, सभापति महोदय, यह सभी मकान दस लाख से नीचे तो हैं पर एक भी मकान एक लाख से ऊपर नहीं है। एक लाख तक के मकान को आपने छूट दी है तो ऐसी हालत में टैक्स कैसे लगेगा ?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बिराजिये। आप लॉ को चैन्ज कराना चाहते हैं, मास्टर साहब से आप कमिटमेंट कराना चाहते हैं, आप मंत्री महोदय से कमिटमेंट कराना चाहते हैं, तो इसके लिये मैं माननीय सदस्य को इजाजत नहीं दूंगा। न ही मुख्य मंत्रीजी से भी इस बात के लिये कहूंगा। आप माननीय मंत्रीजी से कमिटमेंट कराना चाहते हैं, यह बात गलत है। आप स्थान ग्रहण कीजिये। कानून बदलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : हम तो पूछ रहे हैं। कानून तो यहीं बनता है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। श्री शंकरलालजी।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, कानून की व्यवस्था के बारे में पूछ रहे है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये। शान्त रहिये।

श्री मदनसिंह दांता : We are not school chil ren.

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह हमारा राइट है। हम ऐसे नहीं बैठेंगे। हमें पूछने का हक है। हम बोलेंगे।

श्री सभापति : आप बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल : हम तो आपसे व्यवस्था चाहते हैं। इस बारे में कानूनी चर्चा कर सकते हैं। हमें अधिकार है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सभापति महोदय, जो कानून इस वक्त विचाराधीन नहीं है उसके बारे में आप माननीय मन्त्रीजी से कमिटमेन्ट नहीं करा सकते।

श्री शंकरलाल : एक लाख की प्रोपर्टी पर टैक्स लगाया गया है। एक व्यक्ति के पास दस मकान हैं पर सभी एक-एक लाख से नीचे के हैं और मानलें टोटल नो लाख की प्रोपर्टी हो जाती है, तो क्या टैक्स लगेगा या नहीं ? यह बता दें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपने क्या नियम बनाये थे, यह बतायें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सभापति महोदय, कानून के नीचे नियम बनाये हुए होते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इसमें नियम नहीं बनाये हुए हैं।

श्री मदनसिंह दांता : हमें नियमों में अमेन्डमेन्ट करने का हक है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये। विरोधी दल के माननीय नेता महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, अभी यहां पर जो मुद्दे उठाये गये हैं वे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अभी नियम नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)
बने ए हैं। इस कारण सरकार अपने मन चाहे ढंग से नियम बनाने के लिये अधिकृत है। कोई ऐसे नियम नहीं बनें जिससे जनता को परेशानी हो इसलिये माननीय सदस्यों ने कुछ स्पष्टीकरण चाहे हैं। यह तो इनका हक है कि इस सम्बन्ध में अगर कोई गलतफहमी हो तो उसे दूर करें। गवर्नमेन्ट को बहुत ही वाइड पावर्स रूल मेकिंग की दी हुई हैं। क्योंकि गवर्नमेन्ट को इतनी वाइड पावर्स रूल मेकिंग की दी हुई हैं, इसलिये कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। इसमें कोई कमिटमेन्ट कराने का प्रश्न नहीं है।

श्री सभापति : मैं निवेदन कर दूं ...

श्री विजयेन्द्रपालसिंह : एक मेरा प्रश्न था। यह लैंड एण्ड प्रोपर्टी टैक्स इन्डिविजुअल पर नहीं है। एक आदमी के पास दस मकान हैं, सब एक-एक लाख के नीचे हैं, तो एक्जेम्पटेड ही हैं।

श्री सभापति : बात समाप्त कर दी आपने ?

श्री विजयेन्द्रपालसिंह : बिलकुल।

श्री सभापति : विरोधी दल के नेता ने बताया डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेशन के बारे में। उसका एक स्कोप होता है। मैं यह नहीं कहता कि मास्टर साहब को क्या बोलना चाहिये और क्या नहीं। मैं यह निवेदन कर दूं कि डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेशन है, लेकिन उसका एक स्कोप होता है। इस सम्बन्ध में जो एतराज उठाया है उसके बारे में जो कुछ कहना चाहेंगे माननीय वित्त मंत्रीजी कहेंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति महोदय, मेरा एक सवाल है। आपने अभी वित्त मंत्रीजी को 'मास्टर साहब' कहा। चेयर से उनको 'वित्त मंत्रीजी' ही हाउस में कहा जाना चाहिये। हाउस में एक एतराज उठाया गया। मास्टरजी ने यह कहा कि यह प्रश्न विचाराधीन है, सब ही प्रश्न विचाराधीन हैं तो वेल्यूएशन कैसे करेंगे ? यह कोई किसी बिल को पास करने का तरीका नहीं है कि हर प्रश्न पर कह दें कि विचाराधीन है। इन्कम टैक्स एक्ट में क्लीयर है कोई मकान करदाता का है, 15 पर्सेंट मोर में उसको इन्कम टैक्स अधिकारी खरीदने का अधिकारी है। आपने मकान की वेल्यूएशन का तरीका तय नहीं किया है। इसलिये यह जो फाइनेन्स बिल है, वह अधूरा है। इसलिये माननीय सदस्यों ने इसको सब्जेक्ट कमेटी में रेफर करने के लिये कहा है। आपका यह सही दृष्टिकोण नहीं है।

श्री शिवचरणसिंह : वेल्यूएशन में बड़ा भारी खतरा है। अगर इसमें साफ नहीं करेंगे तो अधिकारी नोटिस देकर 100 पर्सेन्ट इसका मिसयूज करेंगे। आपके अधिकारी कहेंगे कि प्रापर्टी दस लाख की है और वह कहेगा कि दो लाख की है। इसलिये यह भ्रष्टाचार बढ़ाने का तरीका होगा। इससे बड़ा भारी भ्रष्टाचार पनपेगा। कोई मकान मालिक कहेगा कि यह वेल्यूएशन गलत है। तो आपने इसके लिये कोई इन्जीनियर्स नहीं रखे हैं। कोई डिपार्टमेन्ट नहीं बनाया। छोटे छोटे व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर निश्चित रूप से भ्रष्टाचार करेंगे। वेल्युएशन का तरीका सही रूप में नहीं रखेंगे तो मुझे बड़े भारी भ्रष्टाचार का खतरा नजर आता है। इसलिये नियम बनायें। विधान सभा से पास करायें कि कौन वेल्यूअर होगा और कौन वेल्यूएशन करेगा। वेल्यूएशन के नियम बनने चाहियें।

Page No 87

श्री सभापति : माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय सभापतिजी, मैं आपको इसके सम्बन्ध में पढ़ कर बताना चाहूंगा :

"For removal of doubt it is declared that the tax shall be levied on land or building or both separately as units.

(2) The tax shall be in addition to any other tax for the time being payable in respect of the land and building or portion thereof under any other law for the time being in force."

श्री शिवचरणसिंह : Who is the assessing authority ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। उनको कहने दीजिये।

श्री आदित्येन्द्र : इसमें डेफिनेशन भी है।

श्री मथुरादास माथुर : प्रेस्क्राइब्ड आथोरिटी ने रूल्स बना दिये या नहीं ? रूल्स बना दिये हैं तो रूल्स पढ़ लेंगे। रूल्स हमारे नोटिस में नहीं आये। Whether the rules have been framed and published in the Gazette or not ?

श्री आदित्येन्द्र : "Assessing Authority' means an Assistant Director of Land and Buildings Tax Department having jurisdiction over the urban area or part thereof in which the land or building liable to tax under this Act is situate, or any person authorised by the State Government to make assessment of the tax in respect of land and buildings in any urban area or part thereof."

माननीय सभापतिजी, जहां तक भूमि भवन कर से सम्बन्धित प्रश्न किये गये थे, जो स्पष्टीकरण मांगा गया था वह स्पष्टीकरण मैंने दे दिया।

एक चीज शायद अभी तक भी लोगों के मन में है। यह प्रश्न किया गया था कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान हों और उनकी कीमत चाहे एक लाख से अधिक हो या एक लाख हो या कम हो, उन पर किस प्रकार टैक्स लगेगा। तो मैंने पहले ही कह दिया कि सब बिल्डिंग्स अलग-अलग गिनी जावेंगी।

श्री मूलचन्द डागा : कैसे वेल्यू असेस होगी ? एक यूनिट मानी जावेगी या नहीं ?

श्री आदित्येन्द्र : अलग-अलग।

श्री मदनसिंह दांता : एक आदमी 100 हाउस रख सकता है ?

श्री सभापति : माननीय वित्त मंत्रीजी को बोलने दीजिये। डागाजी, आप बड़े विद्वान हैं।

(व्यवधान)

बोलने दीजिये।

श्री मदनसिंह दांता : मंत्रीजी को गलत क्यों बोलने दें ?

श्री आदित्येन्द्र : माननीय सदस्य, यह भलीभांति जानते हैं कि कोई भी सरकार

(श्री आदित्येन्द्र)

अब तक टैक्स लगा कर रुपया एकत्रित नहीं करती है वह सरकार चल नहीं सकती है। आज की स्थिति में मैं मानता हूं कि टैक्स कई जगह पर काफी हैं और टैक्स अधिक बढ़ने की गुंजाइश नहीं है लेकिन तब भी दिन प्रतिदिन जो खर्चा बढ़ रहा है, चाहे प्रशासनिक खर्चा है, चाहे दूसरे प्रकार का खर्चा है, विकास का खर्चा है ऐसे बढ़ते हुए खर्च की स्थिति में अगर टैक्स कुछ लगाये नहीं जाते हैं तो काम भी नहीं चल सकता है। जहां तक इस वर्ष का सवाल है इस वर्ष तो कोई टैक्स भी नहीं लगाया गया। टैक्स केवल वही है जो पहले था। जहां तक भूमि और भवन कर का सवाल है यह टैक्स पहले भी था। यद्यपि इस टैक्स में जो वसूलियां थीं वह मार्च के महीने से रोक दी गयी थीं लेकिन तब भी एक प्रकार से इस कर को समाप्त नहीं किया गया था। इस कर में परिवर्तन या संशोधन करके एक दूसरे नये रूप में इसको रखा गया है। इसमें भी केवल इतना ही परिवर्तन किया गया है कि इस टैक्स को रेशनेलाइज कर दिया गया है जिससे कि करों का बोझ गरीबों की अपेक्षा सम्पन्न लोगों पर ज्यादा पड़े।

इसके अलावा जो भी और टैक्स लगाये गये हैं यद्यपि यह वित्त विधेयक उन टैक्सों से सम्बन्धित नहीं है, जो टैक्स मैंने बजट स्पीच में कहे थे लेकिन नहीं के बराबर ही वह टैक्स हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जनता पार्टी ने जो कुछ भी वचन दिये थे अपने चुनाव घोषणा-पत्र में उस चुनाव घोषणा-पत्र के मुताबिक ही जनता पार्टी आगे चल रही है। मैंने पहले भी कहा था कि अभी थोड़ी देर या थोड़े समय के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। अभी केवल 3 महीने ही हुए हैं। मैं माननीय सदस्यों को फिर यह कहना चाहता हूं कि यह तीन महीने का समय बहुत कम समय है। इस तीन महीने के समय में ...

श्री मूलचन्द डागा : पौधा उगा ही नहीं तीन महीने में।

श्री जयकृष्ण शर्मा : होनहार बिरवान के होत चीकने पात।

श्री आदित्येन्द्र : जैसा मैंने माननीय सदस्यों से कहा कि इन तीन महीनों के बाद जो मौलिक प्रश्न हैं, जिन मौलिक प्रश्नों के बारे में जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में उल्लेख है उनके ऊपर विचार होगा। कभी-कभी यह कहा जाता है कि जनता पार्टी ने तो चुनाव घोषणा-पत्र में कहा है कि टैक्स लगेंगे ही नहीं। यह चीज कैसे हो सकती है? चुनाव घोषणा-पत्र में यह जरूर है कि सेल्स टैक्स की समाप्ति के लिए कहा गया है। इस पर भी केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में जो एक कमीशन बैठाया गया है उस कमीशन की अभी तक अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। विश्वास यह है कि इस वर्ष के अंत तक उसकी रिपोर्ट मिल जायेगी। उसके बाद ही ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री शिवचरण सिंह : क्या मार्च में सेल्स टैक्स समाप्त हो जायेगा? दिसम्बर में रिपोर्ट आने के बाद मार्च तक तीन महीने हो जायेंगे।

श्री सभापति : रिपोर्ट तो आने दीजिए।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप 30 साल तक घसीटते रहे। अब तीन महीने के लिये क्यों कह रहे हैं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सुनिये।

श्री आदित्येन्द्र : इन तीस वर्षों में जो कुछ भी हुआ है वह आपके सामने है। हमारी गलत नीतियों के कारण या जो हमारी निर्धारित नीति थी, जिन नीतियों को हमें अपनाना चाहिए था उन नीतियों के विरोध में चले गए उससे सारा मामला ही उलट गया है। वह नीतियां विपरीत दिशा में गयी हैं, उलटी दिशा में गयी हैं। उस उलटी दिशा के कारण आज इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने है। उन समस्याओं के ऊपर जब तक हम गम्भीरता से विचार नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आज आपकी आत्मा जागी है। 14 साल तक आपकी आत्मा मरी हुई थी जब आप कांग्रेस के प्रेसिडेन्ट थे। आपको शर्म आनी चाहिए........

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस तरह से नहीं बोल सकते।

श्री जयकृष्ण शर्मा : क्यों नहीं बोल सकते ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठिये।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से माननीय सदस्य ने एड्रेस किया है उसको कार्यवाही में से निकाला जाना चाहिए।

श्री सभापति : यह जो माननीय सदस्य ने कहा है 'आत्मा मरी हुई थी' यह शब्द कार्यवाही से निकाले जाते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह अनपार्लिया-मेन्ट्री नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं। आत्मा मरी हुई थी, यह अनपार्लियामेन्ट्री नहीं है......

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, विराजिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठिये। मंत्री महोदय।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मैं चाहता नहीं था कि इस बारे में अपने कुछ विचार रखूं लेकिन अभी जो आपने एक एतराज उठाया यद्यपि वह शब्द प्रोसीडिंग्स से निकाल दिये गये हैं सभापतिजी की आज्ञा से, परन्तु फिर भी मैं यह कह देना चाहता हूं कि मेरी आत्मा उस समय नहीं मरी थी। मैं इसको साफ-साफ कह देना चाहता हूं। मुझे ऐसे अवसरों की याद है, सन् 1948 और 1951 की याद है। मैं समझता हूं कि मेरे जो मित्र हैं, माथुर साहब, माननीय सदस्य जो इस समय सदन में बैठे हुए हैं उनको भी याद होगा, 1951 में जिस समय मंत्रिमंडल बना था और व्यासजी और माथुर साहब उस समय मंत्रिमण्डल में थे। इनके अलावा और भी कई माननीय सदस्य थे जिनका नाम लेना मैं यहां उचित नहीं समझता। उस समय एक ऐसी घटना हुई, जिस घटना पर मैंने विचार आपके सामने रखे। जैसे ही मन्त्रिमण्डल 1951 में बना उसके कुछ दिनों के बाद ही जयपुर में आवासीय भू-खण्ड ले लिये हमारे मंत्रियों ने, किसी ने दो हजार वर्ग गज का तो किसी ने तीन हजार वर्ग गज का प्लाट ले लिया। मैं उस समय प्रेसीडेन्ट नहीं था। प्रेसीडेन्ट उस समय कांग्रेस के

(श्री आदित्येन्द्र)

माननीय स्वर्गीय माणिक्यलालजी वर्मा थे। 1952 से मैं जरूर कांग्रेस का प्रेसीडेन्ट रहा। उस समय मैंने एक ही बात कही थी कि जो आपने भू-खण्ड लिए हैं दो हजार वर्ग गज या तीन हजार वर्ग गज के यह आपको नहीं लेने चाहिए थे। यह आपको वापस करने चाहिये। मैंने अपना रोष भी प्रकट किया था कि मैं कांग्रेस के योग्य नहीं, मुझे कांग्रेस छोड़ देनी चाहिये। मैंने साफ कहा था कि कांग्रेस अपने रास्ते से हटती जा रही है....

(व्यवधान)

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : क्यों बने आप प्रेसीडेंट ?

श्री **सभापति** : माननीय सदय, बैठिये।

श्री **नारायण सिंह** : आसन की आज्ञा है, आप बैठिये।

श्री **मदनसिंह दांता** : कांग्रेस के पाप निकल रहे हैं, जरा लड़ने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री **आदित्येन्द्र** : माननीय सभापतिजी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह माननीय सदस्यों को उत्तेजित करने के लिये नहीं कह रहा हूं। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह सत्य कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं। मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई भी बात कहूं। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह इसलिये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने आपको यह बताऊं कि आपसे भिन्न हूं। मेरे में वही कमजोरियां हैं जो कमजोरियां सभी मानव में होती हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस में रहा उस समय तक मैंने हर बार चाहे कितने ही विनम्र शब्दों में कहा हो, वह स्पष्ट कहा और जो....

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : शांत रहिये।

श्री **आदित्येन्द्र** : जो-जो गलतियां करते थे उन गलतियों की ओर ध्यान दिलाया। आज मैं जनता पार्टी में हूं, तो यह मतलब नहीं कि जनता पार्टी का एक तरह से मैं समझता हूं कि हर एक चीज का पूरी तरह से यस मैन हूं। मैं जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला नहीं करना चाहता। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी का निर्माण कांग्रेस के 30 वर्ष के शासन के बाद हुआ है, जनता पार्टी का निर्माण काफी अनुभवों के बाद हुआ है। जनता पार्टी उन गलतियों का पूरी तरह से लाभ उठाकर के शासन चलायेगी। मुझे विश्वास है कि जनता पार्टी उस तरह से काम करेगी। अगर हम भी कोई गलती करेंगे तो गलती करने के बाद जो कुछ कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ....

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा जब आपके नेता बोलते हैं तो इधर से कोई एक शब्द नहीं बोलता।

श्री **आदित्येन्द्र** : मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से कल और परसों शांति से सुना उसी तरह से आप मेरी बात को शांति से सुनें। मेरी जो कुछ भी बातें हैं वे प्रचारात्मक नहीं हैं। जो कुछ भी कह रहा हूं मैं अपने हृदय से कह रहा हूं। अगर हमें देश को बनाना है तो देश को बनाने के लिये कठिन परिश्रम करना होगा।

श्री **श्योपत सिंह** मकासर : ग्रॉन ए पाइंट ग्राफ इन्फार्मेशन, सर । सवाल यह है कि ग्रभी हरिजन ग्रौर जन-जाति के लोग, विद्यार्थी हजारों की तादाद में नीचे खड़े हैं । शिक्षा मंत्री से मिलना चाहते हैं लेकिन शिक्षा मंत्रीजी मिलने नहीं गये । बड़ी तनावपूर्ण स्थिति है । सदन में जो भी नेता हैं उनको चाहिये कि जाकर वह उन छात्रों से मिलें । सारे के सारे हरिजन ग्रौर जन-जाति के लोग हैं. . .

(व्यवधान)

ग्रनुसूचित जाति, हरिजन छात्र बाहर खड़े हैं ।

श्री **सभापति** : बैठिये, माननीय सदस्य, ग्रापकी जो भावनायें हैं शिक्षा मंत्री तक पहुंचा दी जायेंगी ।

श्री **श्योपत सिंह मकासर** : ग्रनुसूचित जाति के लोग हैं ।

श्री **सभापति** : बोलने दीजिये । ग्रापकी बात पहुंचा दी जायेगी । इस के ग्रलावा ग्रौर कुछ नहीं हो सकता ।

श्री **श्योपत सिंह** मकासर : कहने वाले भी ऐसा ही कहते थे ।

श्री **सभापति** : बोलने दीजिये । कृपया शांत रहिये ।

श्री **ग्रादित्येन्द्र** : माननीय सभापतिजी, ग्रब मैं ग्रपने विषय पर ग्राता हूं । मुझे एक-दो घोषणायें करनी हैं । ग्राज से दो दिन पहले हमारे गृह मंत्रीजी ने, जो हमारे पुलिस के सिपाही हैं, कान्स्टेबल्स हैं, हैड कांस्टेबल्स हैं जिनको बैरिक्स में रहना पड़ता है ग्रौर जिन्हें सम्मिलित मैस में खाना खाना पड़ता है उनके ग्रलाउन्स की दर कुछ बढ़ाई थी । इस संबंध में मुझे यह कहना है कि राज्य के कारागारों में ग्रधिकांश प्रहरियों को बैरिकों में रहना ग्रावश्यक होता है तथा वह भोजन सम्मिलित मैस में करते हैं, इसमें उनको ग्रतिरिक्त व्यय उठाना पड़ता है। ग्रतः यह निर्णय लिया गया है कि कारागारों के उन समस्त प्रहरियों, वार्डन्स तथा मुख्य प्रहरियों, हैड वार्ड्स को, जो बैरिक्स में रहते हैं तथा महीने में कम से कम 20 दिन सम्मिलित मैस में भोजन करते हैं, को दिनांक 1-10-77 से मैस ग्रलाउंस दिया जायेगा । यह मैस ग्रलाउंस पुलिस लाइन्स में रहने वाले पुलिस कर्मचारियों को उपलब्ध ग्रलाउंस के समान ही ग्रर्थात् 22 रुपये प्रत्येक माह दिया जायेगा ।

तो मैं ग्रापसे यही निवेदन कर रहा था कि यह जो परिवर्तित बजट ग्रापके सामने रखा गया था, उस पर ग्रापने बहस भी की, ग्रापने विचार भी प्रकट किये । कल एप्रोप्रियेशन बिल भी पेश कर दिया गया, ग्रापने पारित भी कर दिया । ग्राज यह जो वित्त विधेयक ग्रापके समक्ष विचारार्थ है इस पर भी ग्रापने विचार दिये । इसमें केवल भूमि एवं भवन कर में जो कुछ भी परिवर्तन किया गया है वह मैंने ग्रापके सामने रखा है ग्रौर इस संबंध में जो स्पष्टीकरण मांगा गया वह भी दे दिया । मैं समझता हूं ग्रौर कोई चीज इस संबंध में मुझे नहीं कहनी है । ग्रब मैं ग्रापसे यह ग्राशा करता हूं कि ग्राज इस सदन में जो वित्त विधेयक रखा गया है उस वित्त विधेयक को पारित करें ।

श्री **मूल चन्द डागा** : श्रीमान् सभापतिजी, ग्रापसे प्रार्थना करना चाहता हूं जो

(श्री मूलचन्द डागा)।

मैंने मुद्दे उठाये उनमें से एक का भी जवाब आदरणीय मंत्री महोदय ने नहीं दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप यहां बिराज नहीं रहे थे। आपका नाम लेकर कहा है।

श्री मूलचन्द डागा : यह जनता पार्टी...

श्री सभापति : आप बिराजिये। इसका उत्तर दे चुके हैं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त (सं० 2) विधेयक, 1977 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान वित्त (सं० 2) विधेयक, 1977 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त (सं० 2) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त (सं. 2) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डनः विचार

खण्डनः विचार

श्री मूलचन्द डागा एवं श्री रघुनन्दन व्यास अपने प्रस्ताव मूव करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, खण्ड 2 के प्रोविजो में मेरा यह संशोधन है।

In the second proviso sought to be substituted, substitute the rate of tax by the following:—

"On the first Rs. 50,000/- of the market value of the land and building. Nil.

On the next Rs. 1,00,000/- of the market value of the land and building. 1%

On the next Rs. 5,00,000/- of the market value of the land and building. 1½%

On the balance of the market value of the land and building in excess of Rs.10,00,000/- 1¾%

श्री सभापति : इसको आप वापस लेना चाहते हैं?

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं। हम वापस थोड़े ही लेते हैं।

सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी का ध्यान मैं आपके द्वारा कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो आपने यह बिल पेश किया है उसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में कोई कारण आपने नहीं दिया है, एक शब्द भी नहीं लिखा है कि क्यों इस एक्ट में संशोधन करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जब कभी विधेयक बनाते हैं, सभापति महोदय, तो उसके स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में सारी बातें दी जाती हैं लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यह पहला विधेयक बना है जिसमें कोई आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स

(श्री मूलचन्द डागा)

नहीं दिये हैं और न कोई बात लिखी है। इसका कारण यह है कि इनको समय नहीं मिलता। काफी चिन्तन कर रहे हैं आपसी झगड़ों के कारण...

श्री सूर्य नारायण चौधरी : कोई झगड़ा नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : कहां है झगड़ा?

श्री मूलचन्द डागा : यह बोली में ही नजर आ रहा है।

तो सवाल यह है, श्रीमन्, जो मैंने अमेन्डमेंट्स दिये हैं वह क्यों दिये हैं? हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी अकिंचन, दीन-दरिद्र के बड़े हिमायती हैं, दरिद्रनारायण की सेवा करने की इनकी बड़ी मंशा है। मैंने देखा है अगर कोई विधान सभा में भी दरिद्रनारायण को याद करते हैं तो हमारे वित्त मंत्रीजी याद करते हैं। लेकिन जो नकद नारायण हैं उनकी आपने सेवा कर दी। कांग्रेस ने तो यह कहा था, जिनकी प्रोपर्टी 50 हजार तक है उनको कर से छूट दी जायेगी....

श्री रतन लाल वर्मा : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। ये अमेन्डमेंट्स पर बोल रहे हैं या किस पर बोल रहे हैं?

श्री मूलचन्द डागा : तो, श्रीमन्, भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 50 हजार के मकान को कर से माफ किया था। आपने प्रगतिशील कदम क्या उठाया? एक लाख की कीमत वाला जिसका मकान है उसको कर-मुक्त कर दिया।

अब, श्रीमन्, यह प्रगतिशील बात है जहां आप कहते हैं 56.8 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे हैं और आपने अपने भाषण में यह कहा है कि 81 प्रतिशत खेतीहर मजदूर गरीबी की रेखा के नीचे हैं इस मुल्क में वहां आप विषमता कायम करना चाहते हैं। तो मैं यह जानना चाहता था, श्रीमन्, जिसका तीन लाख का मकान है उस पर कितना टैक्स लगेगा? यह वित्त मंत्रीजी बतायें। मैं कहना चाहूंगा जिसके पास तीन लाख का मकान होगा उसके एक लाख के मकान पर तो कर से छूट हो जायेगी। मतलब क्या हुआ, श्रीमन्? आपने जो प्रोविजन रखा है जो क्लॉज (2) है, उस क्लॉज (2) में जो प्रोविजन है उसमें क्या किया है? On the next Rs. 2,00,000 एक लाख की प्रापर्टी पर तो कर से छूट हो जायेगी। इस प्रकार से टैक्स काउन्ट करेंगे तो मैं समझता हूं कई लोग छूट जायेंगे। क्योंकि आपकी असेसमेंट अथोरिटी जैसी है इसे हम जानते हैं, श्रीमन्, और आप भी उससे परिचित हैं। श्रीमन्, 24–25 लाख रुपया एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होता है फिर भी सम्पत्ति अगर ढाबरिया साहब के पास हो तो बच सकते हैं...

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : मेरे पास कहां है सम्पत्ति?

श्री मूलचन्द डागा : इसके अलावा जिनके पास सम्पत्ति है वे इस प्रकार बांटेंगे कि पांच लाख की सम्पत्ति एक-एक लाख

(श्री मूलचन्द डागा)
की ऐसे ही हो जायेगी ।

यह जो आपने टैक्स लगाया है, दो लाख पर कितना टैक्स लगेगा ? 1,500 रु० । अब आप इसका हिसाब लगा लीजिये । एक-दो लाख की सम्पत्ति वाले को 1,500 रु. टैक्स देना पड़ता हैं । समाजवाद की बात आप कहते हैं और आप चाहते हैं कि जो ऊपर बैठा है वह नीचे आ जाय । हमने तो कहा था कि खाली जमीनों को आप ले लें । कानून के अन्तर्गत जितनी खाली जमीनें हैं उनको आप अपने कब्जे में करें । अभी बड़े-बड़े मंत्री लोग काफी जमीनें और खाली जमीनें लेकर बैठे है Charity begins at home. आज आपने यह कानून पेश कर दिया । इसके अनुसार तीन लाख की प्रोपर्टी जिसके पास है उसको मुश्किल से 1,500 रुपये देने पड़ेंगे । जिस समाजवाद के लिये कहा था आपने इससे वह समाजवाद कैसे आयेगा ? काश्तकार पर आपने टैक्स लगा दिया, वह बेचारा मर गया । इधर आपको समाज कल्याण विभाग तीन हजार रुपया मकान बनाने के लिये देगा । यह समाज कल्याण का काम है । वह तो कहता है कि तुम तीन हजार के मकान में रहो । जनता पार्टी में समाजवाद लाने वाले लोग हैं । जनता पार्टी क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहती है । उस क्रान्तिकारी परिवर्तन में जितने ऐसे लोग हैं जिनके पास तीन लाख का मकान है, वे सब टैक्स से छूट जायेंगे । यह क्या टैक्स लगाया आपने ?

एक माननीय सदस्य : आपको बचाया है ।

श्री मूलचन्द डागा : यह जनता पार्टी के घोषणा-पत्र के खिलाफ है। तीन लाख का तो 1,500 रुपया टैक्स होगा, आप काउन्ट कर लीजिये । मैंने कहा, इस प्रकार समाजवाद लाना चाहते हैं ? आप अपनी ताकत के द्वारा, अपने कानून के द्वारा, अपने टैक्सेशन के द्वारा पूंजीपतियों की माली हालत को कमजोर करके गरीबों को ऊपर लाना चाहते हैं ? अब, जिसका मकान दस लाख रुपये का है उससे कितना लेंगे ? कुल लेंगे 12,250 रुपये । जब उसका मकान दस लाख से ऊपर है तो उससे लेंगे 12,250) रुपये । मतलब यह है कि बीस लाख का मकान हो, पन्द्रह लाख का मकान हो उससे इतना लेंगे । फिर आपकी असेसिंग अथोरिटी है उसे तो आप जानते ही हैं । इसलिए मैंने, श्रीमान्, निवेदन किया कि कांग्रेस की आज भी वही नीति है कि गरीब को ऊपर उठाना है और धनवानों को नीचे लाना है । यह उसका एक तरीका है और वही अगर आप चाहते हैं तो उन पर भारी टैक्स लगाना चाहिए । मैंने जो प्रपोज किया है वह टैक्स आप देख लीजिये । इससे आपकी आमदनी दो करोड़ की जगह साढ़े चार करोड़ की हो जायेगी । इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी । आप 58 करोड़ का घाटा लेकर आ गए क्योंकि हिम्मत नहीं है आपकी । आपकी हिम्मत नहीं है कि धनवानों के हाथ लगावें या उन पर टैक्स लगावें । इसलिए मैंने प्रस्ताव दिया है, हुजूर, श्रीमान् कि पचास हजार तक के मकान को माफ कर दो, एक लाख रुपये तक का जिसका मकान हो उस पर एक रुपया पर्सेंट टैक्स लगाओ, पांच लाख के मकान पर $1\frac{1}{2}$ पर्सेंट और दस लाख के मकान पर $1\frac{3}{4}$ पर्सेंट टैक्स लगाओ । अब आप हिसाब लगा लीजिएगा । अब यह क्या आपकी टैक्सेशन पॉलिसी है ? क्या आपके ऑफिसरों ने रेशनेलाइजेशन

(श्री मूलचन्द डागा)
कर दिया ? क्या ग्रापको रास्ता बता दिया ? मैं फिर कहता हूं कि ग्राज भी मंत्री लोग नौकरशाही के नीचे रहते हैं । ग्राप जैसे सर्वोदयी ग्रौर समग्र क्रांति लाने वाले ग्रौर जनता पार्टी के स्तम्भ, इस प्रकार का टैक्स प्रपोजल लेकर ग्रा गए कि धनवान पर ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा । तब तो समग्र क्रांति ग्रा गई ग्रौर ग्रन्त्योदय योजना हो गई । इसलिए मैंने, श्रीमान्, जो संशोधन रखा है इसको ग्राप स्वीकार करिये । धनवानों पर ज्यादा टैक्स होना चाहिए। मकान किसका बनेगा ? जिनके पास पैसा होगा उनका बनेगा । उनकी लाखों की बिल्डिंग बनेगी ।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह : नाथद्वारा में क्या बनेगो, वहां पर से तो ग्राप पहले ही ले गए ।

श्री मूलचन्द डागा : ग्राप नाथद्वारा की क्या बात करते हैं । ग्रापकी तो नाथद्वारा में एक कोठरी भी नहीं है । श्रीमान् सभापतिजी, नाथद्वारा के माननीय सदस्य क्या बात कह रहे हैं । उनका मकान तो क्या कोठरी भी बनी हुई नहीं है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : डागाजी, ग्राप चिन्ता मत करो । ग्रापके जितने पुराने कांग्रेसी साथी हैं उन सब पर टैक्स लगा देंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : कानून ने बचा दिया, ढाबरिया साहब ।

श्री मदनसिंह दांता : सबको बचा दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : सब को बचा दिया है ग्रापके कानून ने, श्रीमान् ।

माननीय सभापतिजी, ग्रभी जो जनता पार्टी के उप-सभापति हैं, वे बड़े पार्टी के बहुत मजबूत स्तम्भ हैं । उनको भी इस कानून को देख कर शर्म ग्राती है ग्रौर उन्होंने भी महसूस किया कि यह क्या कर दिया. . .

श्री नरेन्द्रपाल सिंह : मुझे तो ग्रापको भी देख कर शर्म ग्राती है ।

श्री मूलचन्द डागा : यह इस कानून का परिणाम है कि सब बच जायेंगे । इसलिए मैं कहता हूं कि जो धनवान हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाइये ।

एक ग्रौर बात कहना चाहता हूं, सभापतिजी, इस बात को मैंने पहले भी कहा है कि यह ग्रापका क्या स्टेंडर्ड है । जिसका मकान, मान लीजिए, नगरपालिका सीमा के बाहर बना हुग्रा है फार्म पर है, वह म्युनिसिपल एरिया में नहीं है, ग्रर्बन एरिया में नहीं है, नगरपालिका की सीमा से थोड़ी ही दूरी पर बंगला बना लिया, उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, वह तो इस टैक्स से बच जायगा । मैं ग्रपना मकान चार मील दूर बना लूंगा ग्रौर मोटर से ग्राऊंगा । दस-बीस लाख का मकान बना लूंगा ग्रौर ठाठ से शहर में मोटर से ग्राऊंगा । यह क्या पॉलिसी है ग्रापकी ? यह गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है कि. . . .

श्री माणकचन्द सुराणा : गांवों को ग्रागे नहीं बढ़ाना चाहते ?

श्री मूलचन्द डागा : गांव में भी ग्रापने दो वर्ग खड़े कर दिए हैं । एक वर्ग वह है जो गांव में रहे, मालदार बन कर रहे. फार्म बनाये ग्रौर चार लाख का बंगला, दस लाख का बंगला बना कर रहे । ग्रब मैं म्युनिसिपैलिटी के एरिया से बाहर रहता हूं ग्रौर ऐशो ग्राराम

(श्री मूलचन्द डागा)
करता हूं और वहां से मोटर लेकर सीधा शहर में आता हूं . . . .

श्री माणकचन्द सुराणा : आप गांव वालों को मालदार नहीं बनाना चाहते ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मैं आपके विचारों से भिन्न हूं और भिन्न हूं, अलग हूं। इसका कारण यह है कि गांव में भी दो क्लास हो गई हैं। एक धनी क्लास और एक गरीब क्लास। गांव में यह भेद-भाव क्यों कर रहे हैं। बलवन्तराय मेहता ने भाषण दिया था कि गांव में गरीब आदमी समझे कि स्वराज्य मेरे लाये आया है वह इससे नहीं हो सकेगा। गांव में कुछ धनवान लोग बड़े-बड़े मकान बना कर लाखों की दौलत बना लेते हैं, बड़े-बड़े फार्म बना लेते हैं और शहर में मोटर से आते हैं, उन पर टैक्स लगना चाहिए। यह जनता पार्टी का राज्य क्या आया कि उनको मजा आ गया। वे गांव में रहेंगे फार्म पर। इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट दिया है, श्रीमान्। आप कृपा करके इस बात को मानें और इसके अन्दर, कानून में रद्दोबदल करें। नहीं तो यह प्रगतिशील कानून नहीं रहेगा, आप धनवानों को बचा देंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है और फिर कहता हूं कि आप उनकी जमीनें ले लें। कानून बन चुका है, आप लोगों से जमीन खोस लो और सीलिंग लगा दो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्या बोलना चाहेंगे।

श्री रघुनन्दन व्यास : जी हां।

श्री सभापति : माननीय श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : माननीय सभापतिजी, इस विधेयक के बारे में माननीय डागाजी ने बड़ी उलझी हुई भाषा में चर्चा की है। उन्होंने जो बातें कहीं उनमें समाजवाद की भी बात कही है। हमारी समाजवाद की व्याख्या तो बहुत पुरानी है। उसके संबंध में एक ही शब्द संस्कृत का कहना चाहता हूं, कोपीन वन्तः खलु भाग्यवन्तः। जिसकी आवश्यकता मात्र कोपीन तक ही सीमित है वही संसार में भाग्यशाली है उसको हम लोग भाग्यशाली कहते हैं, हम उसको धनवान कहते हैं और सम्पन्न कहते हैं। जो पैसे के लिए मन में भिखारी बना रहता है उसको हम भिखारी मानते हैं। तो समाजवाद की कल्पना माननीय डागाजी की केवल यह है कि पूंजी और पूंजी। दो और दो मिला कर चार करने की कल्पना ही उनके मन में रहती है। उनके दिमाग में चौबीसों घण्टे नकद नारायण-नकद नारायण की बातें रहती हैं। उस नकदनारायण की बात ही इसके सम्बन्ध में वह कह गए हैं। हमने राजस्थान लैन्ड्स एण्ड बिल्डिंग्स टैक्स एक्ट, 1964 के बारे में जो फाइनेंस बिल नम्बर 2 में व्यवस्था की है उसमें लाख की प्रापर्टी पर टैक्स से छूट रखी है। इसके बारे में मेरी स्पष्ट धारणा है वह यह है कि आज एक लाख की बिल्डिंग जिसके पास है, वह उसके पूर्वजों ने बना दी लेकिन उसमें रहने वाला आदमी सेक्रेटेरियट का चपरासी है या कोई एल.डी.सी. है। जो कमाता नहीं, जिसका कोई धन्धा नहीं उसके पास में अगर पचास हजार का, 90 हजार का मकान है पूर्वजों का बनाया हुआ, उसके लिए पचास हजार की सीमा बांध दी। इसको इस दृष्टि से देखना पड़ेगा। यानी इस कानून से, इस कानून की धाराओं से वह बच सकता है। पंचायत में हाउस टैक्स है बिल्डिंग की कीमत पर लेकिन नगरपालिका में वह

(श्री रघुनन्दन व्यास)

रैन्टल वेल्यू पर है। दोनों में बड़ा अन्तर बना दिया है। फिर ऐसे कानून आते हैं तो कितने ही प्रकार के प्रश्न पैदा होते हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय जब अगले वर्ष का बजट पेश करेंगे तब इन बातों पर विचार कर सुधार के प्रस्ताव पेश करने की कल्पना है। मैं डागाजी को बताऊं कि जो कमियां पिछले तीस वर्षों में कानून बनाते हुए आप लोगों ने रखीं, ज्यों-ज्यों उन की हमारी सरकार को जानकारी होती जायेगी, उन कमियों को हम धीरे-धीरे दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने जिस प्रकार से एक लाख रुपये की सीमा तक छूट देकर बड़ी बात की है, माननीय डागाजी, आप विश्वास रखिये छूट किसी को मिलने वाली नहीं है। जिस प्रकार की आपकी असेसिंग अथोरिटी थी और जिस प्रकार के असेसमेंट कांग्रेस के कार्यकाल में हुए, गांवों में, शहरों में, नगरपालिका की सीमाओं में और उनमें भ्रष्टाचार हुआ, आपके पाली जिले में तीन जिलों का हैड-क्वार्टर है, वहां पर बैठ कर जिस प्रकार के पाप हुए, श्रीमान् डागाजी उसमें भागीदार नहीं थे, हमें उसकी जानकारी है और मुझे भी है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक आदमी जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिसके पास बडेरों का, पूर्वजों का मकान है, उसको धक्के खाने पड़े हैं और उसको इंस्पेक्टर की सलामी भरनी पड़ी है। कम से कम उस पाप से जिस गरीब के पास परिवार का मकान है, वह बचे। इसलिए लाख रुपये की सीमा की है और इस सीमा को करके हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन उसके साथ-साथ दूसरी बातें हैं डागाजी ने आगे आकर बड़ी दया दिखाई है, उनके मन में दया घुसी हुई है उस दया के लिए कह दिया कि इससे आगे डेढ़ पर्सेन्ट टैक्स रखा जाय। इसी बात पर मैंने अमेंडमेंट दिया है, हालांकि मैं उस अमेंडमेंट को प्रेस करने वाला नहीं हूं। वह अमेंडमेंट इसलिए किया है कि जिससे गरीब लोग टैक्स से बचें, बड़े लोग जो दस लाख, सात लाख के भवन बनाते हैं, जिनके पास दुनियां भर का सामान होता है जिनका फर्नीचर ही पांच-पांच लाख का होता है, उन पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसे लोगों पर दया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन पर टैक्स डेढ़ पर्सेन्ट से बढ़ा कर पौने दो पर्सेन्ट कर दिया जाए तो इससे राज्य सरकार को 50/60 लाख रुपये की अधिक आय होगी। अभी हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी ने रेडीमेड कपड़ों पर छूट देने की घोषणा की है। उन पर पांच पर्सेन्ट से तीन पर्सेन्ट सेल्स टैक्स कर दिया है। इस कमी को आप इस टैक्स को बढ़ा कर पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा, सभापति महोदय, गांवों में भी पांच लाख, दो लाख के भवन हैं परन्तु वे भूमि भवन कर से मुक्त हैं। गांवों में पचास प्रतिशत भवन तीन लाख से ऊपर के मिलेंगे। हम उनको छूट दे रहे हैं। वह छूट नहीं देनी चाहिए। इस सीमा के ऊपर अगली बार विचार करेंगे, यह मेरा निवेदन है। लैन्ड्स एण्ड बिल्डिंग्स टैक्स, 1964 है, इसमें, सभापति जी, आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सीमा डेढ़ पर्सेन्ट से बढ़ा कर पौने दो पर्सेन्ट कर दी जाए। जो धनवान है उन पर टैक्स लगेगा तो जो पूंजी का संग्रह कर रहे हैं, उस पूंजी को आप रोक सकेंगे। जिन्होंने बड़े बड़े बंगलों में जमीनें छोड़ रखी हैं, एक आर्डिनेन्स निकाल कर उनकी जमीन को छीन लिया जाना चाहिए। जिनके बड़े-बड़े बंगले हैं, उनसे ये जमीन छीन कर वहां पर

Page No 98

(98)

(श्री रघुनन्दन व्यास)
अनाथ आश्रम बना देने चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो, वित्त मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मेरा अमेन्डमेन्ट है $1\frac{1}{2}$ के बजाए $1\frac{3}{4}$ पर्सेन्ट करने का उसको स्वीकार करें तो इससे राज्य सरकार को पचास लाख का लाभ होगा। इससे पूंजीपतियों पर टैक्स लगेगा, जिन्होंने भूमि व भवन के नाम पर जमीनें दबाई हैं और धन को छिपा कर रखा है, उन पर टैक्स लगेगा। या तो वे उसको बेच देंगे या टैक्स देंगे जो राज्य के खजाने में आएगा। मेरा निवेदन है कि मेरे इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करें ताकि राज्य सरकार को आय हो, और गरीबों की तकलीफ कम हो। जिनके पास पूंजी अनाप शनाप है, उन पर ही यह टैक्स लगने वाला है। समाजवाद की डागाजी बात करते हैं। जो अति समाजवादी धन कर धनवान बने हुए हैं, उन पर यह टैक्स लगेगा और अकिंचन की इस धन से हम सेवा कर सकेंगे। जो अन्त्योदय की योजना है, उसमें हम निर्धन की मदद कर सकेंगे। सभापति जी, मेरा निवेदन है आपकी मार्फत कि मेरा यह अमेन्डमेन्ट गवर्नमेन्ट स्वीकार करे। इससे सरकार को 50 लाख की आय होगी। इस बढ़ोत्तरी को स्वीकार करें इसी आशा से यह अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करता हूं :

"धारा 3 की उप धारा (1) में प्रतिस्थापित किये जाने वाले द्वितीय परन्तुक की सातवीं पंक्ति में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "$1\frac{1}{2}$" के स्थान पर अभिव्यक्ति "$1\frac{3}{4}$" प्रतिस्थापित की जाये"

श्री मूलचन्द डागा : सारी जमीन पर अनाथालय न बनावें।

श्री सभापति : वित्त मंत्री जी।

श्री रतनलाल वर्मा : जनता ने आपको अनाथ बना दिया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सुनिए जरा।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : सभापति जी, पिछली जो कांग्रेस सरकार थी, उसने भूमि एवं भवन कर समाप्त करने की घोषणा की थी लेकिन हमारी सरकार ने यह ठीक समझा कि भूमि एवं भवन कर को नई परिवर्तित शक्ल देकर फिर से स्थापित किया जाए। इसलिए आपके सामने इस शक्ल में यह वित्त विधेयक रखा गया है। माननीय सदस्य डागाजी ने इस सम्बन्ध में एक अमेन्डमेन्ट पेश किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि जो कुछ भी जनता पार्टी की सरकार कर रही है, वह वास्तव में समाजवादी सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है। एक ओर वह गरीबों को लाभ देना चाहती है, दूसरी ओर वह धनिक वर्ग को, सम्पन्न वर्ग को नीचे नहीं लाना चाहती है, और विषमता दूर नहीं करना चाहती है। इसलिए उन्होंने टैक्स की दरें कुछ बढ़ाने का संशोधन प्रस्ताव रखा है। उन्होंने यह कहा है कि इस प्रकार से टैक्स दुगुना हो जाएगा। यह ठीक है। अगर दर और बढ़ा दी जाए तो टैक्स तिगुना, चौगुना भी हो सकता है।

इसी तरह से सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, रघुनन्दनजी व्यास ने टैक्स की दर को बढ़ाने के लिए कहा। मेरा उनसे भी निवेदन है, माननीय डागाजी से भी निवेदन है, इस समय जो कुछ किया गया है, उससे सन्तोष रखें। कांग्रेस ने टैक्स खतम किया था फिर भी आप कांग्रेस और जनता पार्टी की सरकार को एक प्रकार से एक जगह पर ही रखना चाहते हैं। जो जनता पार्टी की

(श्री आदित्येन्द्र)
वर्तमान सरकार है, इसने जो टैक्स की दर पहले आधा पर्सेन्ट थी, यूनिफार्म रेट थी, उसमें परिवर्तन किया है। अब एक तरह से स्लेब सिस्टम लागू किया है। दो लाख के लैंड और बिल्डिंग पर ½ पर्सेन्ट, उसके बाद सात लाख तक 1 पर्सेन्ट और दस लाख से ऊपर जिनके पास जायदाद है, लैण्ड है, भवन है, उस पर डेढ़ पर्सेन्ट होगा। इस तरह से टैक्स में वृद्धि हुई है। जहां पहले 90 लाख की आमदनी थी, वह आमदनी अब ढाई करोड़ हो जाएगी। इस तरह से दुगुनी से ज्यादा हो जाएगी। इसलिए मेरा दोनों महानुभावों से निवेदन है कि वे अपने-अपने अमेन्डमेन्ट वापस ले लें। जो मूल प्रस्ताव रखा गया है, जो मूल वित्त विधेयक है, उसको पारित करें। यदि वे मेरा निवेदन स्वीकार नहीं करते हैं....

श्री रघुनन्दन व्यास : सभापतिजी, मैं मेरा अमेन्डमेन्ट वापस लेता हूं।

श्री आदित्येन्द्र : मुझे माननीय डागाजी का अमेन्डमेन्ट मान्य नहीं है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन माननीय डागाजी ने पेश किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री मूलचन्द डागा : ये ऊपर ही ऊपर से बोले हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, रघुनन्दन व्यास ने खण्ड 2 में जो संशोधन रखा है, वे उसको वापस लेना चाहते हैं। क्या उन्हें वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रघुनन्दन व्यास : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड 2 को स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खंड 3 माननीय डागाजी।

श्री मूलचन्द डागा : खंड 3 में मैंने यह संशोधन किया है....

In the proposed amendment of clause (a) of sub-section (1) of section 14 substitute the word 'three' for the word 'four' in sub-clause (1).

मैं, श्रीमन्, एक बात कहना चाहता था...

श्री सूर्य नारायण चौधरी : एक मिनट।

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी के फायदे के लिए बात करता हूं।

पहले एक्ट में यह प्रावधान था कि एक बार असेसमेन्ट हो गया तो पांच साल तक असेसमेन्ट कायम रहेगा जनता पार्टी ने एक कदम बढ़ाया। जहां तक उनकी ताकत है उतना बढ़े। अब 5 साल के बजाय 4 साल कर दिये हैं। पहले 5 साल का पीरियड था। एक बार

Page No 100

(100)

(श्री मूलचन्द डागा)

असेसमेंट हो जाय तो पांच साल तक रहना चाहिए। आपने क्या किया कि 5 साल के बजाय 4 साल रहना चाहिए। मैंने पूछा कि इसका क्या कारण है, तो मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। और न कोई रीजन दिया। तो मैंने इसलिये यह सोचा कि आज के वैज्ञानिक युग में जब दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और आप विकास तेजी से करना चाहते हैं तो आप 4 साल करना चाहते हैं उसके बजाय तीन साल कर दें। पांच साल और तीन साल में कोई फर्क नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा, अगर यह तय कर लिया है कि कांग्रेस का कोई संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे तो यह आपकी हठधर्मी है।

श्री सभापति : माननीय वित्त मंत्रीजी जवाब दें।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य, डागा जी ने जो संशोधन रखा है, वह मुझे मान्य नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : बस हो गया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो खण्ड 3 में संशोधन माननीय श्री मूलचन्द डागा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन, सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये गये।

माननीय वित्त मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री आदित्येन्द्र : माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977 को पारित किया जाये।

श्री मूलचन्द डागा : मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़): माननीय सभापतिजी, बजट जो है वह सरकार का दर्पण होता है। अगर दर्पण ही है तो इस सरकार का जो भी बजट है, जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी का मैनीफेस्टो इसके साथ साथ लगा दिया करें। आपकी जनता पार्टी जो वायदे कर रही है, वह भी इसके साथ लगा दिया करें। आपने जो चुनाव के समय वायदे किये हैं, उनको भी आपने नहीं पढ़ा है। आप जानते हैं, आपके कहने में बड़ी लचक आती है। आप कहते हैं, कांग्रेस ने 30 साल के शासन में गरीबी दी है। अपने 30 साल के शासन में हिन्दुस्तान का निर्माण नहीं किया है। जनता के सामने 30 साल का शासन भी नहीं टिका क्योंकि जनता की सहानुभूति नहीं थी। 30 साल तक शासन रहा इसलिए कि जनता की कांग्रेस के प्रति सहानुभूति थी और जनता का कांग्रेस के पक्ष में मनोबल था। जनता का प्रचण्ड बहुमत कांग्रेस के साथ था। वह 30

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

साल का शासन जनता ने आपको दिया। माननीय सदस्य जो जनता पार्टी के हैं, उनको इस बात का बड़ा घमण्ड है कि हम चुनाव में बड़ी मैजोरिटी में जीत कर आये हैं। 1972 के चुनाव में हिन्दुस्तान भर में कांग्रेस ने बहुत बड़े बहुमत से अपना शासन स्थापित किया था। आप तो केवल उत्तर भारत में जीत कर आये हैं। दक्षिण में अभी भी आपको पछाड़ा है। दक्षिण में आप हारे हैं। यह आपको मालूम होना चाहिए, कांग्रेस की एक गलती से आप जीत कर आये हैं। कांग्रेस की गलती एक ही बात में हुई है। हिन्दुस्तान की जनता की निगाह में जो अच्छा है, वह टिका है। वही हारा है, जिसको जनता अपने दिल से पसन्द नहीं करती है, हिकारत से देखती है और जिसके प्रति नाराजगी प्रकट करती है। इस देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है इसलिये इस देश के अन्दर फैमिली प्लानिंग को बल दिया गया। नसबन्दी ही एक ऐसा कारण है, जिसकी क्रियान्विति के दोषों के कारण आप सरकार में आ पाये। आपकी नीतियों से जनता का कोई सामन्जस्य नहीं है। आप बाजारों में जाइये, छोटे-छोटे दुकानदारों के पास जायें तो आपको आपकी सरकार का दर्पण नजर आयेगा। जनता पश्चाताप कर रही है कि जनता पार्टी की सरकार बनाकर गलती की है। आज महंगाई बढ़ रही है। आज लॉ एण्ड ऑर्डर की ढिलाई बढ़ रही है। आप इस दृष्टि से बात करें। यह सरकार एक ही बात जानती है कि आयोग गठित करे।

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति जी, आपने तो घंटी बजा दी।

श्री सभापति : पहली ही घंटी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। आज का विषय भूमि और भवन कर है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं आप का भाषण सुन सकता हूं। आप नहीं सुन सकते ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : भूमि और भवन कर का विषय है। जनता पार्टी की आलोचना करने का क्या प्रश्न है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री जयकृष्ण शर्मा : यदि आप देखें तो आज जो भी आपका वातावरण है, वह उसी प्रकार का है जिस प्रकार का आप लोगों ने कायम कर रखा है। जो भी आपने वातावरण रखा है, वह आपके सामने हैं। कुछ दिन पहले इसी सदन के अन्दर आप लोग आयोगों का गठन करने की बात कहते थे। इस देश की पहली सरकार ने करप्ट लोगों के खिलाफ, जिन्होंने करप्शन बढ़ाया, पंजाब के प्रकाशसिंह बादल, और उड़ीसा के बीजू पटनायक और एच०एम० पटेल इनके खिलाफ आयोग गठित किये थे। उन जांच आयोगों ने जांच की है। आपकी जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है। आपको उसका सहयोग लेना है। लेकिन आपकी विचारधारा यह नहीं है। आपकी विचारधारा में कोई रीति-नीति की बात नहीं है। आप आयोग गठित करना चाहते हैं मगर जनता पार्टी के साथ हैं वह चाहे जो कार्य करें उसमें कोई दोष नहीं मानते हैं। इसलिए आपने उनके आयोग वापस ले लिये और अब आप आयोग उनके खिलाफ बैठा रहे हैं जिनसे आपको डर लग रहा है। मैं समझता हूं यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है। इस तरह से आयोग बिठाकर आप लाखों रुपया रद्दी की टोकरी में डाल

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

रहे हैं, आप यह मत सोचिये कि हमेशा का आपने ठेका ले रखा है। जनता पर जो आप टैक्स लगा रहे हैं, यह जनता के गाढ़े पसीने की कमाई का पैसा है। उसको आप इस तरह से खर्च कर रहे हैं, आपने यह भी देखा कि उससे क्या प्राप्ति होगी ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप तो यह बताइये कि इस बजट में क्या परिवर्तन सजेस्ट करना चाहते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : परन्तु इस तरह से आप कब तक सरकार चलायेंगे ? तीन महीने की आपकी सरकार है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात- होनहार की पहचान शुरू में ही हो जाती है। चीजों के भाव आज आसमान पर चढ़ रहे हैं, जीरे का भाव आज 35 रु. है, तेल का भाव 14, 15 रु. है। यह सब किन कारणों से है ? यह इस कारणों से है कि आपकी कोई रीति-नीति नहीं है। आपके सेन्टर के इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर ने घोषणा की थी, अब उनसे डिपार्टमेन्ट ले लिया गया। वह क्यों ले लिया गया यह मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि यह आपकी कान्फीडेन्शियल बात है। अभी से यह हाल है, रातों-रात डिपार्टमेंट ले लिये जाते हैं। मैं वित्त मंत्रीजी की इज्जत करता हूं। तीस साल की आप क्या बात करते हैं ? श्रद्धेय वित्त मंत्रीजी, आप की मैं इज्जत करता हूं, आप मत्स्य में बहुत बड़े नेता रहे हैं, आज भी मैं आपकी इज्जत करता हूं। लेकिन मुझे दुख तब होता है, जब आप जनसंघ की भाषा में बोलते हैं। कल मोरारजी देसाई भी कहेंगे कि तीस साल में कुछ नहीं हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप भी कांग्रेस के नीति-निर्माता रह चुके हो। आज बाबू जगजीवन राम भी यह बात कहते हैं, वे भी कांग्रेस के नीति-निर्माता रहे हैं। आपके जो जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वे आज समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं। हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में मोरारजी देसाई के खिलाफ चार्ज लगाया था। मोरारजी देसाई ने कहा था बाबू जगजीवनराम ने इन्कम टैक्स का घोटाला किया है। तो यह तो छोड़िये, यह देश की बात है। नसबन्दी का फायदा आपको मिला। अब आप नशाबन्दी करना चाहते हैं मैं नशाबन्दी के खिलाफ नहीं हूं, मैं नशाबन्दी के हक में हूं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि नशाबन्दी और नसबन्दी में एक ही डन्डे का फर्क है। आपकी सरकार नशाबन्दी का प्रावधान कर रही है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नसबन्दी करके फेमिली प्लानिंग की बात की, आज भी सरकारी अधिकारीयों के होते हुए लोग नाजायज शराब निकाल रहे हैं, कई लोग उससे मर गये। आपका जो तरीका है उससे शिक्षित लोग समझ नहीं सकेंगे....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

आपके रोकने से सही तरह से नशाबन्दी नहीं लागू होगी।

आपने रेडीमेट गार्मेन्ट्स पर 5 पर्सेन्ट और तीन पर्सेन्ट टैक्स कर दिया। रेडीमेड कपड़े गरीब आदमी पहनते हैं। उस पर पहले 15 रुपये की ड्रेस पर टैक्स से छूट थी वह आपने वापस लगा दी। आपने अमीर आदमी की रियायत गरीब आदमी पर थोप दी। आप टैक्स की बात कहना चाहते हैं, आपने कहा कि टैक्स के बिना सरकार नहीं चल सकती। अभी मुझे शिक्षा मंत्रीजी का एक परिपत्र मिला। पांच हजार ट्रान्सफर करने के बाद उन्होंने एक पालिसी का निर्माण

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
कर दिया। राजर्षि कॉलेज अलवर के प्रिन्सिपल ने लाखों रुपयों के घोटाले कर रखे हैं। आर. एस. एस. के लोग कहते हैं कि चतुर्वेदीजी से काम करवाना हो तो नेकर पहनकर जाओ और यों करो...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह बिल्कुल गलत आरोप है।

(व्यवधान)

माननीय सभापतिजी, बजट के बारे में कुछ सुझाव आने चाहिएं, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मननीय सदस्य, समाप्त करिये। एक मिनट और बोलिये। आपने बहुत कह दिया। मेरा निवेदन करना है कि अभी डागाजी भी बोलेंगे, इसलिए समय नहीं है। अभी और भी बोलेंगे। एक मिनट और बोल लीजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति महोदय, 130 बी. डी. ओ. के तबादले कर दिये। एक तरफ आप टैक्स गरीबों पर लगाना चाहते हैं, विकास की बात करते हैं दूसरी तरफ इतना बड़ा खर्चा तबादलों पर कर रहे हैं। इस प्रकार की कार्यवाही कोई अच्छी बात नहीं है। राजर्षि कालेज के प्रिन्सिपल के खिलाफ लाखों रुपये के गबन के मामले हैं। और कई जगह पर इस तरह के मामले हैं।

मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, आपने 15 रु. की ड्रेस पर वापस टैक्स लगा दिया। मैं कहना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्रीजी, राजस्थान और जयपुर के अन्दर बहुत से लोग रेडीमेट कपड़ों का काम करते हैं आप इनको भी बेरोजगार करना चाहते हैं तो यह आपके मन की बात है। आज किसी भी विभाग को देख लीजिये, कांग्रेस के राज में तीस साल में जो नहीं हुआ, जिसके लिये आप कहते हैं, वह आज हो रहा है।

आप देखिये जो स्कूल खोले गए हैं अलवर के अंदर, चाहे सैकण्डरी स्कूल्स खोले गए हैं, वे जिन जगहों पर खोले गए हैं, उनसे यह जाहिर है कि आपकी मन्शा क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि विचारधारायें आपकी एक जैसी नहीं है। कभी ढाबरिया साहब बोलते हैं, कभी दूसरे बोलते हैं, वह वकालत करते रहते हैं, माननीय सदस्य अलग-अलग तरफ से वकालत करते रहते हैं। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। नसबंदी की वजह से आपको मौका मिला है, वैसे जनता आपके कार्य कलापों को जानती है, जनता अब आपके काम करने के तरीकों को जान गई है। आपने कहा था कि आप सेल्स टैक्स खतम करने जा रहे हैं। आपने अपने मैनीफेस्टो में लिखा था कि आवश्यक वस्तुओं पर सेल्स टैक्स हटाया जाएगा। अभी कृषि मंत्रियों की कान्फ्रेंस हुई। उसमें उन्होंने कहा कि मोटे अनाज पर सेल्स टैक्स मत लीजिए। आपने कहा, सोच समझ कर कदम उठायेंगे। थोड़े दिन के बाद इस राजस्थान का किसान, जो अतिवृष्टि की दृष्टि से मरा हुआ पड़ा है, खेती करेगा। उसके पास बीज का साधन नहीं, उसके कारण चना नहीं मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेगा तो गेहूं व चने का भाव बाजार में 10-15 रुपए प्रति क्विंटल और बढ़ जाएगा। उससे और महंगाई हो जाएगी। फिर भी आपने उसकी कोई व्यवस्था नहीं की।

(3.52 म. प्र.)

(श्री रामचन्द्र उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री जय कृष्ण शर्मा)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपने 15 रुपये की ड्रेस पर टैक्स से छूट वापस ली है उसका बोझ दूसरों पर डालना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार ने जाते हुए लैंड्स व बिल्डिंग्स टैक्स को हटाया। कांग्रेस ने कुछ गलतियां कीं उनके कारण आप यहां पर बैठे हो, हां पक्ष में बैठे हो। वैसे आप तो ना पक्ष में रहना जानते हैं। जैसा मूलचन्दजी ने कहा, आपकी समाजवादी विचारधारा नहीं है। रघुनंदनजी ने कहा, चपरासी के पास एक लाख का मकान शहर के अंदर हो सकता है। आप जनसंघ घटक के हैं, पूंजीपतियों से सटे हुए हैं। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा क्योंकि जनसंघ के झंडे का रंग केसरिया है, इसलिए बजट का रंग भी केसरिया रखा

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना भाषण समाप्त करें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपने 15 रुपये की ड्रेसेज पर वापस टैक्स लगाया, ट्रैक्टर की ट्राली पर वापस टैक्स लगाया। आपने ट्राली पर टैक्स हटाने की बात नहीं कही। 15 रुपये की ड्रेस पर टैक्स लगाने की जो आपने दलील दी वह लचर है। आपने 5 हजार रुपये से छूट की सीमा बढ़ाकर 10 हजार रुपये की है, यह आपकी व्यापारियों के साथ सांठगांठ है। यदि आप किसान के लिए बीज का प्रबंध करेंगे तो महंगाई रुक सकेगी। गरीब आदमी 15 रुपये की ड्रेस पहनता है उस पर टैक्स लगाकर अमीर आदमियों को फायदा दिलाने की यह आपकी नीति गलत है। यह जो आपके मन की बात है, यह गरीबों के हित में नहीं है। जो आपने मैनीफेस्टो दिया है, उसको कभी-कभी पढ़ लिया करो। बजट में....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए, आपने जो बेरोजगारी दूर करने की.....

श्री उपाध्यक्ष : आप बजट पर बोलें। कृपया समाप्त करें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। अब 4 बज रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, उस पर मैं बोलना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : आपने 30 साल में कोई ऐसी स्थिति पैदा होने नहीं दी जिससे किसान की पैदावार बढ़े। गेहूं और जौ पैदा होते हैं, उसका उचित भाव उनको नहीं मिला। किसानों की 30 साल से उपेक्षा की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। सभी माननीय सदस्य बिराज जायें। मुझे सोचने दीजिए। मुझ पर छोड़िए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम आपसे न्याय की भीख मांगते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप 5 मिनट से अधिक न बोलेंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (नीम का थाना) : अभी विपक्ष के माननीय श्री . जयकृष्णजी ने आरोप लगाया। जब मैं बोल रहा था तो उस वक्त भी मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया कि बजट पर जो भी सुझाव आप सदन के समक्ष रखना चाहेंगे, सरकार उन पर विचार करेगी। निस्सन्देह, जनता सरकार कांग्रेस की बदनामी और कुकर्मों के बल पर अधिक समय तक नहीं चल सकेगी, इसमें दो राय नहीं। जनता सरकार को अपने पांवों पर खड़ा होना पड़ेगा, समाज को बदलना पड़ेगा, देश को बनाना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं। लेकिन केवल यह कह देना भी गलत है कि नसबंदी के आधार पर ही सरकार में परिवर्तन हुआ है। मैं व्यक्तिगत रूप से कोई आक्षेप नहीं करूंगा। यह सिर्फ एक मुद्दा था। देश की सारे राजनैतिक चरित्र को, गतिविधि को और इतिहास को उठा कर देखा जाए तो मालूम होगा कि कांग्रेस कभी बहुमत के वोटों पर सत्ता में नहीं आई। वोटों के विभाजन के आधार पर कांग्रेस सत्ता में आई है। शायद एक आध बार आई हो तो.....

श्री प्रद्युम्न सिंह : विधान सभा के चुनावों ने सिद्ध कर दिया कि आपके दल को भी कई प्रांतों में 50 प्रतिशत से कम वोट मिले।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह बिल्कुल सही है लेकिन राजस्थान में हमें 50 प्रतिशत से ज्यादा मत मिले हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दलों का जो एकीकरण हुआ, यह बहुत बड़ा कारण है राजस्थान में परिवर्तन का। नसबंदी की जो ज्यादतियां हुई वे अगर नहीं भी होतीं तो जैसा मैंने पहले निवेदन किया, आज पुनः दोहराता हूं कि जो एकीकरण हुआ वह निश्चित रूप से एक मात्र कारण केंद्र में जनता सरकार के बनने का हो सकता है। बहुमत शायद उतना प्रबल नहीं होता जितना कि हुआ, हो सकता है कि 4-4 लाखों के बहुमत से जीतकर नहीं आते।

जहां तक परिवार नियोजन का प्रश्न है, यह सरकार उदासीन नहीं है। यह राष्ट्रीय हित में है। यह बढ़ती हुई आबादी बहुत ही खतरनाक है। अगर सरकार परिवार नियोजन के प्रति उदासीन रहती है तो निश्चित रूप से कोई भी प्रगति का कदम नहीं उठा सकेगी, प्रगति बढ़ती हुई आबादी खा जाएगी। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन्सान को इन्सान की तरह समझिये। आप उनको भेड़ व बकरियों की तरह ले जाकर खस्सी मत कर दीजिये। मैं नसबन्दी को खराब नहीं समझता लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको नसबन्दी के लिये लोगों का मानस बनाना पड़ेगा, आपको लोगों को इसके लिये शिक्षित करना पड़ेगा तभी आप इस समस्या का हल निकाल सकेंगे।

अभी, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री जयकृष्णजी ने घटकों के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। यह भी कहा कि आर. एस. एस. और जनसंघ सरकार पर हावी है। आर. एस. एस. का व्यक्ति हो या जनसंघ का व्यक्ति हो उसका तो काम हो जाता है और बाकी लोगों के काम नहीं होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी मन्त्री की वकालत नहीं कर रहा हूं। मैं खुद समाजवादी विचारधारा का हूं। मैं इस बात को कहने की हिम्मत रखता हूं कि दूसरे राज्यों

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)
में चाहे घटकों को लेकर कितने ही अन्दर झगड़े हो रहे हों लेकिन हमारे यहां पर घटकों के नाम पर कोई झगड़ा नहीं है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो अलग-अलग घटक एक हुए उन्हें पूरी तरह एक होने में कम से कम थोड़ा समय तो लगता ही है। हमारे यहां पर जो मानस आपस में बना हुआ है उसके आधार पर मैं यह स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर घटकों की भावना अब तेजी से टूट रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपस में लड़ रहे हो। मंत्रिमण्डल का विस्तार नहीं हो रहा है। आठ तारीख के बाद जब मन्त्रिमण्डल का विस्तार होगा तब पता लगेगा कि आपकी पार्टी की क्या स्थिति होती है।

श्री शिवचरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह सामने ही धाभाईजी की हवेली में भारतीय लोक दल की पार्टी की मीटिंग हो रही है। देखें क्या होता है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : आप चिन्ता नहीं करें, आपको मौका नहीं मिलेगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य....

श्री शंकरलाल : आये दिन अखबारों में आ रहा है कि किस प्रकार से लीपा पोती की जा रही है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : शंकर लाल जी, मुझे बोलने दीजिये। आप सुनिये। थोड़ी सुनने की क्षमता रखिये। हम भी तो आपको सुनते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो आपका बड़प्पन है, आपकी दरियादिली है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, शंकरलालजी जो बोलते हैं वह तो वे खुद ही समझ सकते हैं। दूसरे लोगों की समझ में आने की बात नहीं है।

यह मैं निश्चित रूप से उन्हें बता देना चाहता हूं कि घटकों की बात जो करते हैं वह तो अब समाप्त हो गयी है। मैं खुद समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति हूं इसलिये मैं आप लोगों से भी यह कहना चाहूंगा कि आप अगर राजस्थान की प्रगति चाहते हैं, अगर वास्तविक रूप में आप जनतन्त्र को कायम रखना चाहते हैं तो आप चाहे विरोधी पक्ष के हों हम आप से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। इससे राजस्थान की प्रगति होगी। आज जो राजस्थान में और पूरे देश में राजनैतिक पार्टियों का, राजनैतिक विचाराधाराओं का ध्रुवीकरण हुआ है उसको स्थायी रूप दिया जावे जिससे कि राजस्थान की प्रगति हो। चाहे इधर के पक्ष के हों चाहे उधर के पक्ष के हों, हमारी राजनैतिक नैया है वह बिना पतवार के न हो। आज परिस्थितियां बदल गयी हैं। इसलिये आपस में मिलजुल कर मानस बना कर हम सभी को राजस्थान की प्रगति में लग जाना चाहिये।

श्री शिवचरण सिंह : राजनैतिक पार्टियों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ बल्कि धुरीकरण हुआ है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप घटकवाद की बात करते हैं, आपकी कांग्रेस पार्टी के अन्दर तो कई घटक थे। उसको देखते हुए हमारी जनता पार्टी में घटक कम

Page No 107

(18)

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

हैं। जो पार्टियां 25-30 साल तक एक दूसरे के अलग रही हों उनको अब एक होने में समय लगना स्वाभाविक है। फिर भी मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान में घटकवाद की समाप्ति तेजी से हो रही है। आप सभी को यह जान कर खुशी होनी चाहिये। सिर्फ राजनैतिक सत्ता में बने रहने के लिये, अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिये राजनैतिक पार्टियों में फूट डाल कर राज्य करना आपकी उपलब्धि रही है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जनतन्त्र को कायम रखने के लिये सही परिप्रेक्ष्य में हम सभी को काम करने की आवश्यकता है। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि कांग्रेस को समाप्त किया जाय। मेरी विचाराधारा यह नहीं है। आज हम इधर बैठे हैं, हो सकता है, कभी आप उधर से इधर बैठें। इसलिये जनतन्त्र को सफल बनाने के लिये आपको शुभकामनायें करनी चाहियें। यह हम सभी लोगों के लिये अच्छा होगा। अभी माननीय जयकृष्णजी ने कुछ आरोप लगाये। उन्होंने कहा कि आज जनता में जनता पार्टी के प्रति बहुत भारी रोष है। लेकिन मैं इस बात को बड़े ही गौरव के साथ कह सकता हूं कि आज जनता पार्टी के राज्य में राजनैतिक भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया गया है। जो कांग्रेस के जमाने में राजनैतिक भ्रष्टाचार होता था वह हमेशा के लिये हमने समाप्त कर दिया है। आपको इसकी तारीफ करनी चाहिये। इसके अलावा आपने हमें और राजस्थान के अन्दर दिया ही क्या है। सारा का सारा प्रशासनिक ढांचा ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट है। मैं समझता हूं कि मदेरणा साहब भी इस बात को मानेंगे कि..

(व्यवधान)

आप जरा बैठिये। प्रद्युम्नसिंहजी, आप जरा बैठने की बात भी सोचिये।

राजस्थान के प्रशासन में भयंकर रूप से भ्रष्टाचार है। विरोधी दल के माननीय नेता यहां पर बार-बार आगाह करते हैं कि आप प्रशासनिक अधिकारियों, इस ब्यूरोक्रेसी पर जल्दी से जल्दी काबू पाइये वरना आप प्रगति नहीं कर सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रशासनिक अधिकारियों की समस्या न केवल राजस्थान में ही है बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर यह समस्या बनी हुई है। इसका सब से बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस सरकार ने अपने छोटे-छोटे उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बड़े-बड़े ईमानदार आफिसरों के ईमान को बिगाड़ कर रख दिया। तो आपने जो विरासत में हमें प्रशासनिक सेवायें दी हैं वह पूर्णतया नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्ट दी हैं। इनका मानस सुधारने में, इनको देश भक्त बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा जब तक इन प्रशासनिक अधिकारियों का मानस नहीं बदला जावेगा, जब तक इनमें देश भक्ति की भावना जाग्रत नहीं होगी, जब तक इनमें समाज सेवा की भावना जाग्रत नहीं होगी तब तक हम समाज का उत्थान तेजी से नहीं कर पायेंगे। इसलिये अब ऐसे समाज सेवी अधिकारियों की जरूरत है, ईमानदार अधिकारियों की जरूरत है जो जनता की सेवा करें। अगर वह लोग जनता की सेवा करेंगे तो यह जनतन्त्र की एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यह तो आप मानिये कि आपके जमाने में जो राजनैतिक भ्रष्टाचार था वह तो समाप्त हो गया है।

(श्री सूर्यनारायण चौधरी) इसको तो आपको सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा ।

श्री मूलचन्द डागा : भ्रष्टाचार का क्या मतलब है ? भ्रष्टाचार की परिभाषा तो आप हमें समझाइये ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय मूलचन्द जी डागा, आपको तो भ्रष्टाचार की परिभाषा नहीं पूछनी चाहिये क्योंकि आप तो भ्रष्टाचार के मकान में ही रहते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है, यह तो जरा समझाइये ।

श्री नवनीत पालीवाल : आप खुद ही भ्रष्टाचार की परिभाषा नहीं समझते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर ही रहा हूं बस दो मिनट में ।

यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने महंगाई के बारे में काफी चिन्ता व्यक्त की । हम भी महंगाई से चिन्तित हैं । आपकी तरफ से आलोचना करने की ही बात है । आप आज विपक्ष में बैठे हैं इसलिये आलोचना करते हैं लेकिन आपके पास अगर कोई महंगाई खतम करने के सुझाव हों तो आप बताइये । अगर आपके पास कोई किसी प्रकार की योजना हो महंगाई समाप्त करने की तो बतावें, हमें खुशी होगी, हम उसको मानेंगे पर कोई योजना तो बताओ आप ।

इसके अलावा यहां पर किसानों को राहत देने के लिये और किसानों को बीज नहीं मिलने के बारे में बातें कही गयी हैं, उसके बारे में बीच-बीच में प्रश्न उठाये हैं । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने प्रथम सत्र में यह बात कही थी कि राज्य सरकार किसानों को बीज देने के लिये व्यवस्था करेगी, तकाबी दी जायगी । इस के आदेश भी हो गये हैं ।

एक माननीय सदस्य : कहां हुए ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप शायद उस दिन मीटिंग में थे जब कलेक्टर साहब ने यह कहा था कि तीन लाख रुपये आ गये हैं जो कि किसानों को बीज वगैरह के लिये बांटे जायेंगे । तकाबी दी जायगी ।

श्री शिवचरणसिंह : एक दाना भी बीज का नहीं दिया गया है हमारे इलाके में । बीज का प्रश्न तकावी से नहीं है । आपने प्रोक्योरमेंट.....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं, उधार बीज देंगे, तकाबी देंगे ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : कल हाउस खतम होने वाला है । वित्त मंत्रीजी भाषण देते तो अच्छा होता ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्षजी, अगर पैसा खर्च करना पड़ेगा तो किया जायगा। आप उन आरोपों से बचना चाहते हैं यह संभव नहीं है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप आवेदक का हव्वा खड़ा कर लें, जनता की सहानुभूति प्राप्त कर लें, वह संभव नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट के बारे में तो मैं अपने विचार

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

शुरू में ही कह चुका हूं। राजनैतिक बातें यहां हो रही हैं इसलिये इसके बारे में चर्चा करना ज्यादा उपयुक्त समझूंगा। जयप्रकाश जी के प्रश्नों का उत्तर श्री सूर्यनारायणजी चौधरी ने दिया और जो उन्होंने मुद्दे उठाये हैं उनका उत्तर मैं देना चाहता हूं।

उन्होंने कहा, श्रीमन्, जनता में रोष है। किन कारणों से जनता में रोष है, हमें बताने की कोशिश करें। ऐसा लगता है कि आंखों पर धूप का चश्मा लग चुका है इसलिये जनता की तकलीफें नजर नहीं आ रही हैं। रोष का एक कारण सारे हिन्दुस्तान में बढ़ती हुई महंगाई है। दूसरा कारण, कानून और व्यवस्था की गिरती हुई हालत है। तीसरा कारण है कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी जमीनों को छीना जा रहा है। चौथा कारण सारे देश में छात्रों में बढ़ता हुआ असंतोष और जनता पार्टी में अनुशासनहीनता है। जो शान्तिप्रिय हैं वे यह देख कर परेशान हो रहे हैं। हिन्दुस्तान के राजनैतिक दल, चाहे कांग्रेस हो और चाहे जनता पार्टी के घटक हों, आर. एस. एस. के बढ़ते हुए प्रभाव से चिन्तित हैं। जयप्रकाशजी ने कहा, मधुलिमये ने कहा है, कृष्णकान्त कह रहे हैं, चन्द्रशेखर कह रहे हैं। सूर्यनारायणजी चौधरी इसको दिल में जानते हैं लेकिन लीपापोती कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : मिनिस्ट्री की बाट जो रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उनके दल के खुद कहते हैं कि नेकर वालों का राज्य आ गया।

कई माननीय सदस्य : बिलकुल गलत। बिलकुल ××× ।

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बिलकुल ××× हैं आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्,.....

एक माननीय सदस्य : ऊटपटांग मत बोलो। हम भी जवाब देना जानते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं कहना चाहता हूं, आप भी तो जानते हैं, जयप्रकाशजी ने कहा आर. एस. एस. की बात को लेकर। मीटिंग हुई उसमें कहा, हिन्दुस्तान के जितने जनता पार्टी के घटक हैं वे एक हो जायं। लेकिन आर. एस. एस. ने भाग नहीं लिया। विद्यार्थी परिषद् वाले भाग नहीं लेंगे। विद्यार्थी परिषद्, आर. एस. एस. को जनता पार्टी में मिलाने की बात करती हैं लेकिन वह नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जयपुर में क्या हो रहा है? टेलीफोन को लेकर घटकवाद स्पष्ट हुआ....

श्री नवनीत पालीवाल : मैं आपको चुनौती देता हूं, टेलीफोन का कोई झगड़ा नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : कल मुकदमा चल चुका है। छोड़ कर चले गये।

श्री नवनीत पालीवाल : सदन का मतलब यह नहीं हुआ कि मन चाहे ऊटपटांग बोलते रहें।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : इधर से बोलने वालों को बोलने दिया जाय। निराश न हों।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मंत्रिमंडल में नहीं आवेंगे। विधायक नहीं मानेंगे। बहुत से उम्मीदवार हैं।

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

माननीय सूर्यनारायणजी चौधरी चले गये....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह रहा !

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सूर्यनारायण जी चौधरी ने कहा सुझाव दीजियेगा कि महंगाई कैसे रोकें। सुझाव का स्वागत करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, पहले जो मैंने कहा वह फिर दोहराना चाहता हूं कि महंगाई रोकने के लिये दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, जो उस दल में नहीं है। बिना मजबूत कदम उठाये यह संभव नहीं है। यदि मजबूत कदम उठायेंगे तो आपको हमारा सहयोग मिलेगा। व्यापारी वर्ग जनसंघ के साथ जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की बात बताता हूं। मंत्री ने वहां पर छापे मरवाये तो उसको बदनाम कर दिया गया। आप देखिये, श्रीमन्, एक मिसाल ने सारे हिन्दुस्तान में तहलका मचा दिया, कृषि भवन में हिस्ट्री सेमिनार आयोजित किया।

(व्यवधान)

नये-नये लोग चुन कर आये हैं......

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार आर. एस. एस. का नाम लिया जा रहा है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जरूर लेंगे।

श्री टीकमचन्द कान्त : हम चाहेंगे कि हमे भी आप बोलने का मौका दें ताकि मुंह तोड़ उत्तर दिया जा सके। जवाब देने के लिये समय चाहता हूं।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : बार-बार आप कांग्रेस का नाम ले रहे थे। क्यों नहीं लेंगे ?

श्री टीकमचन्द कान्त : ऐसी आंखें बहुत देखी हैं, ठाकुर साहब।

श्री माधोसिंह : मैंने भी बहुत देखे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे कह रहा हूं और चेतावनी देना चाहता हूं जनता पार्टी के नेताओं को कि आज जो हिस्ट्री को दुबारा लिखने की बात कही जा रही है, आप पढ़े लिखे हैं, आप मुगल इतिहास की ही बात लें, आप इतिहासकारों को लें चाहे यदुनाथ को लें, चाहे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद को लें-हिन्दुस्तान के सारे प्रसिद्ध इतिहासकार भी एकमत के नहीं हैं। यह तो इतिहास के पढ़ने वाले विद्यार्थियों की बात है कि वह किस रूप में इस को देखते हैं। वह चार लेखकों को पढ़ें, पांच लेखकों को पढ़ें, यह तो उनके अपने ज्ञान को बढ़ाने की बात है। लेकिन, श्रीमान्, यह जो इतिहास को नयी तरह से लिखने की बात है इसमें बड़ी भारी साजिश है। मैं आगाह करना चाहता हूं कि यह घिनोनी साजिश रोकनी पड़ेगी वरना हिन्दुस्तान के टुकड़े हो जायेंगे...

श्री रघुनन्दन व्यास : हिन्दुस्तान के टुकड़े तो आपने करवाये। देश का विभाजन करवाने वाले आप लोग हैं, हम नहीं। देश का विभाजन आप लोगों ने करवाया। गांधी जी के मना करने के बाद भी जब पुरुषोत्तम दास जी खड़े हुए तो गांधी जी ने मौन धारण किया और देश का विभाजन किया। आप दूसरों को उपदेश देते हैं। यह देश के हत्यारे हैं। यह क्या बोल सकते हैं।

श्री मदन सिंह दांता : हिन्दू और मुसलमान मरे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं पुरानी बातों को नहीं दोहराना चाहता हूं चाहे अहमदाबाद

Page No 111

(110)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
के दंगे की बात हो, चाहे रांची के दंगे की बात हो। अगर कहूंगा तो फिर कड़वी बात लगेगी और फिर शोर शराबा होगा। माननीय सदस्य श्री सूर्य नारायण जी मुस्करा रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूं...

श्रीमती उजला अरोड़ा : चम्पीबाजी कर रहे हैं। यह बिलकुल गलत बात है। यह दंगे आप लोगों ने तीस साल तक पनपाये हैं और आज आप ऐसी बात कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमान्, अब मैं आपके सामने एक बात और कहना चाहता हूं.....

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय सदस्य को इस बात का तो दुख होना चाहिए कि पेटीकोट का तो राज चला गया और अब नेकर वालों का राज्य आया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आन ए-पॉइन्ट ऑफ आॅर्डर, सर। माननीय सदस्य ने जिस तरीके से गैरशालीनता का परिचय दिया है और 'पेटीकोट' शब्द कहा है मैं समझती हूं कि इस शब्द को एक्सपन्ज किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसको देखूंगा।

श्री रतनलाल वर्मा : इन्दिराजी का राज्य पेटीकोट का राज था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, विराजें। मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके बारे में मैं कुछ कहूंगा....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं अपनी बात कहकर समाप्त करता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें, मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहूंगा।

मेजर श्री कान्हसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप अपना निर्णय दें उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। यह 'पेटीकोट' शब्द है, पेटीकोट गवर्नमेन्ट असंसदीय नहीं है। मैंने जहांगीर का इतिहास पढ़ा है। उसमें बेनीप्रसाद ने जहां नूरजहां का जिक्र किया वहां कहा कि पेटीकोट की गवर्नमेन्ट चल रही थी। जहांगीर की गवर्नमेन्ट को पेटीकोट गवर्नमेन्ट कहा था। इसलिए जिस सन्दर्भ में इन्दिरा गांधी को लेकर पेटीकोट गवर्नमेन्ट की बात कही है यह असंसदीय नहीं हो सकता।

श्री रामकरण सिंह : असंसदीय तो नहीं हो सकता लेकिन बचकाना शब्द है 'पेटीकोट' तो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यहां पर जहांगीर की नजीर देकर इस बात की सीरियसनेस को खतम कर देना चाहते हैं। यह सम्पूर्ण नारी समाज के लिए बहुत अपमानजनक बात है।

श्री सुरेशकुमार : जहांगीर के समय में पेटीकोट नहीं पहना जाता था पजम्मी पहनी जाती थी। उस सन्दर्भ में 'पेटीकोट' ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। आपने अपना भाषण समाप्त कर दिया ? आप विराजिये।

(श्री उपाध्यक्ष)

एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है उस पर पहले निर्णय हो जाये।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : कांग्रेस की बैंचेज की तरफ से आर. एस. एस. पर इस प्रकार के आरोप लगाये जा रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जाइये। व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूं।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : आपकी हर बात का जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये।

एक माननीय सदस्य : आप आर. एस. एस. के हिमायती हैं क्या ?

श्री टीकमचन्द कान्त : हम हिमायती हैं इसलिए कहना चाहते हैं। आर. एस. एस. के बारे में कुछ स्पष्टीकरण करना चाहते हैं..

श्री उपाध्यक्ष : पहले व्यवस्था का प्रश्न उठा रखा है, आप दूसरा प्रश्न बाद में उठायें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : बार-बार इस सदन में आर. एस. एस. के बारे में इस प्रकार का घिनोना प्रचार किया जा रहा है, यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : देश की हर आफत में जान की बाजी लगाकर आर. एस. एस. ने देश की रक्षा की। उसको आपने केवल स्वार्थ सिद्धि के कारण बदनाम किया। यह अच्छा नहीं है। मैं आपको चुनौती देता हूं जीवन के हर क्षेत्र में, एक क्षेत्र में नहीं बल्कि सम्पूर्ण क्षेत्र में चुनौती देता हूं उनको जिन्होंने केवल राजनैतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार का घिनोना प्रचार किया। इस प्रकार के लांछन लगाना उचित नहीं है। अगर आप यही कहते हैं तो आप इसको सिद्ध कर दो। अगर आप सिद्ध कर देते हैं तो हम आर. एस. एस. को तिलांजलि दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं साफ कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी जनता पार्टी है। यह न जनसंघ है, न सोशलिस्ट है और न आर. एस. एस. है। मैं कहना चाहता हूं कि उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने अगर 'नेकर' सरकार कहा है तो उसको भी एक्सपन्ज करायें। हमारे लोगों ने 'पेटीकोट' सरकार कहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए बहुत अपमानजनक बात है, उसको भी एक्सपन्ज करना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जहांगीर और शाहजहां के इतिहास की बात कही। इतिहास में क्या है और क्या नहीं, लेकिन जिस सन्दर्भ में 'पेटीकोट' शब्द का इस्तेमाल किया है यह असंसदीय नहीं है लेकिन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के

(श्री परसराम मदेरणा)

खिलाफ है। इस देश की सभ्यता यह रही है कि जो राष्ट्र नारी के प्रति अनुशासन नहीं रखता वह रसातल में पहुंचा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो श्री भंवरलाल जी ने कहा उसको भी एक्सपन्ज कर दें। चाहे कोट की बात, धोती की बात, साफे और टरबन की बात कहें लेकिन पेटीकोट की बात कहना इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को गिराना होगा। यह अनपार्लियामेन्ट्री नहीं है। यह शब्द बड़ा डेरोगेटरी है और इसको निकाला जाना चाहिए।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : महिलायें पेटीकोट नहीं पहनती हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बीच में बोलते हैं उनको मैं बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं यह जरूर ध्यान रखूंगा कि कोई भी सदस्य बिना अनुमति के बोल लेते है तो मैं उनको बाद में भी समय नहीं दूंगा। यह मेरा डिस्क्रिशन है।

जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और जिन शब्दों के लिये कहा है कि अनपार्लिया-मेन्ट्री हैं और डेरोगेटरी हैं, मैं इनको एक्सपन्ज करने के पहले देखना चाहूंगा और पार्लिया-मेन्ट में कभी ऐसे शब्द पर आब्जेक्शन किया गया होगा या और नहीं किया गया होगा, उसकी जानकारी कर लूंगा। जानकारी के आधार पर व्यवस्था दे दूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : राजस्थान की नारी को बुरी लगी है बात तो यहां पर सदन की महिला को भी बुरी लगी है। कल डागाजी ने शब्द वापस लिए थे। तो ऐसी बात हो तो आप बता दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : मैं यह कहना चाहूंगा.......

श्री मदनसिंह दांता : आपका कौन सा राज डूब रहा है। एक महिला को बुरा लगा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। बीच में इन्ट्रप्ट मत करिये। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस शब्द के बारे में देख लूंगा, पार्लियामेन्ट में और दूसरी असेम्बलीज में अनपार्लियामेन्ट्री बताया गया है क्या। इन शब्दों के बारे में आपत्ति भी हुई होगी।

श्री मदनसिंह दांता : आप पार्लियामेंट की बात छोड़िये, जगह-जगह के अलग-अलग रूल्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है, आप बिराज जायें।

श्री मदनसिंह दांता : ऐसी व्यवस्था मत दीजिये जिससे कलेजे को चोट लगे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप जानते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगी। इस संबंध में आज ही व्यवस्था दे दी जाये क्योंकि अखबारों में छप जायेगा। यह बात अशोभनीय है। इस पर जो कुछ भी आसन का निर्णय हो, आज ही व्यवस्था दे दी जाये।

Page No 114

(114)

श्री रघुनन्दन व्यास : हमें भी इस संबंध में सुनना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : महिलायें हमारे साथ भी है, अपोजीशन में भी हैं । महिलायें हमारी बहने, बहू बेटियां हैं । अपमानजनक शब्द हम भी नहीं कहना चाहेंगे, इस पर व्यवस्था दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा जिन्होंने यह शब्द प्रयोग किया है वे स्वयं ऐसा महसूस करते हैं तो वे विथड्रा कर सकते हैं । इसमें कोई बात नहीं ।

श्री भंवरलाल ऐरन : इस शब्द को कहने में मेरी भावना कतई, लेशमात्र भी महिलाओं का असम्मान करने की नहीं थी । मैं महिलाओं की प्रतिष्ठा उतनी ही करता हूं जितनी एक नागरिक को करनी चाहिये ...

एक माननीय सदस्य : सफाई मत दें ।

श्री भंवरलाल ऐरन : सफाई नहीं, सत्य कह रहा हूं । यदि किसी को मेरे इस कथन से ठेस लगी हो तो उसके लिये क्षमा याचना करने के लिये तैयार हूं और अपने शब्द वापस लेने को तैयार हूं ।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : नेकर वाली सरकार कहा है वह भी वापस लें ।

(व्यवधान)

जिस किसी ने भी कहा हो, वह वापस लें ।

श्री भंवरलाल ऐरन : प्रद्युम्न सिंह जी सुबह से शाम तक गड़बड़ करते हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमान्, मैं....

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम बोलते हैं तो जितना डिस्टर्बेन्स आपकी ओर से होता है उतना डिस्टर्बेन्स हमारी तरफ से नहीं होता है । कई सदस्य एक साथ उठकर हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

यह लीजिये, उदाहरण आपके सामने है । हमारा बोलना भी बरदाश्त नहीं करना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह: श्रीमान्, मैं कीमतों के बारे में चर्चा कर रहा था ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने बहुत समय ले लिया । अब आपको केवल तीन मिनट दूंगा ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पांच मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छी बात है, पांच मिनट ले लीजिये, जल्दी समाप्त करिये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमान्, मैं कह रहा था कि बढ़ती हुई कीमतों....

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : माननीय उपाध्यक्ष, वे शब्द तो वापस लें । हमने उदारता दिखाई है...

(व्यवधान)

मेजर श्री फतहसिंह : 'नेकर' शब्द आर. एस. एस. के लिये हैं तो मैं अपने

(मेजर श्री फतहसिंह)
आपको अपमानित मानता हूं। हमारे प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है।

श्री नवनीत पालीवाल : एक्सपंज कीजियेगा।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : यह नेकर का सवाल नहीं है, जनता पार्टी की हुकूमत है। नेकर का सवाल पैदा नहीं होता। यह शब्द वापस लिया जाये..

(व्यवधान)

एक संगठन है, एक आवाज है..

श्री मदनसिंह दांता : आप किसी को बन्द नहीं कर सकते। मैं कहता हूं टोपी की सरकार है।

श्री रतनलाल वर्मा : फिर 'पेटीकोट' के लिये क्यों एतराज है ?

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : पेटीकोट पहन कर बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बार-बार बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज जो देश में कीमतें बढ़ रही हैं...

एक माननीय सदस्य : सबसे पहले उस शब्द को एक्सपंज किया जाये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री मदनसिंह दांता : आर. एस. एस. को बन्द कर सकते हैं ? नेकर के नाम पर....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, आपने इस शब्द का प्रयोग किया है। आपको कभी मजबूर नहीं किया है...

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं किसी कीमत पर वापस नहीं लूंगा, आप शब्द को निकाल दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण शुरू कीजिये।

(व्यवधान)

मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिये, मुझे जानकारी है।

श्री रघुनन्दन व्यास : वे चाहें जो कुछ कह सकते हैं ? आप हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे...

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह चुका हूं, इसके बारे में व्यवस्था दे चुका हूं। आप बिराजिये।

(व्यवधान)

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार आप जागरूक हैं तो हम भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। जो लोग राष्ट्र भक्ति के साथ, राष्ट्र प्रेम के साथ, भावना के साथ

(श्री जगदीशचन्द्र शर्मा)
काम कर रहे हैं, जिन्होंने लोकतन्त्र की लड़ाई लड़ी है ऐसे लोगों के खिलाफ जो शब्द प्रयुक्त किये जा रहे हैं, उनको रोकिये। लाखों देश भक्त लोगों ने राष्ट्रीय दृढ़ संकल्प लिया है...

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण समाप्त कीजिये ।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं ।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिये इस बात की....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराज जाइये। मैं कभी इस प्रकार नहीं होने दूंगा।

(व्यवधान)

श्री शिव चरण सिंह : आर. एस. एस. के अलावा राष्ट्र के प्रेमी नहीं हैं, राष्ट्र भक्त नहीं हैं । ये सारे शब्द वापस लें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिव चरण जी, आप विराजिये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप बिराजिये । एक को भी सुन सकूंगा इस प्रकार तो ।

श्री रघुनन्दन व्यास : आपसे व्यवस्था चाहते हैं । हम बोलना चाहते हैं लेकिन व्यवस्था चाहते हैं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुझे खेदजनक परिस्थिति में ला रहे हैं, माननीय सदस्य। जिस बात के लिये मैं चिन्तित हूं उसको बढ़ावा दे रहे हैं। सदन के माननीय सदस्य इस प्रकार डिबेट चलाना चाहते हैं तो इसका अन्त नहीं होगा । किसी बात पर विवाद हो सकता है लेकिन इस प्रकार आप व्यवधान करते रहेंगे तो सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी । मैं डिबेट को समाप्त करता हूं और वित्त विधेयक पर आगे कार्यवाही कर रहा हूं । आगे किसी चर्चा करने की इजाजत नहीं देता हूं ।

अब श्री आदित्येन्द्रजी, वित्त मंत्री विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपका ध्यान रूल 154 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । रूल 154 (ए) में आपने समय तो प्रेस्क्राइब किया नहीं था, फिर यह कैसे हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं फाइनेन्स बिल के बारे में प्रावधान है । यह वित्त विधेयक चल रहा है । फाइनेन्स बिल का अलग प्रोविजन है :

"The Speaker may, if he thinks fit, prescribe a time limit for speeches at all or any of the stages for which a day or days have been allotted under sub-rule (2)."

उसमें टाइम लिमिट कर सकते हैं ।

Hereafter this debate is closed I have got the right.

अब माननीय वित्त मंत्रीजी उत्तर देना चाहें तो दे सकेंगे ।

श्री प्रादित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यों ने वित्त विधेयक के सिलसिले में जो मुद्दे उठाये हैं उनका तो उत्तर दे चुका हूं परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि बाद में जो भी भाषण हुआ उसमें आरोप और प्रत्यारोप के अलावा और कुछ नहीं था। मेरी तो मान्यता यह है कि जो जन प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं और जो इस डिबेट में भाग ले रहे हैं वे सभी देश भक्त हैं, सभी के मन में देश के लिये एक कसक है और सभी देश को ऊंचा उठाना चाहते हैं। इस सन्दर्भ में मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम जब यहां से जायें तो बड़े प्रेम से जायें। हम यह मानते हैं कि जब तक हम एक दूसरे को समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे और जब तक एक दूसरे की भावना का आदर नहीं करेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। दोनों पक्षों की ओर से जो शब्द कहे गये हैं– एक तरफ 'पेटीकोट गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ 'नेकर गवर्नमेंट' चाहे ये शब्द असंसदीय नहीं भी हों तो भी ये शब्द किसी तरह से भी शोभाजनक नहीं कहे जा सकते हैं। मेरी मान्यता है दोनों ही शब्द जिस सन्दर्भ में कहे गये हैं, हम सभी के लिये अपमान-जनक हैं। आज की प्रोसिडिंग्स से, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय से कि उनको निकाल दिया जाना चाहिये।

अब मैं वित्त विधेयक के सिलसिले में एक शब्द यह कहना चाहूंगा वित्त विधेयक का उद्देश्य केवल बजट प्रपोजल्स को एक कानूनी रूप देना होता है। जहां तक कि इसके उद्देश्य का सम्बन्ध है, क्यों वित्त विधेयक आया, इसके बारे में मैं बजट स्पीच में कह चुका हूं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह वित्त विधेयक पारित किया जाय?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977 पारित किया गया।

समितियों का गठन वित्तीय समितियों के सदस्यों की घोषणा

अब मुझे कुछ सूचना और देनी है।

वित्तीय समितियों की नामावली आ चुकी है और मैं उनके नामों की घोषणा करना चाहता हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जनलेखा समिति, 1977-78, प्राक्कलन समिति, 1977-78 और राजकीय उपक्रम समिति, 1977-78 के लिये निर्विरोध चुने गये सदस्यों के नाम निम्न प्रकार हैं:—

जनलेखा समिति (15)

(1) श्री ओंकार लाल चौहान
(2) श्री नारायण सिंह
(3) श्री गुलाब चन्द कटारिया
(4) श्री उमराव सिंह ढाबरिया
(5) श्री हरचन्द सिंह
(6) श्री मूल चन्द सामरिया
(7) श्री जय कृष्ण शर्मा
(8) श्री बहादुरसिंह (90)
(9) श्री अयूब खां
(10) श्री गोपाल सिंह (43)
(11) श्री रघुनाथ बिश्नोई

(श्री उपाध्यक्ष)

(12) श्री शंकरलाल
(13) श्री काशी नाथ गुप्ता
(14) श्री वंशीलाल सारस्वत
(15) श्री लाल शंकर (153)

प्राक्कलन समिति (21)

(1) श्री मंजूर अली
(2) श्री शोशराम श्रोला
(3) श्री समरथ लाल
(4) श्री गोविन्द सिंह शक्तावत
(5) श्री जय नारायण सालोदिया
(6) श्री करतार सिंह
(7) श्री नत्थी सिंह
(8) श्री कान सिंह
(9) श्री पदम सिंह राठौड़
(10) श्री राम प्रसाद लड्ढा
(11) श्री सुरेश कुमार
(12) श्रीमती मदन कौर
(13) श्री रामेश्वर दयाल यादव
(14) श्री बत्ती लाल मीणा
(15) श्री मनफूल राम
(16) श्री इन्दर सिंह
(17) श्री राम किशोर मीणा
(18) सुश्री पुष्पा
(19) श्री रामजी लाल महामना
(20) श्री जगदीश सिंह
(21) श्री मथुरा दास माथुर

राजकीय उपक्रम समिति (15)

(1) श्री कौशल किशोर जैन
(2) श्री एच. एन. शर्मा
(3) श्री कमलेन्द्र सिंह
(4) श्री हरजी राम बुरड़क
(5) श्री अब्दुल हादी
(6) श्री मूल चन्द डागा
(7) श्री हजारी मल सारण
(8) श्री अमृत लाल
(9) श्री नाथू लाल
(10) श्री नूरा
(11) श्री रामरघुनाथ चौधरी
(12) श्री ईश्वर चन्द्र
(13) श्री भंवर लाल शर्मा
(14) श्री दाऊ दयाल जोशी
(15) श्री रतन लाल वर्मा

सदन की कार्यवाही कल 30 सितम्बर, 1977 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 4-50 बजे, दिनांक 30 सितम्बर, 1977 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 424 की लीज डीड की प्रति)

LEASE DEED

This lease made on the 10th (tenth) day of November, 1967, BETWEEN the Governor of the State of Rajasthan (hereinafter called 'the Lessor' which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, include his successors in office and permitted assigns) of the one part and Indian Oil Corporation Limited, Jaipur (hereinafter called 'the Lessee' which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, be deemed to include its successors, executors, administrators and assigns) of the other part.

WHEREAS the Lessor has agreed to grant and the Lessee has agreed to accept the lease of a plot of land measuring 100' × 150' situated at Jhotwara Road, near T. B. Sanatorium, Jaipur, and fully described in the schedule hereto and which is for greater clearness delineated on the plan annexed hereto (hereinafter called 'the plot') for the purpose of installing a Petrol Pump for which the lessee had applied to the lessor, upon the conditions hereinafter appearing.

Now this lease deed witnesses as follows:—

1. That the Lessor hereby demises to the lessee the Plot to HOLD THE same to the lessee from the 22nd (Twenty Second) day of August, 1966 for the term of ninety-nine years paying therefor to the Lessor or his authorised agent without any deduction during the said term a monthly rent of Rs. 10/- to be paid on or before the first day of each and every ENGLISH calendar month succeeding the then current month for which the rent has accrued due at such place or places as the Lessor may from time to time prescribe in this behalf, the first of such payment to be made on the 12th (Twelfth) day of August, 1966.

2. That the possession of the plot is hereby delivered to the Lessee.

3. The Lessee hereby covenants with the Lessor as under:—

(*i*) That the Lessee shall duly pay the stipulated rent of the plot to the Lessor or to his authorised agent on the days and in the manner aforesaid.

(*ii*) That the aforesaid monthly rent shall exclude all kinds of taxes which the Municipal Board, Panchayat or any other civic body has imposed or may impose during the period of lease in respect of the plot and the lessee shall pay such taxes to the authority concerned direct.

(*iii*) That the lessee shall set up on the plot a Petrol Pump for which the plot has been leased to the Lessor within a period of one year thereof and in case of his failure to do so the plot shall revert to the Lessor unless the period of one year is extended by the Lessor on valid grounds.

(*iv*) That the Lessee shall construct, erect and build on the plot, only such buildings, sheds and structures as are required by him for

(120)

setting up of the Petrol Pump aforesaid and also other residential quarters, *e. g.* watch and ward quarters as are required for those engaged or to be engaged in the said business.

(*v*) That the Lessee shall not construct or build any structure or building on the plot or on a portion of it which may have the object of using it as a commercial undertaking other than the Petrol Pump for which the plot has been leased.

(*vi*) That the Lessee shall not sublet, underlet or sell the plot. He shall have the limited ownership on the plot till the lease subsists and shall have the right of assignment only for the purpose of taking a loan for the development of the industry. The Lessee shall have no right to sell the land.

(*vii*) That the aforesaid monthly rent shall be liable to be revised after every thirty three years and the enhancement in rent at each such revision shall not exceed 25% of the rent payable for the period immediately preceding such revision. The Lessee shall pay to the Lessor such enhanced rent.

(*viii*) That the Lessee shall have option to renew the said lease for a further period of ninety-nine years after expiry of the present term of lease.

(*ix*) In case any default is made by the Lessee in respect of any of the terms and conditions aforesaid, the plot shall revert to the Lessor and the Lessee shall have to remove therefrom at his costs all the buildings and structures constructed by him. In case of his failure to do so the Lessor shall have the right to dispose of the said structure or/and buildings in any way he likes and to refund the sale proceeds to the Lessee after recovering all the sums due to the Lessor from the Lessee including the costs and expenses, if any, incurred in disposing of the said structures and buildings.

5. That the costs and expenses incidental to the preparation, execution and registration of this lease including stamp duty shall be borne and paid by the lessee.

In witness whereof the parties hereto have put their respective hands on the dates mentioned against their signature.

Witness : Narendra Kumar
Date : 10-11-67

Sd/- G. K. BORA,
Chief Conservator of Forests.
Signed for and on behalf of the
Governor of the State of Raj.

Witness :—Sd/-
10-11-67.

Sd/-
District Manager
Indian Oil Corporation Ltd., Jaipur
Singed by the Lessee.

(Sethumadhava)
District Manager,
Indian Oil Corporation Ltd.,
Indian Oil House,
Opp. Residency,
Jaipur.

SCHEDULE

Plot of land Measuring 150' X 100'

Area——————

Khata No.————

Khasra No.—————

North : Forest Plantation.

South : Jhotwara Road.

East : Way to grave yard. (Cremetorium).

West : Forest Plantation.

Bounded on the T. B. Sanatorium Plantation on Chandpole-Jhotwara Road.

Situated within Municipal Limits, Jaipur.

Tehsil : Jaipur, District : Jaipur.

Sd/- G. K. BORA,
Chief Conservator of Forests,
Rajasthan, Jaipur.

Sd/- Sethumadhava,
District Manager,
Indian Oil Corporation Ltd.,
Indian Oil House,
Opp. Residency, Jaipur.

LEASE DEED

This lease made on the 28th day of May, 1963 BETWEEN the Governor of the State of the Rajasthan (hereinafter called 'the lessor' which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, include his successor's in Office and permitted assigns) of the one part AND Shri Virendra Kumar Jain, dealer, Petrol Pump, Indian Oil Corporation Ltd., Jaipur (hereinafter called 'the Lessee' which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, be deemed to include its successors, executors) of the other parts.

WHEREAS the lessor has agreed to grant and the lessee has agreed to accept the lease of a plot of land measuring 100' X 75' situated at Jhotwara Road near T. B. Sanatorium, Jaipur and adjoining the Petrol Pump, (Indian Oil Company) hereinafter called 'the plot') for the purpose of extension of Petrol Pump and its allied works for which the lessee had applied to the lessor, upon the conditions hereinafter appearing.

Now this lease deed WITNESSES as follows:—

1. That the lessor hereby demises to the lessee the plot to hold the same to the lessee from 28th day of May, 1968 for the term of ten years paying therefor to the lessor or his authorise agent without any deduction during the said term a monthly rent of Rs. 16/- to be paid on or before the first month day of each and every English Calendar months succeeding the then current month for which the rent has accrued due at such place or places as the lessor may from time to time prescribe in this behalf, the first of such payment to be made on the 28th day of May, 1968.

2. That the possession of the Plot is hereby delivered to the lessee.

3. The lessee hereby covenants with the lessor as under:—

(*i*) That the lessee shall duly pay the stipulated rent of the plot to the lessor or to his authorised agent on the days and in the manner aforesaid.

(*ii*) That the aforesaid monthly rent shall exclude all kinds of taxes which the Municipal Board. Panchayat or any other civic body has imposed or may impose during the period of lease in respect of the plot and the lessee shall pay such taxes to the authority concerned direct.

(*iii*) That the lessee shall construct, erect and build on the plot only such building sheds and structures as are required by him for extension of allied business relating to Petrol Pump as aforesaid and also other quarters etc. as required in the said business.

(*iv*) That the lessee shall not sublet, underlet or sell the plot. He shall have the limited ownership on the plot till the lease subsists and shall have the right of assignment only for the purpose of taking a loan for the development of the Industry. The lessee shall have no right to sell the land.

(*v*) That the lessor shall have option of renew or terminate the said lease after the expiry of the present term of the lease.

(*vi*) The lessor shall have the option to revise the rent on the expiry of the lease period.

(*vii*) In case any default is made by the lessee in respect of any of the terms and conditions aforesaid, the plot sha'l revert to the lessor or and the lessee shall have to remove therefrom at his costs all the buildings and structures constructed by him. In case of his failure to do so the lessor shall have the right to dispose of the said structures or/and buildings in any way he likes and to refund the sale proceeds to the lessee after recovering all the sums due to the lessor from the lessee including the costs and expenses, if any, incurred in disposing of the said structures and buildings.

Page No 123

(123)

That the costs and expenses incidental to the preparation, execution and registration of this lease including Stamp duty shall be borne and paid by the lessee.

In witness whereof the parties hereto have put their respective hands on the dates mentioned against their signatures.

1. *Witness* Sd/-
   Date

1. Sd/- G. K. BORA,
   Chief Conservator of Forests,
   Signed for and on behalf of the
   Governor of the State of Raj.

2. *Witness* Sd/-
   Date 28-5-68.

2. Dealer, Indian Oil Corporation
   Ltd., Jaipur.

Signed by the lessee
For Motoraids,
Sd/- Virendra Kumar Jain.

Sd/-
Divisional Forest Officer,
Jaipur.

Page No 124

(124)

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 496 की सूची)

जिलों की सूची जहां श्रम निरीक्षक नियुक्त हैं

1.	जयपुर	..	..	9
2.	टोंक	..	..	1
3.	जोधपुर	..	..	6
4.	पाली	..	..	1
5.	नागौर	..	..	1
6.	सिरोही	..	..	1
7.	कोटा	..	..	6
8.	झालावाड़	..	..	1
9.	बून्दी	..	..	1
10.	उदयपुर	..	..	5
11.	बांसवाड़ा	..	..	1
12.	डूंगरपुर	..	..	1
13.	अजमेर	..	..	4
14.	किशनगढ़	..	..	1
15.	ब्यावर	..	..	1
16.	खेतड़ी	..	..	1
17.	सीकर	..	..	1
18.	भीलवाड़ा	..	..	4
19.	चित्तौड़गढ़	..	..	1
20.	बीकानेर	..	..	4
21.	चूरू	..	.	1
22.	हनुमानगढ़	..	..	1
23.	गंगानगर	..	..	2
24.	भरतपुर	..	..	3
25.	अलवर	..	..	1
26.	सवाई माधोपुर		..	2
27.	मुख्यालय	..	..	1
	योग .		..	62

राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम जिन-जिन नगरों व शहरों में लागू है, की सूची :—

1. जयपुर	2. चौमू
3. कोटपुतली	4. साम्भर
5. फुलेरा	6. दौसा
7. बांदीकुई	8. टोंक
9. देवली	10. अजमेर
11. [illegible]	12. नसीराबाद
13. ब्यावर	14. विजयनगर
15. किशनगढ़	16. केकड़ी
17. बीकानेर	18. गंगानगर
19. जोधपुर	20. पीपाड़
21. बिलाड़ा	22. फलौदी
23. उदयपुर	24. नायड़वाड़ा
25. कोटा	26. बारां
27. झालावाड़	28. भवानी मन्डी
29. बून्दी	30. लाखेरी
31. नागौर	32. मेड़ता
33. कुचामन सिटी	34. मकराना
35. डीडवाना	36. लाडनू
37. चूरू	38. तारानगर
39. सादुलपुर (राजगढ़)	40. रतनगढ़
	41. डूंगरगढ़
42. राजलदेसर	43. सरदारशहर
44. सुजानगढ़	45. श्रीगंगानगर
46. हनुमानगढ़	47. नोहर
48. भादरा	49. रायसिंहनगर
50. करनपुर	51. बाड़मेर
52. बालोतरा	53. जैसलमेर
54. सिरोही	55. शिवगंज
56. आबूरोड	57. जालौर
58. भीनमाल	59. पाली

Page No 125

(125)

60. सादड़ी	61. सोजत	88. सवाईमाधोपुर	89. हिण्डौन
62. बांसवाड़ा	63. डूंगरपुर	90. करौली	91. गंगापुर
64. भीलवाड़ा	65. शाहपुरा	92. खेड़ता	93. टोडाभीम
66. निम्बाहेड़ा	67. चित्तौड़गढ़	94. सुमेरपुर	95. निसाऊ
68. प्रतापगढ़	69. सीकर	96. मान टाऊन	97. चाकसू
70. फतहपुर	71. रामगढ़	98. मुकन्दगढ़	99. निदासर
72. लक्ष्मणगढ़	73. नीम-का-थाना	100. झालरापाटन	101. बाली
74. श्रीमाधोपुर	75. खन्डेला	102. सांगानेर	103. सूरतगढ़
76. झुन्झुनू	77. नवलगढ़	104. राजसमंद	105. सागवाड़ा
78. चिड़ावा	79. पिलानी	106. सांगरिया	107. राजखेड़ा
80. अलवर	81. राजगढ़	108. नोखा मण्डी	109. रामगंज मण्डी
82. भरतपुर	83. डिग्गी	110. कमासन	111. टोडारायसिंह
84. कामां	85. धौलपुर	112. उदयपुरवाटी	113. निवाई आदि।
86. बाड़ी	87. बयाना		

निरीक्षक, माप व बाट की वरिष्ठता की सूची

श्रम विभाग से निम्न निरीक्षकों का समावेश उद्योग विभाग में वर्ष 1961 में हुआ था:—

क्र.सं.	नाम	पद	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
(1)	श्री एस. एन. माथुर	बाट व माप निरीक्षक	निरीक्षक बाट व माप वरिष्ठता क्रमांक 24
(2)	श्री जी. एस. शर्मा	"	" 29
(3)	श्री टीकमलाल शर्मा	"	" 30
(4)	श्री डूंगरकरण	"	" 32
(5)	श्री आर. के. शुक्ला	"	" 33
(6)	श्री एस. के. माथुर	"	" 34
(7)	श्री एन. एल. मिश्रा	सहायक निरीक्षक	निरीक्षक, बाट व माप के पद पर दिनांक 18-1-65 को पदोन्नति हुई - वरिष्ठता क्रमांक 39।

1	2	3	4
(8)	श्री बी.एल. ओझा	सहायक निरीक्षक	दिनांक 14-12-64 से निरीक्षक, बाट व माप के पद पर पदोन्नति हुई। वरिष्ठता क्रमांक 40।
(9)	श्री एम.सी. राजवंशी	"	दिनांक 1-7-66 को निरीक्षक, बाट व माप के पद पर पदोन्नति हुई। वरिष्ठता क्रमांक 41।
(10)	श्री गणपतलाल हरियाणा	"	दिनांक 6-9-77 को निरीक्षक, बाट व माप के पद पर पदोन्नति की गई। सहायक निरीक्षक, बाट व माप की वरिष्ठता क्रमांक 15।
(11)	श्री बी.एस. चौहान	"	दिनांक 6-9-77 को निरीक्षक, बाट व नाम के पद पर पदोन्नति की गई। सहायक निरीक्षक, बाट व माप की वरिष्ठता क्रमांक 3। **अस्थाई** इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार विभाग में रिश्वत का मामला चल रहा था इनको दोषमुक्त करार किया गया। इसके अतिरिक्त इनका कार्य सन्तोषजनक नहीं था। कार्य में प्रगति होने पर इनका स्थाईकरण दिनांक 1-4-77 से सहायक निरीक्षक, बाट व माप के पद पर कर किया गया है।
(12)	श्री एस.के. बालचन्दानी	"	निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हुई थी और उनका स्वर्गवास हो चुका है।
(13)	श्री बेनी गोपाल	निरीक्षक, बाट व माप	श्रम विभाग को वापस स्वयं की प्रार्थना पर स्थानान्तरित होकर चले गये।
(14)	श्री एस.एन. दुगड़	"	अन्य विभाग में स्वयं के निवेदन पर स्थानान्तरित होकर चले गये।

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जिला अस्पताल, जालोर

503. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अभी तक जिला अस्पताल, जालोर में 100 शय्याओं का पूर्ण प्रबन्ध नहीं किया गया है एवं जिला अस्पताल में पूर्ण स्टाफ का पोस्टिंग भी नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो अब तक सरकार द्वारा जिला अस्पताल के विकास हेतु क्या-क्या प्रबन्ध किये गए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला अस्पताल, जालोर में अभी तक नेत्र रोग एवं चर्म रोग उपचार हेतु कोई अनुभवी डॉक्टर नहीं लगाये गये हैं ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो उक्त बीमारियों के अन्वेषण एवं उपचार हेतु कौन-कौन डॉक्टर कार्य कर रहे हैं ? भविष्य में ऐसे डॉक्टरों के पोस्टिंग उक्त अस्पताल में कब तक कर दिये जावेंगे ? उक्त अस्पताल में स्टॉफ की कमी कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि पूर्व में जिला अस्पताल एवं अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं डिस्पेंसरीज स्तर पर जनता की शिकायतों के निपटारे हेतु सलाहकार समितियों का गठन किया गया था ? अगर हां, तो कब एवं उनको कब भंग किया गया ? ऐसी समितियों का गठन कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

जालोर चिकित्सालय को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 13(2) एम. बी. एच./76/ग्रुप 2, दिनांक 14-7-76 के द्वारा 100 रोगी शय्याओं में क्रमोन्नत किया गया । आवश्यक स्टाफ एवं बजट की स्वीकृति भी दी जा चुकी है । स्टाफ के पोस्टिंग का कार्य शीघ्र ही पूरा किया जायेगा ।

(2) जी नहीं ।

चर्मरोग विशेषज्ञ का वहां पर कोई पद सृजित नहीं है । नेत्र विशेषज्ञ की पोस्टिंग कर दी गई है । सामान्य नेत्र व चर्मरोग से पीड़ित रोगियों का सामान्य आउट डोर में डॉक्टरों द्वारा उपचार किया जा रहा है । "एक्सटेन्डेड मेडिकल केयर के दौरान" जोधपुर मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ नेत्र शल्य क्रिया भी करते रहे हैं ।

रिक्त पदों पर नियुक्ति शीघ्र ही की जायेगी ।

(3) जिला अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर शिकायतों के निपटारे हेतु कोई सलाहकार समिति गठित नहीं है ।

नगर परिषद्, जोधपुर में रोस्टर प्रणाली की पालना

504. श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर

Page No 128

(128)

(श्री नरपतराम बरवड़)
परिषद्, जोधपुर में रोस्टर प्रणाली की पालना नहीं की जाती है ?

(2) नगर परिषद् में कुल कितने फर्स्ट ग्रेड व सैकण्ड ग्रेड सेनेटरी इन्सपेक्टर हैं तथा उनमें से कितने अनुसूचित जाति व जन-जाति के हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि श्री बस्तीराम पुत्र श्री पूनाराम, कौम मेहतर की पदोन्नति सीनियोरिटी के मुताबिक सैकण्ड ग्रेड सेनेटरी इन्सपेक्टर के पद पर की गई थी व उन्हें बिना वजह रिवर्ट कर दिया था जिस आदेश को श्रीमान् जिला न्यायाधीश, जोधपुर ने दिनांक 16-4-68 को निरस्त कर दिया और सीनियोरिटी के आधार पर दिये गये प्रमोशन को बिल्कुल सही माना उसके बावजूद भी नगर परिषद्, जोधपुर के उच्च पदाधिकारी अदालत के निर्णय की अवहेलना करते हैं और श्री बस्तीराम को सैकण्ड ग्रेड सेनेटरी इन्सपेक्टर के पद पर नहीं लगाया जा रहा है।

(4) श्री बस्तीराम को अदालत के निर्णय दिनांक 16-4-68 के अनुसार कब तक सैकण्ड ग्रेड सेनेटरी इन्सपेक्टर के पद पर पुनः लगा दिया जायगा तथा अदालत के व सरकार के नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(2) नगर परिषद् में सेनेटरी इन्सपेक्टर (प्रथम ग्रेड) के 13 व सेनेटरी इन्सपेक्टर (द्वितीय ग्रेड) के दो पद हैं। इनमें से प्रथम ग्रेड सेनेटरी इन्सपेक्टर के पद पर एक व्यक्ति अनुसूचित जाति से है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह सही नहीं है। श्री बस्तीराम पुत्र श्री पूनाराम की पदोन्नति अस्थाई रूप से दिनांक 7-8-65 को केवल तीन माह के लिये द्वितीय श्रेणी सेनेटरी इन्सपेक्टर के पद पर की गई थी। कार्य सन्तोषजनक नहीं होने तथा निर्धारित योग्यता नहीं रखने पर उन्हें पुनः मूल पद पर दिनांक 16-11-65 को रिवर्ट कर दिया गया था। श्रीमान् जिला न्यायाधीश के निर्णय की पालना किन कारणों से नहीं हुई, इसकी जांच करवाई जा रही है।

(4) जांच की जा रही है। जांच परिणाम के बाद तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर परिषद् जोधपुर के सेनेटरी इन्सपेक्टर, प्रथम व द्वितीय श्रेणी की सूची

स्वच्छता परिदर्शक, प्रथम श्रेणी स्वीकृत पद—13

1. श्री विजयसिंह प्रथम
2. श्री शिवदत्त
3. श्री शंकरलाल परिहार
4. श्री दीनदयाल
5. श्री गंगाधर व्यास
6. श्री लक्ष्मी गोपाल
7. श्री रहीम बक्स
8. श्री बाबूलाल (अनु. जाति)
9. श्री कान्तीलाल

(स्वायत्त शासन मंत्री)

10. श्री छत्तरसिंह
11. श्री रमानाथ
12. श्री शिम्भुदत्त
13. श्री विजय सिंह द्वितीय (अभी हाल ही में जयपुर नगर परिषद् में स्थानान्तरण किया गया है)

स्वच्छता परिदर्शक द्वितीय श्रेणी
स्वीकृत पद-2

1. श्री परस राम बिस्सा
2. श्री रामजस अग्रवाल

ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों को मकान किराया तथा सेवा-निवृत्ति के पश्चात् पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान

505. श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के किन-किन शहरों में अध्यापकों को मकान किराया देय है ?

(2) क्या यह सही है कि जिन कर्मचारियों के शहरों में निजी मकान हैं उन्हें भी मकान किराया देय है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों को मकान किराया न देकर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि सेवा-निवृत्त हो जाने के बाद अध्यापकों को 2-3 साल बाद तक भी पेंशन एवं ग्रेच्युटी की रकम नहीं दी जाती है ?

(5) राज्य में सेवा-निवृत्त हुए कितने अध्यापक हैं जिनको पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान अब तक नहीं हुआ है ? इनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या राज्य सरकार भविष्य में सेवा-निवृत्त होने वाले अध्यापकों को सेवा-निवृत्त होते ही पेंशन एवं ग्रेच्युटी की रकम दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) राज्य के निम्नांकित 16 शहरों में मकान किराया देय है :

1. अजमेर, 2. जयपुर, 3. जोधपुर
4. बीकानेर, 5. उदयपुर, 6. कोटा,
7. माउन्ट आबू, 8. श्रीगंगानगर 9. अलवर,
10. भीलवाड़ा, 11. सीकर, 12. भरतपुर,
13. ब्यावर, 14. टोंक, 15. चूरू,
16. पाली।

(2) जी हां। किन्तु यह सुविधा उन्हीं स्थानों पर कार्यरत कर्मचारियों को है जहां मकान किराया देय है।

(3) यह अध्यापकों को ही नहीं वरन ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी अन्य राज्य कर्मचारियों को देय नहीं है।

(4) यह सही नहीं है। साधारणत: सेवा-निवृत्ति के बाद पेंशन एवं ग्रेच्युटी दे दी जाती है। कतिपय मामलों में सेवा रिकार्ड पूर्ण न होने पर या जांच विचाराधीन होने पर पेंशन भुगतान पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है।

(5) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) जी हां। ऐसी व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

(130)

(ता. प्र. सं. 503 की सूची)

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

बकाया पेंशन प्रकरणों (राजपत्रित अधिकारी) की सूची

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पद	विशेष विवरण
1.	श्री सुन्दर लाल जोशी	प्र.अ.	
2.	श्री गोपाल सिंह	"	
3.	स्व. श्री राधा किशन त्रिपाठी	प्राचार्य	
4.	श्री जगतनारायण नाग	प्र.अ.	
5.	श्री शिवनारायण माथुर	"	
6.	श्री देवी शंकर पालीवाल	"	
7.	श्री शंकर स्वरूप	"	
8.	श्री बी.एल. मथोड़िया	"	
9.	श्री कन्हैयालाल तंबोली	"	
10.	श्री एस.एस. जयसिंघानी	"	
11.	श्री वैंकट रमन सिंह	"	
12.	श्री गोपीनाथ सक्सेना	"	
13.	श्री शंकरलाल मीणा	"	
14.	श्री राधिका नारायण	"	
15.	श्री रघुवीर सिंह	"	
16.	श्री हंसराज	प्रोफेसर	
17.	श्री रिषी वल्लभ मेहता	प्र.अ.	
18.	श्रीमती एस.लाल	"	
19.	श्री जय देव प्रसाद	"	
20.	श्री ढालू मल कजवानी	"	
21.	श्री शक्तिदत्त व्यास	"	
22.	श्री तेजसिंह डोगी	"	
23.	श्री धनपतसिंह मेहता	प्राचार्य	
24.	श्री लक्ष्मीलाल धूलिया	प्र.अ.	
25.	स्व. श्री श्रवण लाल	"	
26.	श्री वृद्धि चन्द्र ज्योतिषी	"	
27.	श्रीमती वी.पी. सिंह	"	
28.	श्री भुवनेशचन्द्र	"	

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पद	विशेष विवरण
29.	श्री तोला राम शर्मा	प्र. अ.	
30.	श्री हमीद रशीद खान	"	
31.	श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा	"	
32.	श्री केशवकान्त	"	
33.	श्री बसन्तीलाल शर्मा	"	
34.	श्री मुरलीधर व्यास	"	
35.	श्री गोपाल सिंह चौहान	"	
36.	श्री छाजू राम गुप्ता	"	
37.	श्री रामकरण सिंह	"	
38.	श्री लक्ष्मीचन्द जैन	"	
39.	श्री राय सिंह खीनसरा	"	
40.	श्री एम. एन. नारायणी	"	
41.	श्री बी. सी. गर्ग	प्राचार्य	
42.	श्री श्रीराम शर्मा	प्र. अ.	
43.	श्री पी. एन. भार्गव	प्राचार्य	
44.	श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता	प्र. अ.	
45.	श्री देवीशंकर पालीवाल	"	
46.	श्री दाऊदयाल पालीवाल	"	
47.	श्री भवानी सहाय गुप्ता	"	
48.	श्री रामचरण दास	"	
49.	श्री विजयकान्त नागर	"	
50.	श्री जे. पी. नाग	प्राचार्य	
51.	श्री ब्रलवीर शरण श्रीवास्तव	प्र. अ.	

वरिष्ठ लेखाधिकारी,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

बकाया पेंशन प्रकरणों की सूची

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पद	विशेष विवरण
	जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), अजमेर :		
1.	स्व. श्रीमती अमरानी शर्मा	प्र. अ.	

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पद	विशेष विवरण
2.	श्री अब्दुल जफर	स.अ.	
3.	श्रीमती आनन्दी देवी	"	
4.	श्री कन्या गिडवानी	"	
5.	श्री रामपाल शर्मा	"	

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), अलवर :

1.	श्री कृष्ण कान्त	स.अ.	
2.	श्री निराश जोशी	"	
3.	श्री राम दयाल	प्र.अ.	
4.	श्री जगदीश चन्द्र	स.अ.	
5.	श्री दीन दयाल	"	
6.	श्री बसन्तीलाल	"	
7.	श्री शिव बक्ष	"	
8.	श्री दौलतराम	"	

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), भरतपुर:

1.	श्री बलवीर सिंह	प्र.अ.	
2.	श्री बृज भूषण	स.अ.	
3.	श्री श्याम लाल	"	
4.	श्री मुरली राम	"	
5.	श्री योगेन्द्र कुमार	"	
6.	श्री मुकुट बिहारी	"	

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), जयपुर द्वितीय :

1.	श्री गोपाल राम जसवानी	स.अ.	
2.	श्री रामकिशोर शर्मा	"	
3.	श्री नरोत्तम लाल शर्मा	"	
4.	श्री हनुमान दास	"	
5.	श्री उमराव लाल भाई	"	
6.	श्री चैन शंकर	"	
7.	श्री गोपाल स्वरूप	"	
8.	श्री लालू चन्द	"	

Page No 133

(133)

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पद	विशेष विवरण
9.	श्री नथमल	स. अ.	
10.	श्री प्रभाती लाल मिश्रा	"	
11.	श्री प्रभुदयाल	"	
12.	श्री जय कुमार	"	
13.	श्री विश्वेसर दयाल	"	
14.	श्री बसीर खान	"	
15.	श्री कल्याण सहाय मिश्र	"	

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), जयपुर :

1.	श्रीमती माया देवी	..	

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), झुन्झुनू :

1.	श्री सैयद अहमद	स. अ.	
2.	श्री राम प्रसाद भार्गव	"	
3.	श्री शिवचन्द राम	"	
4.	श्री बृजलाल शर्मा	"	
5.	श्री मनोहरलाल सिंह	पी.टी.आई.	
6.	श्री गोकुलचन्द	स. अ.	
7.	श्री बिहारीलाल	"	
8.	श्री गौरी शंकर यादव	"	
9.	स्व. श्री मूल सिंह	"	
10.	श्री बृज लाल सैनी	"	
11.	श्री देवीसिंह	"	

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), करौली :

1.	श्री खेम चन्द सिंघी	स. अ.	
2.	श्री नित्यानन्द शर्मा	"	
3.	श्री कैलाश प्रसाद	"	
4.	श्री बृजमोहनलाल	"	
5.	श्री सत्यनारायण	"	
6.	श्री मनोहरलाल	"	
7.	श्री अब्दुल हक	स. अ.	

Page No 134

(134)

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पद	विशेष विवरण
8.	श्री राम स्वरूप शर्मा	स.प्र.	
9.	श्री कल्याणलाल	"	
10.	श्री प्यारे लाल योगी	"	
11.	श्री हजारीलाल जैन	"	
12.	श्री मुरारीलाल जैन	"	
13.	श्री कन्हैयालाल शर्मा	"	
14.	श्री मांगीराम वर्मा	"	
15.	श्री कन्हैयालाल शर्मा	"	
16.	श्री हजारीलाल गुप्ता	"	
17.	श्री रामचन्द्र वर्मा	"	

उप-जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), सवाई माधोपुर :

1.	श्रीमती सरला सक्सेना	स.प्र.	
2.	श्रीमती कृष्णा देवी	"	

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), सीकर :

1.	श्री रिच्छपाल सिंह	प्र.प्र.	
2.	श्री प्रेम सिंह	स.प्र.	
3.	श्री रामलाल पंवार	"	
4.	श्री श्रीगोपाल शर्मा	"	
5.	श्री राधेश्याम	"	
6.	श्री दीपाराम	"	
7.	श्री श्रीनिवास	"	
8.	श्री ब्रह्मानन्द	"	
9.	श्री श्रीनारायणराम	"	
10.	श्री अकबर अली	"	
11.	श्री रघुनाथ प्रसाद	प्र.प्र.	

उप-जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), सीकर :

1.	श्रीमती विद्यावती	स.प्र.	
2.	स्व. श्रीमती सज्जन कौर	"	

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पद	विशेष विवरण
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), बीकानेर :			
1.	स्व. श्रीमती रामी देवी	स.अ.	
2.	श्री गोरधन लाल	"	
3.	श्री नसीमुद्दीन	"	
4.	श्री शिव करण मारू	प्र.अ.	
5.	श्री वली मोहम्मद	स.अ.	
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), बीकानेर :			
1.	श्रीमती सरस्वती	स.अ.	
2.	श्रीमती लूजी बाई	"	
3.	श्री स्नेहलता	"	
4.	श्रीमती सावित्री देवी	"	
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), चूरू :			
1.	श्री जयचन्द लाल	स.अ.	
2.	श्री लक्ष्मी चन्द	प्र.अ.	
3.	स्व. श्री तोलाराम	"	
4.	श्री लक्ष्मी नारायण	स.अ.	
5.	श्री मदन चन्द	"	
6.	श्री डी.आर.सूरी	"	
7.	श्री चेतन दास	"	
8.	श्री सुमेर मल	"	
9.	श्री अनूप सिंह	"	
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), गंगानगर :			
1.	श्री बनारसी राम	स.अ.	
2.	श्री हरी राम	"	
3.	स्व. श्री कस्तूर चन्द	"	
4.	श्री स्वेतु राम	"	
5.	श्री हरी राम	"	
6.	श्री अमर नाथ	"	
7.	श्री निर्मल दास	"	
8.	स्व० श्री लक्ष्मी नारायण	एस.डी.आई०	

(136)

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पद	विशेष विवरण

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), जोधपुर :

1.	श्री सुरेन्द्र शर्मा	स.अ.	
2.	श्री जगदीश नारायण	"	
3.	श्री दयाराम	"	
4.	श्री रामा राम	"	
5.	श्री संपतलाल	"	
6.	स्व. श्री रमा कान्त	"	
7.	श्री जगदीश प्रसाद	"	
8.	श्री गुमानी राम	"	
9.	श्री मूलचन्द	पी.टी.आई.	
10.	श्री सीता राम	"	
11.	श्री जगदीश लाल	स.अ.	
12.	स्व. श्री आईदान सिंह	"	
13.	स्व. श्री गुमानराज	"	

उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), जोधपुर :

1.	श्रीमती रतन कौर	स.अ.	
2.	श्रीमती सरस्वती बाई	"	
3.	श्री यशोदा देवी	"	

उप-निदेशक (महिला), जोधपुर :

1.	श्रीमती रुकी धड़ानी	स.अ.	

उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), गंगानगर :

1.	श्रीमती प्रकाश देवी	प्र.अ.	

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), बाड़मेर :

1.	श्री शिव नाथ वर्मा	प्र.अ.	
2.	श्री केसा राम	स.अ.	

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), जैसलमेर :

1.	श्री प्रभुदास	स.अ.	
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	"	

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पद	विशेष विवरण
3.	श्री गोपी कृष्ण	स.अ.	
4.	श्री देवकृष्ण छंगाणी	प्र.अ.	

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), नागौर:

1.	श्री रामावत गुप्ता	स.अ.	
2.	श्री जगदीश चन्द्र	"	
3.	श्री गोपी कृष्ण	"	
4.	श्री बलदेव सिंह	"	
5.	श्री सीता राम	"	
6.	श्री ओम प्रकाश गांधी	प्र.अ.	
7.	श्री भंवरू खान	"	
8.	श्री द्वारिका दास	"	
9.	श्री शिव विलास	स.अ.	
10.	श्री गोकुल चन्द	"	
11.	स्व. श्री जोधराम	"	

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), पाली :

1.	स्व. श्री शान्ति स्वरूप	स.अ.	
2.	श्री मांगीलाल	"	
3.	श्री डूंगी सिंह	"	
4.	स्व. श्री पोऊलाल	"	
5.	श्री सत्यानन्द	प्र.अ.	
6.	श्री रानू पुरी	स.अ.	

उप-जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), पाली :

1.	स्व. श्रीमती राज कुमारी	स.अ.	

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), सिरोही :

1.	श्री समरथ लाल शाह	स.अ.	
2.	श्री मदन मोहन	"	
3.	श्री नथमल	"	
4.	श्री तखत सिंह	"	
5.	श्री गुलाब सिंह	"	
6.	श्री पीताम्बर दास	"	
7.	श्री रतन सिंह	"	

138

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पद	विशेष विवरण

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), बून्दी :

1.	श्री मोहनलाल शर्मा	स.अ.	
2.	श्रीमती श्रीकुंवर	"	
3.	श्री भंवरलाल	"	
4.	श्री कृष्ण गोपाल	"	
5.	श्री नूर मोहम्मद पठान	"	
6.	श्री भंवरलाल दधीच	"	
7.	श्री जगन्नाथ विजय	"	
8.	श्री श्रवण लाल	"	
9.	श्री अब्दुल गफ्फार	प्र.अ.	
10.	श्री आनन्दी लाल	"	
11.	श्री शिव कुमार	स.अ.	
12.	श्री ईश्वर दत्त	प्र.अ.	

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), झालावाड़ :

1.	श्री पूनम चन्द शर्मा	स.अ.	
2.	श्री राम गोपाल	प्र.अ.	
3.	श्री हजारी लाल	"	
4.	श्री घासूलाल	स.अ.	

उप-जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), झालावाड़ :

1.	स्व. श्रीमती परमिन्द कौर	स.अ.	

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), कोटा :

1.	श्री मोतीलाल	बुक बाइन्डर	
2.	श्री मूलचंद	स.अ.	
3.	श्री फूलचंद	"	
4.	श्री कैलाश चन्द्र	"	
5.	श्री श्रीधर मिश्रा	"	
6.	श्री मदनलाल	"	
7.	स्व. श्री ओंकारलाल	"	

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पद	विशेष विवरण
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), कोटा :			
1.	श्रीमती अनार देवी	स.अ.	
2.	श्रीमती गोपी बाई	"	
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), बांसवाड़ा :			
1.	श्री महेश्वर लाल	स.अ.	
2.	श्री चन्द्र शेखर आचार्य	"	
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), अजमेर :			
1.	श्री नारायण प्रसाद	स.अ.	
2.	श्रीमती अजरी देवी	"	
3.	श्रीमती पुष्पा देवी	"	
4.	श्रीमती गुलाब बाई	"	
5.	श्रीमती करणदेवी	"	
6.	श्री जय सिंह	"	
वरिष्ठ उप-जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), धौलपुर :			
1.	श्री काशीराम शर्मा	स.अ.	
2.	श्री मन मोहन शर्मा	"	
3.	श्री जफरुद्दीन	"	
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) जयपुर प्रथम :			
1.	श्री लक्ष्मण दास	अनुदेशक	
2.	श्री प्रभु नारायण	"	
3.	श्री भंवरीलाल	"	
4.	स्व० श्री नारायण लाल	स.अ.	
5.	श्री प्रकाश चन्द्र जैन	"	
6.	श्री वीरेन्द्र लाल शर्मा	स.अ.	
7.	श्री दामोदर प्रसाद शर्मा	प्र.अ.	

Page No 140

(140)

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पद	विशेष विवरण
उप-जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), जयपुर:			
1.	श्रीमती माया देवी	..	
वरिष्ट उप-जिला शिक्षा अधिकारी, सवाई माधोपुर:			
1.	श्री रामप्रसाद	स.अ.	
2.	श्री कन्हैयालाल	"	
3.	श्री राम निवास जैन	"	
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), टोंक:			
1.	श्रीमती भंवरी देवी	स.अ.	
2.	श्री भंवरी लाल शर्मा	"	
3.	श्री गुलाब चंद शर्मा	"	
4.	श्री बृज मोहन शर्मा	"	
5.	श्री लक्ष्मी नारायण टेगोर	"	
6.	श्री कृष्ण मोहन	"	
7.	श्री नारायण शर्मा	प्र.अ.	
8.	श्री सैयद अली	प्र.अ.	
9.	श्री भंवरी लाल जाट	स.अ.	
10.	श्री अलानूर खान	प्र.अ.	
11.	श्री धामी लाल जैन	स.अ.	
12.	श्री लक्ष्मीनारायण	"	
13.	श्री मिश्री लाल	"	
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), भीलवाड़ा:			
1.	श्री केसरी लाल	स.अ.	
2.	श्री फतेह मोहम्मद	प्र.अ.	
3.	श्री राम प्रसाद	स.अ.	
4.	श्री कन्हैयालाल	"	
5.	श्री ईश्वर दास	"	
6.	श्री भूरा लाल	"	
7.	श्री कन्हैयालाल	प्र.अ.	
8.	स्व. श्री राम सहाय	"	
9.	श्री राम कुमार	"	

Page No 141

(141)

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पद	विशेष विवरण
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), डूंगरपुर :			
1.	श्री नानूलाल जोशी	रा. अ.	
2.	श्री गणेशलाल	"	
3.	श्री वज्जी	"	
4.	श्री हीरालाल	"	
5.	श्री लालजी	"	
6.	श्री जोगेश्वर	"	
7.	श्री छगनलाल चौहान	"	
8.	श्री प्रतापसिंह	"	
9.	श्री सम्बी	"	
10.	श्री तुलसीराम	"	
11.	श्री कृष्ण गोपाल	"	
12.	श्री देवी सिंह	"	
13.	श्री कुंजी लाल	"	
14.	श्री रांडु शंकर	"	
15.	श्री जीव राज	"	
शिक्षा अधिकारी (छात्र), जिला उदयपुर:			
1.	श्री वीरेन्द्रपाल सिंह	रा. अ.	
2.	श्री शम्भू सिंह	"	
3.	श्री शिवलाल सिंह	"	
4.	स्व. श्री मोहनलाल	"	
5.	श्री मांगीलाल	"	
6.	श्री कमलपाल सिंह	"	
7.	श्री सुन्दरदास	"	
8.	श्रीमती भंवरी देवी	"	
9.	श्री भुवन दास गूजर	"	
10.	श्री अमृत लाल सोलंकी	"	
11.	स्व. श्री प्यारेलाल	"	
उप-जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), उदयपुर :			
1.	श्रीमती गिरधर देवी	रा.अ.	

Page No 142

(142)

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पद	विशेष विवरण
	वरिष्ठ उप-जिला शिक्षा अधिकारी, राजसमंद :		
1	श्री प्रेम चंद	स.अ.	
2.	श्री भंवरलाल	,,	
3.	श्री राम लाल	,,	
4.	श्री नाना लाल	,,	
	जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), चित्तौड़गढ़ :		
1.	श्री नन्दलाल सारस्वत	प्र.अ.	
2.	श्री जय शंकर भट्ट	स.अ.	
3.	श्री अनवर अली	,,	
4.	श्री मोहम्मद हनीफ	,,	
5.	श्री धासीलाल	,,	
6.	श्री नियाजुल हक	,,	
7.	श्री जानकी लाल	,,	
8.	श्री बन्शी लाल	,,	
9.	श्री गयासुद्दीन	,,	
10.	श्री विश्वामित्र	प्र.अ.	
11.	श्री मोहन लाल	,,	
12.	श्री मोहन लाल	स.अ.	
13.	स्व. श्री मोहम्मद शरीफ	,,	
14.	श्री घीसालाल सोलंकी	प्र.अ.	
15.	श्री मदनलाल	स.अ.	
16.	श्री सुकुमार त्रिवेदी	,,	
17.	श्री गोपनी दास	स.अ.	
18.	श्री राम चन्द्र व्यास	,,	

लेखाधिकारी,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर।

ग्राम पूनाना की भूमि पर अतिक्रमण का मामला

506. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सर्वश्री देवा, गणेश, हनुमान पुत्र गंगाराम जाट ने ग्राम पूनाना, तहसील आमेर में खसरा नं. 1 में करीब दो अढ़ाई बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ ही वर्ष पहले इसी अतिक्रमण भूमि पर की गई काश्त को एस. डी. ओ., आमेर द्वारा ग्रामवासियों के सामने 120) रु. पर नीलाम किया गया ? इसकी जो अपील अतिक्रमणकारियों ने की क्या वह खारिज हुई ? अगर हां, तो क्या इस 120) रु. की वसूली हो गई ? अगर नहीं, तो क्या यह वसूली नहीं की जावेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन्हीं अतिक्रमणकारियों ने गत वर्ष इसी भूमि पर ग्वार की काश्त की है ? क्या उसे तहसील कार्यालय द्वारा करीबन 20 मन ग्वार अनुमानतः मानते हुए कुर्क किया गया ? तो कुर्कशुदा फसल को अतिक्रमणकारी कैसे काट कर ले गये एवं इस पर तहसील कार्यालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या कुर्कशुदा फसल की नीलामी सार्वजनिक रूप से सूचना देकर एवं मौके पर ही की जाती है या नहीं ? अगर हां, तो तहसील कार्यालय द्वारा इसे अपने कार्यालय में बैठकर ही नीलामी की गई या सार्वजनिक रूप से सूचना देकर मौके पर ही की गई ? अगर सूचना दी गई तो क्या उस व्यक्ति को भी सूचना दी गई जिसे कुर्क करते समय नायब-तहसीलदार द्वारा फसल की सुपुर्दगी दी गई ?

उत्तर

(1) श्री हनुमान पुत्र गंगाराम का ग्राम पुनाना की जमीन खसरा नं. 1 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा पर सम्वत् 2034 में अतिक्रमण रेकार्ड में दर्ज है। देवा, गणेश का कोई अतिक्रमण नहीं है।

(2) सम्वत् 2034 में इस भूमि पर अतिक्रमण किया गया था उसकी फसल नीलामी के 101)रु. की जमा कायमी हनुमान पुत्र गंगाराम के नाम हो रही है। इसकी वसूली अब की जावेगी।

(3) यह सही है कि गत वर्ष हनुमान ने खसरा नं. 1 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा पर अतिक्रमण करके ग्वार की काश्त की थी। फसल को तहसीलदार द्वारा कुर्क किया गया था। इसकी फसल की कूत दिनांक 28-11-76 को 2 मन ग्वार की की गई थी। इसकी तथा चारे की कीमत 92) रु. आंकी गई, फसल की सुपुर्दगी कर दी गई थी। सुपुर्दगी के दौरान अतिक्रमी द्वारा फसल काट कर ले जाई गई। उसके विरुद्ध कार्यवाही जेरकार है।

(4) जी हां, कुर्कशुदा फसल की नीलामी सार्वजनिक रूप से सूचना देकर मौके पर की जाती है। इस मामले में सार्वजनिक रूप से नीलामी कराई गई। लेकिन इस भूमि के चरागाह एवं काश्त की भूमि के बीच में होने के कारण किसी

(राजस्व मंत्री)
ने बोली नहीं लगाई और फसल का कूत किया गया। नायब-तहसीलदार ने फसल की सुपुर्दगी की थी। फसल श्री रामेश्वर हरबक्ष बागड़ा को सुपुर्द की गई थी।

सहकारी बैंकों के अधिकारियों की विदेश यात्रा

507. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंजीयक, सहकारी विभाग, राजस्थान ने समस्त सहकारी बैंकों के पदाधिकारियों को निर्देश दिये थे कि वे उनकी स्वीकृति के बिना किसी विदेश में यात्रा नहीं करेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि इसके बावजूद भी राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक और उनकी शाखाओं के कई पदाधिकारी कई देशों में देशाटन पर बिना किसी रजिस्ट्रार की स्वीकृति के चले गये ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त पदाधिकारियों द्वारा इस तरह खर्च की गई यात्रा की रकम क्या उनसे वसूल की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) क्रमांक एक व दो के बाबत अधिनियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। जहां तक नं. 3 का मामला है मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

सूची जो पदाधिकारी विदेश यात्रा पर गये

क्रमांक	नाम व संस्था	यात्रा दिनांक	स्थान
1.	श्री रामनारायणसिंह, अध्यक्ष, अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.।	15-10-75 से 29-10-75	थाईलैंड, कोरिया, जापान, हांगकांग।
2.	श्री अमरसिंह संचालक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., भरतपुर।	9-10-75 से 31-10-75	जापान, मलेशिया, कोरिया।
3.	श्री जी. ए. भीमनाथवाला, प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि., जयपुर।	22-8-77 से 26-9-77	जापान

उप-खण्ड धौलपुर की दस्यु उन्मूलन योजनाओं की सफलता के लिये सड़कों के निर्माण का कार्य

508. श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या केन्द्र और राज्य सरकार ने उप-खण्ड धौलपुर की दस्यु उन्मूलन योजना

(श्री जगदीश सिंह)
की सफलता के लिये सड़कों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) उक्त योजना में कौन-कौनसी सड़कों के निर्माण का निर्णय लिया गया था और क्या इन सड़कों का कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कार्यरत मजदूरों को निर्धारित दर से भुगतान

509. श्री **हीरालाल** (चौरासी) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि न्यूनतम वेजेज एक्ट के तहत 5/- प्रति मजदूर प्रतिदिन देना निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या विभिन्न विभागों में कार्यों पर कार्यरत मजदूरों को निर्धारित दर से भुगतान किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि न्यूनतम वेजेज एक्ट सिर्फ विभागीय कार्यों पर लगे मजदूरों पर ही लागू है ? यदि हां, तो क्या गैर सरकारी माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों पर लगे मजदूरों की दर अलग से निर्धारित की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि न्यूनतम वेजेज एक्ट गैर सरकारी माध्यम (ठेकेदारों) से कार्यों पर लगे मजदूरों पर भी लागू है ? यदि हां, तो क्या ठेकेदारों द्वारा निर्धारित दर से मजदूरों को भुगतान किया जाता है ? यदि नहीं तो, क्यों ? इस पर राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने की मंशा रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि मजदूरों को रविवारीय अवकाश की सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि मजदूरों से रविवार को भी कार्य लिया जाता है ?

(5) क्या यह भी सही है कि रविवार को मजदूरों से कार्य लिया जाकर भुगतान नहीं किया जाता जब कि अवकाश के दिन कार्य लिये जाने पर दुगुना भुगतान का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार ने अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों के लिए 5/- प्रतिदिन या 130/- माहवार मजदूरी निर्धारित कर रखी है। जिन विभागों का कार्य न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत आता है उन्हें निर्धारित दर से मजदूरी भुगतान की जाती है ।

(2) जी नहीं, न्यूनतम वेतन विभागीय कार्यों व गैर सरकारी माध्यम से कराये गये कार्यों, जो अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत आते हैं, पर लागू होता है।

(3) जी हां, यदि कोई ठेकेदार निर्धारित दर से कम मजदूरी भुगतान करता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

(4) जी हां, श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश की सुविधा उपलब्ध है । जिन श्रमिकों से रविवार को कार्य लिया जाता है

(श्रम मंत्री)

तो उसके स्थान पर दूसरा साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है।

(5) रविवार या अन्य साप्ताहिक छुट्टी के दिन कार्य लिये जाने पर श्रमिकों को दुगुनी दर से भुगतान किया जाता है। यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम करने वाले श्रमिकों को ओवर-टाइम नहीं दिया जाता है तो शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

भूमि एवं भवन कर विभाग की उपलब्धियां

510. श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिनांक 1-4-1973 से 31-3-1977 तक भूमि एवं भवन कर विभाग की क्या प्रमुख उपलब्धियां रही हैं ?

(2) इस अवधि में इस कर से सरकारी राजस्व को प्रति वर्ष कितनी-कितनी आय प्राप्त हुई है ?

(3) उक्त अवधि में प्रति वर्ष भूमि एवं भवन कर विभाग पर कुल कितना-कितना प्रशासनिक व्यय किया गया है और किस-किस रैंक के कितने-कितने अधिकारी व कर्मचारी इस विभाग के अन्तर्गत कार्यरत हैं ?

(4) क्या यह सही है कि भूमि एवं भवन कर की मद में प्राप्त होने वाला राजस्व नगण्य मात्र है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस भारी प्रशासनिक व्यय को समाप्त कर कोई नई व्यवस्था कायम करने पर विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) दिनांक 1-4-73 से 31-3-77 तक भूमि एवं भवन कर विभाग ने 24,054 मामलों में कर निर्धारण आदेश पारित किये हैं एवं 212.48 लाख रुपयों की आय हुई है।

(2) इस अवधि में भूमि एवं भवन कर से प्रति वर्ष राजस्व प्राप्तियां निम्नानुसार रहीं हैं:—

वर्ष			लाख रु०
1973-74	..	..	20.58
1974-75	..	..	35.55
1975-76	..	..	60.62
1976-77	..	..	95.73
	योग	..	212.48

(3) इस अवधि में प्रशासनिक व्यय निम्न प्रकार रहा है:—

वर्ष			लाख रु०
1973-74	..	..	5.89
1974-75	..	..	16.47
1975-76	..	..	17.90
1976-77	..	..	20.25
	योग	..	60.51

विभाग में जो विभिन्न रैंक्स के अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी तालिका सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं, आय नगण्य नहीं है, फिर भी सरकार ने भूमि एवं भवन कर की दरों में परिवर्तन किया है जिसके कारण इस विभाग की आय दुगुने से अधिक हो जाने की आशा है। खर्चे में भी कमी करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

परिशिष्ट अ

भूमि एवं भवन कर विभाग में विभिन्न रैंक के कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण

क. सं.	पद का नाम	संख्या
1	2	3
1.	निदेशक, आई० ए० एस०	1
2.	उप-निदेशक (प्रशासन) आर० ए० एस०	1
3.	उप-निदेशक (मूल्यांकन) अधिशासी अभियन्ता	2
4.	सहायक निदेशक, आर० ए० एस०/राजस्थान लेखा सेवा	11
5.	लेखाधिकारी, राजस्थान लेखा सेवा	1
6.	मूल्यांकन अधिकारी सहायक अभियन्ता	8
7.	कनिष्ठ अभियन्ता	18
8.	निरीक्षक	63
9.	लेखाकार	2
10.	सांख्यिकी सहायक	1
11.	फैरोमेन	1
12.	कार्यालय अधीक्षक	1
13.	कार्यालय सहायक	4
14.	ड्राइवर	1
15.	वरिष्ठ लिपिक-कम-शीघ्र लिपिक	5
16.	वरिष्ठ लिपिक	18
17.	स्टेनो ग्रेड-2	1
18.	कनिष्ठ लिपिक	65
19.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	87

नोट:—एक सहायक निदेशक (जयपुर) प्रथम श्री हर प्रसाद शर्मा, आर० ए० एस० अभी हाल ही में 31-8-77 अपराह्न से रिटायर हुए हैं।

एडवर्ड मिल व महालक्ष्मी मिल, ब्यावर

511. श्री **उगमराज मेहता** (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एडवर्ड मिल व महालक्ष्मी मिल, ब्यावर का अधिग्रहण राज्य सरकार ने मात्र श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये अधिग्रहीत उनचास प्रतिशत धनराशि लगा कर किया था? यदि हां, तो इन मिलों में राज्य सरकार की कितनी पूंजी लगी हुई है और अब तक इन मिलों में कितना घाटा हो चुका है तथा राज्य सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी है ?

(2) क्या यह सही है कि इन मिलों का संचालन नेशनल टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन को सौंपते समय यह निश्चय किया गया था कि टैक्निकल अधिकारियों के अलावा सभी प्रशासनिक व अन्य अधिकारी राजस्थान के होंगे ? यदि हां, तो इन मिलों के गैर टैक्निकल पदों पर राजस्थान के कितने व बाहर के कितने अधिकारी हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार को नेशनल टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन की इन मिलों में व्याप्त भयंकर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, एवं पक्षपात की जानकारी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) एडवर्ड व महालक्ष्मी मिल, ब्यावर का अधिग्रहण भारत सरकार द्वारा किया गया था । इन मिलों को नेशनल टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन के माध्यम से सुचारु रूप से चलाने के लिये इनके आधुनिकरण व नवीकरण हेतु कार्यक्रम बनाया गया जिसमें 51 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार (एन. टी. सी.) द्वारा व 49 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दी जानी थी । राज्य सरकार द्वारा 38.00 लाख रुपये ऋण के रूप में दिये गये थे । केन्द्र सरकार द्वारा उक्त मिलों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के फलस्वरूप कुल बकाया राशि, ब्याज तथा अतिरिक्त नकद धनराशि विनियोजन में परिवर्तित की जाकर कुल 45.85 लाख रुपये विनियोजित किये गये । अतः राज्य सरकार को अभी हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं ।

(2) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। तकनीकी व गैर तकनीकी पदों पर आसीन अधिकारियों की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(3) इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं । नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन भारत सरकार का संस्थान है। राज्य सरकार मेजोरिटी शेयर होल्डर नहीं है अतः स्वतः कोई कार्यवाही नहीं कर सकती । फिर भी केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रीजी को इस संबंध में लिखने पर उन्होंने जांच करवाने के लिये आश्वासन दिया है ।

सहायक आगार प्रबन्धक की पदोन्नति का मामला

512. श्री **अल्दाराम मीणा** (देसूरी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री भोपाल सिंह, सहायक आगार प्रबन्धक मुख्यालय, रा. रा. प. प. निगम, जयपुर बारह साल से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं ?

(श्री भल्वाराम मीणा)

(2) क्या यह सही है कि वे निगम के स्थाई कर्मचारी हैं व निगम द्वारा अग्रिम यातायात प्रशिक्षण हेतु उन्हें पूना प्रशिक्षण शाला में भेजा गया था ?

(3) सन् 1973 से 1977 तक निगम कार्यालय द्वारा आगार प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति हेतु कितनी बार चयन समिति बैठाई गई व कितनी बार विभागीय अस्थाई पदोन्नति दी गई ?

(4) श्री भोपाल सिंह, सहायक आगार प्रबन्धक का हक होते हुये भी उनको पदोन्नत क्यों नहीं किया गया ?

(5) क्या श्री भोपाल सिंह, सहायक आगार प्रबन्धक के गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टियां पाई गई, तो नियमानुसार समय अवधि में उनको विदित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) यदि श्री भोपाल सिंह के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही थी तो उसका निर्णय समय अवधि में दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या यह सही है कि निगम द्वारा अधिकारियों की विभागीय जांच चल रही है व सजा दी जाने के बाद उन्हें पदोन्नत किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(8) एक अधिकारी को पदोन्नति हेतु चयन समिति द्वारा कितनी बार लगातार वंचित रखा जाता है ?

(9) श्री भोपाल सिंह द्वारा पदोन्नति हेतु कितने रिप्रेजेन्टेशन दिये गये व राज्य सरकार द्वारा क्या जवाब दिया गया ?

(10) श्री भोपाल सिंह, सहायक आगार प्रबन्धक को कितनी बार चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु रोका गया व क्या उनके रोकने का कारण उनको बताया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । श्री भोपाल सिंह की नियुक्ति आदेश दिनांक 5-8-65 के द्वारा यातायात निरीक्षक के पद पर हुई थी । फरवरी, 66 से सहायक आगार प्रबन्धक Asstt. Depot Manager तथा यातायात निरीक्षक दोनों ही पद समान कर दिये गये हैं ।

(2) जी हां ।

(3) डिपो मैनेजर के पद पर पदोन्नति हेतु बार-बार चयन समिति की बैठक हुई तथा छः बार तदर्थ रूप (एडहोक) से अस्थाई तौर पर विभागीय पदोन्नतियां की गई ।

(4) सेवा चयन मण्डल ने श्री भोपाल सिंह को पदोन्नति हेतु योग्य नहीं पाया तथा इनके निरंतर प्रतिकूल रेकार्ड को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें अस्थाई पदोन्नति भी नहीं दी गई ।

(5) श्री भोपाल सिंह के गोपनीय प्रतिवेदन सन् 1972-73, 73-74, 74-75, 75-76 में प्रतिकूल प्रविष्टियां थीं जिनकी सूचना दे दी गई है । इस हेतु कोई समयावधि निर्धारित नहीं है ।

(6) श्री भोपाल सिंह की नियुक्ति के पश्चात् आज तक इनको चार बार दोषारोपण-पत्र दिया गया जिसमें से तीन मामलों में जांच के पश्चात् इन्हें दोषी पाये जाने पर दण्डित किया गया । एक जांच मामला अभी

(150)

(यातायात मंत्री)

अनिर्णीत है, जिसका कारण संबंधित रेकार्ड इनके द्वारा उच्च न्यायालय में नियम के विरुद्ध दायर की गई याचिका में भेजा जाना है।

(7) प्रत्येक ऐसे मामले में आरोप के रूप (नेचर) व दण्ड की गंभीरता को देखते हुए, चयन समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(8) चयन संबंधी निर्णय सेवा चयन मण्डल द्वारा चयन के समय संबंधित अधिकारी के रेकार्ड के आधार पर लिया जाता है।

(9) उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार श्री भोपाल सिंह ने पदोन्नति हेतु पूर्व में दिनांक 13-1-77 को रिप्रेजेन्टेशन प्रस्तुत किया जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा इनका मामला अगली चयन समिति की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया था। चयन समिति ने पुन: इनका चयन नहीं किया।

(10) इस संबंध में स्थिति प्रश्न के भाग (3) के उत्तर में बता दी गई है, चयन मण्डल द्वारा इनका चयन किन कारणों से नहीं किया गया, इस बाबत सूचना श्री भोपाल सिंह को देना नियमानुसार आवश्यक नहीं है।

ग्राम बिडोली में दी गई भूमि

513. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बिडोली के सरपंच ने आवासीय भू-खण्डों के पट्टे दिये हैं ? यदि हां, तो कब तथा किस-किस को दिये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि ये पट्टे कृषि भूमि में से दिये गये हैं जो कि नियम विरुद्ध हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस सरपंच के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। आवासीय भू-खण्ड के पट्टे सिवाय चक कृषि भूमि, चरागाह भूमि व व्यक्तिगत खातेदारी की भूमि के दिये गये हैं। इस मामले में शीघ्र जांच करा कर सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम पंचायत बिडोला द्वारा दिये गये आवासीय भू-खण्ड आवंटन की सूची

क्र. सं.	पट्टा देने की तारीख	नाम आवंटी	खसरा नम्बर एवं भूमि की किस्म
1	2	3	4
1.	28-4-74	श्री भोलूराम पुत्र तुलछाराम हरिजन	ताखरों की ढाणी
2.	,,	,, मालूराम पुत्र चुनाराम बलाई	,,
3.	,,	,, रतना पुरा बलाई	,,
4.	,,	,, हरदेवा पुत्र सुल्ताना मीणा	,,

1	2	3	4
5.	28-4-74	श्री भूथा पुत्र कुशला वलाई	ताखरों की ढाणी
6.	,,	,, मनरूपा पुत्र मोतीराम मीणा	पांतरी
7.	,,	,, गोरूराम पुत्र श्री गुसाई	,,
8.	,,	,, रामूराम पुत्र नन्दाराम	,,
9.	,,	,, रूडाराम पुत्र कालूराम	,,
10.	,,	,, नारायण राम पुत्र तुलछाराम	,,
11.	,,	,, कैशर पुत्र तुलछाराम बलाई	,,
12.	,,	,, दुलाराम पुत्र देवाराम	,,
13.	,,	,, छीतर पुत्र देवाराम	,,
14.	,,	,, वालूराम पुत्र भैरूराम	,,
15.	,,	,, रामनाथ पुत्र वालूराम	,,
16.	,,	,, बालूराम पुत्र कालूराम	,,
17.	,,	,, दुलाराम पुत्र पांचराम	,,
18.	,,	,, पूर्णराम पुत्र मंगलाराम	,,
19.	,,	,, मोठू पुत्र हेमाराम	,,
20.	,,	,, चूना पुत्र कालूराम बलाई	,,
21.	,,	,, हणमान पुत्र लैखाराम बलाई	,,
22.	,,	,, सांगाराम पुत्र बिडदाराम बलाई	,,
23.	,,	,, भगवानाराम पुत्र मंगलाराम बलाई	,,
24.	,,	,, रामदेवा पुत्र भोलूराम	,,
25.	,,	,, जवाराम पुत्र भोलूराम बलाई	,,
26.	,,	,, जिनकूदेवो पुत्र भूराराम बलाई	,,
27.	1-6-74	,, सूरजाराम पुत्र श्योनारायण नट	,,
28.	,,	,, कैशाराम पुत्र हेमाराम बलाई	,,
29.	1-11-74	,, रामूराम पुत्र कालूराम बलाई	,,
30.	,,	,, भूराराम पुत्र पन्नाराम बलाई	,,
31.	,,	,, खुण्डाराम पुत्र सुरजाराम बलाई	,,
32.	,,	,, मोहन राम पुत्र सुरजाराम बलाई	,,
33.	,,	,, मन्नाराम पुत्र नन्दाराम बलाई	,,
34.	,,	,, परसाराम पुत्र जीवणराम बलाई	,,
35.	,,	,, पोखरराम पुत्र जीवणराम	,,
36.	,,	,, मालाराम पुत्र सुखाराम बलाई	,,
37.	,,	,, खागाराम पुत्र देवाराम	,,

1	2	3	4
38.	1-11-74	श्री चन्द्रराम पुत्र सुखाराम	मांतरी
39.	,,	,, गणपतराम पुत्र सुखाराम बलाई	,,
40.	,,	,, नाथुराम पुत्र हेमाराम बलाई	,,
41.	,,	,, भगवानाराम पुत्र कालूराम बलाई	,,
42.	,,	,, मूलाराम पुत्र कालूराम बलाई	,,
43.	3-12-75	,, टोडाराम पुत्र भीवांराम बलाई	बिडोली ख०नं०
44.	,,	,, मोहरी पुत्र भीवाराम	208/2 गोचर
45.	,,	,, भीवाराम पुत्र पीथाराम	भूमि
46.	,,	,, रामेश्वर बिरदाराम	,,
47.	,,	,, श्योपाल झूथाराम	,,
48.	,,	,, फता पुत्र रामू	,,
49.	,,	,, समन्द्र पुत्र शंकर	,,
50.	,,	श्रीमती दडकू पत्नी लाखा	,,
51.	,,	श्री डेडा पुत्र जूझा	,,
52.	,,	,, पैमा पुत्र पोखर	,,
53.	,,	,, भागीरथ पुत्र कला	,,
54.	,,	,, सुखदेव पुत्र हुणमान	,,
55.	,,	,, मोहन पुत्र मुदा	,,
56.	,,	,, भागीरथ पुत्र छिगन सुनार	,,
57.	,,	,, घनश्याम पुत्र सुखदेवा	,,
58.	,,	,, दानाराम पुत्र गोविन्दराम जाट	,,
59.	,,	,, हुणमान पुत्र मुदाराम कुम्हार	,,
60.	,,	,, खेताराम पुत्र मुदाराम कुम्हार	,,
61.	,,	,, जुमा रसूल खां जा० तेली	,,
62.	7-7-76	,, गंगाबक्ष पुत्र बालूराम	आबादी भूमि
63.	,,	,, पोकर पुत्र हुकमाराम जाट	,,
64.	,,	,, गुमानाराम पुत्र नारायण राम जाट	,,
65.	,,	,, नारायण राम पुत्र मोतीराम जाट	,,
66.	,,	,, परमाराम पुत्र मनाराम	ताखरों की ढाणी
67.	,,	,, लिछमणराम पुत्र नानूराम जाट	,, ,,
68.	,,	,, थमाराम पुत्र नानूराम	,, ,,
69.	,,	,, पेमाराम पुत्र घुनाराम	,, ,,
70.	,,	,, नारायण पुत्र भीवाराम	,, ,,

1	2	3		4	5
71.		श्री	खोवाराम पुत्र मेघाराम	ढाणी	आबादी भूमि
72.	,,	,,	गोविन्द राम पुत्र मालराम जाट	,,	,,
73.	,,	,,	दौलाराम पुत्र हीराराम	,,	,,
74.	,,	,,	प्रेमाराम पुत्र राम कुमार स्वामी	,,	,,
75.	1-8-76	,,	शिवदयाल पुत्र रुघनाथ	,,	,,
76.	,,	,,	वालूराम पुत्र सुखाराम	,,	,,
77.	,,	,,	भगवानाराम पुत्र नाथूराम जाट	,,	,,
78.	16-10-76	,,	रामेश्वर पुत्र डूगाराम आंतरी		,,
79.	1-11-76	,,	ज्ञानाराम नोपाराम दीयाराम पुत्रगण कालूराम कुछ ल की	ढाणी	,,
80.	,,	,,	ज्ञानाराम नोपाराम अहीर पुत्रगण कालूराम		,,
81.	,,	,,	बोदूराम पुत्र चुनाराम अहीर कुण्डल की ढाणी		,,
82.	,,	,,	भैरुराम पुत्र मुनाराम अहीर		,,
83.	16-2-76	,,	शेरसिंह पुत्र मोहन सिंह बोडोली	,,	,,
84.	1-3-77	,,	हरजीनाथ पुत्र मुकन्द नाथ जोगी आंतरी		,,

मकराना का निलम्बित सरपंच

515. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आपातकाल के दौरान पंचायत समिति, मकराना जिला नागौर के ग्राम सेवक श्री वंशीसिंह को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो कब और किस आरोप में ?

(2) क्या उक्त कर्मचारी को निर्वाह भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो कब से कितना-कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इसको वापस सेवा में लेने का राज्य सरकार आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री वंशीसिंह, ग्राम सेवक को अपने मुख्यालय पर नहीं रहने व कार्य नहीं करने के कारण दिनांक 28-4-75 को निलंबित किया गया था।

(2) जी नहीं। किन्तु दिनांक 10-3-75 से 27-10-75 तक की अवधि के वेतन के 2,644.60 रुपये दिनांक 14-11-75 को चुकाये गये। धोरीमना पंचायत समिति से इनके अन्तिम वेतन भुगतान का प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने से इन्हें ग्राम सेवक की वेतन श्रृंखला की न्यूनतम राशि चुकाई गई है।

Page No 154

(154)

(पंचायत मंत्री)
श्री बंशीसिंह का पंचायत समिति धौरीमना जिला बाड़मेर में स्थानान्तरण हो जाने से उन्हें निलम्बन अवधि में दिनांक 27-10-75 को पंचायत समिति मकराना से कार्य मुक्त कर दिया गया था।

(3) इस मामले में पूर्ण जांच शीघ्र करा कर, निर्णय लिया जावेगा।

नगरपालिका क्षेत्र की भूमि के कब्जों का नियमन

516. श्री **कमलेन्द्र सिंह** (वल्लभ-नगर) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य की नई नगरपालिकाओं के क्षेत्र में जिन काश्तकारों का 25 वर्षों से कब्जा है, उनका नियमन करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

भूमियों पर कब्जे, जो दिनांक 21-9-1971 के पूर्व के हैं, को प्रावधिक शर्तों के साथ नियमित करने सम्बन्धी अवधि आदेश पूर्व ही प्रसारित किये जा चुके हैं, जो नई एवं पुरानी सभी नगरपालिका क्षेत्र में प्रभावशील हैं।

सोल्जर्स बोर्ड

517. श्री **खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के सोल्जर्स बोर्ड के पास कुल कितनी धनराशि है ?

(2) सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप किस आधार व नीति के अनुसार दी जाती है ?

(3) राज्य के बोर्ड द्वारा अन्य किन-किन मुद्दों पर सहायता दी जाती है ? यह सहायता किस कमेटी द्वारा पारित की जाती है ?

(4) बोर्ड द्वारा पेन्शनर को घर बैठे पेन्शन मिल जाय इस ओर राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

(5) क्या यह सही है कि शेरगढ़ तहसील में काफी बड़ी तादाद में पेन्शनर्स होने के कारण वहां पेन्शन देने वाला एक ही बाबू है ? जिससे पेन्शन लेने में बड़ी परेशानी व फिजूल खर्ची होती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार एक बाबू और बढ़ाने के लिए आदेश देगी ?

उत्तर

(1) राज्य सोल्जर्स बोर्ड के अधीन अमलगमेटेड फण्ड में 1,11,00,000/- रु. की राशि उपलब्ध है।

(2) सेवारत सैनिकों के बच्चों को अमलगमेटेड फण्ड से कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। इस फण्ड से केवल भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को ही छात्रवृत्ति दी जाती है। मुख्य आधार निम्न हैं :—

1) प्रार्थी राजस्थानी होना चाहिए और यदि राजस्थानी होते हुए भी उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बाहर का हो तो उसे राजस्थान का निवासी होने का प्रमाण-पत्र लाना होता है।

Page No 155

155

(सैनिक कल्याण मंत्री)

2) प्रार्थी का संरक्षक आयकर दाता नहीं होना चाहिये।

3) प्रार्थी के संरक्षक भूतपूर्व सैनिक का सेवाकाल 5 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सैनिक ने युद्ध में भाग लिया हो या फौज में कमी के कारण सेवा मुक्त किया गया हो तो 5 वर्ष का नियम लागू नहीं होगा।

(3) बोर्ड द्वारा निम्न मुद्दों पर सैनिकों की विधवाओं और भूतपूर्व सैनिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है :—

(क) भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को रु० 40/- मासिक पेंशन।

(ख) छात्रवृत्ति

(ग) चिकित्सा सहायता

(घ) कन्याओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता।

(ङ) सिलाई की मशीन।

(च) तत्काल सहायता।

उक्त सहायता मैनेजमेण्ट कमेटी व सब-कमेटी द्वारा पारित की जाती है।

(4) बोर्ड द्वारा जिन लोगों को पेन्शन दी जाती है उनको मनिआर्डर से घर बैठे दी जाती है। मनिआर्डर फीस भी बोर्ड ही भुगतता है।

(5) शेरगढ़ तहसील में 1840 सैनिक पेन्शनर्स हैं, जिनको 11 से 24 तारीख तक पेन्शन वितरित की जाती है। पेन्शन वितरण हेतु 2 बाबू हैं, जिनमें से एक सैनिक पेन्शनरों को एवं दूसरा सिविल पेन्शनों को पेन्शन वितरण करने का कार्य करता है।

कन्या मिडिल स्कूल, वेहोखेड़ा

518. श्री भैरव लाल कालाबादल (खानपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वेहोखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ में कन्या मिडिल स्कूल किस वर्ष से खुला हुआ है ?

(2) इस स्कूल में किस-किस कक्षा में कितनी-कितनी छात्राएं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस स्कूल में कितनी अध्यापिकायें काम कर रही हैं तथा प्रधान अध्यापिका कौन है ?

(4) क्या इस स्कूल का कार्य सुचारू रूप से चलता है ?

(5) ऐसे तकनीकी स्नातकों को रोजगार दिलाये जाने की क्या योजना है ?

(6) क्या राजस्थान में भी सरकार का एम्पलॉयमेंट गारन्टी स्कीम सम्बन्धी कोई कानून बनाने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सन 1976 से।

(2) स्कूल की कक्षावार छात्र संख्या निम्न प्रकार है :—

कक्षा	1	2	3	4	5	6	7
छात्र संख्या	45	39	33	38	30	17	6

(3) वर्तमान में तीन अध्यापिकायें कार्यरत हैं। प्रधानाध्यापिका श्रीमती मोहनी शर्मा है।

(4) जी हां।

पुलिस निरीक्षकों को भर्ती

519. श्री माधोसिह कछवाह (सरदारपुरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर जिले में कुल कितने पुलिस निरीक्षक स्वीकृत संख्या के अनुसार हैं ?

(2) जुलाई और अगस्त माह 1977 में कितने पुलिस निरीक्षकों के तबादले (Transfer) किये गये ? इस प्रकार 31-8-77 तक गंगानगर जिले में कितने पुलिस निरीक्षक हो गये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य में गत दो माह में कतिपय पुलिस निरीक्षकों का स्थानान्तरण तीन चार दफा हो चुका है ? अगर हां, तो ऐसे स्थानान्तरणों के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(1) गंगानगर जिले में पुलिस निरीक्षकों के केवल तीन पद स्वीकृत हैं जिनमें एक पद आर्म्ड पुलिस निरीक्षक का भी सम्मिलित है ।

(2) माह जुलाई एवं अगस्त, 1977 में 23 निरीक्षक के स्थानान्तरण किये गये हैं । दिनांक 31-8-77 को गंगानगर जिले में पूर्वानुसार तीन ही निरीक्षक रहे ।

(3) जी नहीं ।

तकनीकी स्नातकों को रोजगार देने की योजना

520. श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने एम. बी. बी. एस. एवं बी. ई. बेरोजगार हैं ?

(2) ऐसे तकनीकी स्नातकों को रोजगार दिलाये जाने की क्या योजना है ?

(3) क्या राजस्थान में भी सरकार का एम्पलॉयमेंट गारंटी स्कीम संबंधी कोई कानून बनाने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर नियोजन सहायता हेतु पंजीकृत एम. बी. बी. एस. एवं बी. ई. श्रेणी के आशार्थियों की संख्या दिनांक 30-6-77 को क्रमशः 31 एवं 437 थी ।

(2) ऐसे तकनीकी स्नातकों को विभिन्न विकास कार्यक्रमों के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाता है ।

(3) राजस्थान में एम्पलॉयमेंट गारंटी स्कीम संबंधी कोई कानून अभी विचाराधीन नहीं है । ऐसा करना आर्थिक कठिनाइयों के कारण संभव प्रतीत नहीं है ।

जैसाना गांव में दबा हुआ पुराना पक्की ईंटों का भट्टा

521. श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नोहर के गांव जैसाना (जिला गंगानगर) में जोहड़ की मिट्टी (पाल) के नीचे एक दबा

(श्योपत सिंह मकासर)

हुआ पुराना पक्की ईंटों का भट्टा निकला है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि कोई भी जमीन के नीचे रखी हुई चीज सरकार की होती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उसे सार्वजनिक निर्माण कार्य में लगावेगी ?

(3) इस भट्टे का ग्रामवासियों को कब पता चला व अब उसकी क्या स्थिति है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि तहसील नोहर के गांव जैसाना में एक ऐसा ईंटों का भट्टा बताया जाता है जो सम्वत् 1970 के आस पास तत्कालीन जागीरदार द्वारा बनवाया गया था और जिस पर कालान्तर में जोहड़ की मिट्टी खोद कर डाल दी जाने से वह दबा हुआ है। नमूने के तौर पर एक कोने को थोड़ा खुदवा कर देखा गया तो पक्की ईंटें मिलीं, जिसे वापस बन्द करवा दिया गया। भट्टे की ईंटों का उपयोग अभी तक नहीं किया गया। केवल श्री परमानंद चेला अखण्डानंद ने शिकायत की कि जैसाना के सरपंच श्री अमराराम और उसके लड़के हनुमानसिंह की इस भट्टे की ईंटों को दबाने की बदनियत है। इस शिकायत की जांच अतिरिक्त जिलाधीश को दी हुई है और जांच सम्पूर्ण होने पर ही कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जी हां। यह सही है कि इस स्थान पर पक्की ईंटें काफी मात्रा में मिलने की गुन्जाइश हुई तो इसे सार्वजनिक निर्माण कार्य में लगाने की कार्यवाही की जायेगी।

(3) यह पता नहीं चल सका कि इस भट्टे का ग्राम निवासियों को कब पता लगा परन्तु इस भट्टे के बारे में पहले पहल प्रशासन को सूचना तारीख 31-3-73 को श्री परमानंद चेला अखण्डानंद ने सरपंच के विरुद्ध शिकायत करते हुए दी। भट्टा अभी तक सुरक्षित है।

(158)

परिशिष्ट-4

(प्र. ता. प्र. सं. 42 की सूची)

वर्ष 1970-71 में वन श्रमिक सहकारी समितियों
को आवंटित कूप, लकड़ी, कोयला, बांस, कत्था

क्र. सं.	नाम वन मण्डल	नाम कूप	वन पैदावार जिसका ठेका दिया गया	नाम समिति जिसको कूप अलॉट हुआ	राशि
1	2	3	4	5	6
1.	उदयपुर	बक्षा उमरिया 1 पार्ट बी	बांस	उमरिया वन श्र. स. स.	26,600/-
2.	,,	बांस कूप भाडा हल्दू	,,	सरू वन श्र. स. स.	45,400/-
3.	,,	देवदी नं. 5	,,	खरवाड ,,	20,900/-
4.	,,	अम्बासा नं. 2	,,	अम्बावी सोया आदिवासी मजदूर स. स.	15,300/-
5.	,,	,, नं. 3	,,	,,	14,200/-
6.	,,	बेया कम्पा. 9,10,13	,,	,,	5,700/-
7.	,,	कूप अम्बारेटी ए-2	,,	बगरावत वन श्र.स.स.	1,02,601/-
8.	,,	कूप बोकन कम्पा. कूप नं. 9 कम्पा 1 से 5	,,	राजस्थान वन श्र. स. स.	9,200/-
9.	,,	,,	,,	मालमाथा कोपरेटिव सो.	56,700/-
10.	,,	,,	,,	अमझारा ,,	21,000/-

Page No 159

(159)

1	2	3	4	5	6
11.	उदयपुर	कूप बोकन कम्पा, कूप नं. 9 कम्पा. 1 से 5	बांस	आशापुरा कोआपरेटिव गोगीवाड सोसायटी	46,700/-
12.	"	"	"	तिलोही "	33,300/-
13.	"	"	"	धनवार "	9,400/-
14.	"	बांस भानपुर मालगढ़	"	घानाराम "	1,900/-
15.	"	नीलाधर उमरिया नं. 5 क 23, 24, 25	"	अरावली "	35,900/-
16.	"	झाझरी नं. 7 व 22 से 26	"	पातियां "	8,500/-
17.	"	झाझरी नं. 8 व 27 से 28	"	"	14,101/-
18.	"	कूप डईया नं. 1 बी	फायर वुड चार कोल	अम्बाबी डेया	46,200/-
19.	"	सलार नं. 10 कम्पा 10 से 14	बांस	कापडवेल धन श्र.स.स.	29,400/-
20	"	मनीयाल उर्फ काली घाटी	ल.को.	खेडा उमरडा व.श्र.स.स.	3,000/-
21.	"	फ्लेट कूप नं. 4	ल.को.	जय अम्बे वन श्र. स.स.	2,500/-
22.	चित्तौड़गढ़	वांस कूप पाल कम्पार्टमेन्ट 1 से 18, 20 से 26	बांस	चीकलाड " करमदी खेडा " उठेल "	68,000/-
23.	"	वास कूप चीकलाड	"	भरैव "	48,000/
24.	"	कूप पाल कम्पार्टमेन्ट नं. 21 कूप नं. 1	ल.को.	टटेला " बाराबरधा "	17,100/-
25.	"	सामरिया रावडदा कम्पा. 1 से 11	कत्था	राजस्थान वन श्र. स.स.	1,07,700/-

(160)

1	2	3	4	5	6
26.	बांसवाड़ा	भंवर कोट गुलवानी कम्पा. 1 से 10	बांस	सज्जनगढ़ वन श्र.स.स. कुशलगढ़ ,, ताम्बेसरा ,,	14,840/-
27.	,,	हुडाबावजी कम्पा. नं. 12 से 18	बांस	जयथलिया वन,,	8,800/-
28.	बांरा	कुन्जी स्वास क. नं. 11 व 12	,,	रामगढ़ ,,	3,500/-
29.	,,	खिरिया	कत्था	राजस्थान वन श्र. स. स.	22,300/-
30.	,,	सिगरी सिमलोर मायदा बुर्गापुरा वचलावडा	,,	राजस्थान ,,	24,100/-
31.	अजमेर	टाटगढ़ कूप नं. 15	ल.को.	टाटगढ़ ,,	21,100/-
32.	,,	मेडिया कूप नं. 15	ल.को.	वराखन बायला ,,	11,900/-
33.	,,	सातूखेडा नं. 14	ल.को.	सातूखेडा वन ,,	11,300/-
34.	भरतपुर	भरतरी	बांस	बांस उद्योग ,,	1,000/-
35.	,,	रामपुर कूप नं. 9	ल.को.	शंकर आदर्श ,, बसकटा	21,800/-
36.	,,	धीरोडा कूप नं. 1	,,	बांस उद्योग स.स.	7,620/-
37.	,,	धीरोडा कूप नं. 9	,,	हरीजन लकड़ी उत्पादक स. स.	7,620/-
38.	,,	धीरोडा नं. 3	,,	लकड़ी उत्पादक स. स.	7,620/-
39.	,,		,,	राष्ट्रीय ल.उ.श्र. स. स.	76,620/-
40.	,,	जमरा टिमकोली कूप नं. 2	,,	नहरोली वन श्र. स. स.	24,750/-
41.	,,	बासवाडी कूप नं. 2	,,	बयाना आदर्श ,,	13,100/-

1	2	3	4	5	6
42.	भरतपुर	जमूरा टिमकोली नं. 1 (ब)	ल. को.	वन श्रमिक स.स. घडी बाजना	17,150/-
43.	„	जमूरा टिमकोली नं. 1 (ए)	ल. को.	खेडली गूजर „	11,900/-
		वर्ष 1971-72			
1.	उदयपुर	पांचा गुडा	बांस	मुंगाना व.श्र.स.स.	45,000.00
2.	„	लादन कूप नं. 8	बांस	खरवड „	21,000.00
3.	„	कमल नाद	बांस	खरवड „	23,400.00
4.	„	आडा हुलदू	बांस	सरू „	61,000.00
5.	„	अम्बासा नं. 1	बांस	अम्बाडइईया	31,000.00
6.	„	अम्बासा नं. 2	बांस	„ „	23,000.00
7.	„	कुम्भलगढ़ नं. 1	बांस	थानेडाराव „	6,125.00
8.	„	पोपलमाल	बांस	अरावली व.श्र.स.स.	20,000.00
9.	„	हाडा	बांस	धरियावाद व. श्र. स.स.	20,500.00
10.	„	लखाडियां	बांस	बेडावल „	9,600.00
11.	„	लाढन नं. 8	बांस	मालमाया „	21,000.00
12.	„	मोहम्मद फलासिया	बांस	अमझरा „	42,100.00
13.	„	ओगडा रेंज झाडोल	बांस	„	28,700.00
14.	„	झाझरी	लकड़ी कोयला	पाटिया „	22,400.00
15.	„	उमरकोटा	„	धरेब „	21,600.00

1	2	3	4	5	6
16.	उदयपुर	उमरकोटा	लकड़ी जलाऊ	उरलाखेडा	4,700 00
17.	,,	अलसीगढ़ मेहवड	बांस	अलसीगढ़ ,,	34,700.00
18.	,,	प्लेट कूप नं. 5	जलाऊ लकड़ी	जय अम्बे ,, साकरोडा	2,500.00
19.	,,	नाका मोहम्मद झेड	,,	सरू ,,	19,000.00
20.	चित्तौड़गढ़	पाल कूप नं. 21	लकड़ी कोयला	बगडावद व.श्र.स.स	23,000.00
21.	,,	सावरिया रावडडा कूप नं. 12 से 19	कत्था	राजस्थान वन श्र. स. संघ,	20,000.00
22.	सिरोही	ब्लोक नं. 5 व 6	बांस	आबूरोड ,,	14,000.00
23.	अजमेर	भेडिया नं. 16	लकड़ी कोयला	बराखनभायला ,,	12,000.00
24.	भरतपुर	धिरेला नं. 5	,,	राष्ट्रीय लकड़ी उत्पादक संघ समिति	7,620.00
25.	,,	रामपुरा कालीखोल	बांस	शंकर आदर्श बसबटा उत्पादक स. समिति	17,000.00
26.	,,	बोनक	बांस	बांस उद्योग स. समिति	10,000.00
27.	,,	सीली बेरा	,,	,,	8,000.00
28.	,,	सोना की पाज	बांस	दी शंकर आदर्श बसकटा उत्पादक स. समिति	14,500.00
29.	,,	सीरावास ममरडा नं. 10 कूप नं. 1		खेडली गूजर वन श्र. स.	33,400.00
30.	,,	सोरावास	बांस	बांस उद्योग स. समिति	66,500.00

1	2	3	4	5	6
31.	भरतपुर	मेवला कूप नं. 3 कूप नं. 31.		गढ़ी बाजना व. श्र. स.	11,750.00
32.	,,	कूप ढ़ढ़ोकर 1 (ब)		दी फोरेस्ट लेबर लकड़ी उत्पादक स. स.	4,600.00
33.	,,	,, नं. 1 (अ)		दी हरिजन लकड़ी उत्पादक स. स.	4,200.00
34.	,,	रामपुर नं. 3	लकड़ी कोयला	दी आदर्श लकड़ी उत्पादक	15,125.00
35.	,,	रामपुर कम्पा. 9 कूप नं. 4	लकड़ी	दी मजदूरी लकड़ी उत्पादक स. स.	10,083.00
36.	,,	66-67 आर. एफ. ब्लॉक नारायणी क. नं. 7 एवं कूप नं. 3 की दक्षिण सरहद के बाहर ब्लॉक नं. 7	लकड़ी	लकड़हारा मजदूर लकड़ी उत्पादक स. समिति	8,800.00
37.	,,	कानरडा क. नं. 1	लकड़ी कोयला	नहरोली व. श्र. स. समिति	770.00
38.	,,	मेवला क. नं. 9	,,	बयाना आदर्श ,,	21,900.00
39.	,,	बराहल ब्लॉक क. नं. 10	,,	जबूरा ,,	10,465.00
40.	,,		,,	जैतपुरा ,,	45,000.00
41.	बारां	कूप नाहरिया ब्लोडी	कत्था	पठारी ,,	33,000.00
42.	,,	राजपुर	,,	गोयेरा ,,	24,833.00
43.	,,	कुन्जी स्वांस	,,	बनवाडा ,,	40,550.00
44.	,,	कुन्जी स्वांस कम्पा. नं. 2, 3, 4, 7	बांस	रामगढ़ ,,	6,650.00

Page No 164

(164)

1	2	3	4	5	6
		वर्ष 1972—73			
1.	उदयपुर	परेडा नं. 1	लकड़ी कोयला	सरवड़ वन श्रमिक सहकारी समिति	14,500.00
2.	"	झावला ए-26	"	"	23,200.00
3.	"	" बी-26	"	"	25,600.00
4.	"	डेया नं. 28-ए	"	अम्बावी डेया व.श्र.स. समिति	40,000.00
5.	"	डेया नं. 5	बांस	"	17,200.00
6.	"	परेडा नं. 2	लकड़ी कोयला	नलुआ व.श्र.स.	16,900.00
7.	"	चितरीमाला	बांस	मीणा आदर्श वेडावत व.श्र.स.	54,500.00
8.	"	झाझरी नं. 32	लकड़ी कोयला	पाटिया व.श्र.स.	13,400.00
9.	"	कुम्भलगढ़ नं. 4	बांस	घाणेराव व.श्र.स.	7,500.00
10.	"	अलसीगढ़ सरवड नं. 2	बांस	अलसीगढ़ व.श्र.स.	24,000.00
11.	"	उपरकोट	लकड़ी कोयला	भरैंव व.श्र.स.	13,700.00
12.	"	ओगडा	बांस	अमझरा एवं कायडबेल व.श्र.स.	17,700.00
13.	"	आरमपुरा नं. 5	"	मुगाना व.श्र.स.	39,966.00
14.	"	अम्बारेटी	बांस	धरियावद व.श्र.स.	49,472.00
15.	चित्तौड़गढ़	जानागढ नं. 18	लकड़ी कोयला	वारा वरधा कमदीखेडा, चिकलाड बगडावद, ऊठेल व.श्र.स. समिति	16,000.00

1	2	3	4	5	6
16.	बांसवाड़ा	कोटड़ी	लकड़ी कोयला	सज्जनगढ़, कुशलगढ़, ताम्बेसरा व.श्र.स. समिति	16,000.00
17.	अजमेर	सातुखेडा नं. 15	लकड़ी कोयला	सातुखेडा व.श्र.स.	12,000.00
18.	,,	सातुखेडा नं. 16 व 17	लकड़ी कोयला	टाटगढ़ व.श्र.स.	9,000.00 8,400.00
19.	,,	मेड़िया नं. 17	..	बरासन मायला व.श्र.स.	11,200.00
20.	भरतपुर	कूप बांसवाडी नं. 1	बांस	गढ़ी वाजना व.श्र.स	31,500.00
21.	,,	काला खेत कम्पा. 19	लकड़ी कोयला	बयाना व.श्र.स.	15,600.00
22.	,,	काली खेत सोना की पात	बांस	शंकर बांस व.श्र.स.	19,250.00
23.	,,	सीलीबेरी (71-72) का अवशेष,	बांस	बांस उद्योग स. स.	6,800.00
		सीरीवास (71-72) का अवशेष	बांस	,,	4,350.00
24.	,,	चण्डालू नं. 7 (1969-70)	..	दी मजदूर लकड़ी उत्पादक व.श्र.स.	11,200.00
25.	,,	गत वर्ष का बचा हुआ कूप डंडीगर	..	दी हरिजन लकड़ी उत्पादक व.श्र.स.	7,200.00
26.	,,	सीराबास नं. बी (15-18)	..	दी लकडहारा व श्र.स.	2,800.00
27.	,,	कुशलगढ़ कम्पा. नं. 1	..	दी फोरेस्ट लेबर व.श्र.स.	16,100.00
28.	,,	कूप दोराडा नं. 5 गत वर्ष का शेष	..	राष्ट्रीय लकड़ी उत्पादन व.श्र.स.	3,900.00
29.	,,	महकमाना तौर पर एकत्रित लकड़ी	..	धौलपुर व.श्र.स.	4,100.00

1	2	3	4	5	6
30.	भरतपुर	लकड़ी कोयला कालाखेत	बांस	जाटवान व.श्र.स.	16,250.00
31.	बारां	आमली कम्पा. 6	बांस	रामगढ़ व.श्र.स.	833.00
32.	टोंक	वोदल की पीदवाल	लकड़ी कोयला	जैंतपुरा व.श्र.स.	6,570.20
33.	उदयपुर	ईथा नं. 1	बांस	अम्बा की डिया व.श्र.स.	29,579.00
34.	"	उमरकोटा 1 ए	टीक वर्किंग सर्किल	भरेव समिति	13,700.00
35.	"	मनयोर काली घाटी	जलाऊ लकड़ी	बाबर माल समिति	3,200.00
36.	"	आशावाडा नं. 2	बांस	सरू एवं मालमाया	10,800.00
37.	"	जामर कोटडा नं. 1	ज.लकड़ी	जय अम्बे समिति	2,500.00
38.	"	अजबरा नं. 1	"	खेड़ा उमरड़ा	3,400.00

सूची कूप—लकड़ी कोयला, बांस इत्यादि

(समिति को छोड़)

वर्ष 1971 से 1977

क्र.सं.	वन मण्डल	नाम कूप	क्षेत्रफल	वर्ष	ठेकेदार	आय
1	2	3	4	5	6	7
1	सिरोही	बास कूप अरनुआ क० 1 से 3	1535 एकड़	1970-71	श्री अमोलकसिंह, दिलीपसिंह	7,851.00
2	"	बास कूप अरनुआ क० 9	416 एकड़	1971-72	श्री मनजी सिंह, अमरसिंह	12201.00
3	"	बांस कूप आबू नं० क० 31 से 35	2294 एकड़	1971-72	श्री गुरबचन सिंह, सुखसिंह	156011.00
4	"	बांस कूप आबू नं० क० 28 से 30	1024 एकड़	1971-72	श्री गंभीरसिंह, यशवन्त सिंह	72001.00
5	"	बांस कूप नं० 3 क० 12 से 15 व 17	2452 एकड़	1971-72	श्री हरबंस लाल, हंसराज	60,101.00
6	"	सालर अरनुआ क० नं० 10,12 व 13	1430 पेड़	1971-72	श्री बी०एम० अरोड़ा	30,000.00
7	"	सालर अरनुआ 44,45	1975	1972-73	"	4050.00
8	"	लकड़ी कोयला मायलागोडबीड कूप II	अवधि विस्तार	1972-73	श्री मो० यूसफ	2859.74 (रॉयल्टी से)

1	2	3	4	5	6	7
9	सिरोही	लकड़ी कोयला रोहुआ कूप 653	अवधि विस्तार	1970-71	श्री रसूलभाई, दाउद भाई	5852.34 (रायल्टी से)
10	,,	,, 703	,,	1971-72	,,	3721.11
11	,,	लकड़ी कोयला नीबज जागीर कूप नं० 1	476 एकड़	1970-71	श्री सद्दीक भाई	2078.72
12	,,	लकड़ी कोयला नीबज जागीर कूप II	473 एकड़	1972-73	श्री अली ब्रदर्स	3791.20
13	,,	लकड़ी कोयला कूप III	462 एकड़	1973-74	,,	2426.74
14	,,	लकड़ी कोयला जाबिया 1ए	175 एकड़	1970-71	मै० इब्राहीम भाई, अली भाई	2201.00
15	,,	लकड़ी कोयला 1बी	184 एकड़	1097-71	,,	2201.00
16	,,	लकड़ी कोयला ,, 37	335	1971-72	,,	2201.00
17	,,	जाबिया 2	371 एकड़	1972-73	,,	2201.00
18	,,	जाबिया 3	425 एकड़	1973-74	,,	2201.00
19	,,	जाबिया 5	325 एकड़	1974-75	,,	2201.00
20	,,	चैकला 1	361 एकड़	1970-71	,,	1001.00

21.	सिरोही	चैकला	2	371 एकड़	1971-72	"	1,001.00
22.	"	चैकला	4	310 एकड़	1972-73	"	1,001.00
23.	उदयपुर	बास कूप मोहम्मद फलासिया	11	..	1971-72	श्री रघुवीर सिंह	40,001.00
24.	"	रामकुण्डा	4	..	1971-72	श्री गुरुवचन सिंह	50,000.00
25.	"	सागवाड़ा	1	..	1971-72	श्री खेजान सिंह	35,501.00
26.	"	सांगड़ी	2	..	1971-72	श्री कुलवन्त सिंह	66,671.00
27.	"	माल मोखी	5	..	1971-72	श्री मांगी लाल	17,801.00
28.	"	सरवणी बेण	1	..	1971-72	श्री नजर मोहम्मद	32,020.00
29.	"	"	2	..	1971-72	"	19,111.00
30.	"	साताकुंडी नं.	3	..	"	श्री मंगत सिंह	37,001.00
31.	"	केवड़ा कूप नं. 1 (कत्था)		..	"	श्री अब्बास हुसैन	45,001.00
32.	"	मनथांग (चित्तौड़िया) (कत्था)		..	"	श्री फजल हुसैन	21,200.00

1	2	3	4	5	6	
33.	उदयपुर	कोहियात मगरा (बांस)	310 एकड़	1971-72	श्री हरिश चन्द्र	4,511.00
34.	"	सोहम्मद फलासिया (बांस)	अपत्रि विस्तार	1972-73	श्री रघुवीरसिंह	15,313.00
35.	जोधपुर	घाणेराव (लकड़ी कोयला)	..	1971-72	श्री दौलत सिंह	2,560.00
36.	अजमेर	देवेर साउथ नं. (लकड़ी कोयला)	..	1970-71	श्री गंगा सिंह	3,251.00
37.	झालावाड़	वेलवा (कत्था)	..	1971-72	श्री महावीर कत्था ट्रेडिंग कं.	8,001.00
38.	"	आदमपंथ (कत्था)	..	1971-72	"	26,100.00

वर्ष 1973-74 से 1977-78 वन श्रमिक सहकारी समितियों को कूप आवंटन लकड़ी, कोयला, बांस, कत्था

क.सं.	नाम वन मण्डल	नाम कूप	नाम वन पैदावार जिसका ठेका दिया गया	नाम समिति जिसको कूप अलाट हुआ	राशि

विभागीय कार्य योजना स्थापित होने के कारण वन श्रमिक सहकारी समितियों को कूप नहीं दिये गये ।

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 44 की सूची)

अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत विज्ञापन–सत्र, 1976-77

(रुपये 10,000.00)

वर्ष	दिनांक भुगतान	रकम	पत्र, पत्रिकाओं के नाम	विज्ञापन का संक्षिप्त विवरण	भुगतान करने वाले अधिकारी का पद
1	2	3	4	5	6
1976-77	17-8-76	300.00	सहकार दर्शक जयपुर	अमानत वृद्धि हेतु विज्ञापन	प्रबन्ध संचालक
	27-8-76	150.00	जनता की ललकार, जयपुर	"	"
	27-8-76	300.00	अमर राजस्थान, जयपुर	"	"
	27-8-76	150.00	जागरण पथ, जयपुर	"	"
	30-8-76	200.00	कोलाहल, उदयपुर	"	"
	30-8-76	250.00	ललकार, चित्तौड़गढ़	"	"
	30-8-76	130.00	लोकजीवन, जोधपुर	"	"
	30-8-76	150.00	कोलाहल, उदयपुर	"	"
	30-8-76	150.00	नवजीवन, उदयपुर	"	"
	30-8-76	250.00	जय राजस्थान, उदयपुर	"	"
	4-9-76	500.00	उदयपुर एक्सप्रेस, उदयपुर	"	"
	6-9-76	250.00	जनमंगल, उदयपुर	"	"
	6-9-76	150.00	बांगड़दूत, उदयपुर	"	"
	6-9-76	300.00	प्रगति, उदयपुर	"	"
	6-9-76	200.00	अमरज्योति, जयपुर	"	"
	6-9-76	200.00	आजाद निशान, जयपुर	"	"
	6-9-76	150.00	पुकार, उदयपुर	"	"
	22-9-76	150.00	अन्तरजाति परिवार, जयपुर	"	"
	12-10-76	250.00	उदयपुर टाइम्स, उदयपुर	"	"
	12-10-76	240.00	इकोनोमिक ब्यूटी, जयपुर	"	"

Page No 172

(172)

1	2	3	4	5	6
1976-77	12-10-76	150.00	धनुर्धर, बांसवाड़ा	अमानत वृद्धि हेतु विज्ञापन	प्रबन्ध संचालक
	12-10-76	300.00	लोकजीवन, जोधपुर	"	"
	12-10-76	400.00	यूथ एन्ड फैमिली प्रोग्राम स्मारिका, जयपुर	"	"
	12-10-76	400.00	बैंकर, दिल्ली	"	"
	12-10-76	250.00	अरावली, उदयपुर	"	"
	25-10-76	169.00	ललकार, चित्तौड़गढ़	"	"
	27-10-76	400.00	गोविन्द वल्लभ पंत जयन्ती कमेटी, पंतनगर	"	"
	27-10-76	275.00	अभयदूत, जोधपुर	"	"
	27-10-76	250.00	सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर	"	"
	12-11-76	500.00	अखिल राज. सहकारी बैंक्स अधिकारी एसोसियेशन, जयपुर	"	"
	16-11-76	500.00	जवाहर विद्यापीठ, उदयपुर	"	"
	11-12-76	300.00	राज. राज्य सहकारी संघ, जयपुर	"	"
	21-1-77	300.00	राज. लेखा सर्विस एसोसियेशन	"	"
	14-2-77	150.00	प्रजा सेवक, जोधपुर	"	"
	28-2-77	400.00	हिन्दी मिडिल स्कूल, जयपुर	"	"
	28-2-77	300.00	अभ्युदय, जयपुर	"	"
	22-3-77	300.00	श्रुति मण्डल, जयपुर	"	"
		9,764.00			

(173)

दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर

बैंक द्वारा दिये गये विज्ञापन (1976-77)

भुगतान तिथि	राशि	पत्रों का नाम	संक्षिप्त विवरण	भुगतान करने वाले अधिकारियों के पद
1	2	3	4	5
30-7-76	36.00	दैनिक नवज्योति	बैंक की अमानत योजनाओं का विज्ञापन	प्रबन्ध संचालक
12-8-76	40.00	राज. पत्रिका	"	"
25-8-76	1,440.00	राज. पत्रिका	वरिष्ठ व कनिष्ठ मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिये विज्ञापन	"
25-8-76	24.00	नवज्योति	कार 4992 की बिक्री के लिये विज्ञापन	"
6-9-76	220.80	नवज्योति	अमानत योजनाओं का विज्ञापन	"
6-9-76	422.40	नवज्योति	"	"
6-9-76	1,075.40	नवज्योति	वरिष्ठ व कनिष्ठ मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिये विज्ञापन	"
9-9-76	1,800.00	विजुअल पब्लिसिटी	रोजगार समाचार में मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिये विज्ञापन	"
26-10-76	40.00	राज. पत्रिका	बजाज नगर शाखा के लिये भवन किराये पर लेने हेतु विज्ञापन	"
7-12-76	235.20	राज. पत्रिका	अमानत योजना का विज्ञापन	"
7-12-76	758.40	नवज्योति	"	"
10-10-76	201.60	राष्ट्रदूत	"	"
14-10-76	249.60	नवज्योति	"	"
15-1-77	294.00	राज. पत्रिका	"	"

(174)

1	2	3	4	5
5-2-77	211.20	राज. पत्रिका	डिपोजिट ग्राफिसर के लिये विज्ञापन	प्रबन्ध संचालक
12-2-77	294.00	राज. पत्रिका	अमानत योजनाओं का विज्ञापन	"
12-2-77	420.00	राज. पत्रिका	"	"
12-2-77	315.00	राज. पत्रिका	"	"
12-2-77	405.00	राष्ट्रदूत	"	"
12-2-77	84.00	राज. पत्रिका	टाइपिस्टों के लिये विज्ञापन	"
28-2-77	315.00	राज. पत्रिका	अमानत योजनाओं का विज्ञापन	"
3-3-77	67.20	राज. पत्रिका	अमातन संग्रह एजेंट हेतु विज्ञापन	"
1-4-77	500.00	राजस्थान प्रदेश आदि. समिति	अमानत योजनाओं के विज्ञापन हेतु	"
1-4-77	540.00	हिन्दुस्तान टाइम्स	टाइपिस्टों के लिये विज्ञापन	"
9-4-77	67.20	नवज्योति	अमानत संग्रह एजेंट हेतु विज्ञापन	"
11-4-77	244.80	नवज्योति	अमानत योजनाओं का विज्ञापन	"
22-4-77	321.10	सहकार दर्शक	बैलेंस शीट प्रकाशित करने हेतु	"
25-4-77	250.00	अन्तर्मन प्रकाशन	अमानत योजनाओं का विज्ञापन	"
26-4-77	109.20	राज. पत्रिका	"	"
26-4-77	693.00	राज. पत्रिका	"	"
26-4-77	636.00	राष्ट्रदूत	"	"
9-6-77	617.40	राज. पत्रिका	बजाज नगर शाखा के विज्ञापन हेतु	"
15-6-77	661.50	राज. पत्रिका	"	"
	13,601.30			

(175)

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 45 की सूची)

राजस्थान के निर्माण के समय विभिन्न श्रेणी की सड़कों की लम्बाई 31-3-1949

क्र.सं.	जिले का नाम	सीमेन्ट	डामर	मेटल	ग्रेवल	कच्ची	योग
1.	अजमेर	..	..	..	..	..	..
2.	अलवर	2	140	304	8	359	813
3.	बून्दी	2	73	147	..	319	541
4.	भीलवाड़ा	..	..	26	2	137	165
5.	बांसवाड़ा	..	..	666	..	242	308
6.	बाड़मेर	..	..	..	356	64	420
7.	भरतपुर	..	98	467	16	317	951
8.	बीकानेर	..	27	156	..	..	183
9.	चूरू	..	5	320	..	..	325
10.	चित्तौड़गढ़	..	..	42	13	272	327
11.	डूंगरपुर	..	..	35	..	451	486
12.	गंगानगर	..	..	2	..	..	2
13.	जयपुर	..	245	441	..	185	871
14.	जालौर	..	..	3	21	242	266
15.	जैसलमेर	..	..	..	..	..	..
16.	झालावाड़	..	..	335	6	394	735
17.	झुन्झुनू	..	2	52	..	216	270
18.	जोधपुर	..	82	74	733	552	1441
19.	कोटा	16	26	489	..	815	1346
20.	नागौर	..	..	24	713	..	737
21.	पाली	..	..	325	145	375	845
22.	सवाई माधोपुर	..	27	222	..	143	392
23.	सीकर	..	..	26	..	71	97
24.	सिरोही	..	..	147	..	307	454
25.	टौंक	2	6	213	16	105	342
26.	उदयपुर	..	13	462	8	753	1236
	योग ..	22	744	4378	2037	6372	13553

अजमेर जिले की लम्बाई 1956 में निम्न प्रकार थी।

..	410	143		601	1154

राजस्थान के निर्माण से 31-3-1977 तक विभिन्न जिलों में कुल डामर मेटल व ग्रेवल की सड़क के निर्माण की सूची

क्र.सं.	नाम जिला	डामर सड़क	मेटल सड़क	कच्ची सड़क
1.	अजमेर	735	48	226
2.	अलवर	1023	(–) 83	(–) 8
3.	बांसवाड़ा	502	29	51
4.	बाड़मेर	1378	338	531
5.	भरतपुर	997	(–) 252	4
6.	भीलवाड़ा	680	279	300
7.	बीकानेर	930	(–) 59	155
8.	बून्दी	320	(–) 49	91
9.	चित्तौड़गढ़	633	317	46
10.	चूरू	960	(–) 265	185
11.	डूंगरपुर	498	13	259
12.	गंगानगर	1585	51	31
13.	जयपुर	1454	(–) 216	13
14.	जैसलमेर	1038	109	687
15.	जालौर	434	154	485
16.	झालावाड़	402	(–) 182	(–) 3
17.	झुंझुनू	468	12	..
18.	जोधपुर	1795	271	..
19.	कोटा	748	(–) 166	34
20.	नागौर	915	43	359
21.	पाली	704	(–) 66	497
22.	सवाई माधोपुर	678	(–) 19	40
23.	सीकर	618	93	76
24.	सिरोही	480	43	134
25.	टोंक	409	(–) 92	129
26.	उदयपुर	1450	(–) 58	159
	योग ..	21834	220	6033

Page No 177

(177)

वर्ष 1974-75 व 1975-76 में अकाल-राहत कार्यों के अन्तर्गत बनाई गई सड़कों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	मेटल	डामर	योग
1.	अजमेर	112	62	174
2.	अलवर	—	—	—
3.	बांसवाड़ा	24	122	146
4.	बाड़मेर	604	141	745
5.	भरतपुर	21	20	41
6.	भीलवाड़ा	53	132	185
7.	बीकानेर	65	41	106
8.	बूंदी	10	4	14
9.	चित्तौड़गढ़	36	40	76
10.	चूरू	98	15	113
11.	डूंगरपुर	21	90	111
12.	गंगानगर	9	3	12
13.	जयपुर	49	9	58
14.	जैसलमेर	106	16	122
15.	जालौर	58	42	100
16.	झालावाड़	—	—	—
17.	झुन्झुनू	36	26	62
18.	जोधपुर	445	92	537
19.	कोटा	—	—	—
20.	नागौर	25	36	61
21.	पाली	84	41	125
22.	सवाई माधोपुर	—	—	—
23.	सीकर	27	19	46
24.	सिरोही	81	23	104
25.	टौंक	52	39	91
26.	उदयपुर	142	202	344
	योग ..	2158	1215	3373

Page No 178

(178)

परिशिष्ट 7

(प्र. ता. प्र. सं. 49 की सूची)

दिनांक 30-9-76 को राजस्थान में संस्थाओं की संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	उच्च माध्यमिक	माध्यमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	पूर्व प्राथमिक
1.	अजमेर	48	50	213	787	12
2.	अलवर	22	57	284	1031	—
3.	भरतपुर	19	41	274	1245	—
4.	जयपुर	50	93	436	1572	—
5.	झुंझुनू	27	63	187	661	—
6.	सीकर	17	54	203	732	—
7.	सवाई माधोपुर	15	43	219	902	—
8.	टोंक	10	23	123	469	—
9.	बीकानेर	16	26	123	509	—
10.	चूरू	14	45	171	636	—
11.	गंगानगर	33	45	280	1035	—
12.	बाड़मेर	6	18	127	647	—
13.	जैसलमेर	3	5	44	263	3
14.	जोधपुर	26	38	235	765	—
15.	जालौर	5	14	114	515	1
16.	सिरोही	7	15	72	314	1
17.	नागौर	16	40	221	811	—
18.	पाली	15	35	167	643	—
19.	कोटा	21	36	218	906	—
20.	बूंदी	4	16	96	419	5
21.	झालावाड़	7	18	114	500	—
22.	बांसवाड़ा	10	22	131	610	1
23.	भीलवाड़ा	20	52	218	817	2
24.	डूंगरपुर	8	21	111	464	—
25.	चित्तौड़गढ़	14	31	187	801	—
26.	उदयपुर	37	63	360	1421	1
	योग ..	479	964	4928	19535	26

दिनांक 30-9-76 को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या

क्र.सं.	नाम जिला	पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कुल प्रशिक्षित	कुल अप्रशिक्षित	योग	कुल प्रशिक्षित	कुल अप्रशिक्षित	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	2663	193	2856	2302	72	2374
2.	अलवर	2289	478	2767	2453	57	2510
3.	भरतपुर	2407	177	2584	2347	104	2451
4.	जयपुर	3232	613	3845	3851	183	4034
5.	झुंझुनू	1843	199	1673	1695	98	1785
6.	सीकर	1498	215	1713	1535	91	1626
7.	सवाई माधोपुर	1522	160	1682	1693	70	1763
8.	टोंक	769	180	949	917	44	961
9.	बीकानेर	1029	214	1243	1251	97	1348
10.	चूरू	1085	269	1354	1250	108	1358
11.	गंगानगर	1787	255	2042	2135	105	2240
12.	बाड़मेर	661	123	794	878	171	1049
13.	जैसलमेर	307	31	338	393	8	401
14.	जोधपुर	1666	556	2222	1969	226	2195
15.	जालौर	2	282	1254	854	62	916
16.	सिरोही	573	110	683	669	40	709

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	नागौर	1338	324	1662	1647	228	1875
18.	पाली	1260	225	1485	1511	45	1556
19.	कोटा	2011	377	2388	2039	185	2223
20.	बूंदी	590	123	713	852	55	907
21.	झालावाड़	797	172	969	925	60	985
22.	बांसवाड़ा	1185	190	1375	1068	91	1159
23.	भीलवाड़ा	790	420	1210	1795	105	1900
24.	डूंगरपुर	603	236	839	895	82	977
25.	चित्तौड़गढ़	646	187	833	1494	140	1634
26.	उदयपुर	2367	234	2601	3012	317	3329
	योग ..	35535	6544	42079	41429	2836	44265

नोट:—रेल्वे और केन्द्रीय विद्यालयों से सम्बन्धी सूचना सम्मिलित नहीं की गई है ।

दिनांक 30-9-76 को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या

क्र. सं.	नाम जिला	माध्यमिक			उच्च माध्यमिक		
		कुल प्रशिक्षित	कुल अप्रशिक्षित	योग	कुल प्रशिक्षित	कुल अप्रशिक्षित	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	663	40	703	1290	59	1349
2	अलवर	836	36	872	551	33	584
3.	भरतपुर	575	36	611	552	28	580
4.	जयपुर	1382	128	1510	1512	208	1720
5.	झुंझुनू	754	86	840	521	53	574
6.	सीकर	652	46	698	365	48	413
7.	सवाई माधोपुर	561	19	580	436	27	463
8.	टोंक	262	10	272	285	12	297
9.	बीकानेर	378	37	415	437	57	494
10.	चूरू	575	74	649	336	41	377
11.	गंगानगर	580	29	609	686	58	744
12.	बाड़मेर	164	15	179	140	15	155
13.	जैसलमेर	47	3	50	68	3	71
14.	जोधपुर	445	61	506	674	96	770
15.	जालौर	164	6	170	106	6	112
16.	सिरोही	175	31	207	168	6	174

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	नागौर	461	38	499	374	37	411
18.	पाली	454	33	487	322	32	354
19.	कोटा	514	67	581	572	86	658
20.	बूंदी	221	20	241	128	11	139
21.	झालावाड़	233	9	242	153	13	166
22.	बांसवाड़ा	249	12	261	212	17	229
23.	भीलवाड़ा	603	28	631	464	69	533
24.	डूंगरपुर	235	6	241	178	16	194
25.	चित्तौड़गढ़	331	22	353	352	45	397
26.	उदयपुर	803	96	899	949	161	1110
	योग ..	12317	989	13396	11831	1237	13968

नोट—रेलवे और केन्द्रीय विद्यालयों से सम्बन्धी सूचना सम्मिलित नहीं की गई है ।

जिलेवार छात्र संख्या पूर्व प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय तक 30-9-1976 को

क्रम संख्या	नाम जिला	पूर्व प्राथमिक		प्राथमिक		उच्च प्राथमिक			
		कुल छात्रा संस्थाएं	कुल छात्र संस्थाएं	कुल छात्रा संस्थाएं	कुल छात्र संस्थाएं	कुल पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक संस्थाएं	कुल छात्रा संस्थाएं	कुल छात्र संस्थाएं	कुल उच्च प्राथमिक संस्थाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर	105	379	11300	7266	84447	12221	38953	51174
2.	अलवर	—	—	5213	91718	96931	9159	59024	68183
3.	भरतपुर	—	—	3942	96750	100692	9988	57172	67160
4.	जयपुर	—	—	12844	144453	157297	1673	91885	187821
5.	झुंझुनू	—	608	2538	70600	73746	5389	47577	52966
6.	सीकर	—	—	3293	68339	71632	4526	44975	49501
7.	सवाई माधोपुर	—	—	2313	65395	67708	4005	44929	48934
8.	टौंक	—	—	2812	32052	34864	1827	23779	25606
9.	बीकानेर	—	—	4644	35019	39663	8205	19665	27870
10.	चुरू	—	—	3428	51369	54797	4378	26631	31009
11.	गंगानगर	—	—	10591	71044	81635	5534	59945	65479
12.	बाड़मेर	—	—	1950	31191	33141	880	20127	21007
13.	जैसलमेर	—	—	353	8222	8575	151	5155	5306
14.	जोधपुर	60	—	9874	65846	76360	12309	44309	56618
15.	जालौर	—	—	2067	27214	29281	2067	20956	23023
16.	सिरोही	235	—	1445	22933	24613	2333	16613	18946
17.	नागौर	58	—	3497	65347	68902	5277	42061	47338
18.	पाली	—	—	3285	61385	64670	7214	41739	48953
19.	कोटा	398	—	7060	88465	96103	11705	52753	64458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	बूंदी	—	219	1552	23181	24952	203	18584	20616
21.	झालावाड़	—	—	1440	32739	34179	3242	20031	23273
22.	बांसवाड़ा	61	—	1483	40227	41771	2646	19791	22437
23.	भीलवाड़ा	—	117	5087	42590	47794	5260	32254	37514
24.	डूंगरपुर	—	—	851	31002	31853	1497	18794	20291
25.	चित्तौड़गढ़	—	—	4578	46502	51080	3709	30786	34495
26.	उदयपुर	193	—	6732	92877	99802	9757	61808-	71565
	योग ..	1710	1323	114172	1479383	1596508	152047	959496	1111543

नोट:—रेलवे और केन्द्रीय विद्यालयों से सम्बन्धी सूचना सम्मिलित नहीं की गई है ।

जिलेवार छात्र सं० माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय (30-9-76)

क्र० संख्या	नाम जिला	माध्यमिक विद्यालय कुल छात्रा संस्थाएं	माध्यमिक विद्यालय कुल छात्र संस्थाएं	योग	उच्च माध्यमिक विद्यालय कुल छात्रा संस्थाएं	उच्च माध्यमिक विद्यालय कुल छात्र संस्थाएं	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	5063	8578	13641	5659	23176	28835
2.	अलवर	1849	16695	18544	1928	12669	14597
3.	भरतपुर	2308	12587	14895	1938	12101	14039
4.	जयपुर	5253	25724	30977	16933	32783	43716
5.	झुंझुनूं	1902	15613	17515	1162	11165	12327
6.	सीकर	1624	12976	14806	485	8718	9203
7.	सवाई माधोपुर	1177	10926	12113	233	10422	10655
8.	टौंक	499	4531	5030	963	4014	4977
9.	बीकानेर	1620	5190	6810	3439	7726	11165
10.	चूरू	2532	9644	12176	1740	6867	8607
11.	गंगानगर	3904	11678	15582	2728	15330	18058
12.	बाड़मेर	295	2766	3061	392	3595	3987
13.	जैसलमेर	—	618	618	232	1133	1365
14.	जोधपुर	3378	6564	9942	3076	15119	18197
15.	जालौर	—	3142	3142	248	2022	2270
16.	सिरोही	1796	3238	5034	297	3248	3545
17.	नागौर	803	8616	9419	362	7967	8329
18.	पाली	722	9435	10157	896	7032	7928
19.	कोटा	2043	9181	11224	3966	10642	14608
20.	बूंदी	759	2866	3623	331	2091	2422

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	झालावाड़	1183	4513	5696	362	3033	3395
22.	बांसवाड़ा	463	3189	3653	610	3449	4059
23.	भीलवाड़ा	1038	6929	7967	1050	7386	8436
24.	डूंगरपुर	187	4015	4262	262	3509	3771
25.	चित्तौड़गढ़	772	4514	5286	1916	5581	6597
26.	उदयपुर	2886	11116	14092	4274	18539	22804
	योग ..	44256	214854	259116	48584	239308	287892

नोट:—रेल्वे और केन्द्रीय विद्यालयों से सम्बन्धी सूचना सम्मिलित नहीं की गई है।

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 51 की सूची)

(सूची–अ)

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़कों की सूचना

क्रमांक	सड़क का नाम	ग्रामों के नाम जिनको सड़क से जोड़ा जाना है
1	2	3
	(4000 व इससे अधिक आबादी वाले गांव)	
1.	एप्रोच सड़क बाड़मेर से माहावार	माहावार
2.	कवास-भीमडा-बाटाडू	बाटाडू, भीमडा, नीतर का पार डडू की ढाणी।
3.	पचपदरा से पाटाडी	पाटाडी
4.	टापरा से पादरू	पादरू, दाखां, मीठडा, जागसा, भूरावाडा।
5.	समदडी-पारलू, बालोतरा सड़क	समदड़ी, पारलू, जेठतरी, सराना
	(2500 से 3999 तक की आबादी के गांव)	
1.	हुरसानी फांटा से बिशाला	बिशाला
2.	एप्रोच सड़क तारातरा से बाड़मेर	तारातरा
3.	एप्रोच सड़क धारासर से बाड़मेर	धारासर
2.	एप्रोच सड़क लीलसर	लीलसर
5.	एप्रोच सड़क भूरटिया से बाड़मेर सिणधरी	भूरटिया
6.	एप्रोच सड़क फलसूंड से हीरां की ढाणी-कोजसर	कोजसर

Page No 188

(1 [illegible])

1	2	3
7.	सवाई पदम सिंह से फलसूंड	सवाई पदम सिंह, साबाऊ, कसूबला, सखरसिंह
8.	एप्रोच सड़क जालीपा से बांदरा	बांदरा
9.	एप्रोच सडक बायतू भोमजी से बायतू	बायतू भोमजी
10.	एप्रोच सड़क आसोतरा से बालोतरा सिणधरी	आसोतरा
11.	एप्रोच सड़क कनाना से बालोतरा-समदडी सड़क	कनाना
12.	डोली से कोरना	कोरना, असाखा, चांदन, गाबानाडी, गोदाबास, सिणेरा।
13.	मांकलसर से खंडप	खंडप, राखी
14.	समदडी से मजल	मजल, करमावास
15.	सरली से नोखरा	सरली
16.	एप्रोच सड़क डूडू से बाड़मेर सिणधरी	डूडू
17.	एप्रोच सड़क जैसीदर से गठरा मुनाबा	जैसीदर
18.	एप्रोच सड़क कोटडा से शिव	कोटडा
19.	एप्रोच सड़क मेंदूसर से गढ़रा रोड	मेंदूसर

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 57 की सूची)

सूची अलॉटी जिन्हें कब्जा नहीं दिया गया-तहसील बस्सी

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम आवंटी जिसे कब्जा नहीं दिया गया
1.	2	3
1.	बयारणवास	श्रीमती मुर्रा पुत्री नेकराम जाट
2.	टहटडा	श्री कृष्णलाल पुत्र धन्ना लाल रेगर
3.	,,	नन्द किशोर पुत्र छोटू रेगर
4.	किशनपुरा	गंगासहाय पुत्र छोगालाल
5.	,,	हरी नरायण पुत्र काना मीना
6.	,,	सूजी बेवा छोटे लाल दर्जी
7.	,,	देशबन्धु पुत्र कल्याण
8.	,,	भवन सहाय पुत्र बद्री नारायण
9.	,,	रामधन पुत्र मोकिलवा मीना
10.	,,	महादेव पुत्र गोविन्दा मीना
11.	,,	रामगोपाल पुत्र रामनारायण मीना
12.	,,	देवी सहाय पुत्र बुद्धी चन्द
13	,,	कजोड़ पुत्र झूंथा लाल
14.	,,	कैलाश चन्द्र पुत्र राघवराम
15.	,,	जगन्नाथ पुत्र महादेव, कल्ली पुत्र छोटू मीना
16.	,,	रूप नारायण पुत्र प्रताप
17.	डिधोत	भोरजा वल्द भीमा मीना
18.	,,	छीतर पुत्र भोरीलाल मीना
19.	,,	गोविन्दा पुत्र धन्नालाल
20.	,,	विजय कुमार वैद्य सैनिक
21.	,,	तुलसी राम सैनिक
22.	,,	छीतर पुत्र भोमा मीना
23.	,,	नाथू पुत्र भोमा मीना
24.	,,	नहून वल्द दुर्जनसिंह
25.	,,	चेना पुत्र महादेव मीना
26.	,,	हेतराम वल्द दुर्जनसिंह

1	2	3
27.	छिप्रोत	मोहन लाल पुत्र काना मीना
28.	सोरामा माता	महादेव पुत्र रामला धोबी
29.	"	रामविलास पुत्र शिवदयाल
30.	"	गोपाल
31.	मूडला	गंगाराम पुत्र कालू बलाई
32.	"	नानगा पुत्र रामपाल बलाई
33.	"	घासी पुत्र कालू बलाई
34.	"	रामपाल पुत्र रामदेव बलाई
35.	"	राम कल्याण पुत्र जगन्नाथ ब्राह्मण
36.	रोजबाडी	मंगला पुत्र काना
		तहसील फागी
37.	डाबिच	जयराम पुत्र कालूराम गूजर
38.	"	हरीनारायण पुत्र मंगलाराम
39.	"	रामकरण पुत्र हरदेव
40.	चोड	सूरता पुत्र किशना
41.	गोविन्दपुरा उर्फ बागडा	मजूरु खां पुत्र करीम खां
42.	दोसरा	मांगला पुत्र भूरा चमार
43.	सबयल	मोती पुत्र श्योनाथ
44.	दोसरा	गजानन्द पुत्र भवंरसिंह
45.	ऊंट का खेड़ा	किस्तुर चन्द पुत्र घासी लाल
46.	"	रोडू राम पुत्र कामा कुम्हार
47.	निसलू	गोपी पुत्र मोती
		तहसील सांगानेर
48.	बगरु कलां	हनुमान श्योराम पुत्र रामचन्द्र मीणा
49.	"	हनुमान पुत्र श्योबक्स नायक
50.	"	राम गोपाल पुत्र किशन ब्राह्मण
51.	"	किशना पुत्र भैरुं रेगर
52.	"	लाल राम पुत्र ज्ञानाराम
53.	"	भगवान सहाय पुत्र घीसी लाल
54.	"	भोलू राम दीना डाढी

Page No 191

(191)

1	2	3
55.	बगड़ कलां	हजारी पुत्र दीना ढाढी
56.	,,	सूजा वेवा कल्याण माली
57.	,,	हेमचन्द पुत्र डालूराम रेगर
58.	,,	छिगनलाल पुत्र डालू राम रेगर
59.	,,	हेमचन्द पुत्र जगन्नाथ रेगर
60.	,,	सूरज मल पुत्र उदाराम रेगर
61.	,,	गिरधारी लाल पुत्र ढालूराम रेगर
62.	,,	कालू पुत्र नारायण
63.	,,	चन्दालाल पुत्र भोमा राम
64.	,,	बुद्ध चन्द पुत्र जय नारायण
65.	,,	देवा पुत्र जगन्नाथ
66.	,,	नारायण पुत्र भोमा
67.	,,	मोहन लाल पुत्र काना
68.	,,	नादू पुत्र डालू रेगर
69.	अलेराजपुरा	रामसहाय पुत्र कालू राम दर्जी
70.	कलयाड़ा	श्रीमती फूली बेवा बंशी नायक
71.	,,	श्योराम पुत्र शोनाथ
72.	सांगरिया	देवी लाल पुत्र बिरधाराम धाणका
73.	,,	सन्तोष तलवार
74.	,,	रामसिंह पुत्र कल्याण सिंह
75.	,,	शमशाह बेगम
76.	,,	कालू खां पुत्र भेरू खां
77.	,,	रामाकिशन पुत्र लादू राम
78.	,,	अब्दुल सत्तार पुत्र बशीर खां
79.	,,	रूपनारायण पुत्र कुशलराज
80.	मंडाऊ	किशन सिंह पुत्र भंवरसिंह
81.	,,	कल्याण पुत्र सूरज धनका
82.	गजसिंहपुरा	रामचन्द्र पुत्र बालू छींपा
83.	हाज्यावाला	धन्नाराम पुत्र लादू राम
84.	खुजिया	मोहन लाल पुत्र लल्लू नारायण
85.	महाना	लक्ष्मन पुत्र रामला भैरवा
86.	,,	कल्याण सिंह पुत्र लक्ष्मनराम

Page No 192

(192)

1	2	3
87	रामचन्द्रपुरा	रामनारायण पुत्र कल्या
88	"	मेहरू पुत्र छोटू माली
89	बिधानी	शंकर पुत्र रामदेव मेहतर
		तहसील जमवारामगढ़
90.	बासना	देवी सहाय पुत्र विरधीचन्द शर्मा
91.	"	जुब्दाराम पुत्र रूपा गूजर
92.	"	गोपी पुत्र महादेव
93.	"	रामू पुत्र महादेव
94.	"	खानाराम पुत्र महादेव
95.	"	छोटीलाल पुत्र गोविन्द राम
96.	"	बाबूलाल पुत्र गोविन्दराम
97.	"	रामधन पुत्र गोविन्द राम
98.	"	राजेश्वर पुत्र मंगलाराम
99.	"	गेंदी लाल पुत्र गोविन्द राम
100.	"	मगन पुत्र गोविन्द राम
101.	"	जगदीश नारायण पुत्र रामकल्याण
102.	"	कानाराम पुत्र मंगलाराम
103.	"	महादेव पुत्र मंगलाराम
104.	"	बद्री पुत्र बींजाराम खटीक
105.	"	प्यारनाराम पुत्र विजयलाल
106.	"	गुलाब पुत्र गोविन्द राम
107.	"	डूंगराम पुत्र डालूराम बलाई
108.	"	भौरी लाल पुत्र काना राम बलाई
109.	"	राम किशोर पुत्र मूलचन्द
110.	"	लादूराम पुत्र कजोड़ बलाई
111.	"	महादेव पुत्र गणेशराम बलाई
112.	"	मंगलराम पुत्र तेजाराम खटीक
113.	"	मोधी राम पुत्र दवाला बलाई
114.	"	भंवरी लाल पुत्र काना राम बलाई
115.	"	मूलचन्द पुत्र रामदेव बलाई
116.	"	भैरू राम पुत्र गंगाराम गूजर

1	2	3
117	बासना	गोपा राम पुत्र संगा बलाई
118	"	प्रताप पुत्र भंवरी लाल
119	"	मोहन पुत्र मांगु नाथ
120	"	मल्लू राम पुत्र मोतीराम
121	"	तेजाराम पुत्र भोमाराम गूजर
122	"	सूवा लाल पुत्र रामदेव नाई
123	"	महादेव पुत्र रामदेव
124	"	घोयू व प्रताप पुत्र धन्ना गूजर
125	"	पांचू व कजोड़ पुत्र धन्ना गूजर

Page No 194

(194)

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 9 की सूची)

पंचायत समिति केशवराय पाटन (बूंदी) के पूर्ण/अपूर्ण कुओं का विवरण

क्र. सं.	नाम गांव	कुओं की संख्या	पूर्ण कुओं की संख्या	अपूर्ण कुओं की संख्या	अपूर्ण कुओं पर खर्च की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1	बालिथा	1	..	1	2,000
2	लैसरदा	1	..	1	800)
3	बनजारों की झौं	1	1	..	..
4	नीमोदा	1	..	1	400)
5	माखोदा	1	..	1	1,500)
6	खाखटा	1	..	1	600)
7	पीपलदा थाग	1	..	1	2,250)
8	बहड़ावली	1	..	1	1,250)
9	देनपुरा	1	1	..	..
10	खीमली	1	..	1	1,000)
11	काप्रेन	2	2	..	..
12	खेडली	1	1	..	..
13	टीकोली	1	..	1	5,550)
14	करवाला की झौं	1	..	1	200)
15	टकरवाड़ा	1	..	1	700)
16	दोताना	2	..	2	1,500)
17	करवाला की झौं	2	2	..	..
18	पीपलदा सेज	1	..	1	1,500)
19	मेनोली	1	1	..	..
20	काडस्या बालाजी	1	..	1	750)
21	आहड़ी	1	1	.	..
22	जयस्थल	2	..	2	1,350)

1	2	3	4	5	6
23	फालाई	2	2	..	..
24	गोरडा	1	..	1	1,000)
25	धरावन	1	1	..	..
26	छगनपुरा	1	..	1	700)
27	सहनपुर	1	..	1	500)
28	बसवाडा	1	..	1	500)
29	करीरिया	1	..	1	1,000)
30	कोटा खुर्द	1	1	..	..
31	खाट का बराना	2	2	..	..
32	दही खेडा	2	2	..	..
33	बलदेवपुरा	2	1	1	1,850)
34	कोटडी	1	..	1	5,250)
35	बड़ा खेडा	5	5	..	..
36	बोरदा माल	1	1	..	..
37	भडीला	1	1	..	..
38	रामगंज	2	2	..	..
39	गोहाटा	2	1	1	800)
40	खरायता	1	1	..	
41	खेडली	1	1	..	
42	पापडी	1	1	..	
43	नया गांव	1	1	..	
44	डमडा	1	1	..	
45	जाडला	1	1	..	
46	हिंगोनिया	2	1	1	[illegible]500)
47	चाडगांव	1	1	..	
48	गरजनी	1	1	..	
49	स्टेशन लाखेरी	1	1	..	
50	गरमपुरा	2	2	..	
51	भावपुरा	1	..	1	500)
52	माण्डगंवार	1	..	1	350)
53	चडी	2	1	1	1,000)
54	रडी	2	1	1	1,000)
55	इन्द्रपुरिया	1	1	..	..

Page No 196

(196)

1	2	3	4	5	6
56	पातडा	1	1	..	..
57	अरनेठा	5	4	1	500)
58	रंगराजपुरा	1	..	1	1,250)
59	श्रीपुरा	1	1	..	..
60	छरकवाडा	1	..	1	3,275)
61	कुन्दी हेडा	1	..	1	500)
62	झुवाडा	1	..	1	3,000)
63	करवाडा	3	2	1	1,500)
64	रघुनाथपुरा	1	..	1	3,550)
65	ठोडेदा	1	..	1	2,250)
66	पीपलदा	1	..	1	500)
67	वरीयाडी	2	1	1	1,000)
68	बलकासा	1	1	..	..
69	चिताबा	1	1	..	..
70	गुडला	1	1	..	..
71	माधोराजपुरा	1	1	..	..
72	जगन्नाथा	1	1	..	..
73	चोतरा का खेडा	1	1	..	..
74	अमरपुरा	1	1	..	..
75	पटोलिया	1	..	1	1,250)
76	विजयनगर	1	..	1	650)
77	मीया बलाईयान	1	..	1	650)
78	उतराना अनु. जाति	3	2	1	300)
79	बरडाना	1	1	..	..
80	काम्रेन स्टेशन	1	1	..	..
81	हरियाना	1	1	..	..
82	बालापुरा	1	1	..	..
83	बामरली	1	1	..	..
84	झडिया दुर्जन	1	1	..	..
85	प्रतापगढ़	1	1	..	..
86	सलपद पुरिया	1	1	..	..
87	झाली जी का बराना	2	2	..	..

Page No 197

(197)

1	2	3	4	5	6
88	पापडली	2	2	..	..
89	रेवारपुरा	2	2	..	..
					58,475

अपूर्ण कुओं को पूर्ण करने में कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और उसमें से कितनी धनराशि ग्राम पंचायत अथवा पंचायत समिति द्वारा उपलब्ध हो सकती है व कितनी धनराशि राज्य सरकार द्वारा देने की आवश्यकता है इसकी जानकारी ली जा रही है। तत्पश्चात ही इन अपूर्ण कुओं को पूरा करने के बारे में निर्णय लिया जाना संभव है। कुओं के अब तक अपूर्ण रहने के कारणों की भी जांच की जा रही है। जाच होने पर ही निश्चित जानकारी देना संभव है।

(अतारांकित प्रश्न संख्या 59 भेड सं. के भाग (2) के संबंधित सूचना)

पंचायत समिति, केशवरायपाटन के सेवारत कर्मचारियों के पेंडिंग मेडिकल बिलों का विवरण

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	विद्यालय का नाम	अवधि मेडिकल बिल	राशि जो भुगतान की जानी है
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रभुलाल शर्मा	अध्यापक	चड़ी	16-5-75 से 2-7-75	71.06
2	" रामकिशन वर्मा	"	रंगराजपुरा	1-11-74 से 2-7-75	63.41
3	" वजरंग लाल	"	रड़ी	21-12-74 से 7-7-75	17.34
4	" घनश्याम वर्मा	"	"	9-4-76 से 19-5-77	139.65
5	" भंवर सिंह हाडा	"	ढगारिया	15-7-77 से 20-7-77	47.72
6	" घासीलाल सैनी	"	..	6-6-77 से 6-6-77	34.00
7	" रामनिवास शर्मा	"	छरकवाडा	5-11-76 से 27-11-76	18.38
8	" नन्दकिशोर मालव	"	काप्रेन	1-10-75 से 13-8-77	17.24
9	" प्रभुलाल	"	चड़ी	25-5-75 से 8-7-75	102.04
10	" कन्हैयालाल बंसल	"	रंगपुरिया	6-9-74 से 18-9-76	95.61
11	" विमल चन्द जैन	"	काप्रेन	17-10-74 से 25-10-74	59.35
12	" सीताराम	"	अनदपुरा	20-10-75 से 10-2-76	114-82
13	" अलीमोहम्मद	"	पटोलिया	26-5-75 से 1-3-76	160-63
14	" प्रभुलाल शर्मा	"	लाखेरीखुर्द	12-8-75	5.00
15	" कान्तीशंकर शर्मा	"	पीपल्दा थाग	9-11-75 से 16-12-75	85.25
16	" जगदीश शंकर शर्मा	"	देवजी खेड़ली	15-4-76 से 30-6-76	6.75
17	" पन्नालाल वैरागी	"	चत्तर फाखेडा	18-4-76 से 19-4-76	31.27

18	,, ग्यारसी लाल गौतम	,,	..	18-1-76 से 8-9-76	21.29
19	श्रीमती रामभरोसी	अध्यापिका	चितावा	6-10-74 से 8-9-75	85.90
20	श्री गोवरीलाल सैनी	अध्यापक	..	9-9-74 से 9-9-76	11.65
21	,, दानमल नामा	,,	हुस्तनापुर	2-1-77 से 12-1-77	18.80
22	,, गोपीलाल	,,	टंकरवाड़ा	19-10-76 से 21-10-76	10.44
23	,, कन्हैयालाल सैनी	,,	..	16-9-74 से 26-10-74	164.81
24	,, मदन लाल वर्मा	,,	चितावा	29-4-75 से 28-7-75	201.75
25	,, ओम प्रकाश जोशी	,,	स्टेशन काप्रेन	17-9-74	23.40
26	,, ख्वाज मोहम्मद	,,	झौंपड़िया	1-10-75 17-10-75	4.38
27	,, घासीलाल बैरागी	,,	..	4-4-76 से 21-5-76	50.49
28	,, मुकट बिहारी गुप्ता	,,	चरोंचा	7-2-76 से 6-3-76	93.73
29	,, चौथमल सनाढ्य	,,	बांजरली	30-5-74 से 2-7-74	44.00
30	,, घासीलाल सैनी	,,	..	10-6-75 से 31-1-76	21.45
31	,, गिरधारी लाल सैनी	,,	खाखटा	11-11-75 से 8-4-76	16.20
32	,, रामदेव वर्मा	,,	गुहाटा	12-2-76 से 7-6-76	36.90
33	,, मूलचन्द शर्मा	,,	चमावली	7-5-73 से 12-6-75 15-1-74	536.37
34	,, जगन्नाथ	,,	डौलर	24-9-74 से 12-6-75	4.00
35	,, रामकिशन वर्मा	,,	शोराजपुरा	20-5-73 से 19-5-74	294.85
36	,, विमल चन्द जैन	,,	काप्रेन	15-5-73 से 9-4-74	698.18
37	श्रीमती रामभरोसी	..	चितावा	6-6-70 से 7-6-70	27.08
38	श्री कन्हैया लाल सैनी	..	काप्रेन	10-9-72 से 1-12-74	958.67
39	,, जगन्नाथ	..	आजन्दा	17-11-73 से 22-1-74	30.15
40	,, बाबूलाल मुखिया	..	रडी	20-1-75 से 4-12-75	115.88
41	,, लक्ष्मीनारायण	..	केशोनगर	13-4-76 से 14-4-76	117.16
42	,, कन्हैयालाल बन्सल	..	रंगपुरिया	9-5-74 से 23-6-74	427.40

Page No 200

1	2	3	4	5	6
43	श्री दानमल नामा	..	हस्तनापुर	2-3-73 से 17-4-74	337.41
44	„ अलाउद्दीन	..	नीमोटा	31-3-74 से 9-7-74	34.62
45	„ गजानन्द	..	लाखेरी खुर्द	15-7-74	4.00
46	„ नाथूलाल वर्मा	..	इन्द्रपुरिया	25-5-73 से 30-3-76	352.48
47	„ सीताराम गुप्ता	..	आनन्दपुरा	30-3-74 से 2-8-74	400.06
48	„ मदन लाल चितावा	..		8-5-74 से 9-5-74	14.66
49	„ सुरेन्द्र पाल सिंह	ग्राम सेवक	..	16-9-70	26.64
50	„ रामचन्द्र	„	अरनेठा	2-8-70 से 6-5-73	86.91
51	„ नरेन्द्र कुमार जैन	„	..	19-8-71 से 24-8-77	58.39
52	„ नरेन्द्र कुमार श्री	..	..	6-12-73 से 5-4-74	395.16
53	„ राम प्रसाद सोनी	..	..	10-5-70 से 27-3-77	486.81
54	„ राजेश्वर	ग्राम सेवक	..	27-4-70 से 29-4-70	27.56
55	„ छोटूउद्दीन	प्र. अध्यापक	हाडियाखेड़ा	11-10-74 से 20-3-75	22.45
56	„ घनश्याम लाल	स. अध्यापक	रडी	2-3-76 से 18-3-76	38.66
57	„ नाथूलाल बैरवा	प्र. अध्यापक	इन्द्रपुरिया	8-3-73 से 31-10-74	33.93
58	श्रीमती लाजवन्ती आली	..	झाकाबराना	17-10-75	4.90
59	श्री विमल चन्द जैन	..	कोप्रेन	4-2-75 से 25-11-75	104.90
60	„ सीताराम गुप्ता	..	अनन्तपुरा	13-5-74 से 24-9-74	87.00
61	„ ख्वाज मोहम्मद	..	करवाला की झोंपड़ी	22-7-75 से 10-10-75	28.72
62	„ दान मल	..	हस्तनापुर	3-9-74 से 12-12-74	103.91
63	„ रामदेव	..	गुहाटा	28-8-75 से 30-9-75	98.10
64	„ नाथूलाल राठौड़	..	को. आजन्दा	25-6-76 से 4-7-76	54.66
65	„ राम देव	..	गुहाटा	31-8-75 से 15-2-76	38.62
66	„ मोहम्मद नसीफ	..	पापडी	30-9-75 से 26-6-76	58.20

1	2	3	4	5	6
67	श्री मुकुट बिहारी	..	चहेचा	18-4-77 से 9-4-77	134.57
68	,, नन्द लाल पंचोली	..	काप्रेन	22-7-77 से ..	19.92
69	,, अलाउद्दीन अन्सारी	..	नीमोठा	12-9-74 से 29-3-75	51.57
70	,, दानमल	..	हस्तनापुर	18-4-76 से 19-4-76	123.87
				21-12-75 से 17-4-76	124.61
71	,, मूलचन्द शर्मा	..	चमावली	3-10-75 से ..	3.75
72	,, गोबर लाल सैनी	..	माखोदा	8-7-75 से 14-7-75	29.25
				योग ..	8,548.49

पंचायत समिति की निजी आय के मद में धनराशि के अभाव के कारण इन बिलों का चुकारा नहीं किया जा सका है। इस वित्त वर्ष में पंचायत समिति ने अपनी निजी आय में चिकित्सा बिलों के चुकारे हेतु 5,000) रुपये का प्रावधान किया है। शेष बिलों के चुकारे के लिए पंचायत समिति के निजी आय के साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करके शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा।

[illegible]

1	2	3	4	5	6
67	श्री पं. [illegible]	..	[illegible]	13-4-77 से 9-4-77	134.57
68	,, [illegible]	..	[illegible]	22-7-77 से ..	10.92
69	,, [illegible]	..	[illegible]	12-9-74 से 29-3-75	51.57
70	,, [illegible]	..	[illegible]	18-4-76 से 19-4-76	123.87
				21-12-75 से 17-4-76	124.61
71	,, [illegible]	..	[illegible]	3-10-75 से ..	3.75
72	,, [illegible]	..	[illegible]	8-7-75 से 14-7-75	20.25
				योग ..	8,548.49

[illegible]